दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून भाग-1
2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

सामाजिक न्याय 4

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 4
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021 5
- सामुदायिक वन संसाधन 6
- वैश्विक जल संकट 8
- विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 9

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 11

- इज़रायल-संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौता 11
- तालिबान शासन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 12
- श्रीलंका का त्रिंकोमाली बंदरगाह 14
- भारत और स्वीडन के बीच उद्योग संक्रमण वार्ता 15
- प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का विस्तार 16
- भारत और सेनेगल 18
- भारत और खाड़ी देश 19
- भारत-इज़रायल संबंध 22
- ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल 23
- भारत-वियतनाम साझेदारी 24
- इस्लामिक सहयोग संगठन 27
- भारत-रूस संबंध 29
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 31

आंतरिक सुरक्षा 33

- SIPRI इयरबुक 2022 33

जैवविविधता और पर्यावरण 35

- एनटीपीसी की जैव विविधता नीति 35
- कोसी नदी प्रणाली में अस्थिरता 36
- स्टॉकहोम +50 37
- द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 39
- बायोमास बिजली 40
- इको सेंसिटिव जोन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 41
- विश्व पर्यावरण दिवस 43
- फिशिंग कैट्स 44
- भारी धातु प्रदूषण 46
- दिल्ली-एनसीआर में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 47
- वर्मिन जानवरों की हत्या 48
- जलवायु आपदाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि अपर्याप्त: ऑक्सफैम 50
- अंटार्कटिका की बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक्स 52
- बायोमास को-फायरिंग 53

भारतीय अर्थव्यवस्था 55

- भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में ई-ट्रांसमिशन पर अधिस्थगन का विरोध 55
- स्टैगफ्लेशन 56
- एटालिन जलविद्युत परियोजना 57
- PFMS का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड 58
- बैड बैंक 59
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 61
- सस्टेनेबल फैशन 62
- यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव 64
- नियोबैंक 65

भारतीय राजनीति 68

- एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र 68
- विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून 69
- दंड परिहार के नए मानदंड 70

भारतीय विरासत और संस्कृति 73

- भारत में मार्शल आर्ट के रूप 73

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 76

- वेस्ट नील वायरस 76
- भारत ड्रोन महोत्सव 2022 77
- मलेरिया से लड़ने के लिये कृत्रिम प्रकाश 79
- इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट 80
- कैंसर के लिये PD1 थेरेपी 82
- भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 82
- थाईलैंड ने मारिजुआना को किया वैध 84
- NSIL को इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों का हस्तांतरण 86
- चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन 87
- संवाद अनुप्रयोगों के लिये भाषा मॉडल 88

शासन व्यवस्था 90

- जाति आधारित जनगणना 90
- बंदूक नियंत्रण कानून 91
- सोशल मीडिया शिकायत के लिये अपीलीय समितियों का प्रस्ताव 92
- श्रेष्ठ योजना 93
- प्रधानमंत्री आवास योजना 94
- सहकारी समितियों हेतु GeM पोर्टल 95
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 97
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 98
- सुशासन 99
- वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2022 101
- क्षेत्रीय परिषद 102
- वृक्ष-प्रत्यारोपण 103
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 104
- जल जीवन मिशन 105
- अग्निपथ योजना 107

प्रिलिम्स फैक्ट्स 109

- गोवा का स्थापना दिवस 109
- विश्व दुग्ध दिवस 109
- भारत में चीता पुनर्वास 110
- संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 111
- कोर सेक्टर आउटपुट 112
- तेलंगाना का स्थापना दिवस 113
- पेंटेड लेपर्ड गेको 113
- ऑपरेशन महिला सुरक्षा 114
- भारत का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप 115
- प्लैटिगोम्फस बेनरिटेरम 115
- अभ्यास 'पूर्व सम्प्रीति-X' 116
- वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइट 2022 117
- एक्स खान क्वेस्ट 2022 118
- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 118
- राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 119
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक: FSSAI 120
- चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र 121
- एजियन सागर 122
- सिरुमलाई पहाड़ियों में जैवविविधता पार्क: तमिलनाडु 122
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 123
- नन्ही परी कार्यक्रम 124
- रामसे हंट सिंड्रोम' 125
- मक्का के फोर्टिफिकेशन की माया तकनीक 125
- विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 127
- 38वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट 127
- संत तुकाराम 128

रैपिड फायर 130

सामाजिक न्याय

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

चर्चा में क्यों ?

तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस कीघोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में की गई ताकि तंबाकू महामारी से होने वाली मृत्यु तथा बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।
    - वर्ष 1988 में संकल्प WHA 42.19 पारित कर प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था।

मुख्य विषय:

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम "पर्यावरण की रक्षा" है।
    - WHO के अनुसार, "पर्यावरण पर तंबाकू उद्योग का हानिकारक प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ रहा है, जिससे हमारे ग्रह पर "दुर्लभ संसाधनों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र" पर पहले से ही उपस्थित दबाव में अनावश्यक वृद्धि हो रही है।"
- WHO प्रत्येक वर्ष तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिये सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयासों और योगदान के लिये उन्हें सम्मानित करता है।
    - इस वर्ष WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस (WNTD) पुरस्कार-2022 के लिये झारखंड का चयन किया है।

तंबाकू के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव:

- तंबाकू की लत को दुनिया भर में रोके जा सकने वाली मौतों और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण माना गया है।
- तंबाकू के सेवन से हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है।
    - भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 35 मिलियन मौतें तंबाकू के सेवन की वजह से होती हैं और यह तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश भी है।
    - विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है, जिनमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं।
- धूम्रपान कैंसर, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD) और पेरिफेरल वैस्कुलरडिज़ीज़ (PVD) से मौत का कारण बनता है।
- विश्व में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं को अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे- प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम, महिला विशिष्ट कैंसर जैसे- स्तन, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम में वृद्धि आदि।
- यदि निरंतर और प्रभावी पहलों को लागू नहीं किया जाता है तो महिला धूम्रपान की व्यापकता वर्ष 2025 तक 20% तक बढ़ने की संभावना है।

तंबाकू का पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव:

- ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन: तंबाकू से एक वर्ष में 84 मेगा टन से अधिक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है।
- मृदा और जल संदूषण: सिगरेट के बट्स व एकल उपयोग वाले जैव अनिम्नकरणीय पाउच और ई-सिगरेट के माइक्रोप्लास्टिक द्वारा मृदा में विषाक्त पदार्थों के मिश्रण के कारण यह मृदा एवं जल को दूषित करता है।
- सिगरेट बनाने के लिये जल की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है फलस्वरूप यह अत्यधिक जल का दोहन करता है।

भारत के संदर्भ में आँकड़े:

- 29 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों चंडीगढ़व पुदुचेरी में किये गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (2010) ने पुरुषों के बीच गिरावट की प्रवृत्ति और 2005-09 के दौरान महिला धूम्रपान की समग्र बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है।
    - महिलाओं के बीच बढ़ती व्ययक्षमता और वैश्वीकरण तथा आर्थिक संक्रमण के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं के कमज़ोर होने को इस खतरनाक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा सकता है।

तंबाकू की खपत को रोकने के लिये प्रमुख पहल:

- तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ ढाँचागत संधि (FCTC): यह WHO के तत्त्वावधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
    - इसे 21 मई, 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) द्वारा स्वीकार किया गया और 27 फरवरी, 2005 को लागू हुई।

- तंबाकू के उपयोग से निपटने के लिये FCTC द्वारा अपनाए गए उपाय:
  - मूल्य और कर उपाय
  - तंबाकू के पैकेट पर बड़े-बड़े शब्दों मेंमुद्रित चेतावनियाँ
  - 100% धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान
  - तंबाकू के विपणन पर प्रतिबंध
  - धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों की सहायता
  - तंबाकू उद्योगों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम
- WHO ने MPOWER की शुरुआत की है जो तकनीकी उपायों और संसाधनों का एक संयोजित व संयुक्त प्रयास करता है, जिनमें से प्रत्येक WHO के FCTC कार्यक्रम केकम-से-कम एक प्रावधान से मेल खाता है।

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP): भारत सरकार ने वर्ष 2007 मेंनिम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की:
  - तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना।
  - "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध, व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" (COTPA) केप्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  - तंबाकूको छोड़ने में लोगों की सहायता करना।
  - WHO की ढाँचागत संधि द्वारा अनुशंसित तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण के लिये रणनीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।

आगे की राह

- लोगों में जागरूकता बढ़ाना एवं तंबाकू उत्पादों पर उच्च कराधान।
- विज्ञापनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों पर प्रतिबंध।
- तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- पर्यावरण की क्षति के लियेतंबाकू कंपनियों पर दंड लगानाा।
- तंबाकू किसानों को स्थायी और वैकल्पिक फसलों में स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा उनका समर्थन करनाा।
- स्कूल स्तर से स्वास्थ्य शिक्षा, धूम्रपान करने वालों की कैंसर की जाँच और धूम्रपान छोड़ने वालों के लिये कैंसर के शीघ्र उपाय प्रदान करना।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता (IRF) पर 2021 की रिपोर्ट ज़ारी की गई।

- यह दस्तावेज़ अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) द्वारा ज़ारी IRF रिपोर्ट से अलग है।
- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय संघीय सरकारी इकाई है, जबकि IRF अमेरिकी विदेश विभाग का हिस्सा है। पूर्व की रिपोर्ट एक वैधानिक स्थान रखती है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी कार्यालय:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA, 1998) को हस्ताक्षरित किया।
  - इस अधिनियम ने अमेरिकी सरकार के विदेश विभाग के तहत एक राजदूत-एट-लार्ज की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यालय का निर्माण किया और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की स्थापना की।
- उद्देश्य:
  - यूएस ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (IRF) विश्व स्तर पर धार्मिक रूप से प्रेरित दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और भेदभाव पर नज़र रखता है।
  - इसके अतिरिक्त यह उल्लिखित चिंताओं को दूर करने के लिये नीतियों और कार्यक्रमों की सिफारिश, विकास और कार्यान्वयन करता है।
  - IRF में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को लागू करने के लिये वैश्विक स्तर पर उभरते लोकतंत्रों की सहायता करता है।
  - इसके अलावा उन शासनों की पहचान करें और उनकी निंदा करें जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न करते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में विश्व स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की सहायता करते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बिंदु:

- भारत:
  - बढ़ते हमले:
    - भारत में लोगों (धार्मिक असहिष्णुता के कारण) और पूजा स्थलों पर हमलों में वृद्धि देखी गई है।

- धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर ये हमले वर्ष भर होते रहे हैं जिनमें हत्याएँ और उनको डराना-धमकाना शामिल है।
- इनमें गोहत्या या गोमांस के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर-हिंदुओं के खिलाफ हमले की घटनाएँ भी शामिल थीं।

◆ धर्मांतरण विरोधी कानून:

- इसके भारत खंड में देश में धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर भी प्रकाश डाला गया है, यह देखते हुए कि 28 राज्यों में ये कानून हैं और उनके तहत गिरफ्तारी की गई थी।
- ये यह भी बताता है कि कई राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पेश करने की योजना की घोषणा की है।

◆ पुलिस द्वारा गिरफ्तारियाँ:

- पुलिस ने गैर-हिंदुओं को मीडिया या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिये गिरफ्तार किया, जिन्हें हिंदु धर्म या हिंदुओं के लिये अपमानजनक माना गया था।

◆ संदिग्ध आतंकी:

- जम्मू-कश्मीर में बिहार के हिंदू प्रवासी श्रमिकों सहित नागरिकों और प्रवासियों को निशाना बनाकर और उनकी हत्या करने वाले हमले भी हुए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, इसने हिंदू और सिख समुदायों में व्यापक भय पैदा कर दिया है, जिससे कई क्षेत्र से प्रवासियों का पलायन हुआ।

◆ लिंचिंग:

- वर्ष 2021 में त्रिपुरा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों की लिंचिंग की घटनाओं का भी जिक्र है।

◆ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम:

- गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कामकाज को बाधित करने के लिये सरकार द्वारा विदेशी योगदान विनियम अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था।
- हालाँकि, सरकार का दावा है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल विदेशी गैर सरकारी संगठनों की निगरानी और जवाबदेही को बढ़ाने के लिये किया जाता है।

- वैश्विक स्थिति:

◆ परिचय:

- वियतनाम और नाइजीरिया को उन देशों के रूप में उद्धृत किया गया है जहाँ धार्मिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा था।
- धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिबंधों वाले देशों के उदाहरणों के एक अन्य वर्ग में अमेरिका सहयोगी देश सऊदी अरब, साथ ही चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं
- चीन मुख्य रूप से मुस्लिम उइगर और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के नरसंहार और दमन को जारी रखा है।
- पाकिस्तान में, कई लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया है, या वर्ष 2021 में अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है।

◆ प्रगति :

- मोरक्को, तिमोर लेस्ते, ताइवान और इराक उन देशों के उदाहरण हैं जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रगति हुई है।
- कुछ देश नागरिकों के "मूल अधिकारों" का सम्मान नहीं कर रहे थे, जिसमें धर्मत्याग और ईशनिंदा कानूनों का उपयोग करना और धार्मिक अभिव्यक्ति को कम करना- जैसे कि धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करना शामिल है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है।
  - ◆ अनुच्छेद 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)।
  - ◆ अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
  - ◆ अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय को लेकर स्वतंत्रता)।
  - ◆ अनुच्छेद 28 (कुछ विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर स्वतंत्रता)।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।

सामुदायिक वन संसाधन

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक गाँव के सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता दी है।

- जबकि CFR अधिकार जो कि महत्त्वपूर्ण सशक्तीकरण उपकरण हैं, पर विभिन्न गाँवों के बीच उनकी पारंपरिक सीमाओं के बारे में सहमति प्राप्त करना अक्सर चुनौती साबित होता है।
- वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएँ:

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले (जगदलपुर के पास) में स्थित है।
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।
- इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है।
- राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है। पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस संपूर्ण घाटी में प्रवाहित होती है।
- पार्क एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है, जिसमें साल, सागौन और बाँस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं।
- इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय पक्षी प्रजाति बस्तर मैना है जो अपनी मानव जैसी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है।

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) क्या हैं?

- परिचय:
  - यह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है।
  - समुदाय द्वारा इसका उपयोग गाँव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिये किया जाता है।
  - प्रत्येक CRF क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गाँवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है।
- श्रेणियाँ:
  - इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं- राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीम्ड वन, ज़िला समिति भूमि (DLC), आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में संदर्भित), 2006 की धारा 3 (1) (आई) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को "संरक्षण, पुन: उत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।
- ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
- CFR अधिकार, धारा 3 (1) (बी) और 3 (1) (सी) के तहत सामुदायिक अधिकारों (CR) के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार (रियासतों या ज़मींदारी आदि में पूर्व उपयोग किये जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।
- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं।

CFR अधिकार मान्यता का लाभ:

- वन समुदायों हेतु न्याय:
  - इसका उद्देश्य वनों पर उनके प्रथागत अधिकारों की कटौती के परिणामस्वरूप वन-आश्रित समुदायों के साथ हुए "ऐतिहासिक अन्याय" की भरपाई करना है।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह समुदाय के वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार के साथ-साथ खेती व निवास के लिये उपयोग की जाने वाली वन भूमि को कानूनी रूप से धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है।
- वनवासियों की भूमिका :
  - यह वनों की स्थिरता और जैवविविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है।
  - राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों जैसे संरक्षित वनों के लिये इसका अधिक महत्त्व है क्योंकि पारंपरिक निवासी अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षित वनों के प्रबंधन का हिस्सा बन जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम:

- वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।
- यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।

- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

वैश्विक जल संकट

चर्चा में क्यों?

एक नई प्रकाशित पुस्तक के अनुसार, अपरंपरागत जल संसाधन वैश्विक जल संकट को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

- इस पुस्तक को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH), सामग्री प्रवाह एवं संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिये UNU संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है।
- पारंपरिक जल स्रोत जो बर्फबारी, वर्षा और नदियों पर निर्भर हैं- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

अपरंपरागत जल स्रोत:

- क्लाउड-सीडिंग के माध्यम से वर्षा में वृद्धि:
    - क्लाउड-सीडिंग तकनीक पर वैश्विक शोध से संकेत मिलता है कि उपलब्ध क्लाउड संसाधनों और उपयोग की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा को 15% तक बढ़ाया जा सकता है।
    - हालाँकि यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनशीलता पर अधिक शोध की आवश्यकता है।
- कोहरा संचयन और सूक्ष्म जलग्रहण वर्षा जल संचयन:
    - कुशल फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली जिसमें कोहरे में नमी को चट्टानों और वनस्पतियों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है, यह एक दशक तक प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल की मात्रा को उपलब्ध करा सकती है, हालाँकि अभी केवल 70 स्थानों को फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिये व्यावहारिक पाया गया है।
    - सूक्ष्म-जलग्रहण प्रणाली में कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में घरेलू या कृषि भूमि हेतु क्षमता पाई गई है।
- हिमखंडों की भूमिका:
    - ताज़े पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत आइसबर्ग भी हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा है।
    - जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ पिघल कर टूट रही हैं और वैज्ञानिकों, विद्वानों व नेताओं ने पानी की कमी वाले देशों में ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को जल संकट वाले देशों की ओर विस्थापित करने पर चर्चा की है।
    - वर्ष 2017 में बड़े पैमाने पर पानी की कमी का सामना करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने देश में एक हिमखंड को विस्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- बलास्ट वाटर :
    - बलास्ट वाटर एक और परिवहन योग्य संसाधन है, जो कि मीठे पानी या खारे पानी को जहाज़ के बलास्ट टैंकों और कार्गो में रखा जाता है जो यात्रा के दौरान स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 10 बिलियन टन बलास्ट वाटर का निर्वहन किया जाता है, इस जल को अलवणीकृत करने की आवश्यकता है।
    - जब विलवणीकरण का उपयोग बलास्ट वाटर के उपचार के लिये किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद (विलवणीकृत पानी) आक्रामक जलीय जीवों और अस्वास्थ्यकर रासायनिक यौगिकों से मुक्त होता है, जिससे यह सार्वजनिक जल आपूर्ति और सिंचाई के लिये भी उपयोगी हो जाता है।
- नगर निगम अपशिष्ट जल:
    - नगरपालिका अपशिष्ट जल का उचित उपचार कई देशों में पहले से ही चल रहा है, यह कृषि के लिये जल का एक प्रमुख संसाधन है।
    - कई देशों ने मांग को पूरा करने के लिये अपशिष्ट जल के उपचार हेतु सफल पहल शुरू की है।
- अपवाहित जल:
    - सिंचाई कृषि में उपयोग किये जाने वाले अपवाहित जल में भी पुनः उपयोग की क्षमता होती है, लेकिन इसकी उच्च लवणता के कारण यह अनुपयोगी होता है।
    - लवण प्रतिरोधी फसलों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और संवर्द्धन इसका समाधान हो सकता है।
- खारा जल:
    - अनुसंधान से पता चला है कि महाद्वीपीय मग्नतट में लगभग 5 मिलियन क्यूबिक किमी खारा जल और 300,000-500,000 क्यूबिक किमी मीठे जल उनके तलछट के भीतर है।
    - पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और भारत में खारे जल संसाधनों का विकास पहले से ही चल रहा है।

जल संकट की वर्तमान स्थिति:

- विश्व:
    - विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है और इसका दो-तिहाई हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है जो हमारे उपयोग के लिये अनुपलब्ध है।

- 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान है।
- पृथ्वी पर चार में से एक व्यक्ति पीने, स्वच्छता, कृषि और आर्थिक विकास के लिये जल की कमी का सामना करता है।
  - मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहाँ वैश्विक आबादी का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है।

भारत:

- परिचय:
  - हालाँकि भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया के फ्रेश वाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है।
  - हाल के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर बनी है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है।
  - हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़ों (2017 से) के अनुसार, भारत के 700 में से 256 ज़िलों में भूजल स्तर के 'गंभीर' या 'अत्यधिक दोहन' की सूचना है।
  - भारत के तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुँच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  - भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी प्रमुख नदियाँ प्रदूषण के कारण सूख रही हैं।
- संबंधित सरकारी पहलें:
  - जल क्रांति अभियान।
  - राष्ट्रीय जल मिशन।
  - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।
  - नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक।
  - जल जीवन मिशन।
  - जल शक्ति अभियान।
  - अटल भू-जल योजना।

अनुशंसाएँ:

- अपरंपरागत जल संसाधन बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जाए:
  - अपरंपरागत जल संसाधनों के तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पहलुओं पर अनुसंधान एवं अभ्यास को बढ़ावा देना।
  - यह सुनिश्चित करना कि अपरंपरागत जल लाभ प्रदान करे, न कि पर्यावरण को नुकसान।
  - अनिश्चितता के समय अपरंपरागत जल को विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करना।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस (WEAAD - 15 जून) की पूर्व संध्या पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट 22 शहरों में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किये गए सर्वेक्षण पर आधारित थी।

प्रमुख बिंदु

बुजुर्ग दुर्व्यवहार:

- बुजुर्ग दुर्व्यवहार को 'एक एकल' या 'बार-बार होने वाली घटना' या उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी उस रिश्ते में हो सकती है जहाँ विश्वास की उम्मीद होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नुकसान या परेशानी का कारण बनती है"।
- यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है तथा एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है।
- वृद्ध दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है, फिर भी आमतौर पर विश्व स्तर पर कम रिपोर्ट की जाती है।
  - प्रसार दर या अनुमान केवल चयनित विकसित देशों में मौजूद हैं- 1% से 10% तक।
  - यह एक वैश्विक बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है।

WEAAD से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - WEAAD का आयोजन हर वर्ष 15 जून को किया जाता है।
  - इसे वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 66/127 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी।
- थीम 2022:
  - डिजिटल इक्विटी फॉर आल एजेज़ (Digital Equity for All Ages)।

- लक्ष्य:
  - दुर्व्यवहार और नुकसान से ग्रसित बुजुर्ग लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
    - इसका प्राथमिक लक्ष्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर दुर्व्यवहार और उपेक्षा के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ:

- आर्थिक स्थिति:
  - भारत में 47% बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं और 34% पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि सर्वेक्षण में 40% लोगों ने "यथासंभव " काम करने की इच्छा व्यक्त की है।
- काम करने के इच्छुक नागरिक:
  - सर्वेक्षण के अनुसार, 71% वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे थे, जबकि 36% काम करने को तैयार थे और 40% "यथासंभव" काम करना चाहते थे।
    - 30% से अधिक बुजुर्ग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिये अपना समय स्वेच्छा से देने को तैयार थे।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ:
  - 87% बुजुर्गों ने बताया कि आस-पास स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता है, हालाँकि 78% बुजुर्गों ने एप-आधारित ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता का उल्लेख किया और 67% बुजुर्गों ने बताया कि उनके जीवन में इस महत्त्वपूर्ण चरण में कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है तथा केवल 13% ही सरकारी बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।
- बुजुर्ग दुर्व्यवहार:
  - 59% बुजुर्गों ने महसूस किया कि समाज में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार "प्रचलित" था, लेकिन 10% ने खुद के पीड़ित होने की सूचना दी।

संबंधित पहल :

- वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- वयोश्रेष्ठ सम्मान
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007
- एल्डर लाइन, पहला अखिल भारतीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14567)
- SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन)

आगे की राह

- देश में वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- केंद्र को एक व्यापक निवारक पैकेज के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिये जो पोषण, व्यायाम और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान आकर्षित करने के साथ सामान्य जराचिकित्सा समस्याओं के बारे में जागरूकता प्रदान करे।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इज़रायल-संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इज़रायल ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो वर्ष 2020 के यूएस-मध्यस्थता संबंधों के सामान्यीकरण पर आधारित है।

- UAE इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश है, साथ ही मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश है।

प्रमुख बिंदु

- दोनों देशों के बीच व्यापार: वर्ष 2020 की तुलना में इज़रायल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात से हीरे को छोड़कर वस्तुओं के आयात और निर्यात में 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की।
    - वर्ष 2021 में दोतरफा व्यापार कुल 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
    - गैर-तेल व्यापार वर्ष 2022 के पहले तीन महीनों में 1.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि से पाँच गुना वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
- मुक्त व्यापार समझौते का महत्त्व:
    - यूएस-मध्यस्तता संबंधों के सामान्यीकरण पर आधारित है: यह समझौत वर्ष 2020 में राजनयिक सौदों की श्रृंखला के स्थायित्व को दर्शाता है जिसे अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है, इसने इज़रायल और चार मुस्लिम देशों- संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में मदद की।
    - आर्थिक क्षमता:
        - लोगों के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात की अनूठी विशेषताओं के कारण UAE के साथ इज़रायल के संबंधों में काफी आर्थिक संभावनाएँ हैं।
        - संयुक्त अरब अमीरात अरब दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (सऊदी अरब के बाद) वहीं प्रौद्योगिकी, उत्पादों, उन्नत समाधानों के साथ इज़रायल महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
    - बाज़ार और कम टैरिफ तक तेज़ी से पहुँच:
        - दोनों देशों के व्यवसायों को तेज़ी से बाज़ारों तक पहुँच और कम टैरिफ का लाभ प्राप्त होगा क्योंकि ये देश व्यापार बढ़ाने, रोज़गार सृजित करने, नए कौशल को बढ़ावा देने तथा सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिये मिलकर काम करते हैं।
        - इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान होने वाले 96% उत्पादों पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
        - यह समझौता नियामक और मानकीकरण के मुद्दों, सीमा शुल्क, सहयोग, सरकारी खरीद, ई-कॉमर्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी संबंधित है।
    - व्यापार को बढ़ावा देना:
        - यह समझौता इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब डॉलर से अधिक तक पहुँचाएगा।
        - UAE-इज़रायल के बीच व्यापार वर्ष 2022 में 2 बिलियन डॉलर से अधिक का होने का अनुमान है, जिसके पाँच वर्षों में बढ़कर लगभग 5 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, यह नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्यटन और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग से मज़बूत होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इज़रायल की भूमिका में वृद्धि:
  - दोनों देशों के लिये एक दीर्घकालिक संभावना यह है कि इज़रायली कंपनियाँ संयुक्त अरब अमीरात में विनिर्माण स्थापित करेंगी जो कि मध्य-पूर्व, एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, ऐसे में इज़रायल अपनी स्थिति को मज़बूत कर रहा है।
- भारत के लिये महत्त्व:
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के साथ संयुक्त रूप से इस समझौते से व्यापक त्रिपक्षीय सहयोग एवं व्यावसायिक भागीदारी की संभावना है।
  - इसने अमेरिका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर भी उत्पन्न किये हैं।
    - यह अब्राहम समझौते से संभव हुआ, जो सभी के लिये शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
  - इज़रायल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भी एक नए समूह, पश्चिम एशियाई क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे आर्थिक सहयोग के लिये एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
    - वे अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर केंद्रित एक रचनात्मक एजेंडा का अनुसरण कर रहे हैं।
- मुक्त व्यापार समझौता:
  - FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करती है।
  - FTA आमतौर पर माल (जैसे- कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं में व्यापार (जैसे- बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) पर लागू होता है।
  - FTA अन्य क्षेत्रों जैसे- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्द्धा नीति आदि को भी कवर कर सकता है।
  - उदाहरण: भारत ने कई देशों के साथ FTA पर बातचीत की है, उदाहरण- श्रीलंका और आसियान जैसे विभिन्न व्यापारिक ब्लॉकों के साथ।
  - FTA को तरजीही व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

आगे की राह

- इज़रायल के साथ यह व्यापार समझौता पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिये एक नया प्रतिमान तैयार करेगा और महत्त्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- यह निकट भविष्य में महत्त्वपूर्ण राजनयिक संबंधों की पेशकश करेगा और मध्य-पूर्व क्षेत्र में इज़रायल और पश्चिम एशिया के कई देशों के बीच लंबे संघर्षों पर काबू पाने में मदद करेगा।

तालिबान शासन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल के अनुसार, नए तालिबान शासन के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन सुरक्षित स्थान पर रहने का लाभ उठा रहे हैं।

UNSC के निगरानी दल का मिशन:

- निगरानी दल UNSC प्रतिबंध समिति की सहायता करता है और इसकी रिपोर्ट समिति के सदस्यों के बीच परिचालित अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की रणनीति के निर्माण की सूचना देती है।
- भारत वर्तमान में प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है, जिसमें सभी 15 UNSC सदस्य शामिल हैं।
- अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यह पहली रिपोर्ट है।
  - इसमें आधिकारिक अफगान ब्रीफिंग द्वारा सहायता नहीं दी गई यह इसकी पहली रिपोर्ट है।
- टीम ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तथा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन जैसे निकायों के साथ परामर्श करके डेटा एकत्र किया।
  - UNAMA संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष राजनीतिक मिशन है जिसकी स्थापना स्थायी शांति और विकास की नींव रखने में राज्य व अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिये की गई है।

तालिबान शासन के बाद भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने की पहल:

- संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाने के उपाय:
    - तालिबान के अधिग्रहण के बाद भारत अपनी नीति में एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अफगानिस्तान से संबंध बहाल करने में व्यावहारिक बाधाओं के कारण दुविधा में है।
    - वर्तमान में भारत अफगानिस्तान के साथ संभावित जुड़ाव के तीन व्यापक उपायों का आकलन कर रहा है:
        - मानवीय सहायता प्रदान करना, अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयासों की खोज करना और तालिबान के साथ बातचीत में शामिल होना।
    - इन सभी का अंतिम लक्ष्य जनसंपर्क बहाल करना और पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान में भारत द्वारा विकासात्मक परियोजनाओं के संभावित लाभ के अवसर को बनाए रखना है।
    - भारत ने सभी 34 अफगान प्रांतों में 400 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ शुरू की हैं तथा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिये रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

आतंकवाद का दोनों देशों के मध्य संबंधों पर प्रभाव:

- अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीतियों को पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से रेखांकित किया गया है।
    - भारत एक आतंकवादी गलियारे की आशंका को लेकर सतर्क है जिसे पूर्वी अफगानिस्तान से कश्मीर क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है, अतः भारत-अफगानिस्तान के मध्य इस मुद्दे पर ज़मीनी स्तर पर विचार किया जाना चाहिये।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव संख्या 2593 के लिये अपने समर्थन की लगातार पुष्टि की है और दृढ़ता से कहा कि भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिये अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।
- आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रयास अफगानिस्तान के साथ भारत की नीतियों को आकार देने में एक प्रासंगिक भूमिका निभा सकता है, हालाँकि भारत अपने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दायित्वों और इसके तत्काल दक्षिण एशियाई लक्ष्यों में एकरूपता चाहता है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर अधिक मज़बूती से आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण विकसित करने में बढ़ती रुचि का प्रदर्शन किया है।

अफगानिस्तान का भारत के लिये महत्त्व:

- आर्थिक और रणनीतिक हित: अफगानिस्तान तेल और खनिज समृद्ध मध्य एशियाई गणराज्यों का प्रवेश द्वार है।
    - अफगानिस्तान भू-रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी सत्ता में रहता है, वह भारत को मध्य एशिया (अफगानिस्तान के माध्यम से) से जोड़ने वाले भू- मार्गों को नियंत्रित करता है।
    - ऐतिहासिक सिल्क रोड के केंद्र में स्थित: अफगानिस्तान लंबे समय से एशियाई देशों के बीच वाणिज्य का केन्द्र था, जो उन्हें यूरोप से जोड़ता था तथा धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ाव देता था।
- विकास परियोजनाएँ: इस देश के लिये बड़ी निर्माण योजनाएँ भारतीय कंपनियों को बहुत सारे अवसर प्रदान करती हैं।
- तीन प्रमुख परियोजनाएँ: अफगान संसद, जरंज-डेलाराम राजमार्ग और अफगानिस्तान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) के साथ-साथ सैकड़ों छोटी विकास परियोजनाओं (स्कूलों, अस्पतालों और जल परियोजनाओं) में 3 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक की भारत की सहायता ने अफगानिस्तान में भारत की स्थिति को मज़बूत किया है।
- सुरक्षा हित: भारत इस क्षेत्र में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह (जैसे हक्कानी नेटवर्क) से उत्पन्न राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। इस प्रकार अफगानिस्तान में भारत की दो प्राथमिकताएँ हैं:
    - पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मित्रवत सरकार बनाने से रोकने के लिये।
    - अलकायदा जैसे जिहादी समूहों की वापसी से बचने के लिये, जो भारत में हमले कर सकता है।

आगे की राह

- अधिकांश देश अफगानिस्तान में तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने के मामले में भारत की वेट एंड वॉच नीति से सहमत हैं।
- भारत तालिबान शासन के तरीकों पर तीखी प्रतिक्रिया करने के प्रति अनिच्छुक है।
    - हालाँकि भारत को प्रासंगिक बने रहने के लिये इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहिये।
- जबकि दिल्ली ने तालिबान के लिये एकीकृत क्षेत्रीय प्रतिक्रिया हेतु महत्त्वपूर्ण हितधारकों को बुलाने और नया राजनीतिक रोडमैप तैयार करने की मांग की, इसने दक्षिण एशियाई देशों को अपने नेतृत्व के साथ शामिल करने के लिये कई बाधाओं का अनुभव किया।
    - उदाहरण के लिये पाकिस्तान और चीन ने भारत का समर्थन करने के बजाय ट्रोइका-प्लस विचार-विमर्श में भाग लेने का विकल्प चुना।

- अफगानिस्तान के प्रति ये विरोधी दृष्टिकोण भविष्य में भी मौजूद रहेंगे। रणनीतिक रूप से स्थायी अफगानिस्तान नीति विकसित करने के लिये इसके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों के साथ-साथ पुन: समायोजन की एक यथार्थवादी मूल्यांकन की आवश्यकता है।

श्रीलंका का त्रिंकोमाली बंदरगाह

चर्चा में क्यों ?

श्रीलंका त्रिंकोमाली बंदरगाह को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है जो वैश्विक हितों को आकर्षित करेगा।

- यह प्रस्ताव एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक औद्योगिक पार्क या एक ऊर्जा केंद्र के लिये विदेशी और स्थानीय निवेश प्राप्त करके श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण से संबंधित भूमि का मुद्रीकरण करने के लिये एक लंबे समय से चली आ रही योजना है।

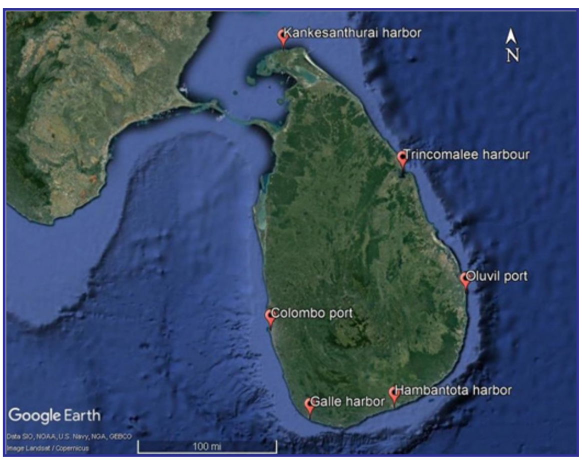

प्रमुख बिंदुः

- त्रिंकोमाली पोर्ट :
  - त्रिंकोमाली बंदरगाह श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर त्रिंकोमाली खाड़ी में एक प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसे पहले कोडियार खाड़ी कहा जाता था।
  - त्रिंकोमाली, चेन्नई का निकटतम बंदरगाह है।
- बंदरगाह का महत्व:
  - भू-रणनीतिक और सामरिक महत्त्व: हिंद महासागर में इस बंदरगाह का सामरिक महत्त्व है, यह भारत, जापान और अमेरिका सहित कई देशों के हितों से संबंधित है।
    - जापान ने त्रिंकोमाली बंदरगाह के विकास पर वर्ष 2020 में ADB(एशियाई विकास बैंक) अध्ययन शुरू किया।
  - डेडिकेटेड पोर्ट टर्मिनल: त्रिंकोमाली में पहले से ही कई डेडिकेटेड पोर्ट टर्मिनल हैं- इसमें लंका इंडियन ऑयल कंपनी की सुविधा, टोक्यो सीमेंट की सुविधा और आटा कारखाने के लिये अनाज की सुविधा और एक चाय टर्मिनल शामिल है।
    - कोयला, जिप्सम और सीमेंट जैसे बल्क कार्गो के लिये एक घाट भी है।
  - अन्य बंदरगाहों पर दबाव : यह विकास कोलंबो बंदरगाह पर दबाव कम करेगा और परिचालन में मदद करेगा जिससे आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होगी।
  - गैर-कंटेनरीकृत कार्गो यातायात: इसके लिये गैर-कंटेनरीकृत कार्गो यातायात जैसे सीमेंट, कोयला या अन्य औद्योगिक कच्चे माल के लिये बंदरगाह का विकास भी आवश्यक होगा।

भारत के संदर्भ में इस सौदे का महत्त्व:

- प्राकृतिक बंदरगाह: यह एशिया के बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिससे भारत लाभान्वित होगा।
- चीनी प्रभाव का नियंत्रण: यह बंदरगाह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के रूप में काम करेगा। हंबनटोटा बंदरगाह तक चीन की पहुँच पहले से ही है, इसलिये त्रिंकोमाली बंदरगाह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- समुद्री व्यापार मार्ग: जो भारतीय कंपनियाँ इस विकास में कार्य में लगी हैं वे इस क्षेत्र मं भारतीय समुद्री व्यापार मार्गों को बढ़ाएगी।
  - इस साल की शुरुआत में 'लंका इंडियन ऑयल कंपन" और 'सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' ने त्रिंकोमाली में (ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित) विशाल तेल भंडारण टैंक फार्म विकसित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सौदे से समझौते को फायदा होगा।

आगे की राह

- त्रिंकोमाली बंदरगाह के विभिन्न लाभ जैसे, प्राकृतिक गहरे पानी, आश्रय, पर्यटन स्थलों, और बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक और रसद के लिये पर्याप्त स्थान के साथ, समुद्री कार्गो व्यापार के क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि आदि। ये विशेष रूप से बांग्लादेश और म्याँमार के साथ-साथ भारत के पूर्वी समुद्री तट पर बंदरगाहों के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के साथ त्रिंकोमाली बंदरगाह संयुक्त परियोजना श्रीलंका के घरेलू नृजातीय विचारों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।
- यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिलेगी।

भारत और स्वीडन के बीच उद्योग संक्रमण वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल 'लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन' (LeadIT) के एक भाग के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण वार्ता की मेज़बानी की।

- इस उच्च स्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम+50' में योगदान दिया है, साथ ही COP-27 (जलवायु परिवर्तन) के लिये एजेंडा निर्धारित किया है।

लीडआईटी:

- परिचय :
  - लीडआईटी पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और जहाँ विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - यह उन देशों और कंपनियों को संगठित करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने एवं कार्रवाई के लिये प्रतिबद्ध हैं।
  - इसे वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है।
  - लीडआईटी के सदस्य इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि वर्ष 2050 तक ऊर्जा-गहन उद्योगों में निम्न-कार्बन उत्सर्जन के उपायों को अपनाकर शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है।
- सदस्य संख्या:
  - लीडआईटी में देशों और कंपनियों को मिलाकर कुल 37 सदस्य हैं।
    - जापान और दक्षिण अफ्रीका, इस पहल के नवीनतम सदस्य हैं।

भारत-स्वीडन संबंध

- राजनीतिक संबंध:
  - वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और दशकों से लगातार मज़बूत स्थिति में हैं।
  - पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क) वर्ष 2018 में स्वीडन में आयोजित किया गया था।
  - स्वीडन ने नवंबर 2020 में भारत की सह-अध्यक्षता में प्रथम भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक (एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया सहित) कॉन्क्लेव में भी भाग लिया।
- बहुपक्षीय जुड़ाव:
  - भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के सहयोग से लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (LeadIT) लॉन्च किया।
  - 1980 के दशक में भारत और स्वीडन ने 'सिक्स नेशन पीस समिट' (जिसमें अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको और तंजानिया भी शामिल थे) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक साथ काम किया।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और स्वीडन मानवीय मामलों पर एक वार्षिक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं।
  - वर्ष 2013 में स्वीडिश प्रेसीडेंसी के दौरान भारत किरुना मंत्रिस्तरीय बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत, स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (Trade Partner) है।
  - वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2016) से बढ़कर 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2019) हो गया है।
- रक्षा और एयरोस्पेस (स्वीडन-भारत संयुक्त कार्य योजना 2018): यह अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग पर प्रकाश डालता है।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते स्वीडन यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- सामरिक जुड़ाव, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश परिदृश्यों से पारस्परिक रूप से लाभकारी पद्धति के तहत साझा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन का विस्तार

चर्चा में क्यों?

चीन के विदेश मंत्री वर्तमान में दस प्रशांत द्वीपीय देशों (PIC) की यात्रा पर हैं और उन्होंने फिज़ी के साथ दूसरी चीन-प्रशांत द्वीपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-मेज़बानी की है।

- हालाँकि, बैठक में एक व्यापक रूपरेखा समझौते को आगे बढ़ाने के संदर्भ में चीन और PICs के बीच आम सहमति नही बन पाई।
- अप्रैल 2022 में चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसने क्षेत्रीय चिंताओं को बढ़ाया।

प्रशांत द्वीपीय देश:

- प्रशांत द्वीप देश 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है।
- इनमें कुक आइलैंड्स, फिज़ी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (FSM), नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।

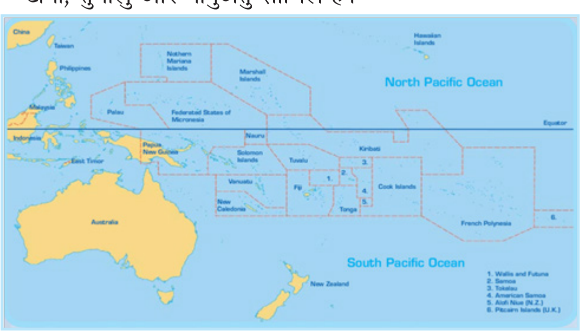

PIC का महत्त्व:

- सबसे बड़ा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):
  - द्वीपों को भौतिक और मानव भूगोल के आधार पर तीन अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है - माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया।
  - अपने छोटे भूमि क्षेत्र के बावजूद द्वीप प्रशांत महासागर के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं।
  - हालाँकि इनमे से कुछ सबसे छोटे एवं सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं, जिनके पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं।
- आर्थिक क्षमता:
  - बड़े EEZ में बहुत अधिक आर्थिक संभावनाएँ हैं क्योंकि उनका उपयोग मत्स्य पालन, ऊर्जा, खनिजों और वहाँ मौजूद अन्य समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिये किया जा सकता है।
    - इसलिये ये छोटे द्वीप राज्यों के बजाय बड़े महासागरीय राज्यों के रूप में पहचाने जाते हैं।
  - वास्तव में किरिबाती और FSM दोनों PIC का EEZ भारत से बड़ा है।
- प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में भूमिका:
  - इन देशों ने सामरिक क्षमताओं के विकास और प्रदर्शन के लिये शक्ति प्रक्षेपण और प्रयोगशालाओं के लिये स्केप्रिंग बोड्र्स रूप में प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - औपनिवेशिक युग की प्रमुख शक्तियों ने इन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिये एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान (शाही जापान और यूएस) प्रशांत द्वीपों ने भी संघर्ष के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में काम किया।
- प्रमुख परमाणु हथियार परीक्षण स्थल:
- संभावित वोट बैंक:
  - साझा आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं द्वारा संबंधित 14 PICs संयुक्त राष्ट्र में मतदान के लिये ज़िम्मेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय राय जुटाने हेतु प्रमुख शक्तियों के संभावित वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।

चीन के लिये PICs का महत्त्व:

- एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बनने में:
  - PICs चीन के समुद्री हित और नौसैनिक शक्ति के विस्तार की प्राकृतिक रेखा में अवस्थित हैं
  - वे चीन की 'प्रथम द्वीप शृंखला' से परे स्थित हैं, जो देश के समुद्री विस्तार के प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है।
  - PICs भू-रणनीतिक दृष्टि से उस स्थान पर अवस्थित हैं जिसे चीन अपने 'सुदूर समुद्र' के रूप में संदर्भित करता है, जिसका नियंत्रण चीन को एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बना देगा - जो महाशक्ति बनने के लिये एक आवश्यक शर्त है।
- काउंटरिंग क्वाड:
  - PICs को प्रभावित करने की आवश्यकता ऐसे समय में चीन के लिये और भी अधिक दबाव का विषय बन गई है जब चीन के विरोध स्वरुप हिंद-प्रशांत में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है।

- ताइवान की भूमिका:
  - PICs की विशाल समुद्री समृद्धि के अलावा, ताइवान चीन के प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - चीन, ताइवान को इस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धी मानता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी मान्यता का विरोध करता है।
  - इसलिये जिस भी देश को चीन के साथ आधिकारिक रूप से संबंध स्थापित करने होंगे, उसे ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे।.
    - चीन अपनी आर्थिक उदारता के माध्यम से 14 PICs में से 10 से राजनयिक मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।
    - केवल चार PICs - तुवालु, पलाऊ, मार्शल द्वीप और नौरु, वर्तमान में ताइवान को मान्यता देते हैं।

चीन के वर्तमान कदम के निहितार्थ:

- PICs को प्रमुख शक्ति संघर्षों में शामिल कर सकता है:
  - सामूहिक रूप से PICs चीन के व्यापक और महत्वाकाँक्षी प्रस्तावों से सहमत नहीं थे, इसलिये चीन समझौते पर आम सहमति प्राप्त करने में विफल रहा।
  - चीन द्वारा प्रस्तावित आर्थिक और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से PICs की संप्रभुता और एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा भविष्य में उन्हें बड़े शक्ति संघर्षों में शामिल किया जा सकता है।
- क्षेत्र में पारंपरिक शक्तियों को मज़बूत करने में:
  - प्रशांत द्वीपों के प्रति चीन की कूटनीति की तीव्रता ने उन शक्तियों को मज़बूत बना दिया है जिन्होंने परंपरागत रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय गतिशीलता को नियंत्रित किया है।
  - चीन-सोलोमन द्वीप समझौते के बाद से अमेरिका ने इस क्षेत्र के लिये अपनी कूटनीतिक प्राथमिकता पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है।
  - चीन के प्रस्तावित सौदे के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संघीय राज्य माइक्रोनेशिया (FSM) एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को मान्यता देता है और साथ ही अमेरिका के साथ मुक्त संघ के समझौते का भी हिस्सा है।
    - संघीय राज्य माइक्रोनेशिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसमें 600 से अधिक छोटे-छोटे द्वीप शामिल हैं।

भारत तथा प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच संबंधों की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की बातचीत अभी भी काफी हद तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति से प्रेरित है।
    - फिजी की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और लगभग 3000 भारतीय वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में रह रहे हैं।
  - संस्थागत जुड़ाव के संदर्भ में, भारत प्रशांत द्वीप मंच (PIF) में प्रमुख संवाद भागीदारों के रूप में भाग लेता है।
  - हाल के वर्षों में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास के रूप में प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) के लिये एक कार्रवाई-उन्मुख मंच का गठन किया गया है।
    - FIPIC की शुरुआत वर्ष 2014 में एक बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में की गई थी।

सहयोग के क्षेत्र:

- ब्लू इकॉनमी:
  - अपने संसाधन संपन्न अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) के साथ प्रशांत द्वीपीय देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये तरल प्राकृतिक गैस (LNG) और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आकर्षक स्रोत होने के साथ-साथ इनके लिये नए बाज़ार भी प्रदान कर सकते हैं।
  - 'ब्लू इकॉनमी' के विचार परा ज़ोर देते हुए भारत इन देशों के साथ विशेष रूप से जुड़ सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:
  - इन द्वीप देशों का भूगोल उन्हें जलवायु चुनौतियों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
    - समुद्र जलस्तर में वृद्धि के कारण बढ़ती मिट्टी की लवणता निचले द्वीपीय राज्यों के लिये खतरा है, जिससे विस्थापन की समस्या भी पैदा हो रही है।
  - इसलिये, जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्रभावी और ठोस समाधान के लिये एक करीबी साझेदारी विकसित की जा सकती है।
- आपदा प्रबंधन:
  - प्रशांत द्वीप समूह के अधिकांश देश व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं।

- भारत आपदा जोखिम लचीलापन की क्षमता निर्माण में सहायता कर सकता है।
- सितंबर, 2017 में, भारत ने सात प्रशांत द्वीपीय देशों में जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है।

आगे की राह:

- प्रशांत द्वीपीय देश भौगोलिक रूप से छोटे होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक महत्त्व रखते हैं।
- इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के हालिया प्रयासों ने भारत को इन देशों के बहुत करीब ला दिया है।
- प्रशांत द्वीपीय देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण साझा मूल्यों और साझा भविष्य के आधार पर क्षेत्र के साथ एक पारदर्शी, आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण और समावेशी संबंधों पर केंद्रित है।
- आने वाले वर्षों में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत का जुड़ाव तीसरे FIPC शिखर सम्मेलन के जल्द ही होने की उम्मीद है।

भारत और सेनेगल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा किया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग तथा वीज़ा मुक्त शासन के लिये तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

- दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

- वीज़ा मुक्त व्यवस्था:
  - पहला समझौता ज्ञापन राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा-मुक्त शासन से संबंधित है जो अधिकारियों/राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करेगा।
- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम:
  - वर्ष 2022-26 की अवधि के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया।
  - CEP के नवीनीकरण के साथ अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव होगा, जिससे लोगों से लोगों के बीच संपर्क मज़बूत होगा।
- युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग:
  - यह स्वीकार करते हुए कि भारत और सेनेगल दोनों में अपेक्षाकृत अधिक युवा आबादी है, यह समझौता ज्ञापन सूचना, ज्ञान, अच्छी प्रथाओं एवं युवा आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा।
- व्यापार का विविधीकरण:
  - कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान भारत-सेनेगल व्यापार 37% की वृद्धि के साथ 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत ने विशेष रूप से कृषि, तेल, गैस, स्वास्थ्य, रेलवे, खनन, रक्षा, हरित ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में व्यापार विविधता लाने का आह्वान किया।
  - सेनेगल सेभारत द्वारा आयात किये जाने वाले फॉस्फेट की बड़ी मात्र को देखते हुए भारतीय कंपनियाँ, विशेष रूप से भारी उपकरण (जैसे क्रेन, बुलडोज़र आदि) बनाने वाली कंपनियाँ, इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश कर सकती हैं।
- उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र का उन्नयन:
  - सेनेगल की राजधानी डकार में उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र (CEDT) के उन्नयन के चरण II को मंज़ूरी दी गई।
  - CEDT को भारतीय अनुदान सहायता के तहत वर्ष 2002 में डकार में स्थापित किया गया था और हर साल लगभग 1000 युवा, मुख्य रूप से सेनेगल और 19 अन्य अफ्रीकी देशों में स्थित केंद्र में छह अलग-अलग विषयों में प्रशिक्षित होते हैं।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:
  - सेनेगल, एक फ्रांसीसी भाषी देश है जो अंग्रेज़ी भाषा में चलने वाले ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) के तहत विभिन्न प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, अत: भारत ने सेनेगल के लोक सेवकों हेतु अंग्रेज़ी प्रशिक्षण पर 20 व्यक्तियों के लिये एक विशेष ITEC पाठ्यक्रम की पेशकश की है।
- ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती पहल:
  - यह स्वीकार करते हुए कि कई अफ्रीकी छात्र उच्च अध्ययन हेतु भारत आते हैं, भारत ने सेनेगल के छात्रों को लाभान्वित करने के लिये ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (E-VBAB) पहल (टेली-एजुकेशन एवं टेली-मेडिसिन) को लागू करने हेतु सेनेगल के साथ सहयोग करने की घोषणा की है।

- हिरासत में लिये गए भारतीय नागरिकों का मुद्दा:
  - भारत ने चार भारतीय नागरिकों, जहाज़ एम.वी. एसो(As-so)-6, के चालक दल के सदस्यों जिन्हें कथित मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जून 2021 में सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया था, की रिहाई के संबंध में सेनेगल सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि वे अपने परिवार के पास वापस लौट सकें।
- भारत की स्थायी UNSC सदस्यता:
  - भारत की स्थायी UNSC सदस्यता के लिये सेनेगल के समर्थन की सराहना करते हुए भारत ने अफ्रीका के साथ अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की जैसा कि एज़ुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित है तथा अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हुए अन्याय को सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
    - एज़ुल्विनी सर्वसम्मति (2005) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संयुक्त राष्ट्र के सुधार पर एक स्थिति है, जिस पर अफ्रीकी संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन:
  - भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को फिर से उर्जावान एवं सक्रिय करने और इसे विकासशील देशों के लिये प्रासंगिक समकालीन मुद्दों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने का आह्वान किया।
  - भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिये इसे महत्त्वपूर्ण बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) को शीघ्र अपनाने के लिये सेनेगल के समर्थन की मांग की।
- अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता:
  - भारत ने सेनेगल के अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनने पर उसे बधाई दी।

भारत-सेनेगल संबंधों के प्रमुख बिंदु:

- राजनीतिक संबंध:
  - दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1962 में डकार में एक निवासी भारतीय मिशन के साथ राजदूत स्तर पर स्थापित किये गए थे।
  - दोनों देश लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को साझा करते हुए मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रखते हैं।
  - वे दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन, G-15 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं।
    - जी -15 को अनिवार्य रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किये गए एक आर्थिक मंच के रूप में की गई थी।
- वाणिज्यिक संबंध:
  - भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपड़ा, खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। सेनेगल से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ फॉस्फोरिक एसिड और कच्चा काजू हैं।
- विकास सहायता कार्यक्रम:
  - भारत ने कृषि और सिंचाई, परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, मात्स्यिकी, महिला गरीबी उपशमन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और उपस्कर, चिकित्सा, रेलवे आदि जैसे क्षेत्रों में सेनेगल को ऋण की सीमाओं का विस्तार किया है।
  - भारत ने सेनेगल को लिथियम-आयन बैटरी के साथ 250 ई-रिक्शा की आपूर्ति की।
- सांस्कृतिक सहयोग:
  - वर्ष 2019 में सेनेगल में आयोजित कुछ भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तिरंगा 3.0, सेनेगल, डकार में भारत महोत्सव का तीसरा संस्करण शामिल है; तिरंगा होली, योग का चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 150वें महात्मा गांधी जयंती समारोह से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम।
  - भारत 10 ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान करता है।
- भारतीय डायस्पोरा:
  - यहाँ भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 500 है। उनमें से ज़्यादातर भारतीय कंपनियों के लिये काम कर रहे हैं, जिनमें भारत द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली कंपनियाँ भी शामिल हैं, तथा कुछ अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं।

भारत और खाड़ी देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने कतर का दौरा किया, जो खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों (बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) में से एक है, जहाँ उन्होंने भारत-कतर के बीच मज़बूत संबंधों पर प्रकाश डाला और एक सक्षम वातावरण के निर्माण एवं पारस्परिक लाभ के लिये सहयोग बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उपराष्ट्रपति की कतर यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज:
  - उपराष्ट्रपति ने "भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज" का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है।
    - 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिये तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है।
    - भारत में 100 यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:
  - भारत पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये निरंतर प्रयास कर रहा है।
  - उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका का भी उल्लेख किया।
  - उन्होंने कतर को अपनी ऊर्जा सुरक्षा में भारत के विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थिरता के लिये इस यात्रा में भागीदार बनने और ISA में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।
- व्यापार मंडलों के बीच संयुक्त व्यापार परिषद:
  - उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और कतर के व्यापार मंडलों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है जो निवेश पर एक संयुक्त कार्य बल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देगा।
  - उन्होंने नए और उभरते अवसरों का दोहन करने के लिये दोनों पक्षों के व्यवसायों को मार्गदर्शन व सहायता हेतु साझेदारी करने के लिये इन्वेस्ट इंडिया एवं कतर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की भी सराहना की।
- बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:
  - उन्होंने अंतर संसदीय संघ (IPU), एशियाई संसदीय सभा और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत और कतर के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।

खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिये महत्त्व:

- भारत के ईरान जैसे देशों के साथ सदियों से अच्छे संबंध रहे हैं, जबकि प्राकृतिक गैस समृद्ध राष्ट्र कतर इस क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है।
- भारत के अधिकांश खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं।
- संबंधों के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तेल और गैस तथा व्यापार हैं।
- दो अतिरिक्त कारण खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और उनके द्वारा घर वापस भेजे जाने वाले प्रेषण हैं।

भारत का इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार:

- संयुक्त अरब अमीरात:
  - संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, और यदि आयात और निर्यात को अलग-अलग देखा जाये तो, निर्यात (28 बिलियन अमेरीकी डॉलर) तथा आयात (45 बिलियन अमेरीकी डॉलर) दोनों के लिये दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
  - कुल व्यापार के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात (72.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर) संयुक्त राज्य अमेरिका (1.19 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर) और चीन (1.15 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर) के पीछे था।
  - संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल निर्यात का 6.6% और आयात का 7.3% था, जो पिछले वर्ष से 68.4% अधिक था जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महामारी से प्रभावित हुआ था।

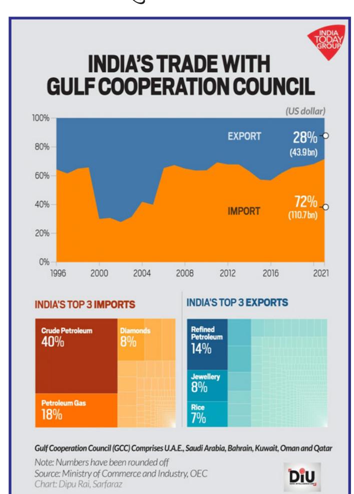

- सऊदी अरब:
  - वर्ष 2021-22 में 42.9 अरब डॉलर के साथ, सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
  - सऊदी अरब के साथ भारत का निर्यात 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर (भारत के कुल निर्यात का 2.07%) तक कम हो गया, वहीं चौथे सबसे बड़े देश के रूप में आयात 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक था।
- इराक:
  - यह वर्ष 2021-22 में 34.3 अरब डॉलर के साथ भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- कतर:
  - कुल व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल व्यापार का मात्र 1.4% है, लेकिन देश प्राकृतिक गैस का भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।
  - भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर की हिस्सेदारी 41% है।
    - जबकि अन्य में UAE का 11% योगदान है
- ओमान:
  - ओमान, भारत के लिये अपने आयात का तीसरा सबसे बड़ा (यूएई और चीन के बाद) स्रोत था तथा वर्ष 2019 में अपने गैर-तेल निर्यात के लिये तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार (UAEऔर सऊदी अरब के बाद) था।
  - ओमान में प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों की उपस्थिति है। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है।

भारत द्वारा तेल आयात:

- 77 बिलियन डॉलर की लागत के साथ 239 मिलियन टन पेट्रोलियम तेल आयात किया गया और यह वर्ष 2021 में देश के कुल आयात का लगभग पाँचवाँ हिस्सा था।
- भारत के कच्चे तेल के आयात में फारस की खाड़ी के देशों की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में लगभग 60% पर बनी हुई है।
- 2021-2022 में भारत को तेल का सबसे बड़ा निर्यातक इराक था, जिसका हिस्सा 2009-2010 के 9% से बढ़कर 22% हो गया है।
- एक दशक से अधिक समय से भारत के तेल आयात में सऊदी अरब का योगदान 17-18% है। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिये प्रमुख तेल निर्यातक बने हुए हैं। ईरान 2009-2010 में भारत के लिये दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक हुआ करता था, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण 2020-21 में इसकी हिस्सेदारी घटकर 1% से भी कम हो गई।

खाड़ी और धन प्रेषण में भारतीयों का परिदृश्य:

- 13.46 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं। यदि भारतीय मूल के व्यक्तियों (जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ले ली है और उनके वंशज) को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 32 मिलियन से अधिक हो जाती है।
- 13.4 मिलियन अनिवासी भारतीयों (NRI) की खाड़ी में सबसे बड़ी संख्या है।
  - अनिवासी भारतीय की आधे से अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात (3.42 मिलियन), सऊदी अरब (2.6 मिलियन) और कुवैत (1.03 मिलियन) में निवास करती है।
- विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, विदेशों से धन प्रेषण के मामले में भारत 2020 में 83.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता था।
  - यह 42.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अगले उच्चतम प्राप्तकर्त्ता मेक्सिको के धन प्रेषण का लगभग दोगुना था।
- सबसे बड़ा योगदान खाड़ी में विशाल भारतीय डायस्पोरा का है।
  - इसकी संयुक्त अरब अमीरात में 26.9%, सऊदी अरब में 11.6%, कतर में 6.4%, कुवैत में 5.5% और ओमान में 3% की हिस्सेदारी है। GCC से परे अमेरिका से 22.9% धन प्रेषण हुआ, जो संयुक्त अरब अमीरात के बाद दूसरा था।

हाल के घटनाक्रम:

- हाल ही में भारत और ओमान ने 2022-2025 की अवधि के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम (POC) पर हस्ताक्षर किये।
  - ओमान सरकार तथा भारत सरकार के बीच 5 अक्तूबर, 1996 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु हुए समझौते के अनुरूप वर्ष 2022-2025 की अवधि के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किये गए।
- सितंबर 2021 में भारत और UAE ने औपचारिक रूप से भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू की।
- वर्ष 2021 में भारतीय विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहाँ दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) जैसे बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।
- वर्ष 2021 में भारत और बहरीन रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को मज़बूत करने पर सहमत हुए।
- वर्ष 2020 में कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंज़ूरी दी।

- बिल के अनुसार, भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये और अगर इसे कानून बना दिया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर निकाला जा सकता है।.

आगे की राह

- तेल के अलावा अन्य क्षेत्र की ओर देख रहे खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नई और दीर्घकालिक संभावनाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
    - खाड़ी देशों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक विविधीकरण शुरू किया है और वे अक्षय ऊर्जा, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार, स्मार्ट शहरों तथा अंतरिक्ष वाणिज्य सहित कई नई परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं।
- खलीजी पूंजीवाद के उदय के साथ खाड़ी देश वर्तमान में मित्र देशों को आर्थिक और सुरक्षा सहायता प्रदान करते हैं, बंदरगाहों तथा बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं, सैन्य ठिकानों का अधिग्रहण करते हैं और युद्धरत दलों व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं।
    - संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता करता है और संयुक्त बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास में भारत के साथ काम करने के लिये उत्सुक है।
    - भारत को हिंद महासागर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर अपनी क्षेत्रीय पहलों को व्यापकता के साथ मज़बूती प्रदान करने की ज़रूरत है।

भारत-इज़रायल संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इज़रायल के उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया और इस दौरान आयोजित द्विपक्षीय बैठक में रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।

यात्रा के प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त घोषणा:
    - दोनों मंत्रियों ने इज़रायल-भारत संबंधों के 30 साल पूरे होने पर एक संयुक्त घोषणापत्र पेश किया।
    - यह घोषणापत्र रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिये दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
- रक्षा सहयोग पर भारत-इज़रायल विज़न:
    - दोनों पक्षों ने भारत-इज़रायल रक्षा सहयोग, वास्तुकला के मौजूदा ढाँचे को और मज़बूत करने के लिये रक्षा सहयोग पर भारत-इज़रायल विज़न को अपनाया।
- आशय पत्र का आदान-प्रदान:
    - भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर एक आशय पत्र का आदान-प्रदान किया गया।
    - द्विपक्षीय सहयोग भारत के मेक इन इंडिया विज़न के अनुरूप होगा।
- सैन्य गतिविधियाँ:
    - दोनों देशों ने मौजूदा सैन्य गतिविधियों की समीक्षा की, जिनमें कोविड-19 महामारी के चुनौतियों के बावजूद वृद्धि हुई।
    - उन्होंने रक्षा सह-उत्पादन में भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की।
- पारस्परिक सुरक्षा चुनौतियों की स्वीकृति:
    - दोनों मंत्रियों ने कई सामरिक और रक्षा मुद्दों पर आपसी सुरक्षा चुनौतियों एवं उनके अभिसरण को स्वीकार किया।
    - उन्होंने सभी मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिये मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भारत-इज़रायल संबंध:

- राजनयिक गठबंधन:
    - हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी, 1992 को स्थापित हुए। दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्य देशों में से एक था, जिसके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध थे।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
    - वर्ष 1992 में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020- फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) हो गया, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
        - हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।

    - भारत एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
        - इज़रायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
    - भारत एक मुक्त व्यापार समझौता के समापन के लिये इज़रायल के साथ भी बातचीत कर रहा है।
- रक्षा:
    - भारत, इज़रायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो बदले में रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्त्ता है।
    - भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसमें फाल्कन 'AWACS' (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स) और हेरॉन, सर्चर-II व हारोप ड्रोन, बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक-रिएक्शन एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
    - इस अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें पायथन तथा डर्बी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज़ (Crystal Maze) एवं स्पाइस-2000 बम (Spice-2000 Bombs) शामिल हैं।
    - भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक 10 वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- कृषि में सहयोग:
    - मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिये "तीन वर्ष के कार्य समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य शृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी:
    - हाल ही में भारत और इज़रायल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं शासी निकाय की बैठक में भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया।
    - उन्होंने 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंज़ूरी दी और एक व्यापक भारत-इज़रायल सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव दिया गया।
    - I4F 'प्रमुख क्षे त्रों' में चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत और इज़रायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने एवं समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहयोग है
- अन्य:
    - इज़रायल, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में भी शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी के उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से संरेखित है।

आगे की राह

- मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में वर्ष 1992 से मज़बूती देखी गई।
- भारतीय लोग इज़रायल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सरकार अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।
- भारत और इज़रायल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता को दूर करने तथा जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, जनसंख्या विस्फोट एवं भोजन की कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
- अधिक आक्रामक और सक्रिय मध्य-पूर्वी नीति समय की मांग है ताकि भारत अब्राहम एकॉर्ड द्वारा धीरे-धीरे लाए जा रहे भू-राजनीतिक पुनर्गठन का अधिकतम लाभ उठा सके।

ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (AIWASI) के लिये तकनीकी सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी प्रदान की है।

ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल:

- AIWASI विदेश मामलों और व्यापार विभाग (DFAT), ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एशिया जल सुरक्षा पहल (SAWASI) के तहत एक परियोजना है।
- इसका उद्देश्य जल संवेदनशील शहर की दिशा में कार्य करना है जो एकीकृत जल चक्र के समग्र प्रबंधन पर आधारित है।

- AIWASI भारत के जल प्रशासन को मज़बूत करेगा और ऐसे क्षेत्रों में निवेश करेगा जो निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करते हैं:
  - शहरी जल सेवाएँ।
  - विश्वसनीय, सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने के लिये वंचित समुदायों को समर्थन।
- इस परियोजना के तहत जल संवेदनशील शहरी डिज़ाइन (WSUD) प्रदर्शन परियोजना शुरू की जाएगी।
- यह AIWASI परियोजना कई शैक्षिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के साथ एक 'जीवंत प्रयोगशाला' भी है, जैसे- छात्रों और समुदाय की जल जागरूकता, हरित स्थानों का निर्माण, नीले-हरे बुनियादी ढाँचे (Blue-Green Infrastructure) के निर्माण से वायु गुणवत्ता में सुधार और अवक्रमित जल निकायों तथा जलभृतों (Aquifers) का कायाकल्प।

जल सुरक्षा:

- संयुक्त राष्ट्र-जल द्वारा प्रस्तावित जल सुरक्षा की परिभाषा - आजीविका को बनाए रखने के लिये स्वीकार्य गुणवत्ता वाले पानी की पर्याप्त मात्रा तक जनसंख्या की पहुँच की स्थायी सुरक्षा, जल-जनित प्रदूषण और जल से संबंधित आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति एवं राजनीतिक स्थिरता के माहौल में पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के रूप में परिभाषित है।

भारत में जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ:

सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट (2019) के अनुसार:

- 4 में से 1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में बुनियादी जल सेवाओं का अभाव है।
- 10 में से 3 लोगों की सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
- 10 में से 6 लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
- कम-से-कम 892 मिलियन लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं।
- जल परिसर तक पहुँच न होने के बावजूद 80% घरों में जल भंडारण की ज़िम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों की है।
- अगर जल के अति-दोहन का वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो भविष्य में भारत के अत्यधिक जल संकटग्रस्त होने की संभावना है।
- तेज़ी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने पूरे देश में पानी की मांग को बढ़ा दिया है।
- जबकि वर्षों के प्रदूषण, खेती के अप्रभावी तरीकों, विकेंद्रीकृत जल प्रशासन, भूजल दोहन और खराब बुनियादी ढाँचे ने जल की आपूर्ति को कम कर दिया है।
- नीचे दिया गया नक्शा भारत में आधारभूत जल तनाव की स्थिति को दर्शाता है और यह आसानी से देखा जा सकता है कि देश का अधिकांश भाग जल के अति-दोहन की श्रेणी में आता है।
  - आधारभूत जल दबाव कुल वार्षिक जल निकासी (नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि) को कुल वार्षिक उपलब्ध प्रवाह के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है।

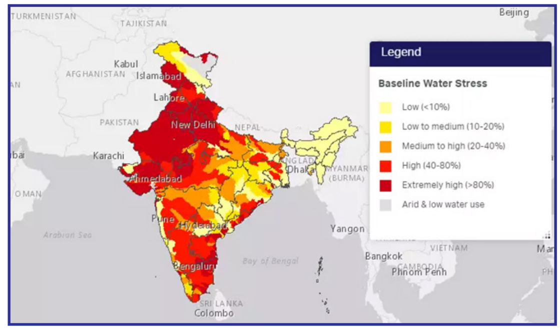

संबंधित पहलें:

- जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण
- राष्ट्रीय जल मिशन
- जल शक्ति अभियान
- नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- नमामि गंगे
- जल जीवन मिशन

आगे का राह

- ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन जल को बचाने और इसे सतत् तरीके से उपयोग करने के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने में मदद करेगा, ताकि जल सुरक्षा हासिल की जा सके।
- जल संरक्षण के लिये नए बुनियादी ढाँचे का निर्माण और जनता के बीच जागरूकता पैदा करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है।
- सरकारी योजनाओं और रोडमैप के समय पर निष्पादन की आवश्यकता है।
- उन देशों के साथ अधिक सहयोग की आवश्यकता है जो पहले से ही जल की कमी का सामना कर चुके हैं, उनसे यह जानने में मदद मिलेगी कि वे इस कमी को कैसे दूर करते हैं।

भारत-वियतनाम साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कुछ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये, जो मौजूदा रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे।

- भारत और वियतनाम द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं।
- इससे पहले भारत एवं वियतनाम ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मज़बूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

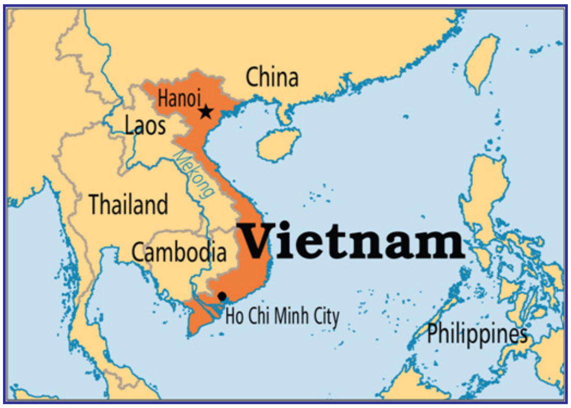

प्रमुख बिंदु:

- 2030 की दिशा में भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी:
  - दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मज़बूत करने के लिये '2030 की दिशा में भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विज़न स्टेटमेंट' पर हस्ताक्षर किये।
- डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट:
  - दोनों मंत्रियों ने वियतनाम को दी गई 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की, इसके तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ वियतनाम की रक्षा क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है और इसने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है।
- म्युचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट:
  - दोनों ने म्युचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।
  - यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिये प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह पहला ऐसा प्रमुख समझौता है जिस पर वियतनाम ने किसी देश के साथ हस्ताक्षर किये हैं।
  - भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साथ शुरुआत करते हुए सभी क्वाड देशों, फ्राँस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित कई लॉजिस्टिक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  - लॉजिस्टिक्स समझौते प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं जो ईंधन के आदान-प्रदान के लिये सैन्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करती हैं और आपसी समझौते पर प्रावधान, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को सरल बनाने तथा भारत के बाहर संचालन के समय सेना के परिचालन में वृद्धि को बढ़ाती हैं।
- सिमुलेटर और मौद्रिक अनुदान:
  - भारत वियतनामी सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण के लिये वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिये दो सिमुलेटर एवं मौद्रिक अनुदान प्रदान करेगा।

भारत-वियतनाम संबंध:

- पृष्ठभूमि:
  - यद्यपि रक्षा सहयोग, वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा शुरू की गई 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहा है, किंतु दोनों देशों के बीच संबंध काफी पुराने माने जाते हैं।
  - वर्ष 1956 में भारत ने हनोई (वियतनाम की राजधानी) में अपने महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी।
  - वियतनाम ने वर्ष 1972 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की।
  - भारत, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाने में वियतनाम के साथ खड़ा था, जिसका भारत-अमेरिका संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ा था।
  - वर्ष 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से भारत द्वारा अपनी 'लुक ईस्ट नीति' की शुरुआत के चलते भारत एवं वियतनाम के संबंध और भी मज़बूत हुए।
- सहयोग के क्षेत्र:
  - सामरिक भागीदारी:
    - भारत और वियतनाम ने भारत की 'हिंद-प्रशांत सागरीय पहल' (Indo-Pacific Oceans Initiative-IPOI) और हिंद-प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण ('क्षेत्र में सभी के लिये साझा सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति') को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।
  - आर्थिक सहयोग:
    - 'आसियान-भारत मुक्त व्यापार संधि' पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर काफी प्रगति देखने को मिली है।

- भारत को पता है कि वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्त आर्थिक विकास के साथ एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है।
- भारत द्वारा 'त्वरित प्रभाव परियोजनाओं' (Quick Impact Projects- QIP) के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता सहयोग में निवेश किया जा रहा है, इसके साथ ही वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, 'सतत् विकास लक्ष्य' (SDG), डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत द्वारा निवेश किया गया है।

- व्यापार सहयोग:
  - वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - इस दौरान वियतनाम को भारतीय निर्यात 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वियतनाम से भारतीय आयात 6.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- रक्षा सहयोग:
  - भारत रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई भागीदारों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से विकसित करने में रुचि रखता है, जबकि वियतनाम अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रुचि रखता है।
  - वियतनाम भारत के ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि रखता है।
    - इसके अलावा रक्षा संबंधों में क्षमता निर्माण, सामान्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना, कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल हैं।
    - भारतीय नौसेना के जहाज़ आईएनएस किल्टन ने मध्य वियतनाम (मिशन सागर III) के लोगों के लिये बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाने हेतु वर्ष 2020 में हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया।
    - इसने वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ PASSEX अभ्यास में भी भाग लिया।
    - चीन कारक भी भारत और वियतनाम के रणनीतिक संबंध में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
    - दोनों देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े हैं और इनके चीन के साथ सीमा संबंधी विवाद भी हैं। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है।
    - इसलिये चीन की आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के लिये दोनों देशों का साथ आना स्वाभाविक है।
  - कई मंचों पर सहयोग:
    - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और वियतनाम दोनों वर्ष 2021 से अस्थायी सदस्यों के रूप में समवर्ती रूप से सेवा कर रहे हैं।
    - भारत और वियतनाम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (ASEM) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
  - पीपल-टू -पीपल (P2P) संपर्क:
    - वर्ष 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अपने वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाया है।
    - भारतीय दूतावास ने वर्ष 2018-19 में महात्मा@150 को मनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये। इनमें जयपुर कृत्रिम अंग शिविर शामिल हैं, जो भारत सरकार की 'मानवता के लिये भारत' पहल के तहत वियतनाम के चार प्रांतों में आयोजित किये गए, जिससे उस देश में लगभग 1000 लोग लाभान्वित हुए।

आगे की राह

- वर्ष 2016 में 15 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वियतनाम का दौरा किया और यह संकेत दिया कि भारत अब चीन की परिधि में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में संकोच नहीं कर रहा है।
- भारत की विदेश नीति में भारत को एशिया और अफ्रीका में शांति, समृद्धि तथा स्थिरता के लिये प्रमुख भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है, वियतनाम के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने से ही यह और मज़बूत होगा।
- चूँकि भारत और वियतनाम भौगोलिक रूप से उभरते हिंद-प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में स्थित हैं, दोनों इस रणनीतिक योजना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे जो प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति और प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा हेतु एक मुख्य मंच है।
- व्यापक भारत-वियतनाम सहयोग ढाँचे के तहत रणनीतिक साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत निर्धारित दृष्टिकोण के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण होगी, जो पारस्परिक रूप से सकारात्मक जुड़ाव का विस्तार करना चाहती है और इस क्षेत्र में सभी के लिये समावेशी विकास सुनिश्चित करती है।
- वियतनाम के साथ संबंधों को मज़बूत करने से अंततः SAGAR (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन) पहल को साकार करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा।
- भारत और वियतनाम दोनों ही ब्लू इकॉनमी और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे को लाभ पहुँचा सकते हैं।

इस्लामिक सहयोग संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने पैगंबर मुहम्मद पर दो भारतीयों द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना की।

- विदेश मंत्रालय ने OIC की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा व्यक्त किये गए विचार भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।
- इससे पहले भारत ने कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच सांप्रदायिक सोच रखने के लिये OIC की आलोचना की थी।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC):

- परिचय:
  - यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई द्वारा येरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी की घटना के बाद इस्लामिक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना था।
- सदस्य:
  - इसके सदस्य देशों की संख्या 57 है।
- उद्देश्य:
  - OIC सदस्य राज्यों के बीच एकजुटता स्थापित करना।
  - कब्ज़े वाले किसी भी सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली का समर्थन करना।
  - इस्लाम का संरक्षण करना, इसकी रक्षा करना तथा इसकी निंदा का विरोध करना।
  - मुस्लिम समाजों में बढ़ते असंतोष को रोकना और यह सुनिश्चित करने के लिये काम करना कि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रहें।
- मुख्यालय: जेद्दाह (सऊदी अरब)।
  - संगठन ने विवादित शहर यरूशलेम के 'मुक्त' होने के बाद स्थायी रूप से अपने मुख्यालय को पूर्वी येरुशलम में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।
  - इसके अलावा यह 'युद्ध अपराधों' और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिये इज़रायल को ज़िम्मेदार ठहराता है।
- OIC चार्टर:
  - संगठन एक चार्टर का पालन करता है जो इसके उद्देश्यों, सिद्धांतों और संचालन तंत्र को निर्धारित करता है।
  - इसे पहली बार 1972 में अपनाया गया, विकासशील देशों की उभरती परिस्थितियों के अनुरूप चार्टर को कई बार संशोधित किया गया है।
  - वर्तमान चार्टर मार्च 2008 में सेनेगल के डकार में अपनाया गया था।
  - इसमें निहित है कि सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिये खुद को प्रतिबद्ध करने के साथ-साथ इस्लामी शिक्षाओं और मूल्यों से निर्देशित और प्रेरित किया जाए।

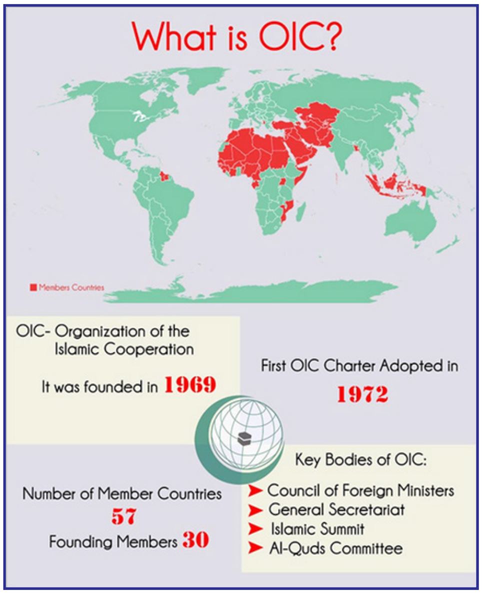

OIC की कार्य-प्रणाली:

- सदस्यता:
  - मुस्लिम बाहुल्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन में शामिल हो सकते हैं।
  - OIC की विदेश मंत्रियों की परिषद में पूर्ण सहमति के साथ सदस्यता की पुष्टि की जाती है।
  - पर्यवेक्षक का दर्ज़ा प्राप्त करने के लिये भी समान प्रावधान लागू होते हैं।
- निर्णय प्रक्रिया:
  - संगठन में सभी निर्णय लेने के लिये दो-तिहाई सदस्य देशों की उपस्थिति और पूर्ण सहमति के साथ परिभाषित गणपूर्ति की आवश्यकता होती है।
  - यदि आम सहमति नहीं बन पाती है, तो निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा किया जाता है।

- विदेश मंत्रियों की परिषद मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है और OIC की सामान्य नीतियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर निर्णय लेने के लिये वार्षिक बैठक होती है।
  - ये सामान्य हित के मामलों पर निर्णय और संकल्प लेते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रमों व उनके बजट पर विचार करने के साथ ही उनका अनुमोदन करते हैं, सदस्य राज्यों कि समस्या वाले विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते हैं तथा एक नया अंग या समिति स्थापित करने की सिफारिश करते हैं।
- वित्त:
  - OIC को सदस्य देशों द्वारा उनकी राष्ट्रीय आय के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है।
    - किसी सदस्य के मतदान के अधिकार तब निलंबित कर दिये जाते हैं जब उनका बकाया पिछले दो वर्षों के लिये उनके द्वारा देय योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक हों।
    - सदस्य को वोट देने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब विदेश मंत्रियों की परिषद संतुष्ट हो कि यह विफलता सदस्यों के नियंत्रण से परे स्थितियों के कारण है।
- इस्लामिक शिखर सम्मेलन:
  - यह राजाओं और देश के प्रमुखों द्वारा गठित है जिनके पास संगठन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार हैं।
  - प्रत्येक तीन वर्ष में यह संगठन विचार-विमर्श करता है, नीतिगत निर्णय लेता है, संगठन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और सदस्य देशों से संबंधित महत्तवपूर्ण मुद्दों पर विचार करता है।
- विदेश मंत्रियों की परिषद:
  - विदेश मंत्रियों की परिषद मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है और OIC की सामान्य नीतियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर निर्णय लेने के लिये वार्षिक बैठक करती है।
    - वे सामान्य हित के मामलों पर निर्णय एवं संकल्प लेते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रमों तथा उनके बजट पर विचार व अनुमोदन करते हैं, सदस्य राज्यों को परेशान करने वाले विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते हैं और किसी नए अंग या समिति की स्थापना की सिफारिश करते हैं।
- स्थायी समितियाँ:
  - OIC के पास सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों, आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहल और येरुशलम के लिये सहयोग हेतु स्थायी समितियाँ भी हैं।

OIC की आलोचना:

- मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्राथमिकता:
  - OIC 'विंडो ड्रेसिंग' के लिये एक आधार बन गया है, जो अपने सदस्य राज्यों के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बजाय फिलिस्तीन या म्याँमार जैसे देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मामले में अधिक रुचि रखता है।
- मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने में अक्षम:
  - मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने या हस्ताक्षरित संधियों और घोषणाओं के माध्यम से अपने निर्णयों को लागू करने के लिये निकाय के पास शक्ति एवं संसाधनों की कमी है।
- कुरान के मूल्यों के आसपास केंद्रित:
  - संगठन उन्हीं विवादों की मध्यस्थता तक सीमित है जहाँ दोनों पक्ष मुस्लिम हैं।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि संगठन कुरान के मूल्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो इसे एक योग्य मध्यस्थ बनाता है।
- सहकारी उद्यम स्थापित करने में विफल:
  - OIC अपने सदस्यों के बीच एक सहकारी उद्यम स्थापित करने में विफल रहा है, जो या तो पूंजी-समृद्ध एवं श्रम की कमी वाले देश या श्रम-समृद्ध और पूंजी दुर्लभ वाले देश हैं।
  - यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता के रूप में विकसित नहीं हो सका है।

OIC के साथ भारत के संबंध:

- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत को वर्ष 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दिया गया।
- भारत कई कारणों से अब तक इस संगठन से दूर रहा:
  - भारत एक ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो धर्म के आधार पर गठित हो।
  - साथ ही जोखिम था कि सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से वह एक समूह के दबाव में आ जाएगा, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर।
- वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र में मेज़बान बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहाँ दुनिया के 10% से अधिक मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिये, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया गया।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने के लिये आश्वस्त है।

- भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर "भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत का आंतरिक मामला है" तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है।
- वर्ष 2019 में भारत ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में "गेस्ट ऑफ ऑनर" के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की।
    - इस पहले निमंत्रण को भारत के लिये एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था।

भारत-रूस संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ मनाई।

भारत-रूस संबंधों के विभिन्न पहलू :

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
    - भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। अक्बतूर 2000 में "भारत-रूस सामरिक साझेदारी घोषणा" पर हस्ताक्षर करने के बाद से, भारत-रूस संबंधों ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तरों के साथ एक गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है।
    - शीत युद्ध के दौरान, भारत और सोवियत संघ के बीच एक मज़बूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किया।
    - हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में खासकर पोस्ट-कोविड परिदृश्य में संबंधों में भारी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए कई भू-राजनीतिक मुद्दों का कारण बना दिया है।
- राजनीतिक संबंध:
    - भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत वार्ता तंत्र है।
    - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
    - वर्ष 2019 में, राष्ट्रपति पुतिन ने PM नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान - "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिये प्रधानमंत्री को यह समान प्रदान किया गया था।
    - दो अंतर-सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक होती है - पहला व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर, और दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-MTC) पर।
- व्यापारिक संबंध:
    - दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का ज़ोर दे रहे हैं।
    - वित्त वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
    - 2013 से 2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। हालाँकि, यह 2017 से बढ़ा और 2018 और 2019 में भी लगातार वृद्धि देखी गई।
- रक्षा और सुरक्षा संबंध:
    - भारत-रूस सैन्य-तकनीकी सहयोग एक क्रेता-विक्रेता ढाँचे से विकसित हुआ है जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल हैं।
    - दोनों देश नियमित रूप से त्रि-सेवा अभ्यास 'इंद्र' आयोजित करते हैं।
    - भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:
        - ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम
        - 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम
        - सुखोई एसयू-30एमकेआई कार्यक्रम
        - इल्यूशिन/एचएएल सामरिक परिवहन विमान
        - KA-226T ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
        - कुछ युद्धपोत

- भारत द्वारा रूस से खरीदे/पट्टे पर लिये गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:
  - एस-400 ट्रायम्फ
  - मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनेगी 200 कामोव Ka-226
  - टी-90एस भीष्म
  - आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम
- रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रमों में भारतीय नौसेना की सहायता करने में भी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
  - भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी, 'फॉक्सट्रॉट क्लास' रूस से ली गई थी।
  - भारत अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिये रूस पर निर्भर है।
  - भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य भी मूल रूप से रूस का है।
  - भारत द्वारा संचालित चौदह पारंपरिक पनडुब्बियों में से नौ रूी की हैं।

भारत और रूस के बीच संबंधों के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र:

- परमाणु संबंध:
  - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्त्वपूर्ण भागीदार है। यह भारत को एक मतभेद रहित अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है।
  - कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) भारत में बनाया जा रहा है।
  - भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रहे हैं।
- अंतरिक्ष अन्वेषण:
  - दोनों पक्ष बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली (GLONASS navigation system), रिमोट सेंसिंग और बाह्य अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग शामिल हैं।
  - 19वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों पर एक समझौता ज्ञापन इसरो और रोस्कोसमोस द्वारा किये गए।
- विज्ञान और तकनीक:
  - IRIGC-TEC के तहत कार्य कर रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह, एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम (ILTP) और बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु तीन मुख्य संस्थागत तंत्र हैं, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमियाँ अंतर-अकादमी आदान-प्रदान हेतु इसे बढ़ावा देती हैं।
  - इस क्षेत्र में कई नई पहलों में भारत-रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) का निर्माण और विश्वविद्यालयों के रूस इंडिया नेटवर्क (RIN) शामिल हैं।
- सांस्कृतिक संबंध:
  - प्रमुख विश्वविद्यालयों और स्कूलों सहित लगभग 20 रूसी संस्थान में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती हैं।
  - हिंदी के अलावा, रूसी संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं को पढ़ाया जाता है।
  - भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में से हैं जिनका रूस के लोग रूचि रखते हैं।

भारत के लिये रूस का महत्त्व:

- चीन को संतुलित करना: पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण ने भारत-चीन संबंधों को एक मोड़ पर ला दिया, इससे यह भी प्रदर्शित हुआ कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है।
  - लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की।
- आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र: हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों के उभरने की संभावना है - खनन, कृषि-औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक, और बायोटेक।
  - रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के पदचिन्हों का विस्तार होना तय है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला: भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने हेतु कार्य कर रहे हैं और दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया है।
- बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन: इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

- रूस का सैन्य निर्यात: रूस भारत के लिये सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि पिछले पाँच वर्षों (2011-2015) की तुलना में पिछले पाँच साल की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई।
    - वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नज़र रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार आयात किये हैं।

आगे की राह

- समय पर रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिये रूस: भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिये पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
    - इसे संबोधित करने के लिये रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के बाद इसे संबोधित करने के लिये अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किये हैं।
    - इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की ज़रूरत है।
- एक दूसरे के महत्त्व को स्वीकार करना: रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिये एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा।
    - दूसरी ओर, रूस और चीन वर्तमान में एक अर्द्ध-गठबंधन में हैं। रूस बार-बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ साझेदार के रूप में नहीं देखता है। इसलिये रूस चाहता है कि भारत एक संतुलक की तरह काम करे।
- संयुक्त सैन्य उत्पादन: दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल के उपकरणों और सेवाओं के निर्यात के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को मंज़ूरी दी है।

- युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर SCO के सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर, 2021 को समझौते को अपनाने के परिणामस्वरूप इस समझौते पर युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

- उद्देश्य:
    - SCO के सदस्य देशों के युवाओं के बीच आपसी विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को मज़बूत करना।
    - SCO सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ कर युवा सहयोग के विकास को सुनिश्चित करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर युवा सहयोग की स्थितियों में और अधिक सुधार की मांग करना।
- सहयोग के क्षेत्र:
    - राज्य युवा नीति को लागू करना, सार्वजनिक युवा संगठनों (संघों) के साथ कार्य क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय युवा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पहलों का समर्थन करना।
    - युवाओं के साथ कार्य क्षेत्र में पेशेवर कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
    - इसमें शामिल हैं- वैज्ञानिक, संदर्भ और पद्धतिगत सामग्रियों का आदान-प्रदान, राज्य निकायों, युवा सार्वजनिक संगठनों, अन्य संगठनों व संघों के कार्य अनुभव, राज्य युवा नीति के कार्यान्वयन एवं युवा पहलों का समर्थन।
    - विभिन्न युवा नीति मुद्दों और युवा सहयोग पर संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देना।
    - वैज्ञानिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान, ध्वंसात्मक संरचनाओं में युवाओं की भागीदारी को रोकने के सामयिक मुद्दों पर शोध कार्य।
    - युवाओं को उद्यमिता और नवीन परियोजनाओं में शामिल करने के उद्देश्य से उनके रोज़गार एवं कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त आर्थिक व मानवीय पहल को बढ़ावा देना।
    - SCO युवा परिषद की गतिविधियों का समर्थन करना।
        - SCO युवा परिषद का गठन वर्ष 2009 में SCO सदस्य देशों के युवा संगठनों की पहल पर किया गया था।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- SCO के बारे में:
    - SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
    - यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।
    - इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
    - SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।

- उत्पत्ति:
    - वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव (Shanghai Five) के सदस्य थे।
- शंघाई फाइव (1996) का उद्भव सीमा सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने।
- 17 सितंबर, 2021 को यह घोषणा की गई कि ईरान द्वारा SCO की पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण की जाएगी।
- उद्देश्य:
    - सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।
    - राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
    - शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
    - संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना।
    - एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।
- सदस्यता:
    - वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।
- संरचना:
    - राष्ट्र प्रमुखों की परिषद: यह SCO का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है।
    - शासन प्रमुखों की परिषद: SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंज़ूरी देती है।
    - विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
    - क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS.): आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखता है।
    - शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय: यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है।

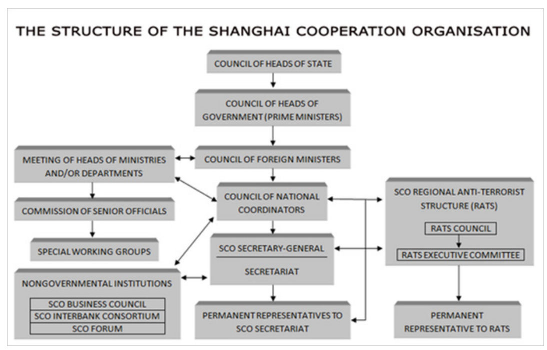

- आधिकारिक भाषाएँ :
    - रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

आंतरिक सुरक्षा

SIPRI इयरबुक 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा 'SIPRI ईयरबुक 2022' रिपोर्ट जारी की गई, जो हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है।

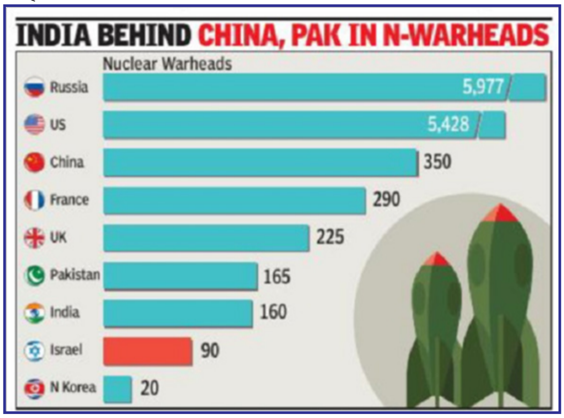

SIPRI :

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व नि:शस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।
- यह नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा, डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- परमाणु हथियार:
  - वैश्विक परिदृश्य:
    - नौ परमाणु हथियार संपन्न देश- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़रायल और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) - अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखे हैं, हालाँकि जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच परमाणु हथियारों की कुल संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन संभवत: अगले दशक में यह संख्या बढ़ेगी।
  - भारत:
    - जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे और ऐसा लगता है कि यह अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है।
    - परमाणु हथियार मिसाइल या टारपीडो के विस्फोटक सिर होते हैं जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
    - भारत का परमाणु भंडार जनवरी 2021 में 156 से बढ़कर जनवरी 2022 में 160 हो गया।
  - चीन:
    - जनवरी 2021 की तरह ही जनवरी 2022 में भी चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे।
    - भारत अपने परमाणु शस्त्रागार पर आधिकारिक डेटा साझा नहीं करता है।
  - रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं।
- प्रमुख हथियारों के आयातक:
  - SIPRI ने 2016-20 में 164 राज्यों को प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में चिह्नित किया।
  - देशवार:
    - पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे, जो कुल हथियारों के आयात का 36% हिस्सा आयात करते थे।
  - क्षेत्रवार:
    - 2016-20 में प्रमुख हथियारों की आपूर्ति की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र एशिया और ओशिनिया था, जो वैश्विक कुल आपूर्ति का 42% था, इसके बाद मध्य-पूर्व जिसने 33% हथियार प्राप्त किये।
- प्रमुख हथियारों के आपूर्तिकर्त्ता:
  - वर्ष 2016 से वर्ष 2020 में पाच सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन की प्रमुख हथियारों के निर्यात में कुल 76% हिस्सेदारी रही।

परमाणु कूटनीति में महत्त्वपूर्ण कदम:

- परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW):
  - आवश्यक 50 देशों का अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद जनवरी 2021 में परमाणु हथियार निषेध (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons- TPNW) संधि लागू हुई।

- न्यू स्टार:
  - यूएस-रूस हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट संधि को पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।
- संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA):
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के पुन: ईरान परमाणु समझौते, संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) के अनुपालन में लौटने पर बातचीत की शुरुआत में पुन: शामिल होना।
- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमाणु-सशस्त्र स्थायी सदस्यों (P5) ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर 1968 की संधि के तहत अप्रसार, निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण समझौतों एवं प्रतिज्ञाओं के साथ-साथ अपने दायित्वों का पालन करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

परमाणु कूटनीति में बाधाएँ:

- सभी P5 सदस्य अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार या आधुनिकीकरण करना जारी रखे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी सैन्य रणनीतियों में परमाणु हथियारों के महत्त्व को बढ़ा रहे हैं।
- रूस ने यूक्रेन में युद्ध के संदर्भ में संभावित परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में खुली धमकी भी दी है।
- युद्ध के कारण द्विपक्षीय रूस-यूएसए रणनीतिक स्थिरता वार्ता रुक गई है और कोई भी अन्य परमाणु- संपन्न राज्य हथियार नियंत्रण वार्ता को नहीं मान रहा है।
- इसके अलावा, UNSC के P5 सदस्यों ने TPNW के विरोध में आवाज़ उठाई है और JCPOA वार्ता अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है।

जैवविविधता और पर्यावरण

एनटीपीसी की जैव विविधता नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC लिमिटेड) ने जैवविविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिये एक व्यापक दृष्टि व मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिये नवीनीकृत जैवविविधता नीति 2022 जारी की है।

- यह एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है और इसके उद्देश्य पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के साथ संरेखित हैं।

नीति के उद्देश्य

- जैवविविधता लक्ष्य प्राप्त करने के लिये पेशेवरों की सहायता :
  - इस नीति को NTPC समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद के लिये डिज़ाइन किया गया है।
    - NTPC हमेशा उच्चतम जैवविविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में संचालन से बचने और विवेकपूर्ण रूप से परियोजना स्थलों का चयन करने के बारे में सचेत रहा है।
    - कंपनी के प्रयासों को और मज़बूत किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके वर्तमान में संचालित किसी भी साइट पर जैवविविधता नष्ट न हो तथा जहाँ भी संभव हो एक शुद्ध सकारात्मक संतुलन बना रहे।
- जैवविविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना:
  - इसका मुख्य उद्देश्य NTPC की मूल्य श्रृंखला में जैवविविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना है।
  - इसका उद्देश्य सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जैवविविधता के सतत् प्रबंधन के लिये एक एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना है ताकि NTPC की व्यावसायिक इकाइयों में तथा उसके आसपास पृथ्वी की विविधता को सुनिश्चित किया जा सके।
- स्थानीय खतरों को संबोधित करना:
  - इस नीति का उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों से परे जैवविविधता के लिये स्थानीय खतरों पर व्यवस्थित विचार करना भी है।

NTPC द्वारा उठाए गए अन्य संबंधित कदम:

- जागरूकता बढ़ाना:
  - NTPC विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजना-विशिष्ट और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के माध्यम से जैवविविधता के बारे में स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों तथा इसके सहयोगियों के बीच जागरूकता बढ़ा रहा है।
- सहयोग के माध्यम से:
  - एनटीपीसी जैवविविधता के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, संगठनों, नियामक एजेंसियों और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान संस्थानों के साथ भी सहयोग कर रहा है।
- कानूनी अनुपालन करना:
  - एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरण, वन, वन्य जीवन, तटीय क्षेत्र और हरित क्षेत्र से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए जैवविविधता के संबंध में कानूनी अनुपालन करेगा।
- संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर:
  - एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिये आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पाँच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

जैवविविधता:

- परिचय:
  - यह पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और कवक सहित पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है।
  - पृथ्वी की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि कई प्रजातियों की खोज की जानी बाकी है, मानव गतिविधियों के कारण कई प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, जिससे पृथ्वी की शानदार जैवविविधता खतरे में है।
- महत्त्व:
  - जैवविविधता हॉटस्पॉट: भारत के पास विश्व का केवल 2.3% भू-भाग है किंतु यहाँ वैश्विक जैवविविधता का लगभग 8% पाया जाता है। 36 वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से चार भारत में हैं।
  - आश्चर्यजनक आर्थिक मूल्य: हालाँकि जैवविविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सटीक

आर्थिक मूल्य ज्ञात नहीं हो सकता है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार, अकेले भारत के वन प्रतिवर्ष एक ट्रिलियन रुपए से अधिक की सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं।

- इसके अलावा यह कल्पना की जा सकती है कि घास के मैदानों, आर्द्रभूमि, मीठे पानी और समुद्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादित सेवाओं को जोड़ लिया जाए तो इसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा।

- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: भूमि, नदियों और महासागरों में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हमारे खाद्य श्रृंखला को मज़बूत बनाते है, हमें पोषण प्रदान करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं एवं हमें पर्यावरणीय आपदाओं से बचाते हैं।
- आध्यात्मिक उत्थान: हमारी जैवविविधता आध्यात्मिक उत्थान के एक सतत् स्रोत के रूप में भी कार्य करती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

- संबंधित पहल:
  - भारत:
    - इंडिया बिज़नेस एंड बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव (IBBI): यह व्यवसायों और इसके हितधारकों के लिये संवाद साझा करने और सीखने हेतु एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जो अंततः व्यवसायों में जैवविविधता के स्थायी प्रबंधन को मुख्यधारा में लाता है।
  - वैश्विक:
    - कुनमिंग घोषणा
    - जैवविविधता पर अभिसमय
    - वन् जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन
    - प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी निधि

एनटीपीसी लिमिटेड:

- एनटीपीसी 68,961.68 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और 2032 तक 130 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने की योजना है।
- 1975 में स्थापित एनटीपीसी का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बिजली कंपनी बनना है।
- एनटीपीसी के पास व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीतियाँ हैं जो बिजली परियोजनाओं की स्थापना और बिजली उत्पादन के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं।
- कंपनी नवोन्मेषी पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनुकूलित करके एक सतत् तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर विश्वसनीय बिजली का उत्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस प्रकार एनटीपीसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान में योगदान दे रहा है।

कोसी नदी प्रणाली में अस्थिरता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक शोध अध्ययन में बताया गया है कि कोसी नदी के दोनों ओर तटबंधों के निर्माण के बाद से अस्थिरता देखी गई है।

नदी प्रणाली अस्थिरता:

- परिचय:
  - नदी प्रणाली अस्थिरता नदी के प्रवाह के दौरान परिवर्तन की घटना को संदर्भित करती है जिसके अंतर्गत पुरानी स्थापित नदी प्रणाली के स्थान पर एक नई नदी प्रणाली का निर्माण होता है।
- घटना:
  - उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों की नदियाँ के अस्थिर होने की अधिक संभावना रहती है।
  - ऐसी घटना बहुत ही कम होती है, एक दशक या एक सदी में एक बार, या उससे भी कम।
  - बार-बार होने वाली चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र के स्तर में वृद्धि के निरंतर प्रभाव की तुलना में उनके विनाशकारी प्रभावों के बावजूद अस्थिरता की घटना दुर्लभ है।

शोध के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - 1973-2020 के सैटेलाइट चित्रों और ऐतिहासिक नक्शों के अनुसार, दुनिया भर में 113 नदी प्रणाली अस्थिरता की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
  - 33 उदाहरणों में अपुष्ट घाटियों या खुले समुद्रों पर प्रवाहित होते समय नदियाँ पर्वतीय आधारों में अपना मार्ग बदल देती हैं।
    - कोसी नदी भी इसी श्रेणी में आती है।
  - यह परिवर्तन डेल्टा क्षेत्रों में भी हो सकता है। एक पश्चजल क्षेत्र के साथ नदी का यह हिस्सा नीचे की ओर समुद्र के प्रभाव के कारण अलग तरह से प्रवाहित होता है।
  - दुनिया के कुछ सबसे बड़े जलमार्गों, जैसे कि ओरिनोको, येलो, नील और मिसिसिपी नदी इसके उदाहरण हैं।
  - 30 मामलों में अत्यधिक तलछट भार वाली नदियों में उफान आया। नदी के तल तलछट से भरे होने के कारण बाढ़ के दौरान नदियाँ नए चैनलों की तलाश करती हैं।
- कोसी नदी केस-स्टडी:
  - कोसी जैसी प्रणालियाँ हिमालय से बहुत अधिक तलछट लाती हैं। 1950 के दशक में नदी के दोनों ओर तटबंध बनाए जाने के बाद यह और अधिक अस्थिर हो गई।

- वर्ष 2008 में एक बड़ी बाढ़ ने कोसी नदी को अपने स्थापित पुराने मार्ग को छोड़ने के लिये मजबूर कर दिया। इसके कारण 3 मिलियन लोग विस्थापित हुए तथा 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- कोसी नदी का उफान प्राकृतिक नहीं है। तटबंध-निर्माण से पहले नदी जिस 200 किमी क्षेत्र में तलछट वितरित करती थी, उसे अब घटाकर 10 किमी कर दिया गया है।
- हालाँकि तलछट-प्रवाह के मार्ग में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन इसके संचलन के लिये उपलब्ध क्षेत्र संकुचित हो गया है।
- तटबंधों जैसे अस्थायी समाधान के कारण ही सुरक्षा की झूठी धारणा पैदा होती है। क्योंकि ये सुरक्षा के बजाय प्राकृतिक तलछट फैलाव को सीमित करके नदी प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

कोसी नदी प्रणाली:

- कोसी एक सीमा-पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है।
- इसका स्रोत तिब्बत में है जिसमें दुनिया की सबसे ऊँचाई पर स्थित भू-भाग शामिल है; इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है।
- इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ- सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किमी की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं।
- यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार ज़िले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बँट जाती है।
- भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है।
- इसे "बिहार का शोक" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को प्रभावित करती है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

आगे की राह

- दुनिया भर में लगभग 330 मिलियन लोग नदी डेल्टा क्षेत्र में निवास करते हैं और इससे भी अधिक नदी के गलियारों में रहते हैं। इसलिये यह समझने का समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन और मानवजनित हस्तक्षेप नदी की गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन और नदी के उच्छेदन के बीच संबंध को समझने के लिये एक पूर्ण वैश्विक तस्वीर खींची जानी चाहिये।
- बाढ़ से बचाव के लिये नदियों के किनारे बनाए गए तटबंधों/बाधाओं की भूमिका को इसकी अस्थिरता के संबंध में समझा जाना चाहिये।
- नदियों के अतिरिक्त चैनल बनाने के लिये विभिन्न इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों को नियोजित किया जा सकता है। यह चैनलों में जल और तलछट के प्रवाह को वितरित करके बाढ़ एवं नदी मार्ग परिवर्तन को रोकेगा।

स्टॉकहोम +50

चर्चा में क्यों?

स्टॉकहोम+50 का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में हो रहा है। यह मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र (UN) सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) के 50वीं वर्षगाँठ का उत्सव है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
- यह ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब दुनिया स्टॉकहोम घोषणा के 50 वर्ष बाद भी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रकृति तथा जैवविविधता की क्षति के तिहरे ग्रहीय संकट के साथ-साथ अन्य मुद्दों का सामना कर रही है। यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये खतरा है।
- कोविड-19 महामारी से एक सतत् रिकवरी भी एजेंडा बिंदुओं में से एक रहेगा।

स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी।
    - वर्ष 1967 में एक शोध अध्ययन ने CO_2 स्तरों के आधार पर वैश्विक तापमान का वास्तविक अनुमान प्रदान किया। साथ ही यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि वर्तमान स्तर से CO_2 के दोगुने होने से वैश्विक तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।

- स्टॉकहोम सम्मेलन का विचार सबसे पहले स्वीडन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसलिये इसे "स्वीडिश इनिशिएटिव" भी कहा जाता है।

- परिचय:
  - स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून, 1972 तक आयोजित किया गया था।
  - यह ग्रहीय पर्यावरण पर पहला वैश्विक अभिसमय था।
  - इसका विषय 'Only One Earth' था।
  - सम्मेलन में 122 देशों ने भाग लिया।
- लक्ष्य:
  - ग्रहीय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिये एक सामान्य शासन ढाँचा तैयार करना।
- स्टॉकहोम घोषणा और मानव पर्यावरण के लिये कार्य योजना:
  - स्टॉकहोम घोषणा:
    - 122 प्रतिभागी देशों में से 70 विकासशील और गरीब देशों ने स्टॉकहोम घोषणा को अपनाया।
    - स्टॉकहोम घोषणा में 26 सिद्धांत शामिल थे जो विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद की शुरुआत को चिह्नित करते हैं।
    - इसने "विकास, गरीबी और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध" का निर्माण किया।
  - कार्ययोजना:
    - कार्ययोजना में तीन मुख्य श्रेणियाँ शामिल थीं जिन्हें आगे 109 सिफारिशों में विभाजित किया गया:
    - वैश्विक पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम (वाच प्लान)
    - पर्यावरण प्रबंधन गतिविधियाँ
    - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए मूल्यांकन और प्रबंधन गतिविधियों का समर्थन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उपाय।
- सम्मेलन के तीन आयाम:
  - देशों ने "एक-दूसरे के पर्यावरण या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने" पर सहमति व्यक्त की।
  - पृथ्वी के पर्यावरणीय खतरों का अध्ययन करने के लिये एक कार्ययोजना।
  - देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना।

स्टॉकहोम घोषणा के प्रमुख समझौते:

- वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे- वायु, जल, भूमि, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जानी चाहिये।
- विषाक्त पदार्थों की निकासी और ऊष्मा के उत्सर्जन को पर्यावरण की क्षमता से अधिक नहीं होने देना चाहिये।
- प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष में गरीब और विकासशील देशों का समर्थन किया जाना चाहिये।
- राज्यों की पर्यावरणीय नीतियों को विकासशील देशों की वर्तमान या भविष्य की विकास क्षमता का समर्थन करना चाहिये।
- पर्यावरणीय उपायों को लागू करने के परिणामस्वरूप संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिणामों को पूरा करने के लिये एक समझौते पर पहुँचने हेतु राज्यों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिये।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, राज्यों को अपनी पर्यावरण नीतियों के तहत अपने संसाधनों का दोहन करने का संप्रभु अधिकार है।
  - हालाँकि राज्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण के भीतर की गतिविधियाँ अन्य राज्यों के पर्यावरण या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे के क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुँचाएँ।

स्टॉकहोम, 1972 का महत्त्व:

- पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन तब हुआ जब पर्यावरण वैश्विक चिंता या किसी राष्ट्र के लिये महत्त्व का विषय नहीं था।
- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कभी भी निपटने के लिये पर्यावरण का क्षेत्र शामिल नहीं था।
- वर्ष 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण मंत्रालय नहीं था।
  - बाद में नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने पर्यावरण के लिये अपने मंत्रालय स्थापित किये।
  - वर्ष 1985 में भारत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की।
- वर्ष 1972 के बाद प्रजातियों के विलुप्त होने और पारा विषाक्तता जैसे पर्यावरणीय मुद्दे सुर्खियों में आने लगे और सार्वजनिक चेतना बढ़ी।
- स्टॉकहोम सम्मेलन ने समकालीन "पर्यावरण युग" की शुरुआत की।
- पर्यावरण संकट पर आज के कई सम्मेलन स्टॉकहोम घोषणा में अपने मूल का पता लगाते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
  - संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD)
  - जैविक विविधता अभिसमय (CBD)

चुनौतियाँ:

- शुरुआत से ही वैश्विक राजनीति ने सम्मेलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

- कुछ देशों ने अमीर देशों के प्रभुत्व के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि नीतियाँ अमीर, औद्योगिक देशों के हित में अधिक हैं।
- राष्ट्रों की एक असंगठित प्रतिक्रिया ने इस तथ्य में योगदान दिया है कि दुनिया 2100 तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों से कम-से-कम 3°C अधिक तापन की राह पर है जो पेरिस समझौते में अनिवार्य रूप से 1.5°C वार्मिंग से दोगुना है।
- अगले 50 वर्षों के भीतर 1-3 बिलियन लोगों के जलवायु परिस्थितियों से बाहर रहने का अनुमान है।
- एक स्वस्थ पर्यावरण के लिये स्थायी उपायों को अपनाने के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।
- जब तक गरीब या विकासशील देश रोज़गार प्रदान करने और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे, स्थायी पर्यावरण की नीतियों को उचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- दुनिया के अधिकांश लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि पारिस्थितिकी और संरक्षण उनके हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। इसके बजाय यह उनके जीवन में सुधार लाएगा।
- औद्योगिक राष्ट्र मूल रूप से वायु और जल प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाये बिना गरीबी उन्मूलन के लिये सहायता की उम्मीद कर रहे हैं।
- इसलिये विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाया जाना चाहिये।
- स्टॉकहोम+50 के लिये एक स्थायी वातावरण की ओर प्रेरित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के लिये यह एक उचित समय है।

द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, 'ट्रैकिंग एसडीजी 7 - द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022' जारी की गई, जिसमें यह बताया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 संकट ने एसडीजी 7 के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को काफी धीमा कर दिया है।

- ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट विशेष रूप से गठित संचालन समूह के रूप में एसडीजी 7 की पाँच संरक्षक एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग का एक उत्पाद है:
    - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।
- एसडीजी 7 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करना है।

टिप्पणी:

- वार्षिक एसडीजी 7 ट्रैकिंग रिपोर्ट में चार प्रमुख ऊर्जा लक्ष्यों के आधिकारिक डैशबोर्ड में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रगति का मूल्यांकन किया है:
    - 7.1: बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के समाधान के लिये सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना;
    - 7.2: अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि;
    - 7.3: ऊर्जा दक्षता पर प्रगति को दोगुना करना;
    - 7.A: स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

- बिजली तक पहुँच (7.1):
    - वैश्विक आबादी का हिस्सा बिजली तक पहुँच के संदर्भ में वर्ष 2010 में 83% से बढ़कर वर्ष 2020 में 91% हो गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर बिजली तक पहुँच वाले लोगों की संख्या 1.3 बिलियन तक बढ़ गई है।
    - बिजली की पहुँच से दूर, लोगों की संख्या वर्ष 2010 में 1.2 बिलियन से घटकर 2020 में 733 मिलियन हो गई
    - हालाँकि, विद्युतीकरण में प्रगति की गति हाल के वर्षों में धीमी हो गई है, जिसे अधिक दूरस्थ और गरीब आबादी तक पहुँचने की बढ़ती जटिलता और कोविड -19 महामारी के दुष्प्रभाव से समझा जा सकता है।
        - प्रगति की वर्तमान दर के अनुसार, विश्व वर्ष 2030 तक 92% विद्युतीकरण का ही लक्ष्य प्राप्त कर पायेगा।
- स्वच्छ ईंधन (7.1):
    - स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के संदर्भ में वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2021 की तुलना में 3% बढ़कर वर्ष 2020 में 69% हो गया है।
    - हालाँकि, जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की पहुँच से यह क्षेत्र बहुत अधिक लाभान्वित हुआ है।
        - नतीजतन, स्वच्छ खाना पकाने वाले लोगों की कुल संख्या में कमी दशकों से अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से एशिया में बड़ी आबादी वाले देशों तक पहुँच में प्रगति से प्रेरित थी।
- नवीकरणीय (7.2):
    - जबकि वर्ष 2021 में अक्षय क्षमता विस्तार की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड मात्रा में वृद्धि हुई, सकारात्मक वैश्विक और क्षेत्रीय

प्रक्षेपवक्र इस तथ्य को छिपाते हैं कि जिन देशों में नई क्षमता वृद्धि कम थी, उन्हें बढ़ी हुई पहुँच की सबसे अधिक आवश्यकता थी।

- ◆ इसके अलावा बढ़ती वस्तु, ऊर्जा और शिपिंग कीमतों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों ने सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल, पवन टरबाइन, जैव ईंधन के उत्पादन और परिवहन की लागत में वृद्धि की है, जिससे भविष्य की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये अनिश्चितता बढ़ गई है।

- ऊर्जा दक्षता (7.3):
  - ◆ एसडीजी 7.3 का लक्ष्य प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता में वार्षिक सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना है।
  - ◆ वर्ष 2010 से 2019 तक ऊर्जा तीव्रता में वैश्विक वार्षिक सुधार औसतन लगभग 1.9% था, जो लक्ष्य से काफी कम था।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह (7.A):
  - ◆ स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में विकासशील देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह अधिकांश देशों में सतत् विकास की अत्यधिक आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती तात्कालिकता के बावजूद लगातार दूसरे वर्ष घटकर वर्ष 2019 में 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ।
  - ◆ कुल मिलाकर वित्त पोषण का स्तर एसडीजी 7 तक पहुँचने के लिये आवश्यक स्तर से नीचे बना हुआ है, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर और सबसे कम विकसित देशों में।

INDICATOR	2010	LATEST YEAR
7.1.1 proportion of population with access to electricity	1.2 billion people without access to electricity	733 million people without access to electricity (2020)
7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology for cooking	3 billion people without access to clean cooking	2.4 billion people without access to clean cooking (2020)
7.2.1 Renewable energy share in total final energy consumption	16.1% share of total final energy consumption from renewables	17.7% share of total final energy consumption from renewables (2019)
7.3.1 Energy intensity measured as a ratio of primary	5.6 MJ/USD primary energy intensity	4.7 MJ/USD primary energy intensity (2019)
7.a.1 International financial flows to developing countries in support of clean energy research and development and renewable energy	11.2 USD billion international financial flows to developing countries in support of clean energy	10.9 USD billion international financial flows to developing countries in support of clean energy (2019)

सिफारिशें

- बिजली तक पहुँच: वर्ष 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिये नए कनेक्शनों की संख्या को सालाना 100 मिलियन तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
- स्वच्छ पाक कला: वर्ष 2030 तक स्वच्छ खाना पकाने के लिये सार्वभौमिक पहुँच के एसडीजी 7 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक बहुक्षेत्रीय, समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।
  - ◆ यह महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक समुदाय उन देशों की सफलताओं और चुनौतियों से सीखे जिन्होंने स्वच्छ घरेलू ऊर्जा नीतियों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने का प्रयास किया है।
- नवीकरणीय: सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का तात्पर्य बिजली, गर्मी और परिवहन के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोतों की त्वरित तैनाती है।
  - ◆ अक्षय शेयरों को 2030 तक 'कुल अंतिम ऊर्जा खपत' के 30% से अधिक तक पहुँचाने की आवश्यकता है, जो 2019 में 18% से अधिक है, वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य ऊर्जा उत्सर्जन तक पहुँचने के लिये सही दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है।
- ऊर्जा दक्षता: अगर दुनिया को वर्ष 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करना है, तो ऊर्जा दक्षता की दर अधिक होनी चाहिये। ऊर्जा दक्षता की दर इस दशक के लिये लगातार 4% से अधिक होने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह: SDG 7.3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ऊर्जा दक्षता नीतियों और निवेश को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

बायोमास बिजली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत (कुरुक्षेत्र, हरियाणा) में एक नई बायोमास-आधारित बॉयलर तकनीक शुरू की गई जो हरित होने का दावा करती है और सभी प्रकार के कृषि अवशेषों को ईंधन के रूप में समायोजित कर सकती है, साथ ही साथ पराली जलाने के बोझ को कम करने में मदद कर सकती है।

- जैसे-जैसे देश कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, नियामक और नीति निर्माता बायोमास आधारित बिजली पर ध्यान दे रहे हैं।
- देश में बिजली की मांग का लगभग 2.6% बायोमास द्वारा पूरा किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- बायोमास-आधारित बॉयलर की विशेषताएँ:
  - ◆ नए बॉयलर की क्षमता 75 टन प्रति घंटा है और इससे 15 मेगावाट बिजली पैदा होती है।

- डेनमार्क की यह नई तकनीक संयंत्र को कम ईंधन तैयार करने और संभालने के साथ विभिन्न प्रकार के ईंधन जलाने में सक्षम बनाती है।
- वाइब्रेटिंग ग्रेट के कारण यह दहन तकनीक लाभप्रद है।
- स्टीम बॉयलर ग्रेट भट्ठी में ठोस ईंधन का प्रयोग करती है।
  - वाइब्रेटिंग ग्रेट हर घनत्व के बायोमास को समायोजित करता है।
  - हालाँकि ईंधन में नमी की मात्रा 15-20% होनी चाहिये।
- चूँकि वाइब्रेटिंग ग्रेट किसी भी आकार के कृषि अवशेषों को जलाने में सहयोग करता है, अत: यह ऊर्जा उत्पादन के लिये बायोमास के प्रसंस्करण हेतु खपत ऊर्जा की बचत करता है।

- पारंपरिक बॉयलरों से अधिक लाभदायक:
  - मौजूदा पारंपरिक बॉयलर केवल विशिष्ट प्रकार के कृषि अवशेषों जैसे धान की भूसी, धान की पुआल, सरसों आदि के लिये डिज़ाइन किये गए हैं और ऊर्जा उत्पादन में बायोमास के योगदान को प्रतिबंधित करते हैं।
  - जबकि वाइब्रेटिंग ग्रेट बायलर तकनीक किसी भी प्रकार के बायोमास को फायर करने का एक समाधान हो सकता है।

बायोमास:

- परिचय
  - बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक सामग्री है जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होती है।
- उपयोग
  - बायोमास का उपयोग 'फैसिलिटी हीटिंग', विद्युत ऊर्जा उत्पादन, संयुक्त ताप और बिजली के लिये किया जाता है।
- बिजली में परिवर्तित करने के तरीके: बायोमास को कई तरीकों से विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - बायोमास सामग्री का दहन:
    - सबसे आम बायोमास सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट या काष्ठ सामग्री का प्रत्यक्ष दहन है।
  - गैसीकरण:
    - गैसीकरण पूर्ण दहन के लिये आवश्यकता से कम ऑक्सीजन के साथ बायोमास को गर्म करके प्रयोग योग्य ऊर्जा सामग्री के साथ संश्लेषित गैस का उत्पादन करता है।
  - पायरोलिसिस:
    - पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को तेज़ी से गर्म करके जैव-तेल उत्पन्न करता है।
  - अवायवीय पाचन:
    - अवायवीय पाचन एक नवीकरणीय प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ को विघटित किया जाता है।
    - बहुत गीला कचरा जैसे- पशु और मानव अपशिष्ट, एक अवायवीय डाइजे़स्टर में एक मध्यम-ऊर्जा सामग्री गैस में परिवर्तित हो जाते हैं।
- लाभ:
  - कई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की तुलना में, बायोमास में डिस्पैचबिलिटी का लाभ होता है, जिसका अर्थ है कि यह नियंत्रणीय है और ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध है।
- हानि:
  - ईंधन की खरीद, वितरण, संग्रहीत और भुगतान करने की आवश्यकता है.
  - इसके अलावा बायोमास दहन प्रदूषक पैदा करता है, जिसे नियमों के अनुसार सावधानीपूर्वक निगरानी और नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है ।
- सरकार की पहल:
  - ग्रिड बिजली उत्पादन के लिये देश के बायोमास संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ बायोमास बिजली और सह उत्पादन कार्यक्रम लागू किया गया है।
  - केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने बायोमास जैसे खोई, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, फसल अवशेष, ऊर्जा संयंत्रीकरण के माध्यम से उत्पादित लकड़ी, खरपतवार के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिये औद्योगिक कार्यों में उत्पादित लकड़ी के कचरे का उपयोग करने वाली परियोजनाओं हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता की घोषणा की।
    - इस कदम का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के लिये एक नियंत्रित वातावरण में बायोमास दहन को बढ़ाना था।

इको सेंसिटिव ज़ोन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम-से-कम एक किमी. का अनिवार्य इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) होना चाहिये।

- यह फैसला तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले में वन भूमि की सुरक्षा के लिये दायर एक याचिका पर आया है।

फैसले की मुख्य विशेषताएँ:

- केंद्र ने फरवरी 2011 में ESZ पर दिशा-निर्देश ज़ारी करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 10 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की थी।

- न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिये एक समान ESZ संभव नहीं होगा क्योंकि इसने मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चेन्नई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जैसे विशेष मामलों का उल्लेख किया जो महानगर के बहुत करीब स्थित हैं।

- यदि मौजूदा ESZ 1 किमी. बफर ज़ोन से अधिक होता है या यदि कोई वैधानिक संस्था उच्च सीमा निर्धारित कराती है, तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी।
- निर्णय ऐसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा जहाँ न्यूनतम ESZ सीमा निर्धारित नहीं है।
- व्यापक जनहित में ESZ की न्यूनतम चौड़ाई को कम किया जा सकता है।
  - संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) और MOEFCC (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) से संपर्क करेंगे और ये दोनों निकाय इस न्यायालय को संबंधित राय या सिफारिशें देंगे जिसके आधार पर न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।
- न्यायालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के ESZ में जारी गतिविधियों की सूची प्रदान करते हुए न्यायालय को तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- न्यायालय ने मामले को PCCF को यह सुनिश्चित करने के लिये सौंपा कि ESZ के भीतर कोई नया स्थायी ढाँचा नहीं बने और जो पहले से ही कोई गतिविधि कर रहे हैं उन्हें छह महीने के भीतर PCCF से अनुमति हेतु नए सिरे से आवेदन करना होगा।

इको सेंसिटिव ज़ोन:

- परिचय:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।
- उद्देश्य:
  - इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
  - ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे।
- निषिद्ध गतिविधियाँ:
  - वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।
  - पर्यटन गतिविधियाँ जैसे- राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन।
- विनियमित गतिविधियाँ:
  - पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन, जैसे- भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना।
- अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ:
  - संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएँ, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिये हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- महत्त्व:
  - विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करना:
    - शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों से सटे क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है।
  - इन-सीटू संरक्षण:
    - ESZ इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, उदाहरण के लिये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण।
  - वन क्षरण और मानव-पशु संघर्ष को कम करना:
    - इको-सेंसिटिव ज़ोन वनों की कमी और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।
    - संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र के समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है।

इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिये चुनौतियाँ:

- विकासात्मक गतिविधियाँ:
  - ESZ में बाँधों, सड़कों, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसी गतिविधियाँ हस्तक्षेप करती हैं, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती हैं।

- शासन और नए कानून:
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं तथा जानवरों के अवैध शिकार को रोकने में विफल रहे हैं। ये ESZs में विकास गतिविधियों का समर्थन करते है।
- पर्यटन:
  - पर्यावरण पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये वनों की कटाई, स्थानीय लोगों के विस्थापन आदि के माध्यम से पार्कों और अभयारण्यों के आसपास की भूमि को साफ किया जा रहा है।
- विदेशी प्रजातियों का हस्तक्षेप:
  - यूकेलिप्टस और बबूल औरिक्युलरिस आदि जैसी विदेशी प्रजातियाँ तथा उनका वृक्षारोपण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वनों पर एक प्रतिस्पर्द्धी दबाव पैदा करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन:
  - जलवायु परिवर्तन ने ESZs पर भूमि, जल और पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए बार-बार जंगल में आग या असम की बाढ़ जिसने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके वन्यजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- स्थानीय समुदाय:
  - झूम खेती, बढ़ती आबादी का दबाव और जलाऊ लकड़ी तथा वनोपज की बढ़ती मांग आदि संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव डालते हैं।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक विकास किया जा सके।
- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिये।
- वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, खोए हुए आवासों का पुनर्जनन, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना और संसाधनों के अत्यधिक दोहन व जनता के बीच इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

विश्व पर्यावरण दिवस

चर्चा में क्यों ?

जागरूकता के प्रसार और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

- भारत ने इस अवसर पर 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली आंदोलन (Lifestyle for the Environment (LiFE) Movement)' शुरू किया।

विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था।
  - प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव एक विशिष्ट विषय और नारे के साथ आयोजित किया जाता है जो उस समय की प्रमुख पर्यावरणीय चिंता को संदर्भित करता है।
  - यह प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है।
    - उदाहरण के लिये भारत ने 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' थीम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के 45वें उत्सव की मेज़बानी की।
  - पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) की भी शुरुआत की, जो जंगलों से खेतों तक, पहाड़ों के शीर्ष से समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये एक वैश्विक मिशन है।
- 2022 के लिये थीम:
  - केवल एक पृथ्वी (OnlyOneEarth):
    - यह 1973 में पहले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को संदर्भित करता है।
- महत्त्व:
  - 2022 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि यह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरे कर रहा है।

पर्यावरण के लिये जीवन शैली (LiFE) आंदोलन'

- परिचय:.
  - LiFE का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
    - यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'नासमझी और अपव्यय' के बजाय 'सचेत और जान-बूझकर उपयोग' के सिद्धांत पर केंद्रित है।
  - मिशन के शुभारंभ के साथ प्रचलित "उपयोग और निपटान" अर्थव्यवस्था, बेतरतीब एवं विनाशकारी उपभोग तथा प्रशासन को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे 'सचेत और स्व-खपत' द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

- उद्देश्य:
  - आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और पूरे विश्व के व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु-अनुकूल कार्य करने के लिये प्रेरित करना है।
  - यह जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिये सामाजिक नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाने का भी प्रयास करता है।
  - मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (P3) है।
    - P3 की पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिये एक साझा प्रतिबद्धता होगी।
    - P3 समुदाय के माध्यम से यह मिशन एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को आत्मकेंद्रित होने के लिये सुदृढ़ और सक्षम करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत:

- वनावरण में वृद्धि:
  - भारत का वन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और इसलिये शेरों, बाघों, तेंदुओं, हाथियों और गैंडों की आबादी बढ़ रही है।
    - कुल वन क्षेत्र वर्ष 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जबकि 2019 में 21.67% और 2017 में 21.54% था।
- स्थापित विद्युत क्षमता:
  - गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक पहुँचने की भारत की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल कर ली गई है।
- इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य:
  - पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य नवंबर 2022 के लक्ष्य से 5 महीने पूर्व ही प्राप्त किया जा चुका है।
  - यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2013-14 में सम्मिश्रण मुश्किल से 1.5% और 2019-20 में 5% था।
- अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:
  - भारत सरकार भी अक्षय ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।
  - 30 नवंबर, 2021 को देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमता 150.54 गीगावाट (सौर: 48.55 गीगावाट, पवन: 40.03 गीगावाट, लघु जलविद्युत: 4.83, जैव-शक्ति: 10.62, बड़ी हाइड्रो: 46.51 गीगावाट) है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है।
    - भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता से युक्त देश है।

अन्य पहलें:

- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम: यह वनों के आसपास के अवक्रमित वनों के पुनर्वास और वनरोपण पर केंद्रित है।
- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन: यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change) के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन एवं शमन रणनीति के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार तथा वृद्धि करना है।
- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना: इसे प्राकृतिक आवासों के क्षरण, विखंडन और नुकसान की दरों में कमी के लिये नीतियों को लागू करने हेतु शुरू किया गया है।
- ग्रामीण आजीविका योजनाएँ: ग्रामीण आजीविका से आंतरिक रूप से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी प्रमुख योजनाओं में भी परिलक्षित होती है।

फिशिंग कैट्स

चर्चा में क्यों?

चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक जनगणना के अनुसार, चिल्का झील में 176 फिशिंग कैट्स मौजूदगी है।

- यह जनगणना 'द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट (TFCP) के सहयोग से आयोजित की गई थी। यह फिशिंग कैट्स का दुनिया का पहला जनसंख्या अनुमान है, जिसे संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया है।
- डेटा का विश्लेषण करने के लिये 'स्पेसियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर' (SECR) पद्धति का उपयोग किया गया था। SECR का उपयोग 'डिटेक्टरों' की एक सारणी का उपयोग करके एकत्र किये गए कैप्चर-रीकैप्चर डेटा से पशु आबादी के घनत्व का अनुमान लगाने के लिये किया जाता है।

फिशिंग कैट्स:

- वैज्ञानिक नाम: प्रियनैलुरस विवरिनस
- विवरण:
    - यह घरेलू बिल्ली के आकार से दोगुनी है।
    - फिशिंग कैट्स रात्रिचर (रात में सक्रिय) होती है और मछली के अलावा मेंढक, क्रस्टेशियंस, साँप, पक्षी तथा बड़े जानवरों के शवों पर उपस्थित अपमार्जकों का भी शिकार करती है।
    - यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है।
    - वे अपना अधिकांश जीवन जल निकायों के पास घने वनस्पतियों के क्षेत्रों में बिताती हैं और उत्कृष्ट तैराक होती हैं।
- आवास:
    - पूर्वी घाट के साथ फिशिंग कैट का वितरण बहुत कम है। वे मुहाना, बाढ़ के मैदानों, ज्वारीय मैंग्रोव वनों और अंतर्देशीय मीठे जल के आवासों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।
    - पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन के अलावा फिशिंग कैट ओडिशा में चिल्का लैगून एवं आसपास की आर्द्रभूमि, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा तथा कृष्णा मैंग्रोव में निवास करती हैं।
- संकट:
    - आवास विनाश: फिशिंग कैट के लिये एक बड़ा खतरा आर्द्रभूमि का विनाश है, जो उनका पसंदीदा आवास है।
    - झींगा पालन: झींगा पालन फिशिंग कैट के मैंग्रोव आवासों के लिये एक और बढ़ता खतरा है।
    - शिकार: इस अनोखी बिल्ली को माँस और त्वचा के लिये शिकार से संबंधित खतरों का भी सामना करना पड़ता है।
    - आनुष्ठानिक प्रथाएँ: जनजातीय शिकारी वर्ष भर आनुष्ठानिक शिकार प्रथाओं में लिप्त रहते हैं।
    - अवैध शिकार: इसकी त्वचा के लिये कभी-कभी इसका अवैध शिकार भी किया जाता है।
    - विषाक्तता: जाल में लगाना, जाल से पकड़ना और विषाक्तता।
- संरक्षण की स्थिति:
    - IUCN की रेड लिस्ट: कई खतरों के बावजूद फिशिंग कैट को हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट प्रजातियों के आकलन में "लुप्तप्राय" से "सुभेद्य" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - साइट्स (CITES): परिशिष्ट II
    - भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- संरक्षण के प्रयास:
    - इससे पहले चिल्का विकास प्राधिकरण ने चिल्का में फिशिंग कैट के संरक्षण के लिये एक पंचवर्षीय कार्ययोजना अपनाने की अपनी मंशा घोषित की है।
    - वर्ष 2021 में फिशिंग कैट संरक्षण अलायंस ने आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर घाटों के असुरक्षित और मानव-प्रधान परिदृश्य में फिशिंग कैट के जैव-भौगोलिक वितरण का एक अध्ययन की शुरुआत की है।
    - वर्ष 2010 में शुरू की गई फिशिंग कैट परियोजना ने पश्चिम बंगाल में फिशिंग कैट के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य शुरू किया।
    - वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया और कलकत्ता चिड़ियाघर में दो बड़े बाड़ों का निर्माण किया गया है।
    - ओडिशा में कई गैर-सरकारी संगठन और वन्यजीव संरक्षण समितियाँ फिशिंग कैट अनुसंधान एवं संरक्षण कार्य में शामिल हैं।

चिल्का झील:

- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।

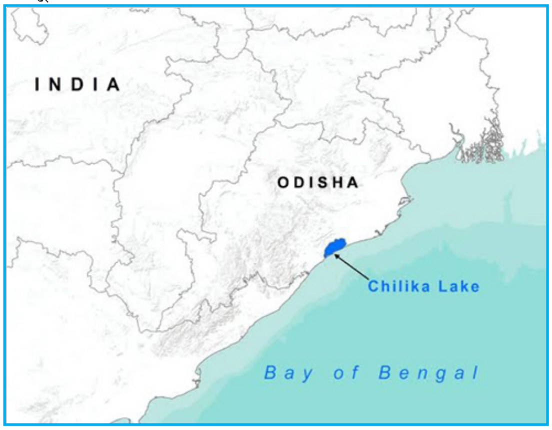

- वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।
- चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉलफिन (Irrawaddy Dolphins) हैं जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है।
- लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैला नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीडस) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- कालिजई मंदिर: यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है।
- चिल्का झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के सुदूर हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज़ स्टेप्स, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया, लद्दाख तथा हिमालय से हज़ारों मील दूर से पलायन करने वाले पक्षियों की मेज़बानी करती है।
- पक्षी यहाँ विशाल मिट्टी के मैदान और प्रचुर मात्रा में मछली के भंडार को संग्रह करने के लिये उपयुक्त पाते हैं।

भारी धातु प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) ने जानकारी दी है कि भारत की नदियाँ गंभीर धातु प्रदूषण का सामना कर रही हैं।

- भारत में प्रत्येक चार नदी निगरानी स्टेशनों में से तीन में सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी ज़हरीली धातुओं का खतरनाक स्तर पाया गया है।

भारी धातु प्रदूषण:

- भारी धातु:
- भारी धातुओं को उन तत्त्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी परमाणु संख्या 20 से अधिक और परमाणु घनत्व 5 ग्राम सेमी 3 से अधिक होता है तथा जिसमें धातु जैसी विशेषताएँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिये आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सीसा, मैंगनीज़, पारा, निकल, यूरेनियम आदि।
- भारी धातु प्रदूषण का कारण:
  - तेज़ी से बढ़ते कृषि और धातु उद्योगों, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप हमारी नदियों, मिट्टी और पर्यावरण पर भारी धातु प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है।
  - भूजल में भारी धातुओं के प्राथमिक स्रोत कृषि और औद्योगिक संचालन, लैंडफिलिंग, खनन एवं परिवहन हैं।
  - कृषि जल अपवाह के माध्यम से भारी धातुएँ नदी में पहुँच जाती हैं।
  - उद्योगों से अपशिष्ट जल का निर्वहन (जैसे चर्मशोधन उद्योग जो क्रोमियम जैसे भारी धातुओं का एक बड़ा स्रोत है) नदी निकायों में भारी धातु प्रदूषण की गंभीरता को और बढ़ा देता है।
  - भारी धातु पौधों, जानवरों और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं।

भारी धातुओं के स्रोत:

- मुख्यत: दो प्रकार के स्रोतों के माध्यम से भारी धातुएँ पर्यावरण में प्रवेश करती हैं।
  - प्राकृतिक स्रोत:
    - भारी धातुएँ पृथ्वी की क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। चट्टानें भारी धातुओं के प्राकृतिक स्रोत हैं। भारी धातुएँ चट्टानों में खनिजों के रूप में उपस्थित होती हैं। उदाहरण आर्सेनिक, तांबा, सीसा आदि।
  - मानवजनित स्रोत:
    - खनन, औद्योगिक और कृषि कार्य पर्यावरण में भारी धातुओं के सभी मानवजनित स्रोत हैं।
    - इन भारी धातुओं का उत्पादन उनके संबंधित अयस्कों से विभिन्न तत्त्वों के खनन एवं निष्कर्षण के दौरान किया जाता है।
    - खनन, गलाने और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के दौरान वातावरण में उत्सर्जित भारी धातुएँ शुष्क एवं गीले निक्षेपण द्वारा भूमि पर जमा हो जाती हैं।
    - औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज जैसे अपशिष्ट जल का निष्कासन पर्यावरण में भारी धातुओं को बढ़ाता है।
    - रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और जीवाश्म ईंधन के दहन से पर्यावरण में भारी धातुओं का उत्सर्जन भी मानवजनित स्रोत है।

भारी धातु प्रदूषण निगरानी के निहितार्थ:

- भारत में 764 नदी गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं, जो 28 राज्यों में फैले हुए हैं।
- केंद्रीय जल आयोग ने अगस्त 2018 और दिसंबर 2020 के बीच भारी धातुओं के लिये 688 साइटों से पानी के नमूनों की जाँच की।
- गंगा नदी के 33 निगरानी स्टेशनों में से 10 में भारी धातुओं के संदूषकों का उच्च स्तर था।
- 21 राज्यों में प्रदूषण की जाँच करने के बाद पाया गया कि 588 जल गुणवत्ता स्टेशनों में से कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) क्रमश: 239 और 88 में अधिक थी।
- यह इंगित करता है कि उद्योग, कृषि और घरेलू अपशिष्ट जल उपचार की स्थिति अपर्याप्त है।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट की स्टेट ऑफ द एन्वायरनमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, नदी, जो कि नमामि गंगे मिशन का केंद्र बिंदु है, में सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम और आर्सेनिक (सीएसई) उच्च स्तर है।
- यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त पर्यावरण विकास पर आँकड़ों का वार्षिक संकलन है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दस राज्य अपने सीवेज का उपचार नहीं करते हैं।
- भारत में 72% सीवेज अपशिष्ट अनुपचारित छोड़ दिया जाता है।

भारी धातु प्रदूषण के प्रभाव:

- पर्यावरण में प्रवेश करने वाली ये ज़हरीली भारी धातुएँ जैव संचय और जैव आवर्द्धन का कारण बन सकती हैं।
  - जैव संचय:
    - जल, वायु और भोजन सहित सभी स्रोतों से किसी जीव में प्रदूषक का शुद्ध संचय जैव संचय कहलाता है।'

- जैव आवर्द्धन:
  - जैव आवर्द्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिकारियों के भीतर ज़हरीले रसायन संचित होते हैं। यह प्राय: संपूर्ण खाद्य शृंखला में होता है और सभी जीवों को प्रभावित करता है परंतु शृंखला में शीर्ष पर रहने वाले जानवर अधिक प्रभावित होते हैं।
- कुछ भारी धातुएँ जैविक गतिविधियों और वृद्धि पर प्रभाव डालती हैं, जबकि अन्य एक या एक से अधिक अंगों में जमा हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई तरह के गंभीर रोग जैसे- कैंसर, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र विकार आदि उत्पन्न होते हैं।
  - धातु विषाक्तता के परिणामस्वरूप मुक्त कणों का उत्पादन होता है, जो DNA को नुकसान पहुँचाते हैं।
- ये भारी धातुएँ प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होती हैं और जहर के रूप में जानवरों के साथ-साथ मानव शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाती हैं।
  - भारी धातु का सेवन विकासात्मक मंदता, गुर्दे की क्षति, विभिन्न प्रकार के कैंसर और यहाँ तक कि चरम मामलों में मृत्यु से संबंधित है।

नमामि गंगे मिशन :

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है, यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) को प्रस्थापित किया।
- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:
  - सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
  - रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
  - नदी-सतह की सफाई
  - जैव विविधता
  - वनीकरण
  - जन जागरण
  - औद्योगिक प्रवाह निगरानी
  - गंगा ग्राम

केंद्रीय जल आयोग :

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।
- आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, बिजली उत्पादन, नौवहन आदि के उद्देश्य के लिए पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, विकास और उपयोग की योजनाओं को शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिये ज़िम्मेदार है।

दिल्ली-एनसीआर में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये हैं।

- यह कदम दिल्ली एनसीआर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये उठाया गया है।
- दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में से एक है।
  - प्रदूषण सूचकांक के अनुसार, राजधानी, उसके पड़ोसी शहरों- गुड़गाँव, नोएडा और गाजियाबाद में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300-400 के स्तर पर है।

पहल का महत्त्व:

- कोयले की बचत:
  - प्राकृतिक गैस और बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग न केवल वार्षिक रूप से 1.7 मिलियन टन कोयले की बचत में मदद करेगा, बल्कि पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), CO_2 और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) सहित अन्य प्रदूषकों को भी कम करने में सहायक होगा।
    - हालाँकि एनसीआर में ताप विद्युत संयंत्रों को कम सल्फर वाले कोयले का उपयोग करने की अनुमति है।
- वायु प्रदूषण से निपटने में मदद:
  - कोयले से होने वाला भारी प्रदूषण एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की खराब गुणवत्ता में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है तथा इस प्रकार समय के साथ एक स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता महसूस की गई है।
    - प्रत्येक वर्ष जीवाश्म ईंधन से होने वाला वायु प्रदूषण लाखों लोगों की जान लेता है, मानव में स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा के खतरे को बढ़ाता है, जिसके इलाज़ हेतु भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है।

- प्राकृतिक गैस को बढ़ावा:
  - ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से एनसीआर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
    - पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के अनुसार, भारत में 43 घन मीटर की तुलना में वैश्विक प्रति व्यक्ति प्राकृतिक गैस की खपत 496 घन मीटर है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना:
  - CAQM उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस और अन्य स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  - एनसीआर में विभिन्न उद्योगों द्वारा सालाना लगभग 1.7 मिलियन टन कोयले की खपत होती है, जिसमें लगभग 1.4 मिलियन टन की खपत अकेले छह प्रमुख औद्योगिक लों में होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:
  - दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिल्ली और एनसीआर में हर साल होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे का स्थायी समाधान खोजने का आदेश दिया।
  - तद्नुसार CAQM ने ऐसे सभी सुझावों और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिये एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।
  - विशेषज्ञ समूह ने अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और अनिवार्य स्वच्छ ईंधन के उपयोग को यथासंभव सीमा तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु भारत की पहलें:

- 'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली'- सफर (The System of Air Quality and Weather Forecasting And Research- SAFAR) पोर्टल
- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI): इसे आठ प्रदूषकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसमे शामिल हैं- $PM_{2.5}$, PM_{10}, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान।
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु:
  - बीएस-VI वाहन
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना
  - एक आपातकालीन उपाय के रूप में 'ऑड-इवन' नीति
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी

कोयले की मुख्य विशेषताएँ:

- यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं।
- आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे। इसलिये कोयले को बरीड सनशाइन (Buried Sunshine) कहा जाता है।
- दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।
- भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं।
- कोयले को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, सबबिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा और कोयले की उष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है।

वर्मिन जानवरों की हत्या

चर्चा में क्यों?

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को दिसंबर 2021 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिये संसद में पेश किया गया था।

- संशोधन का मूल उद्देश्य परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, अधिनियम को संरेखित करना और वर्मिन/पीड़क जानवरों की हत्या के उचित समाधान के अनुकरण का प्रयास करना है।

वर्मिन:

- वर्मिन मूल रूप से समस्याग्रस्त या हानिकारक जानवर हैं क्योंकि वे मनुष्यों, फसलों, पशुओं या संपत्ति के लिये खतरा होते हैं।
- प्रजातियाँ जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची V में रखा गया है, उन्हें वर्मिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - उदाहरण: कौवे, फल चमगादड़, चूहे जिनका स्वतंत्र रूप से शिकार किया जा सकता है।
- अधिनियम वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62 केंद्र सरकार को किसी भी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और अनुसूची II में शामिल जंगली जानवरों की प्रजातियों को वर्मिन घोषित नहीं किया जा सकता है।
  - एक जानवर को किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र और निर्दिष्ट अवधि के लिये वर्मिन के रूप में घोषित किया जा सकता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने के लिये अतीत में कई राज्यों ने हाथी, भारतीय साही, बोनट मकाक, लंगूर और भौंकने वाले हिरण सहित विभिन्न जानवरों को वर्मिन घोषित करने के लिये याचिका दायर की है।
- केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में रीसस बंदर, उत्तराखंड में जंगली सूअर और बिहार में नीलगाय को वर्मिन घोषित किया है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, साथ ही जंगली जानवरों, पौधों एवं उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन व नियंत्रण के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिनकी सरकार द्वारा सुरक्षा व निगरानी की जाती है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्तमान में छह अनुसूचियाँ हैं जो जानवरों और पौधों को अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध नस्लों एवं वर्ग के जानवरों को सर्वोच्च सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के लिये हिमालयन ब्राउन बीयर, भारतीय हाथी, गोल्डन गेकोस, अंडमान टील, हॉर्नबिल्स, ब्लैक कोरल, अमारा ब्रूसी तथा कई अन्य। इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है।
- अनुसूची III और अनुसूची IV में सूचीबद्ध नस्लों और वर्ग के जानवर भी सुरक्षित हैं, उदाहरण के लिये बार्किंग हिरण, बाज़, किंगफिशर, कछुआ आदि, लेकिन दंड तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।
- अनुसूची V में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कौआ, चूहे और मूषक, फल चमगादड़ आदि।
- अनुसूची VI में वर्णित पौधों, पेड़ों और फसलों की खेती एवं रोपण से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उदाहरण के लिये कूठ, रेड वांडा, पिचर प्लांट आदि।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के माध्यम से संभावित परिवर्तन:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 एक महत्तवपूर्ण संशोधन के रूप में अनुसूचियों की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है।
  - अनुसूची I में उन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें उच्चतम स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है।
- अनुसूची II में उन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कम संरक्षण की आवश्यकता है।
- जबकि अनुसूची III में पौधों को शामिल किया जाएगा।
- यह अनुसूची V को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान करता है। यह वर्मिन प्रजातियों को किसी भी प्रकार की अनुसूची से बाहर करता है। वर्मिन शब्द उन छोटे जानवरों को संदर्भित करता है जो बीमारियों का प्रसार और खाद्य पदार्थों को दूषित/हानि पहुँचाते हैं।
- यह CITES (अनुसूचित प्रजातियों) के तहत परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिये एक नए कार्यक्रम को शामिल करता है।
- केंद्र सरकार को किसी भी प्रजाति को वर्मिन प्रजाति के रूप में घोषित करने का अधिकार होगा।
- इस प्रकार किसी भी प्रजाति को वर्मिन प्रजाति कि श्रेणी में रखना आसान हो जाता है।
- यह परिवर्तन संभावित रूप से स्तनधारियों की 41 प्रजातियों, 864 पक्षियों, 17 सरीसृपों और उभयचरों एवं 58 से अधिक कीड़ों की प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 की आवश्यकता:

- बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष ने जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिये खतरा पैदा कर दिया है।
  - फसल/पशुधन क्षति के रूप में ऐसी घटनाएँ देश के विभिन्न भागों से व्यापक रूप से रिपोर्ट की जाती हैं।
    - हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2016 में जंगली जानवरों, विशेष रूप से बंदरों के कारण 184.28 करोड़ रुपए की फसल की हानि दर्ज की गई।
- वर्ष 2017 के बाद से तमिलनाडु में जंगली जानवरों द्वारा कृषि को नुकसान पहुँचाने की 7,562 घटनाएँ दर्ज की गईं हैं।

कीट और पारिस्थितिक असंतुलन का इतिहास:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उल्लिखित जेनेसिस वर्मिन की श्रेणी औपनिवेशिक काल की है जो न्यूनतम वैज्ञानिक आधारों पर वर्गीकृत है।
  - ट्यूडर वर्मिन अधिनियम अवांछनीय जानवरों और कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीटों को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- अनाज संरक्षण अधिनियम, 1532, वर्मिन अधिनियमों में से एक था जिसमें वार्मिन की श्रेणी में शामिल प्रजातियों की एक आधिकारिक सूची जारी की गई।
  - उल्लू, ऊदबिलाव, लोमड़ी, हेजहॉग और अन्य संबंधित जानवरों को मनुष्यों के साथ भोजन के प्रतिद्वंदी के रूप में माना जाता है।

- वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर भारत सरकार ने एक व्यापक वर्मिन आबादी को समाप्त करने की अनुमति दे दी है।
  - उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्मिन बंदर को मारने पर 500-700 रुपए देने की घोषणा की है।
- सरकार के इस रवैये से गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- बड़े पैमाने पर वर्मिन जानवरों को मारे जाने से क्षेत्र की खाद्य शृंखला में शून्यता/निर्वात की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के घातक तरीके लक्षित प्रजातियों को तो खतरे में डालते ही हैं साथ ही अक्सर गैर-लक्षित जानवरों के लिये भी घातक सिद्ध होते हैं।
  - वर्ष 2016 में कृषि को हुए नुकसान के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा जंगली सूअर की हत्या को वैध किये जाने के बाद कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में घोंघे की संख्या में वृद्धि हुई।
  - जंगली सूअरों को पकड़ने के लिये लगाए गए जालों में बाघ, तेंदुआ और भालू (सभी अनुसूची I जानवर) जैसी प्रजातियाँ भी फँस गईं थीं।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के बाद से अब तक रीसस मकाक को चार बार वर्मिन घोषित किया है जिसके परिणामस्वरूप इसकी आबादी में अंततः 33.5% की कमी आई है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के गैर-घातक तरीकों को घातक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी बताया गया है।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक हत्या वास्तविक समस्या को संबोधित नहीं करती है।

मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का मुख्य कारण आवास क्षति और अतिक्रमण है।
- विकास परियोजनाओं, औद्योगीकरण और कृषि विस्तार ने वन क्षेत्र को काफी कम कर दिया है।
- इससे अंततः जंगली जानवर कृषि बस्तियों के निकट आने को विवश हुए जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

आगे की राह

- मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिये किसी जानवर को 'वर्मिन' घोषित करना न तो स्थायी और न ही प्रभावी समाधान है।
- नतीजतन, फसल क्षति की मात्रा पर एक डेटाबेस बनाए रखने और संघर्ष पैटर्न का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने तथा समस्या पैदा करने वाले जानवरों की गणना किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- डेटा के बिना लिये गए अवैज्ञानिक और अचानक निर्णयों से पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैवविविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

जलवायु आपदाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि अपर्याप्त: ऑक्सफैम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को जलवायु संबंधी आपदाओं (सूखा, बाढ़ या वनाग्नि) के दौरान निम्न आय वाले देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होने के लिये 20 वर्ष पहले की तुलना में आठ गुना अधिक जलवायु वित्त की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति (IPCC) की नवीनतम छठी आकलन रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु संबंधी अधिक आपदाएँ आने की संभावना है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित तथा हाशिये पर जीवन-यापन कर रहे समुदायों को होने वाले नुकसान एवं क्षति को और अधिक बढ़ा देंगी।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल:

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन वर्ष 1995 में हुआ था जो स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों का एक समूह है।
- "ऑक्सफैम" नाम ब्रिटेन में वर्ष 1942 में स्थापित 'अकाल राहत के लिये ऑक्सफोर्ड सहायता समिति' (Oxford Committee for Famine Relief) से लिया गया है।
  - इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में भूख से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिये भोजन की आपूर्ति हेतु अभियान चलाया।
- इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिये कार्य क्षमता को बढ़ाना है।
- ऑक्सफैम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी (केन्या) में स्थित है।

निष्कर्ष:

- वर्ष 2000-02 तक संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के रूप 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अपील की थी तथा वर्ष 2019-2021 तक की गई अपील राशि औसतन 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई जो अभूतपूर्व 819% वृद्धि को दर्शाता है।
- धनी देशों द्वारा पिछले पाँच वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई अपील की 54% की पूर्ति की गई है, जिससे इन देशों को 28-33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ है।
- निम्न आय वाले देशों में लोग जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, चाहे वह सूखा, बाढ़ या वनाग्नि कुछ भी हो, क्योंकि ये आपदाएँ गरीबी एवं मौत के आँकड़ों को और अधिक प्रभावित करती हैं।

- भारी वित्तीय बोझ के अलावा जलवायु संकट के कारण होने वाली क्षति में स्वास्थ्य, जैव विविधता एवं स्वदेशी ज्ञान की हानि, लिंग संबंधी मुद्दे तथा अन्य संबंधित कारक शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र को मानवीय सहायता के लिये आवश्यक प्रत्येक 2 अमेरिकी डॉलर की तुलना में अमीर देश केवल 1 अमेरिकी डॉलर ही प्रदान करते हैं।
- यह इस तथ्य के बावजूद है कि पृथ्वी पर 1% सबसे अमीर लोग ही सबसे गरीब लोगों की तुलना में दोगुना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं।
- अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती, केन्या, नाइज़र, सोमालिया, दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे उन दस देशों में शामिल हैं, जिन्हें जलवायु वित्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
- अमीर लोग जलवायु जोखिमों से कम प्रभावित होते हैं और मौसमी आपदाओं से सुरक्षा के मामले सक्षम होते हैं। वे अधिक सुरक्षित स्थानों पर रहते हैं और उनके पास इन सब से बचाव के लिये अधिक संपत्ति होती है। गरीब लोगों के पास कम सुरक्षा होती है, इसलिये उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक नुकसान और क्षति की आर्थिक लागत 290-580 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा तक बढ़ जाएगी।

अनुशंसाएँ:

- जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और उसकी लागत का भुगतान ज़िम्मेदारी के आधार पर होना चाहिये न कि चैरिटी के आधार पर।
- अमीर देशों, अमीर लोगों और बड़े निगमों जिन्हें जलवायु परिवर्तन के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये, को इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये भुगतान करना चहिये।
- अमीर देशों से वित्त के नवीन स्रोतों को आकर्षित करने के लिये एक सुविधा की स्थापना की आवश्यकता है, जिसे वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में पार्टियों के 26वें सम्मेलन (CoP26) में विकसित देशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- CoP27 में सरकारों को नुकसान और क्षतिपूरक वित्त को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के वैश्विक भंडार स्रोत का एक मुख्य तत्त्व बनाने के लिये सहमत होना चाहिये।

जलवायु वित्त:

- परिचय:
  - जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो। यह ऐसे शमन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करता है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
    - न्यूनीकरण के लिये जलवायु वित्त की आवश्यकता है, क्योंकि उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने हेतु बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
    - यह अनुकूलन के लिये भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु महत्त्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत:

- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:
  - 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का आशय आमतौर पर एक स्वीकृत प्रथा है, जिसके अनुसार प्रदूषण उत्पन्न करने वालों को मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु इसे प्रबंधित करने की लागत वहन करनी चाहिये।
  - यह सिद्धांत भूमि, जल और वायु को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के अधिकांश विनियमन को मज़बूती प्रदान करता है जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 1992 के रियो घोषणा के रूप में जाना जाता है।
  - इसे विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिये भी लागू किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं।
- समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताएँ (CBDR–RC):
  - ‘समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व’ (CBDR) ‘जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन’ (UNFCCC) के अंतर्गत एक सिद्धांत है। यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है।
- अतिरिक्त जलवायु वित्त आवश्यक:
  - जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के लिये विकास की ज़रूरतों हेतु धन के विचलन से बचने के लिये मौजूदा प्रतिबद्धताओं के लिये अतिरिक्त जलवायु वित्त होना चाहिये।
  - इसमें सार्वजनिक जलवायु वित्त का उपयोग और निजी क्षेत्र द्वारा निवेश शामिल हैं।

- पर्याप्तता और सावधानी:
  - UNFCCC के तहत घोषित लक्ष्य के रूप में जलवायु परिवर्तन के कारणों को रोकने या कम करने हेतु एहतियाती उपाय करने, वैश्विक तापमान को यथासंभव सीमा के भीतर रखने हेतु पर्याप्त कोष का होना ज़रूरी है।
  - आवश्यक जलवायु निधियों से राष्ट्रीय अनुमानों में पर्याप्तता का एक बेहतर स्तर प्राप्त किया जा सकता है, इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) के संबंध में नियोजित निवेश में मदद मिलेगी।
- पूर्वानुमान:
  - जलवायु वित्त के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये जलवायु वित्त पूर्वानुमान योग्य होना चाहिये।
  - यह कार्य बहु-वर्षीय, मध्यम अवधि के वित्तपोषण चक्र (3-5 वर्ष) के माध्यम से किया जा सकता है।
  - यह देश के राष्ट्रीय अनुकूलन और शमन प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिये पर्याप्त निवेश कार्यक्रम की अनुमति देता है।

अंटार्कटिका की बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक्स

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका में ताजा गिरी हुई बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक (चावल के दाने से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े) पाए गए हैं, जो बर्फ के पिघलने में तेज़ी लाकर जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं।

- पिछले अध्ययनों में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जीवों में विकास, प्रजनन और सामान्य जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ इनका मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- अंटार्कटिका में ताजा गिरी हुई बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक्स की खोज दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्लास्टिक प्रदूषण की सीमा को उजागर करती है।

खोज के निष्कर्ष:

- शोधकर्त्ताओं ने अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ में 19 विभिन्न स्थलों से बर्फ के नमूने एकत्र किये और उन सभी में प्लास्टिक के कणों की खोज की गई।
- 13 अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक पाए गए, जिनमें सबसे आम पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शीतल पेय की बोतलें और कपड़े बनाने के लिये किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक के संभावित स्रोतों की जाँच की गई।
- प्रति लीटर पिघली हुई बर्फ में औसतन 29 माइक्रोप्लास्टिक कण होते हैं, जो कि आसपास के रॉस सागर और अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में पहले बताई गई समुद्री सांद्रता से अधिक मात्रा में पाए गए हैं ।
- माइक्रोप्लास्टिक्स ने वायु के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की हो, हालाँकि यह संभावना है कि अंटार्कटिका में मनुष्यों की उपस्थिति ने माइक्रोप्लास्टिक 'पदचिह्न' स्थापित किया है।

खोज का महत्त्व:

- स्थानीय और व्यापक दोनों प्रभाव:
  - माइक्रोप्लास्टिक में भारी धातु, शैवाल जैसे हानिकारक पदार्थ उनकी सतहों पर चिपक सकते हैं।
  - अर्थात् ये हानिकारक प्रजातियों के लिये मार्ग प्रदान कर सकते हैं अन्यथा दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
  - मनुष्य के अंदर वायु, जल और भोजन के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक जाते है। मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के उच्च स्तर में हानिकारक प्रभाव पैदा करने की क्षमता होती है, जिसमें कोशिकाओ की मृत्यु एवं एलर्जी शामिल हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग और अन्य आपदाओं का कारक:
  - माइक्रोप्लास्टिक भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ा सकता है। दुनिया भर में परमाफ्रास्ट, हिमशिखर और ग्लेशियर पहले से ही तेज़ी से पिघल रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि इन स्थानों पर जमा गहरे रंग के माइक्रोप्लास्टिक सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके तथा स्थानीय ताप वृद्धि कर स्थिति को बदतर बना सकते हैं।
  - स्वच्छ स्नोपैक, परमाफ्रास्ट और ग्लेशियर सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लेकिन अन्य प्रदूषणकारी कण जैसे कि ब्लैक कार्बन, हिमालय के हिमक्षेत्रों और ग्लेशियरों पर पाए गए हैं अत: वैज्ञानिकों का मानना है कि वे बर्फ के पिघलने में तेज़ी लाते हैं।
  - दुनिया भर में पर्वत श्रृंखलाओं पर तेज़ी से पिघलने वाले ग्लेशियर खतरनाक होते जा रहे हैं, जिससे भूस्खलन और हिमस्खलन हो रहा है एवं हिमनद झीलें अपने किनारों को तोड़ रही हैं।

- ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलनेऔर निवर्तन से दुनिया भर के पर्वतीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति और कृषि के लिये भी खतरा पैदा हो गया है।

माइक्रोप्लास्टिक्स :

- परिचय:
  - माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वे कण होते हैं, जिनका व्यास 5 मिमी. से कम होता है।
  - इसमें वे छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया जाता है और माइक्रोफाइबर कपड़ों और अन्य वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक छर्रों और प्लास्टिक फाइबर में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स
  - सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा, अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के खंडन के परिणाम होते हैं जिन्हें पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है साथ ही ये सभी जैव अपघटनीय पदार्थों की श्रेणी मे आते हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक कछुओं और पक्षियों सहित जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाता है। यह पाचन तंत्र को अवरुद्ध करता है, और खाने के व्यवहार को बदल देता है। इसके बाद, यह समुद्री जानवरों में वृद्धि और प्रजनन उत्पादन को कम कर देता है।
- भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:
  - एकल-उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन: वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली शहरी क्षेत्र में तत्काल प्रतिबंध के साथ वर्ष 2022 तक देश में सभी एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया।
  - महत्त्वपूर्ण नियम: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये प्रत्येक स्थानीय निकाय को ज़िम्मेदार होना चाहिये।
  - अन-प्लास्टिक कलेक्टिव (Un-Plastic Collective): अन-प्लास्टिक कलेक्टिव (UPC) यूएनईपी-इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है।
    - यह हमारे ग्रह के पारिस्थितिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने का प्रयास करता है।
  - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):
    - EPR एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के बाद के उत्पादों के उपचार या निपटान करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी वित्तीय और/या भौतिक रूप में दी जाती है।

बायोमास को-फायरिंग

चर्चा में क्यों ?

कृषि अवशेषों से निर्मित बायोमास पटियों (पैलेट) की कमी के चलते ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास की सह-फायरिंग/ को-फायरिंग हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा दिये गए निर्देश के कार्यान्वयन की गति धीमी हुई है।

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने फरवरी 2022 में केंद्रीय बज़ट पेश करते हुए देश के प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र में 5-10% को-फायरिंग अनिवार्य कर दी थी।
- बायोमास पेलट एक लोकप्रिय प्रकार का बायोमास ईंधन है, जो आमतौर पर लकड़ी के अवशेष, कृषि बायोमास, वाणिज्यिक घास और वानिकी अवशेषों से बनाया जाता है।

बायोमास:

- परिचय:
  - बायोमास पौधे या पशु अपशिष्ट है जिसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये ईंधन के रूप में जलाया जाता है। उदाहरण लकड़ी, फसलें और जंगलों, यार्डों या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट।
  - बायोमास हमेशा से देश के लिये महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक ऊर्जा स्रोत रहा है।
- लाभ:
  - यह नवीकरणीय, व्यापक रूप से उपलब्ध, कार्बन-तटस्थ है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रोज़गार प्रदान करने की क्षमता है।
  - यह दृढ़ रूप से ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम है। देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से ही प्राप्त होता है तथा देश की 70% से अधिक आबादी अपनी ऊर्जा आवश्यता हेतु इस पर निर्भर है।
- बायोमास विद्युत और सह उत्पादन कार्यक्रम:
  - परिचय:
    - इस कार्यक्रम को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
    - कार्यक्रम के तहत बायोमास के कुशल उपयोग के लिये चीनी मिलों में खोई आधारित सह उत्पादन और बायोमास विद्युत उत्पादन शुरू किया गया है।
    - विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग की जाने वाली बायोमास सामग्री में चावल की भूसी, पुआल, कपास के डंठल, नारियल के गोले, सोया भूसी, डी-ऑयल केक, कॉफी अपशिष्ट, जूट अपशिष्ट, मूँगफली के छिलके आदि शामिल हैं।

- उद्देश्य:
  - ग्रिड विद्युत उत्पादन हेतु देश के बायोमास संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

बायोमास को-फायरिंग:

- परिचय:
  - बायोमास को-फायरिंग कोयला थर्मल संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है।
  - बायोमास को-फायरिंग द्वारा उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में बायोमास को आंशिक स्थानापन्न ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
    - कोयले को जलाने के लिये डिज़ाइन किये गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्र का आंशिक रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजित किया जाना है।
    - को-फायरिंग एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में बदलने और बिजली संयंत्र के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है।
  - बायोमास को-फायरिंग कोयले को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावी तरीका है।
  - भारत एक ऐसा देश है जहाँ आमतौर पर बायोमास को खेतों में जला दिया जाता है, जो आसानी से उपलब्ध एक बहुत ही सरल समाधान का उपयोग करके स्वच्छ कोयले की समस्या को हल करने के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
- महत्त्व:
  - बायोमास को-फायरिंग फसल अवशेषों को खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है; यह कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी डीकार्बोनाइज करता है।
    - कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास के साथ 5-7% कोयले को प्रतिस्थापित करने से 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हो सकती है।
  - यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जन में कटौती करने में मदद कर सकता है, कुछ हद तक कृषि पराली जलाने की भारत की बढ़ती समस्या का समाधान कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करते हुए कचरे के बोझ को कम कर सकता है।
  - भारत में अधिक बायोमास उपलब्धता के साथ-साथ कोयले से चलने वाली क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है।
- चुनौतियाँ:
  - कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास के साथ 5-7% कोयले को प्रतिस्थापित करने से 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हो सकती है, लेकिन मौजूदा बुनियादी ढाँचा इसे वास्तविकता में बदलने के लिये पर्याप्त मज़बूत नहीं है।
  - को-फायरिंग के लिये प्रतिदिन लगभग 95,000-96,000 टन बायोमास पैलेट की आवश्यकता होती है, लेकिन देश में 228 मिलियन टन अतिरिक्त कृषि अवशेष उपलब्ध होने के बावजूद भारत की पैलेट निर्माण क्षमता वर्तमान में 7,000 टन प्रतिदिन है।
  - यह बड़ा अंतर उपयोगिता को मौसमी उपलब्धता और बायोमास पैलेट की अविश्वसनीय आपूर्ति के कारण है।
  - बायोमास पैलेट को संयंत्र स्थलों पर लंबे समय तक संग्रहीत करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे वायु से नमी को जल्दी अवशोषित करते हैं, जिससे उन्हें को-फायरिंग के लिये बेकार कर दिया जाता है।
  - कोयले के साथ दहन के लिये केवल 14% नमी वाले पैलेट का उपयोग किया जा सकता है।

अन्य संबंधित पहल:

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन
- कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज
- कोल बेनिफिकेशन

आगे की राह

- बिजली संयंत्रों में पैलेट निर्माण और को-फायरिंग के इस व्यवसाय मॉडल में किसानों की आंतरिक भूमिका सुनिश्चित करने के लिये प्लेटफॉर्मों की स्थापना की आवश्यकता है।
- प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बिना को-फायरिंग क्षमता का दोहन करने के लिये उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रौद्योगिकी और नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- मिट्टी और जल संसाधनों की सुरक्षा, जैवविविधता, भूमि आवंटन और कार्यकाल, खाद्य कीमतों सहित जैव ऊर्जा के लिये स्थिरता संकेतकों को नीतिगत उपायों में एकीकृत करने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में ई-ट्रांसमिशन पर अधिस्थगन का विरोध

चर्चा में क्यों ?

भारत जून 2022 से शुरू होने वाले विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (ई-ट्रांसमिशन) पर सीमा शुल्क को लेकर अधिस्थगन का विरोध करेगा क्योंकि इसके प्रावधान केवल विकसित देशों के पक्ष में हैं।

- वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन पर स्थगन को दो वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया था। दिसंबर 2019 में हुई सामान्य परिषद की बैठक में सदस्यों ने मौजूदा प्रावधानों को 12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक बनाए रखने पर सहमति जताई थी।

ई-ट्रांसमिशन पर अधिस्थगन:

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा अधिस्थगन पर सहमत हुए थे और स्थगन की अवधि को समय-समय पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में बढ़ाया जाता रहा है, जो कि 164 सदस्यीय संगठन (WTO) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
    - यह स्थगन फोटोग्राफिक फिल्मों, सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों, प्रिंटेड विषय-वस्तु, संगीत, मीडिया, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसे डिजिटल उत्पादों पर लागू है।
- वर्ष 1998 में दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मंत्रियों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर घोषणा को अपनाया, जिसमें ई-कॉमर्स पर एक कार्यक्रम का आह्वान किया गया था, जिसे कुछ वर्ष पश्चात् अपनाया गया था।
    - चूँकि अधिकांश देशों में ई-कॉमर्स पर मज़बूत नीतियाँ नहीं थीं, जो 1998 में विकसित देशों में भी व्यापार का एक उभरता हुआ क्षेत्र था, उन्होंने इस पर गहन बातचीत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन के सीमा शुल्क पर रोक लगाने के लिये वर्क प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया था।
- विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद ने 1998 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक, वित्तीय और विकास आवश्यकताओं पर विचार करके वैश्विक ई-कॉमर्स से संबंधित सभी व्यापार मुद्दों की व्यापक जाँच करने के लिये ई-कॉमर्स पर वर्क प्रोग्राम की स्थापना की।
    - विश्व व्यापार संगठन वर्क प्रोग्राम ई-कॉमर्स को "इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन, बिक्री या वितरण" के रूप में परिभाषित करता है।

बैठक में भारत की मांग:

- जून 2022 में 12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कई WTO सदस्य 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक स्थगन के अस्थायी विस्तार की मांग पर विचार कर सकते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस बार इसे और जारी रखा जाए।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कई अवसरों पर संगठन से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिये कहा है और विकासशील देशों पर स्थगन के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया है।
- भारत चाहता है कि विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स क्षेत्र पर वर्क प्रोग्राम को तेज़ करे।
- भारत ने यह भी कहा है कि काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज़, काउंसिल फॉर ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू-TRIPS) तथा व्यापार और विकास समिति को मूल रूप से निर्धारित अपने संबंधित जनादेश के अनुसार ई-कॉमर्स पर चर्चा करनी चाहिये।
- भारत का मानना था कि मौजूदा वैश्विक ई-कॉमर्स क्षेत्र की अत्यधिक विषम प्रकृति और संबंधित बहुआयामी मुद्दों के निहितार्थ समझ की कमी को देखते हुए ई-कॉमर्स में नियमों और विषयों पर डब्ल्यूटीओ में औपचारिक बातचीत शुरू होनी चाहिये।

अधिस्थगन से संबंधित मुद्दे:

- भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के आयात में तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, मुख्य रूप से फिल्में, संगीत, वीडियो गेम और मुद्रित सामग्री जैसे-उपकरण, जिनमें से कुछ स्थगन के दायरे में आ सकते हैं।
- विकासशील देशों के लिये अपनी डिजिटल उन्नति हेतु नीतिगत योजनाओं को संरक्षित करने, आयात को विनियमित करने और सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिये अधिस्थगन की अनुमति देना महत्त्वपूर्ण है।
- विकासशील देशों को संभावित टैरिफ राजस्व हानि वार्षिक 10 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

- जबकि डिजिटल अभिकर्त्ताओं का मुनाफा और राजस्व लगातार बढ़ रहा है, इन आयातों की जाँच करने तथा अतिरिक्त टैरिफ राजस्व उत्पन्न करने की सरकारों की क्षमता ई-कॉमर्स पर स्थगन के कारण 'गंभीर रूप से' सीमित हो रही है।
- इसका प्रभाव विनिर्माण में 3डी प्रिंटिंग जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग और अन्य कर्त्तव्यों एवं शुल्कों के नुकसान व औद्योगीकरण पर पड़ेगा।

आगे की राह

- विकासशील देशों को डिजिटल क्षेत्र में विकसित देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिये नीतियों को लागू करने में लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- विकासशील देशों के लिये फिल्मों, संगीत और वीडियो गेम जैसे अपने लक्जरी आयात को विनियमित करना अत्यंत आवश्यक है। अधिस्थगन को हटाने से सरकारों को नीतिगत लाभ मिलेगा।

स्टैगफ्लेशन

चर्चा में क्यों ?

विश्व भर के केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका सहित कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को मंदी को ट्रिगर किये बिना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में स्टैगफ्लेशन की संभावना है।

स्टैगफ्लेशन:

- परिचय:
  - स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति।
    - स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंज़र्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलेओड द्वारा गढ़ा गया था।
  - इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोज़गारी का स्तर लगातार ऊँचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है।
  - यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिये खतरनाक होती है।
    - आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिये उच्च सार्वजनिक खर्च एवं कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं।
    - ये उपाय भी कीमतों को बढ़ाते हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। इसलिये इन उपकरणों को तब नहीं अपनाया जा सकता है जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्तर पर हो, जिससे कम वृद्धि-उच्च मुद्रास्फीति के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

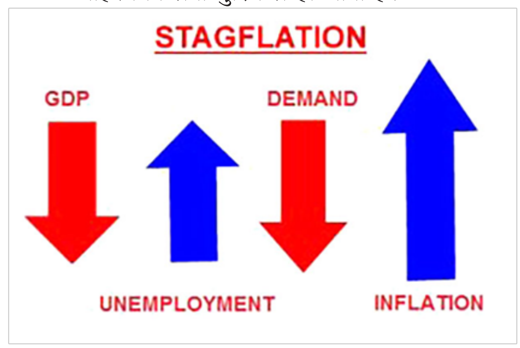

- स्टैगफ्लेशन का मुद्दा:
  - वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत और मध्य में जब ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन), जो कि एक कार्टेल की तरह काम करता है, ने आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया और दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की।
  - एक ओर तेल की कीमतों में वृद्धि ने उन अधिकांश पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादक क्षमता को बाधित कर दिया, जो तेल पर बहुत अधिक निर्भर थीं, इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरी ओर तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही वस्तुएँ अधिक महंगी हो गईं।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 1974 में तेल की कीमतों में लगभग 70% की वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में भी वृद्धि देखी गई।

स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में नवीनतम चिंताएँ:

- कोविड-19 और उसके बाद के वित्तीय एवं मौद्रिक उपाय:
  - कोविड-19 महामारी के प्रकोप और वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लगाए गए प्रतिबंध दुनिया भर में पहली बड़ी आर्थिक मंदी का कारण बने, परिणामस्वरूप अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तरलता में पर्याप्त वृद्धि सहित मंदी को दूर करने के लिये किये गए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फीति में तीव्र उछाल को बढ़ावा दिया है।
- रूस-यूक्रेन की स्थिति और मास्को पर प्रतिबंध:
  - फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड केंद्रीय बैंकों में से हैं जिन्होंने बढ़ती कीमतों को कम करने के लिये ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, रूस द्वारा अपने दक्षिणी पड़ोसी देश पर आक्रमण और मॉस्को पर परिणामी पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने परिस्थितियों को और भी जटिल बना दिया है।

- आपूर्ति कारक:
  - संघर्ष के कारण तेल और गैस से लेकर खाद्यान्न, खाद्य तेल एवं उर्वरक तक सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से अधिकारियों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो अब मांग आधारित नहीं है (इसलिये इसे साख/ ऋण को विनियमित करके नियंत्रित किया जा सकता है) और लगभग पूरी तरह से आपूर्ति कारकों पर निर्भर है जिन्हें प्रबंधित करना कहीं अधिक कठिन है।

आगे की राह :

- क्षतिपूर्ति के लिये एक सतत् और समावेशी नीतिगत समर्थन की लंबे समय तक आवश्यकता हो सकती है।
- विवेकपूर्ण नीतियों के सामान्यीकरण और सार्वजनिक तथा निजी ऋण के अत्यधिक होने सहित दिवाला ढाँचे एवं पुनर्गठन तंत्र को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

एटालिन जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने दिबांग घाटी में प्रस्तावित एटालिन जलविद्युत परियोजना (3,097 मेगावाट) से स्थानीय जैवविविधता के लिये खतरों को चिह्नित किया। इस मुद्दे को उठाने के लिये उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) के तहत वन सलाहकार समिति (FAC) से संपर्क किया। .

- वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने परियोजना की मंजूरी पर विचार करते समय कुछ सुरक्षा उपायों एवं शमन उपायों का संज्ञान लेने का सुझाव दिया है।
- FAC ने वन्यजीवों के साथ-साथ क्षेत्र के स्थानिक वनस्पतियों और जीवों से संबंधित आशंकाओं को समग्र तरीके से दूर करने के लिये एक चार सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया।

दिबांग नदी का महत्त्व:

- यह परियोजना दिबांग नदी पर आधारित है और इसे 7 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है।
  - दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
- इसमें दिबांग की सहायक नदियों: दीर और टैंगोन पर दो बाँधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- यह परियोजना हिमालयी क्षेत्र के सबसे समृद्ध जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- पैलेरक्टिक ज़ोन और इंडो-मलय क्षेत्र के जंक्शन पर स्थित होगी।
- स्थापित क्षमता के मामले में इसके भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है।

पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई प्रमुख चुनौतियाँ:

- संरक्षणवादियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि FAC उप-समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए वन संरक्षण और संबंधित कानूनी मुद्दों के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की।
- FAC ने वन विभाजन के खतरे को नज़रअंदाज किया।
  - वन विभाजन का परिणाम विकास परियोजनाओं के प्राकृतिक वनों के साथ सन्निहित परिदृश्यों में गैर-नियोजित गतिविधियों के रूप में होता है और जैवविविधता हॉटस्पॉट में दुर्लभ पुष्प एवं जीव प्रजातियों के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
- FAC की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी मुख्य विवरणों को उपेक्षित करने का सवाल उठाया गया था, जैसे कि निरीक्षण की गई अल्टीट्यूडिनल रेंज में ग्रिड की संख्या और वहाँ वनस्पति की स्थिति, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संकेत एवं क्षेत्र के पारिस्थितिक मूल्य की समग्र सराहना।
- एटालिन पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की अपर्याप्तता पर भी प्रकाश डाला गया।
  - वन्यजीव अधिकारियों ने टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें क्षेत्र में 25 विश्व स्तर पर लुप्तप्राय स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों के प्रभावित होने का खतरा है।
- बटरफ्लाई और रेप्टाइल पार्कों की स्थापना जैसे प्रस्तावित शमन उपाय अपर्याप्त हैं।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee- FAC):

- FAC 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है।
- FAC 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत कार्य करती है।
- यह समिति गैर-वन उपयोगों जैसे-खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिये वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंज़ूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है

आगे की राह

- समुदाय के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण: क्षेत्र की स्थानीय आबादी से परामर्श किया जाना चाहियेऔर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी होनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम निर्णय लेने से उनकी चिंताओं को प्रतिबिंबित किया जका सके।
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन: जिन क्षेत्रों में जैवविविधता के नुकसान का खतरा है, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये उचित रूप से चित्रित किया जाना चाहिये कि वे अबाधित रहें।
- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए): स्थानीय पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव का व्यापक रूप से एक उचित और पूर्ण मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिये।
- संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार: लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की रक्षा के लिये अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना की जानी चाहिये।

PFMS का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के एकल नोडल एजेंसी (NSA) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

- इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) समारोह के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
- वित्त मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिये 6 से 12 जून 2022 तक 'आइकॉनिक वीक' समारोह मना रहा है।
- इसके अतिरिक्त, मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में व्यय विभाग के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किये गए थे।

मिशन कर्मयोगी:

- भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना।
- कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार।

SNA डैशबोर्ड:

- परिचय:
  - यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिये धन जारी करने, वितरित करने और निगरानी करने के तरीके के संबंध में 2021 में शुरू किया गया एक बड़ा सुधार है।
  - इस संशोधित प्रक्रिया जिसे अब SNA मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है, के लिये प्रत्येक राज्य को प्रत्येक योजना हेतु एक SNA की पहचान करने और उसे नामित करने की आवश्यकता होती है।
  - किसी विशेष योजना में उस राज्य के लिये सभी निधियाँ अब इस बैंक खाते में जमा की जाती हैं, इसमें शामिल अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गए सभी व्यय इस खाते से प्रभावित होते हैं।
- महत्त्व:
  - निधियों का आवंटन:
    - SNA मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि CSS के लिये राज्यों को निधियों का आवंटन समय पर और विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाए।
  - अधिक दक्षता लाना:
    - इस मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन से CSS निधि के उपयोग, निधियों की ट्रैकिंग, व्यावहारिक और राज्यों को निधियों को समय पर जारी करने में अधिक दक्षता प्राप्त हुई है; अंतत: सभी सरकार के उचित नकद प्रबंधन में योगदान दे रहे हैं।
- आवश्यकता:
  - SNA मॉडल के हितधारकों को योजनाओं के संचालन में आवश्यक प्रतिक्रिया और निगरानी उपकरण देने के लिये।
  - डैशबोर्ड में मंत्रालयों द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी की गई विज्ञप्ति, राज्य के कोषागारों द्वारा SNA खातों में जारी की गई आगे की रिलीज, एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किये गए व्यय, बैंकों द्वारा SNA खातों में भुगतान किये गए ब्याज आदि को सुगम, सूचनात्मक व आकर्षक ग्राफिक्स में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

- परिचय:
  - PFMS, जिसे पहले 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम' (CPSMS) के नाम से जाना जाता था, एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है।
  - PFMS को शुरुआत में 2009 के दौरान योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी राशि को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग करना था।

- इसके बाद वर्ष 2013 में योजना और गैर-योजनागत दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को कवर करने के लिये इसका दायरा बढ़ाया गया था।
  - वर्ष 2017 में सरकार ने योजना और गैर-योजना व्यय के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया।
- उद्देश्य:
  - एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिये एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना।
- कवरेज:
  - वर्तमान में PFMS कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के साथ-साथ वित्त आयोग अनुदान सहित अन्य व्यय शामिल हैं।
  - PFMS भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न हितधारकों को एक वास्तविक समय पर, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली व एक प्रभावी निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करता है।
  - PFMS को देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

बैड बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL), भारतीय ऋण समाधान कंपनी (IDRCL) के साथ मिलकर बैंकों के बैड लोन के पहले सेट का समाधान करने का प्रयास करेगी।

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों की बैलेंसशीट की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात वित्त वर्ष 2018 में 11.2% से घटकर वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 6.9% हो गया है।
- IDRCL एक सेवा कंपनी/परिचालन इकाई है जो परिसंपत्ति का प्रबंधन करती है और बाज़ार के पेशेवरों तथा विशेषज्ञों को इसमें शामिल करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होती है और शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होती है।
- सरकार पहले ही NARCL द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों (SR) के लिये 30,600 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी की घोषणा कर चुकी है, जो बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए के गैर-निष्पादित ऋण की खरीदारी करेगी।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA):

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज़ का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये न किया गया हो।
- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा चुकाया नहीं गया है।
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से 'प्रोविज़न अमाउंट' की कटौती के बाद प्राप्त होती है।

बैड बैंक:

- बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA), या बैड लोन खरीदने के लिये स्थापित किया गया है।
- बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंसशीट से बैड लोन को समाप्त कर बोझ को कम करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से उधार देना है।
- बैंक से बैड लोन की खरीद के बाद बैड बैंक NPA को पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।
- बैड बैंक अपने परिचालन में लाभ कमा सकता है यदि वह वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये भुगतान की तुलना में अधिक कीमत पर ऋण का प्रबंधन करता है।
- हालाँकि आमतौर पर एक बैड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसका उद्देश्य बैंकों पर बोझ को कम करना, तनावग्रस्त संपत्तियों का रख-रखाव करना और उन्हें अधिक सक्रिय रूप से उधार देना है।

बैड बैंक के लाभ और हानि:

- लाभ:
  - एकल अनन्य इकाई (Single Exclusive Entity):
    - यह एक ही अनन्य इकाई के तहत बैंकों के सभी बैड लोन को समेकित करने में मदद कर सकता है।
    - बैड बैंक के विचार को अतीत में अमेरिका, जर्मनी, जापान और अन्य देशों में आजमाया गया है।
    - 2008 के वित्तीय संकट के बाद यू.एस. ट्रेज़री द्वारा कार्यान्वित संकटग्रस्त संपत्ति कार्यक्रम, जिसे TRP के रूप में भी जाना जाता है, को एक बैड बैंक के विचार के अंतर्गत तैयार किया गया था।

- मुक्त पूंजी उपयोग की स्वतंत्रता:
  - संकटग्रस्त बैंकों के बही-खाते से डूबे हुए ऋणों को समाप्त कर बैड बैंक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मुक्त पूंजी की मदद कर सकता है, जिन्हें इन फँसे हुए ऋणों के प्रावधानों के रूप में बैंकों द्वारा बंद कर दिया गया है।
  - इससे बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक ऋण देने के लिये मुक्त पूंजी का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी।
- पूंजी बफर में सुधार:
  - यह कार्य बैंक के भंडार को बढ़ाकर नहीं बल्कि बैंकों के पूंजी बफर में सुधार कर बैंक ऋण प्रदान करने में मदद कर सकता है।
  - इस हद तक कि सरकार द्वारा स्थापित एक नया बैड बैंक पूंजी को मुक्त करके बैंकों के पूंजी बफर में सुधार कर सकता है, यह अधिक आत्मविश्वास के साथ फिर से उधार देने में बैंकों की मदद कर सकता है।

- हानि:
  - सरकार की एक ईकाई से दूसरी इकाई में संपत्ति का हस्तांतरण:
    - सरकार द्वारा समर्थित बैड बैंक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जो सरकार के स्वामित्व में हैं, के हाथों से बैड एसेट्स को एक बैड बैंक में स्थानांतरित कर देगा, जिस पर फिर से सरकार का स्वामित्व होगा।
    - यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सरकार की एक ईकाई से दूसरी ईकाई में संपत्ति के हस्तांतरण से इन अशोध्य ऋणों का सफल समाधान हो जाएगा, जब इन संस्थाओं के सामने प्रोत्साहन का सेट अनिवार्य रूप से समान है।
  - स्वामित्व की प्रकृति:
    - निजी बैंकों के विपरीत, जो उन व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं जिनके पास उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिये मज़बूत वित्तीय स्थिति है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, जो अक्सर इन उधारदाताओं की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिये समान प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं।
    - उस हद तक कि एक बैड बैंक के माध्यम से बैंकों को बाहर निकालने से वास्तव में बैड लोन संकट की मूल समस्या का समाधान नहीं होता है।
  - नैतिकता:
    - जिन वाणिज्यिक बैंकों को एक बैड बैंक द्वारा गारंटी दी जाती है, उनके द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की बहुत कम संभावना होती है
    - आखिरकार एक बैड बैंक द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा जाल इन बैंकों को लापरवाही से उधार देने के और अधिक कारण देता है तथा इस प्रकार यह बैड लोन संकट को और बढ़ा देता है।

चुनौतियाँ:

- गतिशील पूंजी:
  - महामारी-ग्रस्त अर्थव्यवस्था में बैड संपत्ति के लिये खरीदारों को ढूँढना एक चुनौती होगी, खासकर जब सरकारें राजकोषीय घाटे के मुद्दे का सामना कर रही हैं।
- अंतर्निहित मुद्दे की अनदेखी:
  - शासनिक सुधारों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कुल NPA में से 86% के लिये ज़िम्मेदार हैं) अतीत की तरह व्यवसाय कर सकते हैं और बैड ऋणों को समाप्त कर सकते हैं।
  - बैड बैंक का विचार सरकारी मद (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से दूसरे (बैड बैंक) को ऋण स्थानांतरित करने जैसा है।
- पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से निपटने का प्रावधान:
  - केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।
  - बैड बैंक की अवधारणा का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बैंकों की बैलेंसशीट को ठीक करने के लिये पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है, इसलिये बैड बैंक की आवश्यकता नहीं है।
- बाज़ार से संबंधित मुद्दे:
  - वाणिज्यिक बैंकों से बैड बैंक में बैड संपत्ति का स्थानांतरण बाज़ार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।

आगे की राह

- जब तक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेगा तब तक उनके व्यवसाय में घाटे की स्थिति बनी रहेगी और उनके द्वारा मितव्ययी (Prudential) मानदंडों के आधार पर उधार दिया जाना जारी रहेगा। इसलिये एक बैड बैंक की स्थापना के बारे में बहस को बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों के उचित कार्यान्वयन से पहले किया जाना चाहिये
- अत: बैड बैंक एक अच्छा विचार है, लेकिन मुख्य चुनौती बैंकिंग प्रणाली में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं से निपटने और उसके अनुसार सुधारों की घोषणा करने में है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि दरें उत्पादन की औसत लागत का कम-से-कम 1.5 गुना होंगी।

- 14 खरीफ फसलों की दरों में 4% से 8% तक की बढ़ोतरी की गई है।

खरीफ सीज़न:

- इस सीज़न में फसलें जून से जुलाई माह तक बोई जाती हैं और कटाई सितंबर-अक्तूबर माह के बीच की जाती है।
- फसलें: इसके तहत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं।
- राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र।

न्यूनतम समर्थन मूल्य:

- परिचय:
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है।
  - 'न्यूनतम समर्थन मूल्य'- किसी भी फसल के लिये वह 'न्यूनतम मूल्य' है, जिसे सरकार किसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से किसानों का 'समर्थन' करती है।
- MSP के तहत फसलें:
  - 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
    - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
  - अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
  - इसके अलावा लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) का निर्धारण क्रमशः सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) के आधार पर किया जाता है।
- MSP की सिफारिश संबंधी कारक:
  - किसी भी फसल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
  - यह फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियों (घरेलू व वैश्विक), उपभोक्ताओं के निहितार्थ (मुद्रास्फीति), पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग) और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर भी विचार करता है।
- तीन प्रकार की उत्पादन लागत:
  - CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिये तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है।
  - 'A2'
    - इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किये गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
  - 'A2+FL'
    - इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है।
  - 'C2'
    - यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्त्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
    - CACP द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतिफल के लिये की जाती है।
    - जबकि 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।
- केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।
- MSP की आवश्यकता:
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कि घटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
  - विमुद्रीकरण (Demonetisation) और 'वस्तु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी, पंगु बना दिया है।

- वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परिदृश्य विकट बना हुआ है।
- डीज़ल, बिजली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया ही है।

भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

- सीमितता: 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण NFSA के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशत: तदर्थ व महत्त्वहीन ही है।
- अप्रभावी रूप से लागू: शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे हैं।
- खरीद मूल्य के रूप में: मौजूदा MSP व्यवस्था का घरेलू बाज़ार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य NFSA की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिससे इसका अस्तित्व न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय एक खरीद मूल्य के रूप में है।
- गेहूँ और धान की प्रमुखता वाली कृषि: चावल और गेहूँ के पक्ष में अधिक झुकी MSP प्रणाली इन फसलों के अति-उत्पादन की ओर ले जाती है तथा किसानों को अन्य फसलों एवं बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करती है, जबकि उनकी मांग अधिक है तथा वे किसानों की आय में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं।
- मध्यस्थ-आश्रित व्यवस्था: MSP-आधारित खरीद प्रणाली मध्यस्थों/बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर निर्भर है, जिसे छोटे किसान अपनी पहुँच के लिये कठिन व जटिल पाते हैं।

आगे की राह

- एक वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये आवश्यक है कि सरकार हमेशा तब हस्तक्षेप करे जब भी बाज़ार की कीमतें पूर्वनिर्धारित स्तर से नीचे गिरती हैं, मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन और अधिक आपूर्ति के मामले में अथवा जब अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कारकों के कारण मूल्य में गिरावट आती है।
- MSP को उन कई फसलों के लिये प्रोत्साहन मूल्य की तरह भी उपयोग किया जा सकता है जो पोषण सुरक्षा के लिये वांछनीय हैं (जैसे मोटे अनाज, दाल एवं खाद्य तेल) और जिनके लिये भारत आयात पर निर्भर है।
- अधिक पोषण गुणवत्ता वाले पशुपालन (मत्स्य पालन सहित) और फलों एवं सब्जियों में अधिक निवेश करना विवेकपूर्ण होगा।
  - निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका निजी क्षेत्र को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर कुशल मूल्य शृंखला के निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना है।
- सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन लाना चाहिये जहाँ कृषि मूल्य निर्धारण आंशिक रूप से राज्य-समर्थित हो और आंशिक रूप से बाज़ार-प्रेरित।
  - ऐसा करने का एक तरीका अंतर भुगतान योजना हो सकती है जैसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'भावांतर भुगतान योजना' (BBY) के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

सस्टेनेबल फैशन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र का सतत् विकास लक्ष्य 12 (संवहनीय खपत और उत्पादन) 'स्लो फैशन' आंदोलन के चलते एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, यह विशेषत: वर्ष 2013 में बांग्लादेश में 'राणा प्लाज़ा त्रासदी' के बाद से अधिक महत्त्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है।

- 24 अप्रैल, 2013 को बांग्लादेश के ढाका में राणा प्लाज़ा की इमारत के ढहने से (जिसमें पाँच कपड़ा कारखाने थे) कम-से-कम 1,132 लोग मारे गए और 2,500 से अधिक घायल हो गए। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं उपभोक्ताओं का ध्यान श्रमिकों की स्थिति और 'सस्टेनेबल फैशन' की ओर दिलाया।

स्लो फैशन:

- स्लो फैशन कपड़ों के उत्पादन के लिये एक दृष्टिकोण है जो आपूर्ति शृंखला के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है और ऐसा करने का उद्देश्य लोगों, पर्यावरण एवं जानवरों का सम्मान करना है।
- इसका मतलब यह भी है कि डिज़ाइन प्रक्रिया पर अधिक समय देना तथा यह सुनिश्चित करना कि परिधान का प्रत्येक भाग गुणवत्तापूर्ण हो।
- फास्ट फैशन खुदरा विक्रेताओं ने मोर इज़ बेटर (More is better) की अवधारणा को जन्म दिया है और इस अवधारणा ने बड़ी मात्रा में खपत को बढ़ावा दिया है। फास्ट फैशन उद्योग गुणवत्ता को कम कर रहा है, सस्ते वस्त्र बनाने के लिये पर्यावरण और श्रमिकों का शोषण कर रहा है जो संधारणीय नहीं हैं।
  - स्लो फैशन इसके ठीक विपरीत है। यह गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर विचारशील, क्यूरेटेड फैशन का संग्रह है।

सस्टेनेबल फैशन का महत्त्व:

- कपड़े वैश्विक विनिर्माण में 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं।
- यह दुनिया भर में मूल्य श्रृंखला के साथ 300 मिलियन लोगों को रोगार प्रदान करता है, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं।
- यह दुनिया के 2-6% ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह प्रतिवर्ष लगभग 215 बिलियन लीटर पानी की खपत करता है।
- कम उपयोग के कारण इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सामग्री की हानि का सामना करना पड़ता है।
- समुद्र में होने वाले प्रदूषण के लगभग 9 प्रतिशत के लिये वस्त्रों के माइक्रोप्लास्टिक्स ज़िम्मेदार हैं।

सस्टेनेबल फैशन पहल:

- वैश्विक स्तर पर:
  - सस्टेनेबल फैशन के लिये संयुक्त राष्ट्र गठबंधन:
    - यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संबद्ध संगठनों की एक पहल है जिसे फैशन क्षेत्र में समन्वित कार्रवाई के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
    - विशेष रूप से गठबंधन फैशन में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच समन्वय का समर्थन करने और परियोजनाओं एवं नीतियों को बढ़ावा देने के लिये काम करता है जो सुनिश्चित करता है कि फैशन मूल्य श्रृंखला सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देती है।
  - सस्टेनेबल गारमेंट और फुटवियर के लिये अभिगम्यता:
    - इस पहल के हिस्से के रूप में UNECE (यूरोप के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग) ने "द सस्टेनेबिलिटी प्लेज" लॉन्च किया है, जिसमें सरकारों, परिधान और जूते निर्माताओं तथा उद्योग के हितधारकों को कार्यवाही हेतु उपायों को लागू करने एवं पर्यावरण और नैतिक साख क्षेत्र में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिये आमंत्रित किया गया है।
    - विश्व कपास दिवस (7 अक्तूबर): यह अल्प विकसित देशों से कपास और कपास से संबंधित उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है, स्थायी व्यापार नीतियों को बढ़ावा देता है तथा विकासशील देशों को कपास मूल्य श्रृंखला के हर चरण से अधिक लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर:
  - प्रोजेक्ट SU.RE: SU.RE का तात्पर्य 'सस्टेनेबल रिज़ॉल्यूशन' (Sustainable Resolution) से है। यह भारतीय परिधान उद्योग द्वारा भारतीय फैशन उद्योग के लिये एक स्थायी मार्ग निर्धारित करने हेतु प्रतिबद्धता है। इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
    - उद्देश्य: भारतीय फैशन उद्योग हेतु स्वच्छ वातावरण के निर्माण में योगदान देना।
  - खादी प्रोत्साहन: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) खादी उत्पादों को बढ़ावा देता है। इसने प्रमुख अग्रणी ब्रांडों- अरविंद मिल्स और रेमंड्स के साथ करार किया है तथा खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये एयर इंडिया के साथ भी काम कर रहा है।
  - बाँस प्रोत्साहन: नीति आयोग के पूर्वोत्तर मंच ने उत्तर-पूर्व के विकास में बाँस की भूमिका पर प्रकाश डाला है। भारत का 60% से अधिक बाँस उत्तर-पूर्व में उगाया जाता है।
  - ब्राउन कॉटन: ब्राउन कॉटन, देसी कॉटन की एक स्थानीय (कर्नाटक के लिये) किस्म है जो अपने प्राकृतिक भूरे रंग के लिये जानी जाती है। यह प्रयास एक बड़ा समावेशी अभ्यास है जिसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय समुदाय भी शामिल हैं।

सस्टेनेबल फैशन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- आर्थिक और वित्तीय बाधाएँ।
- बाधाओं का नया वर्गीकरण: मानवीय धारणाएँ, संसाधन की कमी और कमज़ोर कानून।
- मानक निर्माण प्रक्रिया के लिये पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक विकल्प खोजने से संबंधित मुद्दे।
- तकनीकी लाभ का अभाव।
- पर्यावरण को बचाने के प्रयासों हेतु निवेश में वृद्धि और श्रमिकों की मज़दूरी में वृद्धि के कारण विनिर्माण लागत में वृद्धि।

आगे की राह

- पर्यावरण जागरूकता: दुनिया भर के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिये कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, न कि एक धोखा, इसलिये उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिये।
- सार्वजनिक अभियान: पर्यावरणविदों द्वारा उन कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक अभियान चलाया जाना चाहिये जो पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करती हैं और उनके द्वारा निर्मित किसी भी उत्पाद को खरीदने से बचना चाहिये।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में वृद्धि: दुनिया भर की सरकारों को CSR में वृद्धि करनी चाहिये जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर कंपनियों को भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यह उन्हें स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा।

यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में भारत में IP चुनौतियों को उजागर किया।

- रिपोर्ट में कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत IP के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसने छह अन्य देशों- अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेज़ुएला के साथ भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
- यू.एस. व्यापार कानून ("विशेष 301") के लिये देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण और बाज़ार पहुँच प्रथाओं की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता है।
- व्यापार भागीदार जो वर्तमान में आईपी अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें या तो प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में रखा जाता है।

भारतीय पेटेंट व्यवस्था:

- पेटेंट आविष्कार के लिये दिये गए अधिकारों का एक विशेष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
- भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के तहत पेटेंट दिये जाते हैं यदि आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
  - यह नया होना चाहिये।
  - इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिये या यह स्पष्ट नहीं होना चाहिये।
  - यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिये सक्षम होना चाहिये।
  - इसे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहिये।
- भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लिया है।
- 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते का एक पक्ष बन गया।
  - इसके बाद इसने ट्रिप्स का अनुपालन करने हेतु अपने आंतरिक पेटेंट कानूनों में संशोधन किया गया, विशेष रूप से वर्ष 2005 में जब इसने कानून में फार्मास्युटिकल उत्पाद पेटेंट को शामिल किया गए।
- IPR से संबंधित अन्य कन्वेंशन:
  - भारत कई बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित कन्वेंशन/सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जिसमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट, बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि (PCT) शामिल हैं जो विभिन्न पेटेंट से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम ने दवा उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएँ कम कीमत पर जनता के लिये उपलब्ध हों।
  - यह न्यायविद राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में 1959 के आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
- ट्रिप्स का अनुपालन करने के लिये वर्ष 2005 के संशोधन के बाद फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट संरक्षण को फिर से पेश किया गया था।

USTR द्वारा चिह्नित किये गए भारतीय मुद्दे:

- पेटेंट के मुद्दे "भारत में विशेष रूप से चिंता का विषय बने हुए हैं", पेटेंट निरस्तीकरण के खतरे को उजागर करते हुए पेटेंट वैधता के अनुमान की कमी और संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों को प्रभावित करते हैं।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) के संबंध में संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड का मुद्दा फिर से उठाया गया था, रिपोर्ट में कहा गया था कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट-योग्य विषय वस्तु पर प्रतिबंध की निगरानी करना जारी रखता है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और धारा 3 (डी):

- धारा 3 अधिनियम के तहत आविष्कार के रूप में योग्य नहीं होने से संबंधित है।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 (2005 में संशोधित) की धारा 3 (डी) एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आविष्कारों को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि यह प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न न हो।
  - या किसी ज्ञात पदार्थ से संबंधित किसी नई संपत्ति या नए उपयोग की खोज मात्र,
  - या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के केवल उपयोग के लिये जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक नया उत्पाद न हो,

- या कम से कम एक नए अभिकारक" को पेटेंट कानून के तहत संरक्षण के लिये पात्र होने से रोकता है।,
- धारा 3 (डी) पेटेंट की "एवरग्रीनिंग" के रूप में जानी जाने वाली चीज़ों को रोकती है।
  - यह एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति है, जिसे एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में दी गई पेटेंट की अवधि को विस्तृत करने / बढ़ाने के लिये उपयोग किया जाता है, जिसकी अवधि समाप्त होने वाली है ताकि नए पेटेंट निर्मित कर उनसे रॉयल्टी बरकरार रखी जा सके।
- समिति की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 3 (डी) केवल नवीन और वास्तविक आविष्कारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतिस्पर्द्धा की अनुमति देती है।
- नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) मामले में मौलिक निर्णय ने धारा 3 (डी) की वैधता को बरकरार रखा।

नोवार्टिस बनाम भारत संघ का अर्द्ध-निर्णय:

- इस मामले में दवा कंपनी नोवार्टिस ने कैंसर की दवा ग्लीवेक के अंतिम रूप के लिये पेटेंट दाखिल किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ग्लीवेक एक ज्ञात दवा का केवल बीटा क्रिस्टलीय रूप था, अर्थात्, आई मैटिनिब मेसाइलेट और प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में अधिक भिन्न नहीं था। इसलिये इसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सका।
- फैसले में यह भी कहा गया है कि धारा 3 ट्रिप्स समझौते और दोहा घोषणा का अनुपालन करती है।
  - ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
    - यह घोषणा "विकासशील और सबसे कम विकसित देशों को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता" को पहचानती है और इन समस्याओं के समाधान के लिये ट्रिप्स को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का हिस्सा बनने की आवश्यकता पर बल देती है।
    - घोषणा में कहा गया है कि समझौते की व्याख्या की जा सकती है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार के समर्थन में और विशेष रूप से सभी के लिये दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिये लागू किया जाना चाहिये।
    - इन लचीलेपन में अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार और ऐसे लाइसेंस के आधार शामिल हैं,
    - यह निर्धारित करने का अधिकार कि "राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों सहित अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियाँ क्या हैं" और बौद्धिक संपदा अधिकारों की समाप्ति के लिये अपना स्वयं का शासन स्थापित करने का अधिकार भी शामिल है।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग एक राज्य द्वारा जनहित में लागू किया जा सकता है, पेटेंट मालिक के अलावा कंपनियों को सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की इजाजत देता है।

आगे की राह

- भारत को धारा 3 (डी) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहिये क्योंकि एक संप्रभु देश के रूप में इसकी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप पेटेंट के अनुदान पर सीमाएँ निर्धारित करने की लचीलापन है।
  - यह जेनेरिक दवा निर्माताओं की वृद्धि और जनता की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- भारत को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से वृद्धिशील आविष्कारों की अयोग्यता के संबंध में अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिये।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 'एवरग्रीनिंग' को कम करने वाले आविष्कार और पेटेंट योग्यता की कठोर परिभाषाओं को अपनाकर और लागू करके ट्रिप्स समझौते में उपलब्ध नीतिगत स्थान का पूरा उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पेटेंट केवल तभी प्रदान किये जाते हैं जब वास्तविक नवाचार हुआ हो।
- धारा 3 (डी) के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दायित्वों और सामाजिक-आर्थिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने का प्रयास करता है।

नियोबैंक

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) नियोबैंक बिज़नेस मॉडल पर कड़ी नज़र रख रहा है, जहाँ फिनटेक एक पारंपरिक बैंक के नेटवर्क से संबंधित हो जाते हैं और ग्राहक उन्मुख बैंकिंग सेवा प्रदाता बन जाते हैं।

- चिंता की बात यह है कि डिजिटल मॉडल व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और ग्राहकों के मामले में अंतर्निहित बैंक से बड़ा हो सकता है। यद्यपि नियोबैंक ग्राहक अंतर्निहित बैंक के खाताधारक बने रहते हैं, तो इन उपयोगकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध एकमात्र चैनल फिनटेक के स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

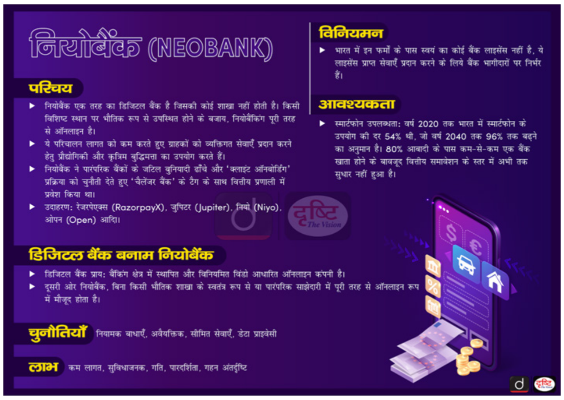

नियोबैंक:

- नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं।
- वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं।
- नियोबैंक ने 'चैलेंजर बैंक' के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढाँचे और 'क्लाइंट ऑनबोर्डिंग' प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
- भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर निर्भर हैं।
    - ऐसा इसलिये है क्योंकि RBI ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है।
    - RBI बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसने डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिये कुछ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी बात की है।
- रेजरपेएक्स, जुपिटर, नियो, ओपन आदि भारत के शीर्ष नियोबैंक के उदाहरण हैं।

नियोबैंक के विभिन्न ऑपरेटिंग मॉडल:

- गैर-लाइसेंस प्राप्त फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) फर्में, पारंपरिक बैंकों के साथ मिलकर एक मोबाइल/वेब प्लेटफॉर्म और अपने सहयोगी बैंकों के उत्पादों के चारों ओर एक आवरण बनाए रखती हैं।
- पारंपरिक बैंक जो डिजिटल पहल कर रहे हैं।
- लाइसेंस प्राप्त नियोबैंक (आमतौर पर उन देशों में डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के साथ जो इसे अनुमति देते हैं)।

पारंपरिक बैंकों और नियोबैंक के बीच अंतर:

- फंडिंग और ग्राहकों का भरोसा: नियोबैंक की तुलना में पारंपरिक बैंकों के कई फायदे हैं, जैसे कि फंडिंग और सबसे महत्त्वपूर्ण ग्राहकों का भरोसा।
    - हालाँकि विरासत प्रणालियाँ उनका महत्त्व कम कर रही हैं और उन्हें तकनीक-प्रेमी पीढ़ी की बढ़ती ज़रूरतों के अनुकूल होना मुश्किल लगता है।
- नवाचार: नियोबैंक के पास पारंपरिक बैंकों को उखाड़ फेंकने के लिये धन या ग्राहक आधार नहीं है, जबकि उनके पास नवाचार है।
    - वे पारंपरिक बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों को अधिक तेज़ी से सेवा देने के लिये सुविधाओं को लॉन्च कर सकते हैं और साझेदारी विकसित कर सकते हैं।
- पारंपरिक बैंकों द्वारा कम सेवा: नियोबैंक खुदरा ग्राहकों, छोटे और मध्यम व्यवसायों कि आवश्यकता को पूरा करता है, आमतौर पर कार्य पारंपरिक बैंकों द्वारा कम किये जाते हैं।
    - वे अभिनव उत्पादों को पेश कर और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करके खुद को अलग करने के लिये मोबाइल-फर्स्ट मॉडल का लाभ उठाते हैं।
- उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेशक: वे ऐसे बैंकों के लिये बाज़ार के अवसरों पर गहरी नजर रख रहे हैं और उनमें अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं।
- स्मार्टफोन का प्रभाव: वर्ष 2020 तक भारत में स्मार्टफोन प्रवेश दर 54% थी, जो वर्ष 2040 तक 96% तक बढ़ने का अनुमान है।
    - भले ही 80% आबादी की कम-से-कम एक बैंक खाते तक पहुँच है, लेकिन वित्तीय समावेशन के स्तर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है।

नियोबैंक के समक्ष चुनौतियाँ:

- बाज़ार के एक खंड की ज़रूरतों को पूरा करना: उनकी सफलता की कुंजी बाज़ार के एक खंड की ज़रूरतों को पूरा करने और सही तकनीक, व्यापार रणनीति और कार्य संस्कृति को अपनाने में निहित है।
- नियामक बाधाएँ: चूँकि RBI ने अभी तक नियोबैंक को मान्यता नहीं दी है, इसलिये आधिकारिक तौर पर ग्राहकों के पास कोई कानूनी सहायता या किसी समस्या के मामले में परिभाषित प्रक्रिया नहीं हो सकती है।
- अवैयक्तिक: चूँकि नियोबैंक्स की भौतिक शाखा नहीं होती है, इसलिये ग्राहकों की व्यक्तिगत सहायता तक पहुँच नहीं होती है।
- सीमित सेवाएँ: नियोबैंक्स आमतौर पर पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम सेवाएँ प्रदान करते हैं।

नियोबैंक के लाभ:

- कम लागत: कम नियम और क्रेडिट जोखिम की अनुपस्थिति नियोबैंक को अपनी लागत कम रखने की अनुमति देते हैं। बिना मासिक रखरखाव शुल्क के उत्पाद आमतौर पर सस्ते होते हैं।
- सुविधा: ये बैंक ग्राहकों को एक एप के माध्यम से अधिकांश (यदि सभी नहीं) बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- गति: नियोबैंक ग्राहकों को त्वरित खाता खोलने और अनुरोधों को तेज़ी से संसाधित करने की अनुमति देता है। वे ऋण की पेशकश करते हैं, ऋण के मूल्यांकन के लिये नवीन रणनीतियों में अधिक समय लेने वाली आवेदन प्रक्रियाओं को सीमित करते हैं।
- पारदर्शिता: नियोबैंक पारदर्शी हैं तथा ग्राहकों पर लगाए गए किसी शुल्क और दंड की रीयल-टाइम सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
- गहरी अंतर्दृष्टि: अधिकांश नियोबैंक अत्यधिक उन्नत इंटरफेस के साथ डैशबोर्ड समाधान प्रदान करते हैं और भुगतान, भुगतान योग्य और प्राप्य, बैंक स्टेटमेंट जैसी सेवाओं को अधिक सुलभ तरीके से प्रदान करते हैं।

डिजिटल बैंक और नियोबैंक में अंतर:

- डिजिटल बैंक और नियोबैंक एक समान बिल्कुल नहीं हैं, भले ही वे प्रथम दृष्टया डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल पर जोर देने पर आधारित प्रतीत होते हैं।
- जबकि कभी-कभी इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, डिजिटल बैंक अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित और विनियमित विंडो आधारित ऑनलाइन कंपनी है, दूसरी ओर एक नियोबैंक, बिना किसी भौतिक शाखा के स्वतंत्र रूप से या पारंपरिक साझेदारी में पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में मौजूद होता है।

आगे की राह

- नियोबैंकिंग वित्तीय समावेशन की चुनौतियों को हल करने और अन्य वित्तीय सेवाओं के साथ बैंकिंग सेवाओं को जोड़ने के लिये किये गए उपायों के विस्तार हेतु कार्य कर सकती है, उदाहरण के लिये अप्रवासियों के लिये बैंक खाते खोलने जैसी सेवाएँ, पहचान के पारंपरिक दस्तावेज़ीकरण पर आधारित नई ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान करना। शुरुआत में छोटे लक्ष्यों के साथ समय पर और अधिक कार्यक्षमताओं एवं सेवाओं को जोड़कर नियोबैंक का विस्तार हो सकता है।
- हालाँकि डिजिटल और नियोबैंक गति पकड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश ने अभी तक निरंतर लाभप्रदता की स्थिति नहीं प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उनके द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करने की काफी संभावनाएँ हैं पारंपरिक बैंकों को और अधिक लाभदायक संस्था में परिवर्तित होने तथा आधुनिक समय की तकनीक में निवेश कर ग्राहकों को सहज और तीव्र ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु पुन: तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

भारतीय राजनीति

एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून और न्याय मंत्रालय से एक उम्मीदवार के एक ही सीट से चुनाव लड़ने संबंधी प्रावधान के लिये कहा है।

- इसने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की थी और कहा कि चुनाव की पहली अधिसूचना के दिन से लेकर उसके सभी चरणों में चुनाव पूरा होने तक ओपिनियन पोल के परिणामों के संचालन और प्रसार पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33 (7) के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
- वर्ष 1996 तक अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति दी गई थी जब दो निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु आरपीए में संशोधन किया गया था।
- वर्ष 1951 के बाद से कई राजनेतिक पार्टियों द्वारा एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिये इस कारक का उपयोग कभी-कभी प्रतिद्वंद्वी के वोट को विभाजित करने हेतु, कभी देश भर में अपनी पार्टी की शक्ति का दावा प्रस्तुत करने के लिये, कभी निर्वाचन क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्र में अपनी पार्टी का प्रभाव स्थापित करने हेतु किया गया। उम्मीदवार की पार्टी और सभी दलों ने धारा 33(7) का दुरुपयोग किया है।

मुद्दा:

- अधिनियम मे विभिन्न धाराओं मे द्वंद:
  - चूँकि कोई भी उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, इसलिये इस प्रणाली का विचार अतार्किक और विडंबनापूर्ण प्रतीत होता है।
  - आरपीए की धारा 33 (7) के पीछे विडंबना यह है कि यह एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहाँ इसे उसी अधिनियम की एक अन्य धारा – विशेष रूप से, धारा 70 से द्वंद की स्थिति पैदा करता है
  - जहाँ 33 (7) उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा / राज्य विधानसभा में दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है।
- उपचुनाव सरकारी वित्तीयन पर अतिरिक्त बोझ:
  - एक निर्वाचन क्षेत्र का त्याग करने के बाद, आम चुनाव के तुरंत बाद एक उपचुनाव स्वत: शुरू हो जाता है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा और वाराणसी दोनों सीटें जीतने के बाद, उन्होंने वडोदरा में अपनी सीट खाली कर दी, जिससे वहाँ उपचुनाव कराना पड़ा।
  - एक उपचुनाव के कारण लाखों करदाताओं के धन को खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आसानी से टाला जा सकता था।
    - वर्ष 1994 से पहले, जब उम्मीदवार तीन सीटों से भी चुनाव लड़ सकते थे, तो वित्तीय बोझ और भी भारी था।
- मतदाता रुचि खो देते हैं:
  - बार-बार चुनाव न केवल अनावश्यक और महंगे हैं, बल्कि इससे मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में रुचि भी कम होगी।
  - निरपवाद रूप से, उप-चुनाव में सबसे अधिक संभावना है कि कुछ दिन पहले के पहले चुनाव की तुलना में कम मतदाता मतदान करेंगे।

दो सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में तर्क:

- एक उम्मीदवार, दो निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली "राजनीति के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिये व्यापक विकल्प" प्रदान करती है।
- इस प्रावधान को खत्म करने से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा है , साथ ही राजनीति में उम्मीदवारों की कमी हो सकती है।

चुनाव आयोग की सिफारिशें :

- चुनाव आयोग ने धारा 33 (7) में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि एक उम्मीदवार को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सके।
  - इसने वर्ष 2004, 2010, 2016 और वर्ष 2018 में ऐसा किया।

- एक ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जिसमें यदि कोई उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत हासिल करता है, तो उसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में बाद के उपचुनाव कराने का वित्तीय भार वहन करना होगा।
  - यह राशि विधानसभा चुनाव के लिये 5 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव के लिये 10 लाख रुपए होगी।

एग्जिट एंड ओपिनियन पोल:

- एक ओपिनियन पोल चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर मतदाताओं के विचारों को इकट्ठा करने के लिये एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है।
- वहीं दूसरी ओर, एक्जिट पोल लोगों द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है और राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के समर्थन का आकलन करता है।

चुनाव आयोग का तर्क:

- दोनों प्रकार के चुनाव विवादास्पद हो सकते हैं यदि उन्हें संचालित करने वाली एजेंसी को पक्षपाती माना जाता है।
- इन सर्वेक्षणों के अनुमान प्रश्नों की पसंद, शब्दों, समय और तैयार किये गए नमूने की प्रकृति से प्रभावित हो सकते हैं।
- राजनीतिक दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि कई राय और एग्जिट पोल उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा प्रेरित और प्रायोजित होती हैं,और एक चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुने गए विकल्पों पर विकृत प्रभाव डाल सकते हैं एवं केवल सार्वजनिक भावना या विचारों को प्रतिबिंबित करने से रोक सकते हैं।

आगे की राह:

- "एक व्यक्ति, एक वोट" वह कहावत है जो भारतीय लोकतंत्र का संस्थापक सिद्धांत रहा है। शायद यह उस सिद्धांत को संशोधित और विस्तारित करने का समय है।

विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून

चर्चा में क्यों ?

देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का उन्माद देख रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।

- बुलडोज़र के माध्यम से त्वरित 'न्याय' सुनिश्चित करने का विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हर्जाना वसूलने के आदेश पारित किये।
  - राज्य सरकार का दावा है कि ये विध्वंस, अवैध अतिक्रमण के जवाब में हैं।
    - हालाँकि तथ्य यह है कि ये मनमाने ढंग से विध्वंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किये जा रहे हैं और इसका उद्देश्य दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सज़ा देना है।

विध्वंस अभियान कैसे समस्याग्रस्त:

- पर्याप्त आवास का अधिकार:
  - आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- ICESCR:
  - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता (ICESCR) का अनुच्छेद 11.1 "पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने एवं अपने परिवार के लिये पर्याप्त जीवन स्तर, रहने की स्थिति में निरंतर सुधार के लिये सभी के अधिकार" को मान्यता देता है।
  - इसके अलावा अनुच्छेद 11.1 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे इन अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये देश "उचित कदम" उठाने के लिये बाध्य हैं।
    - ICESCR के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को राज्यों द्वारा केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कानून द्वारा इन अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल और पूरी तरह से समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।
    - हालाँकि वाचा में दिये गए अधिकारों जैसे पर्याप्त आवास के अधिकार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से इन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है।
    - ICESCR इन्हें विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में मान्यता देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रूपरेखा:
  - यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढाँचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलेखित अधिकार भी है, जो भारत पर बाध्यकारी है।
    - उदाहरण के लिये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद-25 में कहा गया है कि "हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास तथा चिकित्सा शामिल है।
  - इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में मनमाने हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है।

- उदाहरण के लिये UDHR के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि "किसी की भी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा"।
- अनुच्छेद 12 यह भी निर्धारित करता है कि "हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण का अधिकार है"।

- ICCPR:
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकल एवं सामूहिक रूप से संपत्ति का अधिकार है और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।
    - इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में मनमाना हस्तक्षेप करना ICCPR के नियमों का घोर उल्लंघन है।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985, (Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation judgment in 1985):
  - न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिये बिना बेदखल करना असंवैधानिक है।
    - यह उनके आजीविका के अधिकार (Right to Livelihood) का उल्लंघन है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि "कानून की उचित प्रक्रिया" "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का एक अभिन्न अंग है, यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिये।
    - यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृति की है तो इसे प्रक्रिया बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिये तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा।
- नगर निगम, लुधियाना बनाम इंद्रजीत सिंह (2008):
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगरपालिका कानून के तहत नोटिस देने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इस अधिकार का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये।
  - देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राधिकरण बिना नोटिस दिये तथा कब्ज़ा करने वालों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अवैध निर्माणों हेतु भी सीधे विध्वंस कार्य नही् कर सकता है।
- अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980), विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) जैसे मामलों में तथा हाल ही में प्रसिद्ध पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में इस सिद्धांत को निर्धारित किया है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को पढ़ा और उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाएगा।

आगे की राह

- यह उचित समय है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका कार्य करे और कार्यपालिका शक्ति के बेलगाम प्रयोग पर आवश्यक रोक लगाए।
  - न्यायालयों को राष्ट्रवादी-लोकलुभावन विमर्श का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करना चाहिये।
- आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में विध्वंस अभियान का औचित्य पूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।
  - विध्वंस अभियानों का संचालन एक प्रतिशोधी उपाय के रूप में यहाँ तक कि हिंसा को रोकने के लिये घोषित उद्देश्य के साथ तोड़-फोड़ करना कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन है।

दंड परिहार के नए मानदंड

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कैदियों को विशेष छूट देने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

दिशा-निर्देश:

- विशेष परिहार:
  - आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में कैदियों की एक निश्चित श्रेणी को विशेष छूट दी जाएगी। इन कैदियों को तीन चरणों में रिहा किया जाएगा।
- पात्रता:
  - 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएँ और ट्रांसजेंडर कैदी तथा 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष कैदी।

- इन कैदियों को अर्जित सामान्य छूट की अवधि की गणना किये बिना अपनी कुल सज़ा अवधि का 50% पूरा करना होगा।
- 70% या अधिक की विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से अक्षम कैदी जिन्होंने अपनी कुल सज़ा की अवधि का 50% पूरा कर लिया है।
- गंभीर रूप से बीमार सज़ायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी कुल सज़ा का दो-तिहाई (66%) पूरा कर लिया है।
- गरीब या निर्धन कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण वे अभी भी जेल में हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र (18-21) में अपराध किया हो और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक संलिप्तता या मामला नहीं है तथा अपनी सज़ा कीअवधि का 50% पूरा कर लिया है, वे भी पात्र होंगे।

- योजना से बाहर रखे गए कैदी:
  - मौत की सज़ा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति या जहाँ मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है या किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है, जिसके लिये मौत की सज़ा को सज़ा में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  - आजीवन कारावास की सज़ा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति।
  - आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधी या दोषी व्यक्ति- आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985; आतंकवादी रोकथाम अधिनियम, 2002; गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967; विस्फोटक अधिनियम, 1908; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1982; आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और अपहरण विरोधी अधिनियम, 2016।
  - दहेज हत्या, जाली नोंट, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध संबंधी दंड को अधिक कठोर बनाने हेतु बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के अपराध के लिये दोषी व्यक्तियों के मामले में राज्य के खिलाफ (आईपीसी का अध्याय-VI) अपराध और कोई अन्य कानून जिसे राज्य सरकारें या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन बाहर करना उचित समझते हैं, विशेष छूट के लिये योग्य नहीं होंगे।

परिहार:

- परिहार के बारे में:
  - परिहार (Remission) एक बिंदु पर किसी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। परिहार फर्लो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से इस मायने में अलग है कि यह जेल जीवन से विराम के विपरीत सज़ा में कमी है।
  - परिहार में दंड की प्रकृति अछूती रहती है, जबकि अवधि कम हो जाती है, यानी शेष दंड को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - परिहार का प्रभाव यह है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रिहा किया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
  - हालाँकि परिहार छूट की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी को पूरी अवधि करनी होगी जिसके लिये उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी।
- पृष्ठभूमि:
  - परिहार प्रणाली को जेल अधिनियम, 1894 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कुछ समय के लिये लागू नियमों का एक समूह है, जो जेल में कैदियों को उनके व्यवहार का आकलन करने और उसके परिणामस्वरूप सज़ा को कम करने के लिये विनियमित करता है।
  - केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) मामले में यह देखा गया कि न्यायालय किसी कैदी को सज़ा से छूट हेतु विचार किये जाने से इनकार नहीं कर सकता है।
    - न्यायालय द्वारा इनकार किये जाने से कैदी को अपनी आखिरी साँस तक जेल में ही रहना होगा, उसके मुक्त होने की आशा नहीं की जा सकती।
    - यह न केवल सुधार के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, बल्कि यह अपराधी को जीवन के अंत तक प्रकाश की एक झलक के बिना एक अंधेरे वातावरण में धकेल देगा।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह (2007) मामले में भी कहा कि भले ही किसी भी दोषी को परिहार देना उसका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य को अपनी परिहार संबंधी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ध्यान में रखते हुए एवं प्रासंगिक कारकों को देखते हुए विचार करना चाहिये।
    - इसके अलावा न्यायालय का यह भी विचार था कि छूट के लिये विचार किये जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिये।
    - यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आने वाले दोषी के लिये संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है।

    - यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति हेतु किया जा सकता है, जहाँ:
    - सज़ा कोर्ट-मार्शल द्वारा हो, उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध के संदर्भ में है और मौत की सज़ा के सभी मामलों में।
  - अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सज़ा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार दे सकता है, या सज़ा को निलंबित, हटा या कम कर सकता है।
    - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।
- परिहार की सांविधिक शक्ति:
  - दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) जेल की सज़ा में छूट का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द किया जा सकता है।
  - धारा 432 के तहत 'उपयुक्त सरकार' किसी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या उसके बिना निलंबित या माफ कर सकती है।
  - धारा 433 के तहत किसी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है।
  - यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सकें।

शब्दावली:

- क्षमा (Pardon)- इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- लघुकरण (Commutation)- इसका अर्थ है सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे-मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- परिहार (Remission)- सज़ा की अवधि में बदलाव जैसे- 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
- विराम (Respite)- विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
- प्रविलंबन (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया। जैसे- फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।

भारतीय विरासत और संस्कृति

भारत में मार्शल आर्ट के रूप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कश्मीर में एक मौलवी ने थांग-टा, (एक मार्शल लॉ) प्रथा को बचाने के लिये कदम उठाया। थांग टा एक मार्शल आर्ट तकनीक है जो मणिपुर राज्य में अत्यधिक प्रचलित है।

भारत में विभिन्न मार्शल आर्ट रूप

थांग टा - मणिपुर:

- ह्यूएन लैंगलॉन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है।
- मैतेई भाषा में, ह्यूएन का अर्थ युद्ध है जबकि लैंगलॉन या लैंगलोंग का अर्थ जाल, ज्ञान या कला होता है।
- ह्यूएन लैंगलॉन में दो मुख्य घटक होते हैं:
  - थांग-टा (सशस्त्र युद्ध)
  - सरित सरक (निहत्थे युद्ध)
- ह्यूएन लैंगलॉन के प्राथमिक हथियार थांग (तलवार) और टा (भाला) हैं। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल हैं।

लाठी खेला - पश्चिम बंगाल:

- लाठी लड़ने के लिये तथा भारत में मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन लकड़ी का हथियार है।
- पंजाब और बंगाल राज्य में मार्शल आर्ट में लाठी या छड़ी का उपयोग किया जाता है।
- लाठी खेल में अपनी उपयोगिता के लिये विशेष रूप से भारतीय गाँवों में लोकप्रिय है।
- एक अभ्यासी को लाठियाल के रूप में जाना जाता है।

गतका - पंजाब:

- गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है जो सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है।
- यह तलवार और लाठी लड़ने के कौशल और आत्म-नियंत्रण को आत्मसात करता है।
- माना जाता है कि गतका की उत्पत्ति तब हुई थी जब 6वें सिख गुरु हरगोबिंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिये 'कृपाण' को अपनाया था।
- दो या दो से अधिक अभ्यासियों के बीच लड़ाई की एक शैली गतका घातक शास्त्र विद्या का टोंड-डाउन संस्करण है। गतका में शास्त्री विद्या की तेज़ तलवारों की जगह लकड़ी के डंडे (सोती) और ढाल ने ले ली है।
- इसे युद्ध तकनीक माना जाता है।
- 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सभी को आत्मरक्षा के लिये हथियारों का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया था।
- यह पहले गुरुद्वारों, नगर कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह वर्ष 2008 में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया (GFI) के गठन के बाद खेल श्रेणी में शामिल है।
- आज इसका उपयोग आत्मरक्षा और युद्ध कौशल दिखाने के लिये किया जाता है और यह सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिये खुला है।

कलारीपयट्टू - केरल

- कलारीपयट्टू मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है।
- इसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। यह अब केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।
- जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे 'कलारी' कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार के व्यायामशाला को दर्शाता है। कलारी का शाब्दिक अर्थ है 'खलिहान' या 'युद्धक्षेत्र'। कलारी शब्द सबसे पहले तमिल संगम साहित्य में युद्ध के मैदान और युद्ध क्षेत्र दोनों का वर्णन करता है।
- इसे अस्तित्व में सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक माना जाता है।
- इसे आधुनिक कुंग-फू का जनक भी माना जाता है।

मल्लखंब- मध्य प्रदेश

- मल्लखंब एक पारंपरिक खेल है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। इसमें एक जिमनास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर या लटकते लकड़ी के खंभे, बेंत या रस्सी से लटककर योग या जिमनास्टिक आसन और कुश्ती की क्रियाओं का प्रदर्शित करता है।
- मल्लखंब नाम मल्ला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पहलवान और खम्ब, जिसका अर्थ है पोल। शाब्दिक अर्थ "कुश्ती पोल", यह शब्द पहलवानों द्वारा उपयोग किये जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यान्वयन को संदर्भित करता है।
- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के आकर्षण के केंद्र रहे हैं।

सिलंबम - तमिलनाडु:

- सिलंबम (Silambam) एक मार्शल आर्ट है जिसमे हथियारों के उपयोग की अनुमति होती है। यह तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है।
- सिलंबम में हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है।
- सिलंबम कला में सांप, बाघ और चील जैसे जानवरों की गति शामिल है। फुटवर्क्स का उपयोग इन कला रूपों की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है।
- भगवान मुरुगा (भगवान शिव के पुत्र, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है) और ऋषि अगस्त्य द्वारा इस मार्शल आर्ट शैली का निर्माण किया गया।

मुष्टि युद्ध- वाराणसी:

- यह मूल रूप से लड़ने की एक निहत्थे (बिना हथियारों के) लड़ने की तकनीक है।
- मार्शल आर्ट की यह तकनीक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है।
- इस मार्शल आर्ट में हाथ, पैर, घुटने और कोहनी का प्रयोग बहुत प्रमुख है।
- मार्शल आर्ट की यह तकनीकी सिखाती है कि हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल के बिना खुद को कैसे बचाया जाए।
- मार्शल आर्ट की इस तकनीक में पूर्ण शारीरिक और मानसिक समन्वय की आवश्यकता होती है।

काठी सामू - आंध्र प्रदेश:

- काठी सामू (Kathi Samu) आंध्र प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मार्शल आर्ट है।
- मार्शल आर्ट की इस तकनीक में विभिन्न प्रकार की तलवारों का प्रयोग प्रचलित है।
- 'गरदी' उस स्थान को दिया गया नाम है, जहाँ काठी सामू का आयोजन किया जाता है।
- कोठी सामू में, छड़ी की लड़ाई जिसे 'वैरी' के नाम से जाना जाता है, तलवार की लड़ाई के अग्रगामी के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- तलवार कौशल के अन्य आवश्यक घटकों में 'गरेजा' शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति चार तलवारें रखता है (प्रत्येक हाथ में दो)।

स्काय - कश्मीर:

- स्काय एक मार्शल आर्ट है जो कश्मीर से संबंधित है।
- यह एक तरह की तलवारबाजी है।
- सशस्त्र वर्ग द्वारा एक घुमावदार एकधारी तलवार और एक ढाल का उपयोग किया जाता है।
- सशस्त्र वर्ग प्रत्येक हाथ में एक तलवार का उपयोग कर सकता है।
- पैर, घूँसे, ताले और चॉप का प्रयोग निहत्थी तकनीक के दौरान प्रयोग किये जाते हैं।
- स्काय में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। 'सिंगल' और 'डबल' तलवारों के लिये फ्रीहैंड और तलवार दोनों तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

पाइका अखाड़ा- ओडिशा:

- पैका अखाड़ा जिसे पाइका अखाड़ा भी कहा जाता है, "योद्धा विद्वान" हेतु एक ओडिया नाम है।
- इसका उपयोग ओडिशा में एक किसान मिलिशिया प्रशिक्षण स्कूल के रूप में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया गया था।
- इसका उपयोग पारंपरिक शारीरिक व्यायाम को करने के लिये किया जाता है।
- इस प्रदर्शन कला में लयबद्ध हावभाव और ढोल की थाप के साथ तालमेल बिठाने वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वेस्ट नील वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के त्रिशूर में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की वेस्ट नील वायरस (WNV) के कारण मृत्यु हो गई। इससे केरल का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है।

- मलप्पुरम के 6 साल के बच्चे की भी इसी संक्रमण से वर्ष 2019 की शुरुआत में मृत्यु हो गई थी।
- WNV को पहली बार वर्ष 2006 में केरल राज्य के अलाप्पुझा में रिपोर्ट किया गया था। बाद में वर्ष 2011 में इसे एर्नाकुलम केरल में भी रिपोर्ट किया गया था।

वेस्ट नील वायरस:

- परिचय:
  - वेस्ट नील वायरस, वायरस से संबंधित एक फ्लेविवायरस है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा पीत ज्वर पैदा करने के लिये भी ज़िम्मेदार है।
  - यह एक मच्छर जनित, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है।
- वैश्विक प्रसार:
  - सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों के साथ WNV प्रकोप स्थल पाए जाते हैं।
  - अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आमतौर पर यह वायरस पाया जाता है।
  - आमतौर पर अधिकांश देशों में WNV संक्रमण उस अवधि के दौरान चरम पर होता है जब वाहक मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा परिवेश का तापमान वायरस के गुणन के लिये पर्याप्त उच्च होता है।
- भारत में प्रसार:
  - मुंबई में वर्ष 1952 में पहली बार मनुष्यों में WNV के विरुद्ध एंटीबॉडी का पता चला था।
  - तब से दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भारत में वायरस की गतिविधि की सूचना मिलती रहती है।
  - आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में WNV को क्यूलेक्स विष्णुई (Culex vishnui) मच्छरों से अलग किया गया था
  - महाराष्ट्र में इसे क्यूलेक्स क्विंकफेसिएटस मच्छरों से अलग कर दिया गया था।
  - कर्नाटक में इसे मनुष्यों से अलग कर दिया गया है।
  - इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और असम से एकत्र किये गए मानव सीरम में WNV न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मौजूद पाई गई।
  - वेल्लोर और कोलार ज़िलों में क्रमश: 1977, 1978 और 1981 में एवं 2017 में पश्चिम बंगाल में WNV संक्रमण के गंभीर मामले सामने आए।
  - केरल में तीव्र एन्सेफलाइटिस प्रकोप के दौरान WNV के पूर्ण जीनोम अनुक्रम को 2013 में अलग कर दिया गया था।
  - तमिलनाडु में आंखों के संक्रमण के साथ WNV का संबंध 2010 की पहली छमाही में मिस्टीरिअस फीवर की महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था।
- उत्पत्ति:
  - WNV पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल ज़िले में एक महिला में पाया गया था।
  - 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। 1997 से पहले WNV को पक्षियों के लिये रोगजनक नहीं माना जाता था।
  - WNV के कारण मानव संक्रमण कई देशों में 50 से अधिक वर्षों से रिपोर्ट किया जा रहा है।

TRANSMISSION CYCLE OF WEST NILE VIRUS

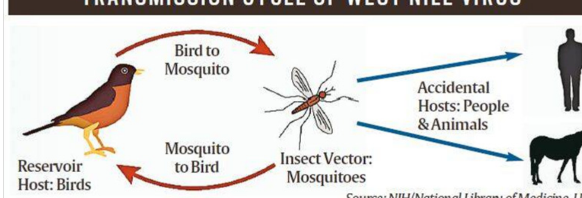

Source: NIH/National Library of Medicine, US

- संक्रमण चक्र:
  - संक्रमण का कारण प्रमुख वाहक मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति है।
  - पक्षी विषाणु के मेज़बान के रूप में कार्य करते हैं।
  - संक्रमित मच्छर पक्षियों सहित इंसानों और जानवरों में WNV को फैलाते हैं।

- जब मच्छर भोजन के लिये संक्रमित पक्षियों को काटता है तो वे संक्रमित हो जाते हैं।
- विषाणु संक्रमित मच्छरों के खून में कुछ दिनों तक रहता है, इसके बाद वह मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश करता है।
- बाद में जब मच्छर काटता है तो वायरस मनुष्यों और जानवरों में प्रवेश कर जाता है।परिणामस्वरूप WNV गुणित रूप में फैल सकता है और बीमारी का कारण बन सकता है।
- WNV संक्रमित माँ से उसके बच्चे में रक्त आधान के माध्यम से या प्रयोगशालाओं में वायरस के संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
- संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के संपर्क से संक्रमण का कोई उदाहरण नहीं पाया गया है।
- यह "पक्षियों सहित संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलता है।
- WNV रोग के लिये रोगोद्भवन अवधि आमतौर पर 2-6 दिन होती है। हालाँकि यह 2-14 दिनों तक हो सकती है, जबकि मज़बूत प्रतिरक्षा वाले लोगों में कई हफ्तों तक देखी जा सकती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अब तक आकस्मिक संपर्क के माध्यम से WNV के मानव-से-मानव संचरण की सूचना नहीं मिली है।

- लक्षण:
  - 80% संक्रमित लोगों में यह रोग स्पर्शोन्मुख है।
  - शेष 20% मामलों में वेस्ट नील फीवर या गंभीर WNV बुखार, सिरदर्द, थकान, मतली, शरीर में दर्द, दाने और सूजन ग्रंथियों जैसे लक्षणों के साथ देखा जाता है।
  - गंभीर संक्रमण से वेस्ट नील इंसेफेलाइटिस या मेनिन्जाइटिस, वेस्ट नाइल पोलियोमाइलाइटिस, एक्यूट फ्लेसीड पैरालिसिस जैसे न्यूरोलॉजिकल रोग भी हो सकते हैं।
  - इसके अलावा WNV से 'गुइलेन-बैरे सिंड्रोम' और रेडिकुलोपैथी की रिपोर्टें संबंधित हैं।
  - WNS वाले 150 में से लगभग 1 व्यक्ति में बीमारी के अधिक गंभीर रूप के विकसित होने की संभावना होती है।
  - गंभीर बीमारी से उबरने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं।
  - तंत्रिका तंत्र की क्षति हमेशा के लिये हो सकती है।
  - सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों और प्रतिरक्षा में कमी वाले व्यक्तियों (जैसे प्रत्यारोपण रोगियों) में यह रोग घातक हो सकता है।
- रोकथाम के उपाय:
  - पक्षियों और घोड़ों में नए मामलों का पता लगाने के लिये एक सक्रिय पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से स्थापित की जानी चाहिये।
  - चूँकि जानवरों में WNV का प्रकोप मनुष्यों से पहले होता है, इसलिये पशु चिकित्सा और मानव सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना आवश्यक है।
  - यूरोपियन सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सुझाव दिया है कि यूरोपीय संघ द्वारा संभावित रक्तदाताओं का 28-दिवसीय रक्त दाता डिफरल या न्यूक्लिक एसिड परीक्षण, जो किसी प्रभावित क्षेत्र में गए हैं या रहते हैं, को लागू किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के दाताओं का डब्ल्यूएनवी संक्रमण परीक्षण किया जाना चाहिये, जो प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं या वहाँ से लौट रहे हैं।
- उपचार:
  - अभी तक WNV के लिये कोई उपचार/वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
  - टोनरोइनवेसिव WNV रोगियों को केवल सहायक उपचार प्रदान किया जा सकता है।

भारत ड्रोन महोत्सव 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव- भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया।

- ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट का वर्चुअल अवार्ड, पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च, 'मेड इन इंडिया' ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, उड़ान प्रदर्शन इस महोत्सव के अन्य प्रमुख कार्यक्रम थे।

ड्रोन:

- ड्रोन मानव रहित विमान (UA) के लिये उपयोग में लाया जाने वाला एक आम शब्द है।
- मूल रूप से सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों के लिये विकसित किये गए ड्रोन ने सुरक्षा एवं दक्षता के बढ़ते स्तर के कारण खुद को मुख्यधारा में स्थापित कर लिया है।
- एक ड्रोन को दूर से संचालित (मानव द्वारा नियंत्रित) किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी गति की गणना करने के लिये सेंसर और LIDAR डिटेक्टरों की प्रणाली पर निर्भर है।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:

- कृषि: ड्रोन की मदद से कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का छिड़काव किया जा सकता है।
  - इसका उपयोग कृषकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान के लिये सर्वेक्षण में भी किया जा सकता है।

- रक्षा: ड्रोन सिस्टम को आतंकवादी हमलों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - ड्रोन को राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है।
  - ड्रोन को युद्ध में तैनात किया जा सकता है, दूरदराज़ के इलाकों में संचार स्थापित करने एवं काउंटर-ड्रोन समाधान के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- हेल्थकेयर डिलीवरी: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने ड्रोन-आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, i-ड्रोन तैयार किया है। तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों को इस ड्रोन तकनीक के उपयोग की मंज़ूरी दूरदराज़ के इलाकों में टीके पहुँचाने के लिये दे दी गई है।
- निगरानी: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई SVAMITVA योजना में ड्रोन तकनीक ने एक वर्ष से भी कम समय में घनी आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करके लगभग आधा मिलियन गाँव के निवासियों को उनके संपत्ति कार्ड प्राप्त करने में मदद की है।
  - ड्रोन का उपयोग परिसंपत्तियों और ट्रांसमिशन लाइनों की वास्तविक समय निगरानी, चोरी की रोकथाम, दृश्य निरीक्षण / रखरखाव, निर्माण योजना और प्रबंधन आदि के लिये किया जा सकता है
  - उनका उपयोग अवैध शिकार रोधी कार्यों, जंगलों और वन्यजीवों की निगरानी, प्रदूषण मूल्यांकन तथा साक्ष्य एकत्र करने के लिये किया जा सकता है।
- कानून प्रवर्तन: ड्रोन कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आग की घटना और आपातकालीन सेवाओं के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ मानव हस्तक्षेप और स्वास्थ्य सेवाएँ सुरक्षित नहीं है।

ड्रोन महोत्सव का महत्त्व:

ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सुशासन और जीवन की सुगमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का एक और माध्यम है।

हमें ड्रोन के रूप में एक स्मार्ट टूल मिला है जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है।

चूँकि रक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, फिल्म और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का अपना अनुप्रयोग है, इसलिये रोज़गार के लिये अपार अवसर पैदा करने वाली एक बड़ी क्रांति की संभावना है।

गाँवों में सड़क, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल तकनीक का आगमन हो रहा है। हालाँकि कृषि कार्य अभी भी पुराने तरीकों से किया जा रहा है, जिससे परेशानी, कम उत्पादकता और अपव्यय हो रहा है।

ड्रोन तकनीक किसानों को सशक्त और उनके जीवन को आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है।

- सरकार उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत में एक मज़बूत ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है।

ड्रोन नियम, 2021:

- वर्ष 2021 में मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने तथा भारत को ड्रोन हब बनाने के उद्देश्य से उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया।
  - इसके तहत कई प्रकार की अनुमतियों और अनुमोदनों को समाप्त कर दिया गया। इसके लिये जिन प्रपत्रों को भरने की आवश्यकता होती है, उनकी संख्या 25 से घटाकर पाँच कर दी गई और शुल्क के प्रकार को 72 से घटाकर 4 कर दिया गया।
  - अब ग्रीन ज़ोन में ड्रोन के संचालन के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सूक्ष्म एवं नैनो ड्रोन के गैर-व्यावसायिक उपयोग हेतु किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
  - इसमें 500 किलोग्राम तक के पेलोड की अनुमति दी गई है ताकि ड्रोन को मानव रहित उड़ान वाली टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
  - इसके अलावा ड्रोन का संचालन करने वाली कंपनियों के विदेशी स्वामित्व की भी अनुमति दी गई है।

ड्रोन के लिये PLI योजना:

- सरकार ने ड्रोन और उसके घटकों के लिये तीन वित्तीय वर्षों में 120 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को भी मंज़ूरी दी।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों से संबंधित उद्योग के लिये PLI योजना इस क्रांतिकारी तकनीक के रणनीतिक, सामरिक और परिचालन उपयोगों को संबोधित करती है।

ड्रोन शक्ति योजना:

- केंद्रीय बजट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में स्टार्टअप और स्किलिंग के माध्यम से ड्रोन को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है।
- विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से और 'ड्रोन-ए-ए-सर्विस' (DrAAS) के लिये 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई संस्थानों में स्किलिंग के लिये कोर्स भी शुरू किये जाएंगे।
  - DrAAS उद्यमों को ड्रोन कंपनियों से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने हेतु अनुमति प्रदान करता है, जिससे उन्हें ड्रोन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, पायलट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती है।

- ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा इनमें फोटोग्राफी, कृषि, खनन, दूरसंचार, बीमा, तेल और गैस, निर्माण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, भू-स्थानिक मानचित्रण, वन व वन्यजीव, रक्षा तथा कानून प्रवर्तन आदि शामिल हैं।
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्त्वों के छिड़काव (किसान ड्रोन) हेतु भी ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में ड्रोन सेवा उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि तथा पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- कुछ महीने पूर्व तक ड्रोन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित थे, हालाँकि अब अधिकांश प्रतिबंध हटा दिये गए हैं।
- इससे प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच के साथ गंतव्य तक वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- भारत सरकार देश को नई ताकत और गति प्रदान करने के लिये लोगों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

मलेरिया से लड़ने के लिये कृत्रिम प्रकाश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि मलेरिया से लड़ने के लिये कृत्रिम प्रकाश को हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- प्रकाश जैविक घडी (Biological Clocks) के नियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे- पक्षियों के बीच प्रजनन का समय, शेरों द्वारा शिकार और मनुष्यों के सोने का पैटर्न।
- पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात का समय अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, इस तरह के नियमित दिन-रात के चक्रों के साथ ग्रह पर जीवन विकसित हुआ है।
- मेलाटोनिन हार्मोन एक जीन है जो नींद और जागने के चक्र को विनियमित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - यह पौधों के साथ-साथ जानवरों में भी पाया जाता है।
- कृत्रिम प्रकाश के बढ़ते उपयोग के कारण प्राकृतिक नींद चक्रों में तेज़ी से परिवर्तन देखा गया है।
- वर्तमान में दुनिया की लगभग 80% आबादी कृत्रिम रूप से प्रकाशित आसमान के नीचे रह रही है।

मलेरिया पर कृत्रिम प्रकाश का प्रभाव:

- कृत्रिम प्रकाश मच्छर जीव विज्ञान में परिवर्तन ला सकता है।
- मलेरिया फैलाने वाली मच्छर प्रजाति "एनाफिलीज़" रात में सक्रिय होती है।
- कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके, मच्छरों को रात में दिन के समान प्रकाश उत्पन्न करके भ्रमित किया जा सकता है।
- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) "एनाफिलीज़" मच्छर द्वारा लंबे समय तक काटने की दर को कम कर देता है।
  - इसलिये यह काटने की दर और मलेरिया के संचरण को कम करता है।

चुनौतियाँ:

- पहली चुनौती है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मलेरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिये कृत्रिम रोशनी का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- नियंत्रित प्रयोगशाला माध्यम में कृत्रिम प्रकाश के प्रभावों का प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन एक प्रभावी वाहक नियंत्रण रणनीति के रूप में इसका उपयोग करना बिल्कुल ही अलग परिणाम प्रदर्शित करती है।
- इसके अलावा एलईडी प्रकाश नींद को बाधित करने जैसे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

मलेरिया:

- परिचय:
  - मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग (Mosquito Borne Blood Disease) है जो प्लाज़्मोडियम परजीवी (Plasmodium Parasites) के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों (Female Anopheles Mosquitoes) के काटने से होता है।
    - मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells- RBC) को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप RBCs की क्षति होती है।
    - ऐसी 5 परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया के संक्रमण के कारक हैं, इनमें से 2 प्रजातियाँ- प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium Falciparum) और प्लाज़्मोडियम विवैक्स (Plasmodium Vivax) हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है।

- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है।
- इस रोग की रोकथाम एवं इलाज़ दोनों संभव हैं।

- मलेरिया का टीका:
  - RTS,S/AS01 जिसे मॉसक्यूरिक्स (Mosquirix) के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद प्राप्त किया गया है जो कि पूर्णत: सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं।
  - इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GlaxoSmithKline-GSK) कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा वर्ष 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (European Medicines Agency) द्वारा अनुमोदित किया गया।
  - RTS,S वैक्सीन मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium P. Falciparum) जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - यद्यपि मलेरिया के कुल मामलों में गिरावट आई है। वर्ष 2000 के प्रति 1,000 जनसंख्या पर लगभग 81.1 मामलों से 59 प्रति 1,000 मामलों तक पहुँचने के बाद भी मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में विश्व अभी पीछे है।
  - वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में मलेरिया के लगभग 240 मिलियन मामले और इसके कारण 6,00,000 मौतें दर्ज की गईं।
  - मलेरिया के सर्वाधिक मामले अफ्रीका में दर्ज किये जाते हैं।
  - वैश्विक मामलों का 94% तथा वैश्विक रूप से इस बीमारी के कारण होने वाली कुल मौतों का 96% अफ्रीका में दर्ज किया गया है। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 80 प्रतिशत मौतें पाँच वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में दर्ज की गई हैं।
- चुनौतियाँ:
  - यद्यपि इसके टीके आशाजनक दिखते हैं लेकिन विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका में मलेरिया-रोधी दवा प्रतिरोध में वृद्धि देखी गई है।
  - परजीवी में आनुवंशिक उत्परिवर्तन उन्हें नियमित निदान से बचने में सक्षम बनाता है।
  - मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो रही है।
- समय की मांग:
  - यह स्थिति वेक्टर/वाहक नियंत्रण विकल्पों को तेज़ करने और नई रणनीतियों की खोज करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

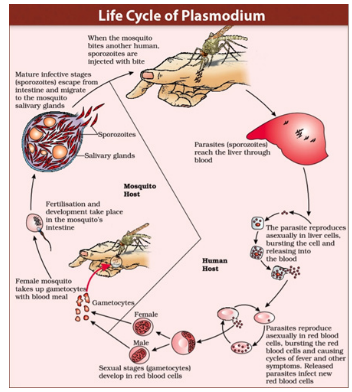

आगे की राह

- कार्यान्वयन रणनीति के बारे में विचार करने से पहले कृत्रिम प्रकाश के उपयोग के प्रभावों को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है।
- इस मुद्दे पर निकाय के बढ़ते कार्य से पता चलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य संबंधित निकायों को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ईवीटीओएल (eVTOL) एयरक्राफ्ट को भारत लाने और उनके लिये मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की संभावना तलाश रही है।

eVTOL एयरक्राफ्ट

- परिचय:
  - एक eVTOL एयरक्राफ्ट वह है, जो बिजली की शक्ति का उपयोग उड़ान भरने, टेक ऑफ और लंबवत रूप से लैंड करने के लिये करता है।
  - अधिकांश eVTOL भी वितरित विद्युत प्रणोदन तकनीक का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है एयरफ्रेम के साथ एक जटिल प्रणोदन प्रणाली को एकीकृत करना।
- विशेषताएँ:
  - इसमें अधिक दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कई मोटर हैं।

- यह वह तकनीक है जो मोटर, बैटरी, सेल ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक प्रौद्योगिकियों में प्रगति के आधार पर विद्युत प्रणोदन की सफलताओं के कारण विकसित हुई है तथा शहरी वायु गतिशीलता (UAM) सुनिश्चित करने वाली नई वाहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता से भी प्रेरित है।
  - इस प्रकार eVTOL एयरोस्पेस उद्योग में नई तकनीकों और विकास में से एक है।
- UAM की अवधारणा को जीवंत करने के लिये अनुमानित 250 eVTOL अवधारणाओं या उससे अधिक का उपयोग किया जा रहा है।
  - इनमें से कुछ में सेंसर, कैमरों और यहाँ तक कि रडार द्वारा समर्थित मल्टी-रोटर, फिक्स्ड-विंग एवं टिल्ट-विंग अवधारणाओं का उपयोग शामिल है। यहाँ मुख्य अवधारणा "स्वायत्त कनेक्टिविटी" है।
  - इनमें से कुछ विभिन्न परीक्षण चरणों में हैं और कुछ अन्य भी परीक्षण उड़ानों से गुज़र रहे हैं ताकि उपयोग के लिये प्रमाणित किया जा सके।
- संक्षेप में eVTOLs की तुलना हवाई क्रांति में तीसरी लहर से की गई है।
  - पहला, व्यावसायिक उड़ान का आगमन और दूसरा, हेलीकॉप्टरों का युग।

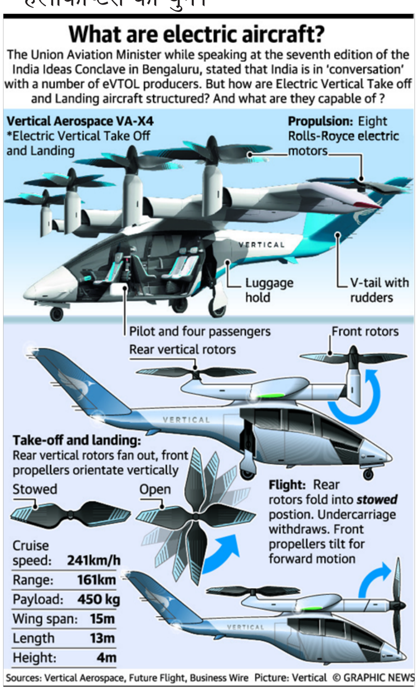

eVTOLs का विकास:

- eVTOLs द्वारा अपनाई जाने वाली बैटरी प्रौद्योगिकी और ऑनबोर्ड विद्युत शक्ति की सीमाओं पर निर्भर करती हैं।
- उड़ान के प्रमुख चरणों जैसे- टेक ऑफ, लैंडिंग और उड़ान (विशेष रूप से उच्च हवा की स्थिति में) के दौरान शक्ति की आवश्यकता होती है।
- वज़न महत्त्वपूर्ण कारक:
  - उदाहरण के लिये BAE सिस्टम्स विभिन्न प्रकार की लिथियम बैटरी का उपयोग करने वाले प्रारूपों का निरीक्षण कर रहा है।
    - BAE सिस्टम्स एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय हथियार, सुरक्षा और एयरोस्पेस कंपनी है जो लंदन, इंग्लैंड में स्थित है।
  - नैनो डायमंड बैटरीज़ के निर्माण में "डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाइक (डीएनवी) तकनीक" को अपनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 'सेल्फ-चार्जिंग बैटरी' के निर्माण हेतु 'लेयर्ड इंडस्ट्रियल डायमंड्स' में कार्बन-14 ' न्यूक्लियर वेस्ट' की न्यूनतम मात्रा का उपयोग किया जाता है।
- विशेषज्ञों द्वारा केवल बैटरियों के उपयोग और उड़ान मिशन के आधार पर हाइड्रोजन सेल एवं बैटरी जैसी हाइब्रिड तकनीकों को देखने पर सवाल उठाया गया है।
- यह गैस से चलने वाले जनरेटर का उपयोग करता है जो एक छोटे विमान के इंजन को शक्ति प्रदान करता है, बदले में बैटरी सिस्टम को चार्ज करता है।
  - लेकिन तकनीक जो भी हो इसके लिये बहुत सख्त जाँच और प्रमाणन की आवश्यकताएँ होंगी।

चुनौतियाँ:

- दुर्घटना निवारण प्रणाली:
  - चूँकि अब तक की तकनीक 'पायलट रहित' और 'पायलट सहित' विमानों का मिश्रण है, इनके फोकस क्षेत्रों में "दुर्घटना निवारण प्रणाली" शामिल है।
  - इनमें कैमरे, रडार, जीपीएस (ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम) और इंफ्रारेड स्कैनर का प्रयोग होता है।
- सुरक्षा सुनिश्चित करना:
  - पावर प्लांट या रोटर की विफलता के मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी हैं। साइबर हमले से विमान की सुरक्षा, फोकस का एक अन्य क्षेत्र है।
- नेविगेशन और उड़ान सुरक्षा:
  - यह तकनीक नेविगेशन और उड़ान सुरक्षा तथा कठिन इलाके, असुरक्षित संचालन वातावरण और खराब मौसम में काम करते समय काम आएगी।

बाज़ार मूल्य:

- वर्ष 2021 में eVTOL का वैश्विक बाज़ार 8.5 मिलियन यूएस डॉलर था जिसके वर्ष 2030 तक 30.8 मिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।

- मांग में यह वृद्धि हरित ऊर्जा और शोर-मुक्त विमान, कार्गो ले जाने की अवधारणा तथा परिवहन के नए साधनों की आवश्यकता के कारण होगी।
- UAM बाज़ार का विस्तार वर्ष 2018-25 के बीच 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से होने की उम्मीद है।
    - वर्ष 2025 तक इस बाज़ार के 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभवना है। इसमें eVTOL बाज़ार भी शामिल है क्योंकि UAM आदर्श रूप से eVTOL के उपयोग पर केंद्रित है।

कैंसर के लिये PD1 थेरेपी

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चिकित्सा परीक्षण में बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता के 12 रोगियों को रेक्टल कैंसर से पूरी तरह से ठीक किया गया है।

- परीक्षण ने विशेष प्रकार के चरण दो या तीन रेक्टल कैंसर के इलाज़ के लिये छह महीने में हर तीन सप्ताह में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोस्टारलिमैब (Dostarlimab)का इस्तेमाल किया।
- यह अध्ययन न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के डॉक्टरों द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परीक्षण से पता चला है कि अकेले इम्यूनोथेरेपी बिना किसी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी के जो कि कैंसर के उपचार के मुख्य आधार रहे हैं, एक विशेष प्रकार के रेक्टल कैंसर के रोगियों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है जिसे 'मिसमैच रिपेयर डेफिसिट' कैंसर कहा जाता है।
    - कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंडोमेट्रियल कैंसर में 'मिसमैच रिपेयर डेफिसिट' कैंसर सबसे आम है। इस स्थिति से पीड़ित मरीज़ों में DNA में टाइपो को ठीक करने के लिये ज़ीन की कमी होती है, जबकि कोशिकाएँ प्रतियाँ बनाती हैं।
    - इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी उपचार प्रणाली है जो कैंसर से लड़ने के लिये किसी व्यक्ति की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। इम्यूनोथेरेपी प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत कर सकती है या बदल सकती है ताकि यह कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उनको समाप्त कर सके।
- इम्यूनोथेरेपी पीडी 1 ब्लॉकेड नामक एक श्रेणी से संबंधित है, जिसे अब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बजाय ऐसे कैंसर के इलाज के लिये अनुशंसित किया जाता है।

PD1 थेरेपी:

- PD1 एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें दबावयुक्त टी कोशिका गतिविधि भी शामिल है और पीडी 1 ब्लॉकेड थेरेपी इस दबाव से टी कोशिकाओं को मुक्त करने के लिये की जाती है।
    - टी-कोशिकाएँ श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBC) हैं। वे सामान्य रोगजनकों या प्रतिजनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- पहले इस थेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी के बाद किया जाता था, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि अब इसके लिये सर्जरी की आवश्यकता नहीं है।
- यद्यपि चिकित्सा का उपयोग आमतौर पर ऐसे कैंसर के लिये किया जाता है जिनका रूप-परिवर्तन (Metastasi) हो चुका है (जहाँ कैंसर उत्पन्न होता है, इसके बाद वह अन्य स्थानों पर फैलता है), परंतु अब यह सभी प्रकार के कैंसर के लिये अनुशंसित है क्योंकि यह पारंपरिक कीमो और रेडियोथेरेपी की तुलना में जल्दी सुधार व कम विषाक्तता परिणाम वाला है।
- अन्य उपचारों को समाप्त करने से प्रजनन क्षमता, यौन स्वास्थ्य और मूत्राशय तथा आंत्र को संरक्षित करके रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

भारत में ऐसे उपचार की उपलब्धता:

- इम्युनोथेरेपी के साथ समस्या यह है कि भारत में यह ज़्यादातर लोगों के लिये महँगी और पहुँच से बाहर है। एक इम्यूनोथेरेपी उपचार में प्रतिमाह लगभग 4 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं एवं रोगियों को छह महीने से एक साल तक उपचार की आवश्यकता होती है। लोग उपचार के लिये अपनी जीवन भर की बचत का उपयोग करते हैं।
- सटीक दवाएँ, जैसे कि विशेष प्रकार के कैंसर के लिये विशेष इम्यूनोथेरेपी दवाओं का उपयोग करना, भारत में अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है।
    - सटीक दवा, रोग उपचार और रोकथाम के लिये एक उभरता हुआ दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति हेतु पर्यावरण और जीवन शैली में व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखता है। यह दृष्टिकोण डॉक्टरों एवं शोधकर्त्ताओं को अधिक सटीक भविष्यवाणी करने की अनुमति देगा कि किसी विशेष बीमारी के लिये कौन सी उपचार और रोकथाम रणनीतियाँ होंगी और वे लोगों के किस समूह पर काम करती हैं।

भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022' का उद्घाटन किया।

- यह देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 निवेशकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं, उद्योग जगत के नेतृत्त्वकर्त्ताओं, निर्माताओं, जैव-इनक्यूबेटरों, नियामकों और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिये एक साझा मंच प्रदान करेगा।
  - एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) द्वारा BIRAC की स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।
  - यह स्वास्थ्य, कृषि, जीनोमिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, बायोफार्मा, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट-से-मूल्य (Waste-to-Wealth) सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करेगा।
- थीम: 'बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन: टुवड्र्स आत्मनिर्भर भारत'।

जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:

- जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिये जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग करती है।
- ब्रूइंग और बेकिंग ब्रेड उन प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं जो जैव प्रौद्योगिकी (वांछित उत्पाद का उत्पादन करने के लिये खमीर (जीवित जीव) का उपयोग) की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं।
  - इस तरह की पारंपरिक प्रक्रियाएँ आमतौर पर जीवित जीवों को उनके प्राकृतिक रूप (या प्रजनन द्वारा विकसित) में उपयोग करती हैं, जबकि जैव प्रौद्योगिकी के अधिक आधुनिक रूप में आमतौर पर जैविक प्रणाली या जीव का अधिक उन्नत संशोधन शामिल होगा।
- जैव प्रौद्योगिकी आनुवंशिक रूप से संशोधित रोगाणुओं, कवक, पौधों और जानवरों का उपयोग करके बायोफार्मास्यूटिकल और जैविक औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन से संबंधित है।
- जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में चिकित्सा विज्ञान, निदान, कृषि के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, प्रसंस्कृत भोजन, जैव उपचार, अपशिष्ट उपचार और ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थिति:

- परिचय:
  - भारत विश्व स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी गंतव्य है।
  - भारत पुन: संयोजक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और बीटी कपास (आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी पौधा कपास) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
    - भारत के बायोटेक क्षेत्र को जैव-चिकित्सा जैव-औद्योगिक, जैव कृषि, जैव सूचना प्रौद्योगिकी और जैव सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है।
  - जैव-सेवाओं के भीतर भारत अनुबंध निर्माण, अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों में एक मज़बूत क्षमता प्रदान करता है तथा अमेरिका के बाहर विश्व स्तर पर अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित अधिकांश संयंत्रों का घर है।
- आँकड़े:
  - भारतीय जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में 62.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो 12.3% की वृद्धि दर को दर्शाती है।
  - भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, जो वर्ष 2019 में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, के वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, यह 16.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।
    - वर्ष 2025 तक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाज़ार में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का योगदान 19% तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - वर्ष 2021 तक भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का वार्षिक राजस्व में लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान था।
- जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता:
  - बहुआयामी डोमेन: जैव प्रौद्योगिकी कृषि, चिकित्सा उद्योग, वैज्ञानिक खोजों आदि में अनुप्रयोगों को शामिल करने वाला एक बहुआयामी डोमेन है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मोटे तौर पर पाँच प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है:
    - जैव-चिकित्सा
    - जैव कृषि
    - जैव सेवाएँ
    - जैव-औद्योगिक अनुप्रयोग
    - जैव सूचना प्रौद्योगिकी
  - जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में वृद्धि: जैव प्रौद्योगिकी में भारत की अग्रणी उपलब्धियों में से एक के रूप में यह बौद्धिक वर्ग को रोज़गार प्रदान करता है और जेनेरिक एवं सस्ती दवाओं के विकास में योगदान देता है।

- वर्तमान में 2,700 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप हैं और वर्ष 2024 तक 10,000 का आँकड़ा छूने की उम्मीद है।

◆ BIRAC की भूमिका: वर्ष 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC), भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- BIRAC इनोवेटर और निवेशक को एक मंच पर लाता है तथा उनके विचारों को वास्तविकता प्रदान करने में उन्हें सक्षम बनाता है एवं तकनीकी प्रगति की सुविधा प्रदान कर मानव की प्रगति को संभव बनाता है।

◆ अन्य कारक:

- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा भारत को अवसर की संभावित भूमि के रूप में देखा जाता है
- इन कारकों में एक विविध आबादी, विविध जलवायु, एक प्रतिभाशाली कार्यबल, कॉर्पोरेट नियमों में ढील देने की पहल और जैव वस्तुओं की बढ़ती मांग शामिल है।

- संबद्ध चुनौतियाँ:

◆ संरचनात्मक मुद्दे: यह देखते हुए कि जैव चिकित्सा क्षेत्र विनिर्माण पूंजी गहन है, पूंजी तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और जटिल तथा निरंतर विकसित होने वाले नियामक ढाँचे के कारण भारत में इस तरह के निवेश आवश्यकता से कम रहा है।

- जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और समाधानों के रूप में अक्सर नैतिक एवं नियामक मंज़ूरी की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया लंबी, महँगी और बोझिल हो जाती है।
- इसके अलावा वैज्ञानिकों के कम पारिश्रमिक (विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में) तथा कुछ संस्थागत अनुसंधान केंद्रों ने जैव प्रौद्योगिकी में अधिक रोज़गार पैदा करने में मदद नहीं की है।

◆ भारी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व: विकसित अर्थव्यवस्थाओं (संयुक्त राज्य अमेरिका) की तुलना में भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान मुख्य रूप से सरकारी खजाने द्वारा वित्तपोषित है।

- जब तक निजी क्षेत्र अनुप्रयुक्त अनुसंधान का समर्थन करना शुरू नहीं करता और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संलग्न नहीं होता, तब तक अनुसंधान एवं अंतरित जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार न्यूनतम रहेगा।

◆ नवाचार की कमी: नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी निर्माण के मामले में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को वर्षों के अनुभव, परिष्कृत उपकरणों के साथ प्रयोगशालाओं तक पहुँच, नवाचार करने के लिये निरंतर और दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।

- हालाँकि भारत ने नवोन्मेष संस्कृति में सुधार के लिये पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।

संबंधित पहल :

- UNATI अटल जय अनुसंधान मिशन कार्यक्रम
- जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेटर
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन
- 'उम्मीद' पहल
- ज़ीनोम इंडिया
- LOTUS-HR प्रोजेक्ट
- बायोटेक-किसान

आगे की राह

- भारत में रोगों के लंबे इतिहास को देखते हुए देश ने उनकी रोकथाम और उपचार के लिये वर्षों का अनुभव एवं वैज्ञानिक ज्ञान संचित किया है। भारत 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
- बायोटेक इन्क्यूबेटरों की संख्या में वृद्धि से अनुसंधान और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो भारतीय बायोटेक उद्योग की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- बायोटेक हब का अनुकूल स्थान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास क्षमता, बाज़ार, उद्योग नीतियों, बुनियादी ढाँचे, निवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगा।

◆ एकीकृत बायोटेक हब स्थापित करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ेगा, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिये भारतीय निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी, आयात प्रतिस्थापन की दिशा में आंतरिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत के लिये अधिक आईपी उत्पन्न करने हेतु नवाचारों का पोषण और समर्थन प्राप्त होगा।

थाईलैंड ने मारिजुआना को किया वैध

चर्चा में क्यों ?

थाइलैंड में अब गाँजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा क्योंकि हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। हालाँकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थों/ड्रग्स से संबंधित सख्त कानूनों के लिये जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।

- वर्ष भर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले थाईलैंड का भाँग/गाँजा/कै85 उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वर्ष 1985 तक कानूनी रूप से बेचा जाता था।
  - 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत उत्पादन, कब्ज़े, बिक्री/खरीद, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात/निर्यात या किसी अन्य रूप से कैनबिस की केंद्रीय स्तर की व्यावसायिक खेती को दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम में तीन बार संशोधन किया गया है- 1988, 2001 और 2014 में।
  - जबकि हल्के यौगिक CBD (Cannabidiol) तेल निर्माण को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त है, जिसे कानूनी रूप से इस्तेमाल और बेचा जा सकता है। कुछ भारतीय वेबसाइट्स इसे बेचती हैं लेकिन इसे खरीदने के लिये चिकित्सीय निर्देश की आवश्यकता होती है।
  - इसी प्रकार आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में उपयोग के लिये भाँग, गाँजा और चरस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में सूचीबद्ध किया गया है।

मारिजुआना वैधीकरण और अपराधीकरण के पहलू:

- वैधीकरण
  - अपराध पर अंकुश:
    - प्राप्त साक्ष्य के अनुसार, नशीले पदार्थों के कानून को सख्ती से लागू करने से नशीले पदार्थों की तस्करी श्रृंखला के सबसे कमज़ोर सदस्यों को निशाना बनाया जाता है।
    - निषेध उत्पादक संघों को मज़बूत करता है, अत: उन्हें लक्षित किया जाना चाहिये क्योंकि बड़े उत्पादक संघ और तस्कर कानून प्रवर्तन तंत्र की पहुँच से लगातार बचते रहते हैं।
    - नशीली दवाओं के उपयोगकर्त्ताओं और फुटकर आपूर्तिकर्त्ताओं (Street-Level Suppliers) से जेल भरना आपराधिक न्याय प्रणाली पर दबाव बढ़ाता है।
  - सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व:
    - भारत में कैनबिस के उपयोग के प्रमाण वैदिक काल से मिलते हैं। अथर्ववेद में 'भाँग' के पौधे को प्रकृति के पाँच पवित्र, संकट से राहत देने वाले पौधों में से एक के रूप में उल्लेख मिलता है। होली के त्योहार के दौरान कैनबिस का सेवन आज भी उत्सव का एक अभिन्न अंग है।
    - औपनिवेशिक भारत में कैनबिस की व्यापक खपत को देखते हुए इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन ने वर्ष 1894 में निर्धारित किया कि इसका उपयोग बहुत प्राचीन है और इसे धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त है, अत: कमीशन ने सीमित मात्रा में इसके सेवन को हानिरहित माना।
    - कमीशन ने इसके सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाने की अनुशंसा की क्योंकि उनका मानना था कि यह उपभोक्ताओं के मध्य अन्य अधिक हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा दे सकता है।
    - वर्ष 1985 में जब NDPS अधिनियम लागू किया गया, उससे पहले कैनबिस के अनेक रूप जैसे- भाँग, चरस और गाँजा को विभिन्न राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त दुकानों द्वारा इसका विक्रय जाता था।
  - शराब की तुलना में कम स्वास्थ्य जोखिम:
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, कैनबिस के उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम शराब और तंबाकू से उत्पन्न होने वाले जोखिम की तुलना में कम गंभीर थे जो कि कानूनी रूप से वैध हैं।
  - व्यापार और आर्थिक संभावनाएँ:
    - कानूनी रूप से वैध मारिजुआना बाज़ार वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है और वर्ष 2021 तक 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
    - कैनबिस से बनने वाला कपड़ा उच्च गुणवत्ता वाला होता है। मारिजुआना एक तकनीकी फाइबर के रूप में भी अत्यधिक उपयुक्त है। भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाले कई स्टार्टअप भी हैं जैसे- मुंबई स्थित 'द बॉम्बे हेम्प कंपनी' (BOHECO)।
- अपराधीकरण:
  - मारिजुआना मनोविकृति का कारण बनता है:
    - मारिजुआना इसके उपयोगकर्त्ताओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। मारिजुआना में उपस्थित टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) मनोविकृति का कारण बनता है।
    - जो लोग इसे किशोरावस्था या छोटी उम्र में उपयोग करते हैं, उनमें बाद में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने की अधिक संभावना होती है। कुछ मामलों में यह लोगों को मिचली, सुस्ती, भूलने की बीमारी, तनावग्रस्त या भ्रमित भी कर सकता है।
  - मारिजुआना का उपयोग दवा के रूप में:
    - कैनबिस का एक नशे की लत के रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। उत्पादकों द्वारा इसके सीबीडी के स्तर में कमी तथा टीएचसी के स्तर में वृद्धि की गई है।

- एक संवेदनशील व्यक्ति जो अधिक खतरनाक पदार्थों का सेवन करता है, उसके द्वारा मारिजुआना का उपयोग दवा के रूप मे किया जाता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि मारिजुआना का उपयोग करने वाले 45% लोगों द्वारा अन्य 'हार्ड' दवाओं का भी उपयोग किया जाता है।
- मारिजुआना अंगों को नुकसान पहुँचाता है:
  - WHO ने मारिजुआना की खपत से जुड़ी कई बीमारियों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें संज्ञानात्मक कामकाज़, श्वसन, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में सूजन आदि शामिल हैं।
- विनियमों को लागू करने मे कठिनाई:
  - यदि मारिजुआना किसी फार्मेसी पर दवाई की पर्ची के साथ उपलब्ध होता है (जैसे अमेरिका) तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इसे मनोरंजक उद्देश्य के लिये नहीं खरीदा गया है। यह कफ-सिरप और इनहेलेंट में स्वतंत्र रूप से सुलभ है तथा लोगो द्वारा नशे के लिये इसका लगातार प्रयोग किया जाता है।

आगे की राह

- इसे प्रतिबंधित करने और अवैध रूप से निर्मित करने से न तो बाज़ार में मारिजुआना (गाँजे) की उपलब्धता एवं न ही लोगों द्वारा इसके उपयोग को रोका जा सका है।
- मारिजुआना के संभावित जोखिम बताते हैं कि इस दवा को कानूनी रूप से विनियमित करना क्यों आवश्यक है। एक अनियंत्रित आपराधिक बाज़ार के हाथों में मारिजुआना के व्यापार को छोड़ने के बजाय इसे दवा के रूप में सक्षम किसानों द्वारा सुरक्षित रूप से उत्पादित तथा उपयुक्त सुविधाओं के साथ परीक्षण किया जाना चाहिये, साथ ही प्रतिष्ठित और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा बेचा जाना चाहिये।
- विनियमन भांग के खरीदारों को यह जानने की अनुमति देता है कि किसका उपभोग कर रहे हैं तथा वे खरीदे गए मारिजुआना में THC स्तर के अनुसार अपने उपभोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
- मारिजुआना की बिक्री पर कर लगाने से राज्य को राजस्व प्राप्त होगा तथा एकत्र किये गए कर का उपयोग लोगों को शराब और तंबाकू पर सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने जैसे- मारिजुआना के ज़ोखिमों के बारे में शिक्षित करने पर खर्च किया जा सकता है।

NSIL को इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों का हस्तांतरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण को मंज़ूरी प्रदान की है।

- GSAT-7 और 7A को छोड़कर पूरी GSAT श्रृंखला NSIL को हस्तांतरित की जाएगी तथा इस तरह डाउनस्ट्रीम सैटकॉम कारोबार विकसित करने की इच्छुक कंपनियों को इसे हस्तांतरित किया जाएगा। नई संचार उपग्रह (CMS) श्रृंखला पहले से ही NSIL द्वारा संचालित है।
- NSIL की अधिकृत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए किये जाने की भी मंज़ूरी प्रदान की गई है।

संभावित लाभ:

- वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना:
  - NSIL को इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण कंपनी को पूंजी गहन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को साकार करने हेतु वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोज़गार की संभावना एवं इस प्रौद्योगिकी स्पिन-ऑफ की पेशकश को बढ़ावा देगा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू गतिविधि को बढ़ावा देना:
  - इस मंज़ूरी से घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत के एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की संभावना है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापार करने में सुविधा:
  - सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में काम करने वाली NSIL अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगी।
    - NSIL बोर्ड को अब उपग्रह संचार क्षेत्र में बाज़ार की गतिशीलता और वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुसार ट्रांसपोंडरों का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होगा।
    - NSIL अपनी आंतरिक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षमता प्रदान करने तथा आवंटित करने के लिये भी अधिकृत है।
    - अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के अंतर्गत NSIL को व्यापक वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह संचालक के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया था।

अंतरिक्ष सुधारों के चार स्तंभ:

- निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना।
- सरकार सक्षमकर्त्ता की भूमिका निभा रही है:
  - भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) का गठन: इसका गठन भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया गया है।
- भविष्य के लिये युवाओं को तैयार करना:
  - हाल ही में एटीएल स्पेस चैलेंज, 2021 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके, जहाँ वे डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने हेतु स्वयं को नवाचार के लिये सक्षम बना सकें।

- अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिये एक संसाधन के रूप में देखना:
  - विकास परियोजनाओं की निगरानी उपग्रह इमेजिंग द्वारा की जा रही है, फसल बीमा योजना और आपदा प्रबंधन योजना के दावों के निपटान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है तथा नाविक प्रणाली मछुआरों की मदद कर रही है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):

- परिचय:
  - NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुई थी।
  - NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है।
  - मुख्यालय: इसका मुख्यालय बंगलूरू में है।
- मिशन:
  - पृथ्वी अवलोकन और संचार अनुप्रयोगों के लिये उपग्रहों का स्वामित्व और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करना।
  - उपग्रहों का निर्माण और मांग के अनुसार उन्हें लॉन्च करना।
  - ग्राहक को संबंधित उपग्रह के लिये प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना।
  - भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण करना और उपग्रहों को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार लॉन्च करना।
  - वाणिज्यिक आधार पर पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ।
  - भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण।
  - भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन की रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना ने अपने अंतिम चरण को पूरा किया, इसके साथ ही चीन के तीन अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के ऑर्बिट मॉड्यूल में प्रवेश कर लिया है।

- इन्हें शेनझोउ-14 अंतरिक्षयान द्वारा निर्धारित कक्षा में भेजा गया।
  - शेनझोउ-1 से 4 अंतरिक्ष उड़ानें, मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान मिशन थीं।
  - शेनझोउ-5 से 14 अंतरिक्ष उड़ानें, मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन हैं।
- अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्षयान है जो चालक दल के सदस्यों की सहायता करने में सक्षम है, जिसे अंतरिक्ष में एक विस्तारित अवधि के लिये और अन्य अंतरिक्षयानों के डॉकिंग के लिये निर्मित किया गया है।

तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन:

- तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया गया है।
  - यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा और देश का पहला दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन है।
- चीन कम-से-कम दस वर्षों के लिये अपने नए तियांगोंग मल्टी-मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने जा रहा है।
- चीन ने वर्ष 2021 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिये "तियानहे" या "हार्मनी ऑफ द हेवन्स" नामक एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसके वर्ष 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
- तियानहे कोर मॉड्यूल तियांगोंग स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च करने वाला पहला मॉड्यूल है।

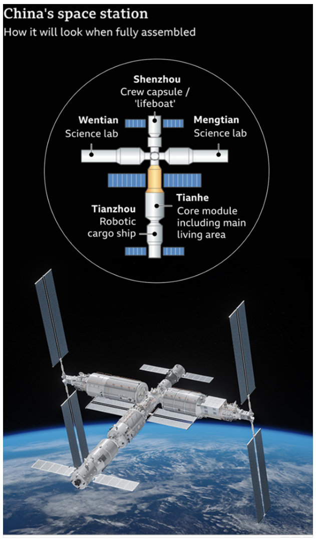

चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम:

- चीनी सरकार ने 1992 में "तीन-चरण" पद्धति का उपयोग करके एक मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।
  - पहला चरण: बुनियादी मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने के लिये मानवयुक्त अंतरिक्षयान लॉन्च करना।

- दूसरा चरण: अनुसंधान एवं विकास में तकनीकी सफलता हासिल करने के लिये स्पेस लैब्स लॉन्च करना और लंबे समय तक मानव-प्रवृत्त उपयोग को सामान्य पैमाने पर समायोजित करना।
- तीसरा चरण: बड़े पैमाने पर लंबे समय तक मानव-प्रवृत्त उपयोग को समायोजित करने के लिये चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना।

- इसका प्रबंधन चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है।

चीन के लिये इस लॉन्च का महत्त्व:

- रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है तथा अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया है।
- चीनी अंतरिक्ष स्टेशन (CSS) भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों के लिये प्रतियोगी होने की उम्मीद है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) कई देशों की एक सहयोगी परियोजना है।
  - ISS इतिहास की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजना है तथा मानव द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित सबसे बड़ी संरचना है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम:

- परिचय:
  - भारत वर्ष 2030 तक अमेरिका, रूस और चीन के सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल होकर अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने योजना बना रहा है।
  - भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station), जिसका भार लगभग 20 टन होगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत हल्का होगा। इसका प्रयोग माइक्रो ग्रेविटी (Microgravity) से संबंधित परीक्षणों में किया जाएगा, न कि अंतरिक्ष यात्रा के लिये।
  - इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री इसमें लगभग 20 दिनों तक रह सकेंगे। यह परियोजना गगनयान मिशन के विस्तार के रूप में होगी।
  - यह अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किमी. की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (Space Docking experiment-Spadex) पर काम कर रहा है।
    - "स्पेस डॉकिंग तकनीक का तात्पर्य अंतरिक्ष में दो अंतरिक्षयानों को जोड़ने की तकनीक से है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्षयान से दूसरे अंतरिक्षयान में भेज पाना संभव होता है। अत: स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।"
- महत्त्व:
  - अंतरिक्ष स्टेशन सार्थक वैज्ञानिक डेटा (विशेष रूप से जैविक प्रयोगों के लिये) एकत्र करने के लिये आवश्यक है।
  - अन्य अंतरिक्ष वाहनों पर उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों की तुलना में अधिक संख्या और लंबे समय तक वैज्ञानिक अध्ययन हेतु मंच प्रदान करने के लिये (जैसे कि गगनयान मनुष्यों और प्रयोगों को माइक्रोग्रैविटी में कुछ दिनों के लिये ही ले जाएगा)।
  - अंतरिक्ष स्टेशनों का उपयोग लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के मानव शरीर पर प्रभावों का अध्ययन करने के लिये किया जाता है।

संवाद अनुप्रयोगों के लिये भाषा मॉडल

चर्चा में क्यों?

गूगल के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने दावा किया कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन (LaMDA) "भावुक" हो गया था।

LaMDA:

- परिचय:
  - गूगल ने सबसे पहले वर्ष 2021 में अपने प्रमुख डेवलपर सम्मेलन (इनपुट/आउटपुट 2022) में संवाद अनुप्रयोगों के लिये जनरेटिव भाषा मॉडल के रूप में LaMDA की घोषणा की थी जो यह आश्वस्त कर सकता है कि एप्लीकेशन किसी भी विषय पर बातचीत करने में सक्षम होगा।
  - LaMDA विषयों की एक अंतहीन संख्या के बारे में एक मुक्त-प्रवाह तरीके से संलग्न हो सकता है, यह एक ऐसी क्षमता है जो प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के अधिक प्राकृतिक तरीकों और सहायक अनुप्रयोगों की पूरी तरह से नई श्रेणियों को अनलॉक कर सकती है।
  - LaMDA उपयोगकर्त्ता के इनपुट के आधार पर चर्चा कर सकता है, इसके भाषा प्रसंस्करण मॉडल को पूरी तरह से बड़ी मात्रा में संवाद द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
- LaMDA 2.O:
  - I/O 2022 में गूगल ने LaMDA 2.0 की घोषणा की जो इन क्षमताओं का और निर्माण करेगा।

- नया मॉडल संभवत: एक विचारयुक्त, कल्पनाशील और प्रासंगिक विवरण उत्पन्न करेगा, यह एक विशेष विषय पर बना रह सकता है, भले ही कोई उपयोगकर्त्ता विषय से हट जाए , उन चीजों की एक सूची भी उपलब्ध करा सकता है जो एक निर्दिष्ट गतिविधि के लियेआवश्यक हैं।

अन्य भाषा-आधारित AI उपकरण क्या करने में सक्षम है ?

- जेनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफार्मर-3 (GPT-3):
  - स्वत: प्रतिगामी भाषा मॉडल जो मानव की तरह सीखने के लिये गहन शिक्षण का उपयोग करता है।
  - वर्ष 2020 में एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह पूरी तरह से एक AI टेक्स्ट जनरेटर द्वारा लिखा गया था जिसे जनरेटिव प्री- ट्रेंड ट्रांसफॉर्र- 3 (GPT-3) के रूप में जाना जाता है।

चैटबॉट:

- परिचय:
  - चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक रूप है जिसका उपयोग मैसेजिंग एप में किया जाता है।
  - यह टूल ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने मदद करता है, ये स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं और इसमें संलग्न होने के लिये बहुत कम या कुछ भी खर्च नहीं करना होता है।
    - फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा या अमेज़ॅन के एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में उपयोग किये जाने वाले चैटबॉट प्रमुख उदाहरण हैं।
  - चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं- मशीन लर्निंग के माध्यम से या निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ।
  - हालाँकि AI तकनीक में प्रगति के कारण निर्धारित दिशा-निर्देशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक पदचिह्न बन रहे हैं।
- प्रकार:
  - निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ चैटबॉट:
    - यह केवल अनुरोधों और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है।
    - सीमित बॉट का एक उदाहरण स्वचालित बैंकिंग बॉट है जो कॉल करने वाले से यह समझने के लिये कुछ प्रश्न पूछता है कि कॉलर क्या करना चाहता है।
  - मशीन लर्निंग चैटबॉट:
    - चैटबॉट जो मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करता है, उसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड्स से प्रेरित होता है।
    - बॉट को स्वत:-सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है।
    - वास्तव में जैसे ही चैटबॉट को नई आवाज़ या टेक्स्ट संवाद प्राप्त होते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह उत्तर दे सकता है, की सटीकता बढ़ जाती है।
    - मेटा (जैसा कि अब फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है) में एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनियों को मैसेंजर एप के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - लाभ:
    - चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे समर्थन करने के लिये सुविधाजनक हैं।
    - वे फोन लाइनों को भी मुफ्त करते हैं तथा लंबे समय में समर्थन करने के लिये लोगों को काम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं।
    - AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर हो रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं तथा उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
    - कंपनियाँ भी चैटबॉट को पसंद करती हैं क्योंकि वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्र कर सकती हैं।
  - हानि:
    - यहाँ तक कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ वे ग्राहक के इनपुट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और असंगत उत्तर प्रदान कर सकते हैं।
    - कई चैटबॉट्स उन प्रश्नों के दायरे में भी सीमित हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम हैं।
    - चैटबॉट लागू करने और बनाए रखने के मामले में महंगे हो सकते हैं, खासकर उन्हें अनुकूलित एवं लगातार अपडेट करना होता है।
    - AI में भावनाओं का समावेशन अभी चुनौतीपूर्ण है, हालाँकि AI द्वारा अनैतिक और हेट स्पीच के खतरे बने हुए हैं।

शासन व्यवस्था

जाति आधारित जनगणना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी जातियों और समुदायों (SECC) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करेगी।

जनगणना और SECC के बीच अंतर:

- जनगणना:
  - भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई।
  - जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आँकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुँचने, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आँकड़े आदि का उपयोग करने के लिये किया जाता है।
  - हालाँकि 1940 के दशक की शुरुआत में वर्ष 1941 की जनगणना के लिये भारत के जनगणना आयुक्त 'डब्ल्यू. डब्ल्यू. एम. यीट्स' ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी, बेहद मज़बूत अवधारणा है लेकिन विशेष जाँच के लिये यह एक अनुपयुक्त साधन है।
- सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC):
  - वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था।
  - SECC का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पता करना है:
    - आर्थिक स्थिति पता करना ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी और संचयी संकेतकों की एक श्रृंखला प्राप्त करने तथा उन्हें इसमें शामिल करने की अनुमति दी जा सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सकता है।
    - इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना है, जिससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी हो कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में थे और कौन बेहतर थे।
  - SECC में व्यापक स्तर पर 'असमानताओं के मानचित्रण' की जानकारी देने की क्षमता है।
- जनगणना और SECC के बीच अंतर:
  - जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि SECC राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय/साधन है।
  - चूँकि जनगणना, वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, इसलिये सभी आँकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC की वेबसाइट के अनुसार, "SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुँचाने और/या प्रतिबंधित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

जाति आधारित जनगणना आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क:

- पक्ष में तर्क:
  - सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहायक:
    - भारत के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते हैं और जाति जनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी।
    - डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूह के लिये कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है।
    - मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 5% है, जबकि कुछ अन्य ने ओबीसी आबादी के 36 से 65% तक होने का अनुमान लगाया।
    - जाति आधारित जनगणना के माध्यम से 'OBC आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा OBC की आर्थिक स्थिति (घर के प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय) के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकीय जानकारी (लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा), शैक्षिक डेटा (पुरुष और महिला साक्षरता, स्कूल जाने वाली आबादी का अनुपात, संख्या) प्राप्त होगा।
  - आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता उपाय:
    - जाति-आधारित जनगणना आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता का उपाय लाने में लंबा रास्ता तय कर सकती है।

- OBC के लिये 27% कोटा के समान पुनर्वितरण की जाँच के लिये गठित रोहिणी आयोग के अनुसार, ओबीसी आरक्षण के तहत लगभग 2,633 जातियाँ शामिल हैं।
- हालाँकि 1992 से केंद्र की आरक्षण नीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि OBC के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों की एक अलग श्रेणी मौजूद है, जो अभी भी हाशिये पर हैं।

- विपक्ष में तर्क:
  - जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव: जाति में एक भावनात्मक तत्त्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
    - ऐसी आशंकाएँ प्रकट होती रही हैं कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मिल सकती है।
    - इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 के लगभग एक दशक बाद भी इसके आँकड़े के बड़े अंश अप्रकाशित रहे हैं या ये केवल अंशों में ही जारी किये गए हैं।
  - जाति संदर्भ-विशिष्ट होती है: जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का छद्म रूप नहीं रही; यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है जो प्राय: वर्ग के भी पार चला जाता है। उदाहरण के लिये:
    - दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो।
    - ज़मींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किये जाने की संभावना भी कम होती है।
    - एक पढ़े-लिखे, संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है।

आगे की राह

- एक जाति जनगणना जातिविहीन समाज के लक्ष्य के लिये भले ही अनुकूल न हो लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है।
- जाति के आँकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किसे है और किसे नहीं, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि लाएगा।
  - निष्पक्ष डेटा और उसके बाद के शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं तथा यह उन दोनों पक्षों के लोगों के लिये सही सूचना के स्रोत हो सकते हैं जो आरक्षण के पक्ष या उसके विपक्ष में हैं।
  - आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है।

बंदूक नियंत्रण कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 11 दिनों की अवधि के दौरान सामूहिक गोलीबारी की दो घटनाएँ हुईं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों सहित 30 से अधिक लोग मारे गए।

- अमेरिका में वर्ष 2020 में कुल 24,576 हत्याएँ दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 79%,(19,384) मौतें गोलीबारी की वजह से हुई हैं।
- अमेरिका में शस्त्रों का विनियमन संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य विद्यमान साझा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है।
- अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले माना था कि अमेरिकी संविधान का दूसरा संशोधन आत्मरक्षा के लिये "हथियार रखने और धारण करने" के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि संघीय न्यायालयों ने संभावित उल्लंघन के संदर्भ में तर्क दिया है कि संघीय, राज्य और स्थानीय नियम इस अधिकार को बाधित करते हैं।

भारत में शस्त्र नियंत्रण कानून:

- शस्त्र अधिनियम, 1959:
  - परिचय: इसका उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्ज़े, निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करना है।
  - भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अहर्ताएँ:
    - भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
    - आवेदन करने से पाँच वर्ष पूर्व आवेदक को हिंसा या नैतिकता से जुड़े किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो, 'विकृत दिमाग' का न हो, न ही सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिये खतरा हो।
    - संपत्ति योग्यता बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एक मानदंड नहीं है।
    - एक आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण (अर्थात, गृह मंत्रालय), निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से जाँच के बाद आवेदक के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहता है।
  - अधिनियम की अन्य विशेषताएँ:
    - यह 'निषिद्ध हथियार' को उन हथियारों के रूप में परिभाषित करता है जो या तो कोई भी हानिकारक तरल या गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिये ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है

- यह फसल सुरक्षा या खेल के लिये कम-से-कम 20 इंच के बैरल के साथ चिकनी बोर गन के उपयोग की अनुमति देता है।
- किसी भी संस्था को ऐसी बंदूक को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई अन्य दृश्यमान मुहर या पहचान चिह्न नहीं लगी हो।

- आयुध अधिनियम में संशोधन:
  - वर्ष 2019 में संशोधित शस्त्र अधिनियम एक व्यक्ति द्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर सकता है।
  - लाइसेंस की वैधता को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
  - यह सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिये विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है।
  - सज़ा: बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्ज़े या ले जाने के अपराध के लिये जुर्माने के साथ-साथ कारावास की सज़ा को 7 से 14 वर्ष के बीच बढ़ा दिया गया है।
    - यह बिना लाइसेंस के बंदूकों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर रोक लगाता है।
    - गैरकानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिये कम-से-कम सात साल की कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी।

आगे की राह

- एक तरीका यह है कि सख्त बंदूक नियंत्रण लागू किया जाए और सख्त रूप से प्रतिबंधित किया जाए कि कौन हथियार खरीद सकता है या उसका मालिक कौन है। इस संबंध में अमेरिकी कानून बहुत लचीले और उदार हैं।
- भारत को भी बंदूको के अधिग्रहण और कब्ज़े से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें सख्त करने की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया शिकायत के लिये अपीलीय समितियों का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिये 'शिकायत अपीलीय समितियों' के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।

शिकायत अपीलीय समितियाँ:

- परिचय:
  - आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक 'शिकायत अपीलीय समितियों' का गठन किया जाएगा।
  - अपीलीय समितियाँ सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करेंगी।
  - इस समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- कार्य:
  - सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत अपील समिति में अपील कर सकता है।
  - शिकायत अपील समिति ऐसी अपील पर तेज़ी से कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी।
  - शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

शिकायत अपीलीय समितियों की आवश्यकता:

- वर्ष 2021 में 'कंटेंट मॉडरेशन एंड टेकडाउन' को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच कई गतिरोध उत्पन्न हुए।
  - सरकारी आदेशों के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में संदेश पोस्ट करने वाले समाचार वेबसाइटों, अभिनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्लॉगर्स के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया।
- जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, सरकारी नीतियों से संबंधित नए मुद्दे भी सामने आते रहते हैं। अत: ऐसे मुद्दों से निपटने के लिये कमियों को दूर करना आवश्यक हो जाता है।

आईटी नियम, 2021:

- परिचय:
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित किये गए थे।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक अधिसूचित सीमा से ऊपर सोशल मीडिया मध्यस्थों को महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- SSMI को अनुपालन कर्मियों को नियुक्त करने, सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने और सामग्री की पहचान के लिये प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
- सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के लिये शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।
- समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ-साथ 'क्यूरेटेड ऑडियो-विज़ुअल' सामग्री के विनियमन के लिये एक रूपरेखा निर्धारित की है।
- प्रकाशकों के लिये स्व-नियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया गया है।

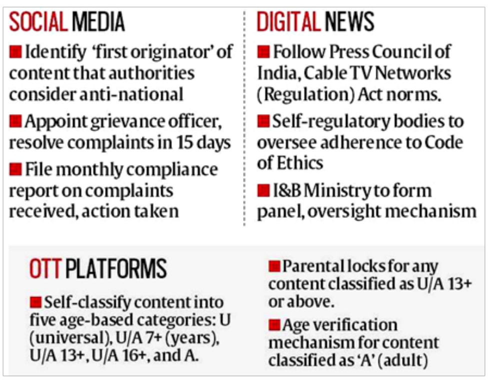
SOCIAL MEDIA
- Identify 'first originator' of content that authorities consider anti-national
- Appoint grievance officer, resolve complaints in 15 days
- File monthly compliance report on complaints received, action taken

DIGITAL NEWS
- Follow Press Council of India, Cable TV Networks (Regulation) Act norms.
- Self-regulatory bodies to oversee adherence to Code of Ethics
- I&B Ministry to form panel, oversight mechanism

OTT PLATFORMS
- Self-classify content into five age-based categories: U (universal), U/A 7+ (years), U/A 13+, U/A 16+, and A.
- Parental locks for any content classified as U/A 13+ or above.
- Age verification mechanism for content classified as 'A' (adult)

- प्रमुख मुद्दे:
  - नियम कुछ मामलों में आईटी अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों से परे जा सकते हैं, जैसे SSMI और ऑनलाइन प्रकाशकों के विनियमन और कुछ मध्यस्थों को जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
  - ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के आधार व्यापक हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
  - मध्यस्थों के पास से सूचना प्राप्त करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।
  - इसके मंच पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने के लिये संदेश सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

श्रेष्ठ योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना शुरू की है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है।

- अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 'श्रेष्ठ' योजना बनाई गई थी।

'श्रेष्ठ' योजना:

- परिचय:
  - इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।
  - CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
- उद्देश्य:
  - सरकारी पहलों और योजनाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित करना।
  - अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना।
  - शिक्षा क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जातिं (SC) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयोग करना।
  - योग्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें।
- पात्रता:
  - अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं।
  - इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं।
  - चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है।
    - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिये इसका आयोजन किया जाएगा।
- लाभार्थी:
  - सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा।
  - मंत्रालय उनके शिक्षा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कि वे अपनी कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।

SCs के लिये अन्य संबंधित पहलें:

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY):
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी है।
  - नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) के तहत निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ:
  - यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।
  - सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए।
- एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।
  - लाभार्थी: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, खानाबदोश और घुमंतू जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY- G) की पूर्णता दर 67.72% है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) जिसकी शुरुआत एक वर्ष पूर्व हुई थी, 50% पूर्णता दर के साथ पिछड़ रही है।

दोनों योजनाओं में देरी का प्रमुख कारण:

- महामारी:
  - सरकारी अधिकारी PMAY-U में देरी के लिये कोविड-19 महामारी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं
  - कोविड-19 महामारी से पहले स्वीकृत घरों की पूर्णता दर लगभग 80% थी।
- राज्यों द्वारा खराब कार्यान्वयन:
  - लक्षित इकाइयों का 70% हिस्सा छह राज्यों में है- जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
  - इनमें से केवल दो राज्यों- उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पूर्णता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
    - बिहार में सबसे कम पूर्णता दर है।
- स्पष्ट शीर्षकों और दस्तावेज़ों का अभाव:
  - शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट शीर्षक और अन्य भूमि दस्तावेज़ों की कमी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, परिणामस्वरूप इसकी गति और धीमी हो गई।
  - यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी है।
- दो राज्यों में केंद्र द्वारा निधि आवंटन को रोकना:
  - पश्चिम बंगाल में यह आरोप लगाया गया था कि वर्तमान राज्य सरकार इस योजना को बांग्ला आवास योजना के रूप में फिर से तैयार कर रही है।
  - छत्तीसगढ़ के लिये निधि रोक दी गई क्योंकि राज्य, योजना के लिये योगदान का अपना हिस्सा देने में विफल रहा।
    - केंद्र 60% राशि का भुगतान करता है और राज्यों को लागत का 40% वहन करना पड़ता है।

PMAY-G योजना :

- लॉन्च: इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को 01 अप्रैल, 2016 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- शामिल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक।
- लाभार्थियों का चयन: तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और जियो-टैगिंग।

- कॉस्ट शेयरिंग: यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- उपलब्धियाँ:
  - इसे 2.7 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
  - केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार, अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।
  - यह लक्ष्य का 67.72 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U):

- लॉन्च:
  - 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
- कार्यान्वयन:
  - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- विशेषताएँ:
  - यह शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करता है।
  - इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है (जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है)
  - PMAY(U) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।
  - विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमज़ोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
- उपलब्धियाँ:
  - इसकी शुरुआत 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ की गई थी।
  - केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ताज़ा आँकड़ों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 60 लाख यूनिट का निर्माण ही पूर्ण हो पाया है।

सहकारी समितियों हेतु GeM पोर्टल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

- हालाँकि सहकारी समितियों से वृद्धिशील लागतों को कवर करने के लिये लेन-देन शुल्क लिया जा सकता है।
- सहकारिता मंत्रालय द्वारा GeM एसपीवी (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) के परामर्श से बाद स्केल अप के लिये GeM पर शामिल होने वाली सहकारी समितियों की मान्य सूची से संबंधित निर्णय लिया जाएगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस:

परिचय:

- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
- GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
- वर्तमान में GeM के पास 30 लाख से अधिक उत्पाद हैं, इसके पोर्टल पर अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हो चुका है।

लॉन्च:

- इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिये लॉन्च किया गया था।

नोडल मंत्रालय:

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

हालिया अद्यतन:

- उत्पादों का मूल देश का होना अनिवार्य: GeM ने सभी विक्रेताओं को ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace-GeM) पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय 'मूल देश' को सूचीबद्ध करना अनिवार्य किया है।

- इसे पोर्टल पर सक्षम किया गया है ताकि खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिये चुन सकें जो न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री मानदंडों को पूरा करते हों।

महत्त्व:

- पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद: GeM त्वरित, कुशल, पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद को सक्षम बना रहा है, खासकर जब सरकारी संगठनों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिये उत्पादों एव्बम सेवाओं की तत्काल आवश्यकता होती है।
- आत्मनिर्भर भारत का प्रचार: GeM आत्मनिर्भर भारत नीति को बढ़ावा दे रहा है, जिसे कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और छोटे भारतीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देना है।
- छोटे स्थानीय विक्रेताओं का प्रवेश: बाज़ार ने सरकार की 'मेक इन इंडिया' और एमएसएमई खरीद वरीयता नीतियों को सही मायने में लागू करते हुए सार्वजनिक खरीद में छोटे स्थानीय विक्रेताओं के प्रवेश की सुविधा प्रदान की है।
- एक ही स्थान पर कई संस्थाएँ: ऑनलाइन मार्केटप्लेस समान उत्पादों के लिये कई संस्थाओं से मांग कर सकता है और राज्य सरकारों द्वारा छोटे उद्यमों को प्रदान की गई प्राथमिकताओं के आधार पर निर्माण कर सकता है।

GeM से संबद्ध चुनौतियाँ:

- एकाधिक पोर्टल:
  - केंद्र सरकार के विभागों में कई पोर्टल हैं, जैसे- रक्षा खरीद पोर्टल और भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिये GeM के प्रयास को सीमित कर सकते हैं।
- अनुपालन की कमी:
  - यह सभी केंद्रीय संगठनों हेतु सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 149 का अनुपालन करने की एक चुनौती का भी सामना करता है, जिसमें यह अनिवार्य है कि सभी सामान्य उपयोग की वस्तुएँ और सेवाएँ जो कि GEM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, मंच पर आवश्यक रूप से खरीदी जानी चाहिये।

आगे की राह

- एकल पोर्टल: कई पोर्टल किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और सिंक्रनाइज़ेशन चुनौतियों का भी कारण बन रहे हैं। सभी सार्वजनिक खरीद के लिये एकल पोर्टल इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है तथा संबंधित समस्यायों से निपटने में सहायता करेगा।
- दंड का अधिरोपण: कृषि विपणन से संबंधित मामलों में कुशासन के लिये दंड का प्रावधान होना चाहिये और पहले से मौजूद दंड की प्रकृति में और कठोरता लाने की आवश्यकता है। ये प्रावधान इसके अनुपालन की कमी की समस्या से निपटने में मदद करेंगे।
- स्थानीय भाषा का प्रयोग: सार्वजनिक खरीद पोर्टलों के लिये यूज़र इंटरफेस स्थानीय भाषा में होना चाहिये ताकि भाषा विशेष के प्रभुत्त्व के मुद्दे से निपटा जा सके।
- अंतर-संचालनीयता: सार्वजनिक पोर्टलों को अपने सुचारु कामकाज़ के लिये एक मंच से दूसरे मंच पर सुगमता के साथ संचालन (smooth functioning) सुनिश्चित करना चाहिये।
- लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता: GeM पोर्टल किसानों और सहकारी समितियों को अपने उत्पादों के लिये आसानी से खरीदार खोजने में मदद करेगा और उन्हें बिक्री में कमी के कारण खराब होने वाले उत्पादों की वजह से होने वाले नुकसान से बचाएगा तथा उनके उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में भी वृद्धि करेगा क्योंकि राज्यों की कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) द्वारा पूर्व में शुल्क में प्रशासनिक अक्षमता के कारण लागत में भारी वृद्धि की गई थी।
  - यह अशोक दलवई समिति द्वारा अनुशंसित 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।

सहकारी समितियाँ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं जैसे- उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, ऋण सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसने विश्व में सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी।
- भारत में एक सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहाँ प्रत्येक सदस्य ज़िम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - यह पहली बार वर्ष 2019 में "द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी" के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिये मनाया गया था।
- लक्ष्य:
  - खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाज़ार पहुँच, पर्यटन और सतत् विकास में योगदान करने, खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने तथा प्रबंधित करने में मदद हेतु ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई को प्रेरित करने हेतु।
- 2022 थीम:
  - सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य:
- आवश्यकता:
  - खाद्य जनित बीमारियाँ:
    - खाद्य जनित बीमारियों के सालाना अनुमानित 600 मिलियन मामलों के साथ असुरक्षित भोजन मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक खतरा है, जो कमज़ोर व हाशिये पर स्थित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों, संघर्ष से प्रभावित आबादी और प्रवासियों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है।
  - खाद्य जनित रोग का बोझ:
    - दुनिया भर में अनुमानित 420000 लोग हर साल दूषित भोजन खाने से मर जाते हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हर साल 125 000 मौतों के साथ खाद्य जनित बीमारी का 40% बोझ है।

संबंधित पहल:

- वैश्विक:
  - कोडेक्स एलेमेंट्रिस या "फूड कोड" कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशा-निर्देशों और अभ्यास के कोड का एक संग्रह है।
  - कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (Codex Alimentarius Commission) खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है
    - वर्तमान में इस कमीशन के सदस्यों की संख्या 189 है और भारत इस कमीशन का सदस्य है।
- भारत:
  - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक:
    - FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) विकसित किया है।.
    - मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत व्यवस्था, अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढाँचा व निगरानी, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
  - ईट राइट इंडिया मूवमेंट:
    - यह भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की एक पहल है जो सभी भारतीयों के लिये सुरक्षित, स्वस्थ तथा व टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिये देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये है।
    - ईट राइट इंडिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - ईट राइट अवार्ड्स:
    - FSSAI ने नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के लिये खाद्य कंपनियों तथा व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
  - ईट राइट मेला:
    - FSSAI द्वारा आयोजित यह नागरिकों को उचित खाने के लिये प्रेरित करने हेतु एक गतिविधि है। यह विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वास्थ्य और पोषण लाभों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिये आयोजित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के एक समूह पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिये एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया।

- हालाँकि मसौदा प्रस्ताव उसी दिन वापस ले लिया गया था।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT नियम, 2021) को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था।

नियम:

- यह सोशल मीडिया का सक्रिय होना अनिवार्य करता है:
  - प्रमुख तौर पर IT नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में अधिक सक्रिय रहने के लिये बाध्य करता है।
- शिकायत अधिकारी की व्यवस्था:
  - उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।
    - प्लेटफॉर्म के निवारण तंत्र का शिकायत अधिकारी उपयोगकर्त्ताओं की शिकायतों को प्राप्त करने और समाधान करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 24 घंटे के भीतर शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करे और 15 दिनों के भीतर उचित तरीके से उसका निपटान करे।
    - प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य माध्यम से पहुँच स्थापित करने और प्रसार को अक्षम किया जाना चाहिये।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके कंप्यूटर संसाधन सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी ऐसी सामग्री को न होस्ट करे, न वितरित करे, न प्रदर्शित करे और न अपलोड करे, न प्रकाशित करें एवं न शेयर करे, जो पेटेंट नियमों या कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हो; किसी लागू कानून का उल्लंघन करती हो; भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने वाली हो. साथ ही भारत के मित्रतापूर्ण विदेश संबंधों को खराब करने वाली, किसी दूसरे देश का अपमान करने वाली, लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली व किसी अपराध की जाँच को बाधित करने वाली हो।

वापस लिये गए मसौदे में प्रस्तावित परिवर्तन:

- शिकायत अपीलीय समिति:
  - इसने एक अतिरिक्त स्तर की निगरानी का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम 'शिकायत अपीलीय समिति' है, यह समिति शिकायत निवारण अधिकारी के फैसलों के विरुद्ध उपयोगकर्त्ताओं की शिकायतों का निपटारा करेगी।
  - मोटे तौर पर यदि कोई उपयोगकर्त्ता शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्रदान किये गए संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे न्यायालय जाने के बजाय शिकायत अपीलीय समिति में निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है।
    - हालाँकि इसने किसी अन्य न्यायालय में अपील करने के उपयोगकर्त्ता के अधिकार को नहीं छीना।
- सभी अपीलीय आदेशों को संकलित किया जाना चाहिये:
  - मसौदे में यह निर्धारित किया गया था कि इस सभी अपीलीय आदेशों का पालन किया जाना चाहिये।
  - 'निगरानी' पर सुझाया गया प्रश्न इस तथ्य से उपजा है कि 'शिकायत अपीलीय समिति' का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था, जिसे अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021:

- अभिव्यक्ति को दबाने के लिये सरकार मध्यस्थ के रूप में:
  - इसने सरकार को इंटरनेट पर स्वीकार्य भाषण का मध्यस्थ बना दिया और किसी भी अभिव्यक्ति को दबाने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित किया जो सरकार के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- शिकायत का समाधान करने दायित्व सोशल मीडिया पर:
  - मसौदे में यह दायित्व सौंपा गया है कि सभी सोशल मीडिया मध्यस्थ रिपोर्टिंग के 72 घंटों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करें।
  - अत: छोटी समय-सीमा ने शीघ्रता संबंधी दृष्टिकोण की आशंकाओं को जन्म दिया।

कानूनी चुनौतियाँ:

- विधायी दिशा-निर्देशों के नियम 9 के उप-खंड 1 और 3 को लागू करने पर वर्ष 2021 में रोक लगा दी गई थी।
- ये उप-खंड समाचार और समसामयिक सामग्री और/या क्यूरेट की गई सामग्री से निपटने वाले ऑनलाइन प्रकाशकों के लिये 'आचार संहिता' से संबंधित हैं।
  - उप-खंडों में कहा गया था कि संस्थाएँ शिकायतों (उनके मंच से संबंधित) से निपटने के लिये एक त्रि-स्तरीय तंत्र की सदस्यता लेती हैं ताकि उनकी संहिता का पालन किया जा सके।

- इसमें प्रकाशकों (स्तर I) द्वारा स्व-विनियमन, प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकाय (स्तर II) और अंत में केंद्र सरकार (स्तर III) द्वारा निरीक्षण तंत्र शामिल है।
- मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि लोगों को इंटरनेट पर सामग्री विनियमन के वर्तमान दायरे में लाया जाता है तो यह "लोगों को विचार की स्वतंत्रता से वंचित करेगी और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के उनके अधिकार सीमित करेगी। नैतिक संहिता उनके सिर पर डैमोकल्स की तलवार (Sword of Damocles) के रूप में लटकी हुई है।"

आगे की राह

- प्लेटफ़ॉर्म को अधिक जानकारी साझा करना उस देश में प्रतिकूल साबित हो सकता है जहाँ नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पक्ष द्वारा की गई ज़्यादतियों से खुद को बचाने के लिये डेटा गोपनीयता कानून नहीं है।
  - इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित करने में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- उसके बाद यदि विनियमन अभी भी आवश्यक समझा जाता है, तो इसे कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिये, जिस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 A के अंतर्गत कार्यकारी नियम बनाने की शक्तियों पर भरोसा करने के बजाय संसद में बहस की जाती है।

सुशासन

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री ने एकीकृत क्रेडिट पोर्टल 'जन समर्थ' का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत नागरिक-केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि सुशासन का मूल पहलू है और यह सरकार-केंद्रित दृष्टिकोण को पीछे छोड़ रहा है।

जन समर्थ पोर्टल:

- यह पोर्टल वित्त मंत्रालय की एक पहल है , जो सरकार की एक दर्जन से अधिक क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं के लिये वन-स्टॉप गेटवे है और लाभार्थियों को सीधे उधारदाताओं से जोड़ती है।
- यह पोर्टल क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदन और प्रसंस्करण के लिये एकल मंच के रूप में कार्य करेगा।
- इस पोर्टल से छात्रों, किसानों, व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ-साथ उद्यमियों के जीवन में सुधार होगा तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भी मदद मिलेगी।
  - इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य कई क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है।

सुशासन:

- परिचय:
  - 'शासन' निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किये जाते हैं, की प्रक्रिया है।
    - शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है जैसे कि कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन।
  - सुशासन को 'विकास के लिये देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके' के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - सुशासन की अवधारणा चाणक्य के युग में भी मौज़ूद थी।
  - उन्होंने अर्थशास्त्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया।
  - नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन की नींव पर आधारित होता है।
- सुशासन के 8 सिद्धांत:
  - भागीदारी:
    - लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिये।
    - इसमें पुरुष एवं महिलाएँ, समाज के कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं।
    - भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है।
  - कानून का शासन:
    - कानूनी ढाँचे को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये, विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में।
    - 'कानून के शासन' के बिना राजनीति, मत्स्य न्याय (Matsya Nyaya) के सिद्धांत का पालन करेगी जिसका अर्थ है ताकतवर कमज़ोर पर हावी होगा।
  - सहमति उन्मुख:
    - सर्वसम्मति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि भले ही प्रत्येक व्यक्ति, जो वह चाहता है उसे प्राप्त न कर पाए परंतु सभी को सामान्य न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो किसी अन्य के लिये हानिकारक भी नहीं होगा।
    - यह एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों पर व्यापक आम सहमति को पूरा करने के लिये अलग-अलग हितों की मध्यस्थता करता है।
  - भागीदारी और समावेशिता:
    - सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देता है।
    - लोगों को अपना जीवन-स्तर सुधारने या उसको बनाए रखने के अवसर प्राप्त होने चाहिये।

- प्रभावशीलता और दक्षता:
  - प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने में सक्षम होना चाहिये जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
  - अधिकतम उत्पादन के लिये समुदाय के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।
- जवाबदेही:
  - सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी है और यह सरकार द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किये बगैर नहीं किया सकता है।
  - सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- पारदर्शिता:
  - सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिये सुलभ होनी चाहिये और यह उनके समझने और निगरानी योग्य होनी चाहिये।
  - इसका अर्थ मुक्त मीडिया और उन तक सूचना की समग्र पहुँच भी है।
- जवाबदेही:
  - संस्थानों और प्रक्रियाओं के तहत उचित समयावधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान कि जानी चाहिये।

सुशासन क्यों आवश्यक है ?

- शासन में सुधार विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
- यह तर्क दिया जाता है कि प्रशासन में भागीदारी, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर शासन में व्यवस्थित परिवर्तन द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- सुशासन के अधिकार को नागरिकों के अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
- रिपोर्टों से पता चला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, ग्रामीण रोज़गार आदि के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में काफी वृद्धि हुई है, जिसके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। इस विरोधाभास के केंद्र में 'पारदर्शी और जवाबदेह शासन' का मुद्दा शामिल है।
- सुशासन के बिना कोई भी विकासात्मक योजना नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती है।
- लचर शासन व्यवस्था गरीबी उत्पन्न करती है और उसे बढ़ावा भी देती है। इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि आर्थिक सुधारों का लाभ समान रूप से नहीं मिल रहा है, साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएँ बढ़ी हैं।

सुशासन के लिये चुनौतियाँ:

- सिविल सेवकों की मनोवृत्ति संबंधी समस्याएँ: द्वितीय ARC रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सेवक अनम्य, आत्मकेंद्रित, अंतर्मुखी हो गए हैं।
- जवाबदेही की कमी: बहुत कम ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कोई प्रदर्शन मूल्यांकन संरचना नहीं है।
- लालफीताशाही: नौकरशाही को उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो सुशासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, हालाँकि कभी-कभी ये नियम और प्रक्रियाएँ गलत एवं बोझिल होती हैं तथा वे अपने अस्तित्व के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं।
- नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर: अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकारी एवं अन्य नागरिक अपने कर्तव्यों का प्रभावी तथा ईमानदारी से निर्वहन करें।
- कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन: नागरिकों और समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिये हमारे पास बड़ी संख्या में कानून हैं, लेकिन इन कानूनों का कमज़ोर कार्यान्वयन सरकारी तंत्र में नागरिकों के विश्वास को कम करता है।

सिफारिशें:

- प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने निम्नलिखित रणनीतियों, प्रक्रियाओं, उपकरणों और तंत्रों की जाँच की है।
  - शासन को 'नागरिक-केंद्रित' बनाने के लिये पुन: अभियांत्रिकी प्रक्रियाएँ।
  - उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना।
  - सूचना का अधिकार।
  - सिटीज़न चार्टर्स।
  - सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन।
  - शिकायत निवारण तंत्र।
  - सक्रिय नागरिक भागीदारी - सार्वजनिक-निजी भागीदारी।

संबंधित पहल:

- सूचना का अधिकार।
- ई-गवर्नेंस।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
- पुलिस सुधार।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम।
- सुशासन सूचकांक।
- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस।

आगे की राह

- देश में सुशासन बहाल करने के लिये 'अंत्योदय' के गांधीवादी सिद्धांत को प्रधानता देने हेतु हमारी राष्ट्रीय रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है।
- भारत को शासन में ईमानदारी को विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिये, जो शासन को अधिक नैतिक बनाएगा।
- सरकार को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्शों पर काम करना जारी रखना चाहिये ताकि समावेशी व सतत् विकास हो सके।
- सभी सार्वजनिक कार्यालयों को लोगों के उनके पास आने की प्रतीक्षा करने के बजाय लक्षित लाभार्थियों के लिये योजनाएँ और सुधार पहल करने की आवश्यकता है।

वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2022 जारी की गई।

- इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर है। यह वर्ष 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पर था।
- इससे पहले फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था।

सतत् विकास रिपोर्ट:

- परिचय:
  - यह सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है।
  - यह सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है।
    - सतत् विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करने के लिये वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाने के लिये SDSN द्वारा इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था।
    - इसे अपनाने के बाद SDSN अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- रैंकिंग:
  - देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की जाती है।
  - समग्र स्कोर सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में कुल प्रगति को मापता है।
  - स्कोर की व्याख्या SDG उपलब्धि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।
  - 100 का स्कोर इंगित करता है कि सभी सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
- देशों का प्रदर्शन:
  - SDG इंडेक्स, 2022 में फिनलैंड सबसे ऊपर है, इसके बाद क्रमश: तीन नॉर्डिक देश-डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे हैं।
  - पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्र ने वर्ष 2015 में SDG को अपनाने के बाद से सबसे अधिक प्रगति की है।
  - बांग्लादेश और कंबोडिया दो ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से SDG पर सबसे अधिक प्रगति की है।
  - इसके विपरीत वेनेज़ुएला ने वर्ष 2015 में इसे अपनाए जाने के बाद से SDG इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- विश्व:
  - स्वास्थ्य संबंधी विविधतापूर्ण एवं शमानात्मक उपचारों में कमी, जलवायु, जैवविविधता, भू-राजनीतिक और सैन्य-संकट विश्व स्तर पर सतत् विकास के लिये प्रमुख अवरोध हैं।
  - SDG इंडेक्स के विश्व औसत में वर्ष 2021 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण SDG-1 (कोई गरीब नहीं) और SDG-8 (सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास) पर महामारी का प्रभाव तथा SDG11-15 (जलवायु जैवविविधता व सतत् शहरी विकास लक्ष्य) का खराब प्रदर्शन है।
  - भारी मानवीय क्षति के अलावा सैन्य संघर्ष, यूक्रेन में युद्ध सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा संकट और ऊर्जा की कमी आदि जलवायु और जैवविविधता संकट के कारण बढ़ रहे हैं।
- भारत :
  - भारत की तैयारी में कमी:
    - भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अच्छी स्थिति में नहीं है और अन्य देशों की तुलना में इसकी तैयारी में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है।
  - प्रमुख चुनौतियाँ:
    - भारत को 17 SDG में से 11 लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण SDG तैयारियों पर वैश्विक रैंकिंग में गिरावट देखी जा रही है।
    - उत्कृष्ट कार्य सुनिश्चित करना (SDG 8) अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत जलवायु कार्रवाई पर SDG 13 को हासिल करने की राह पर है।
- हालाँकि स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट, 2022 ने संकेत दिया है कि देश इस क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- जलवायु कार्रवाई पर भारत के प्रदर्शन (SDG 13) में वर्ष 2019-2020 की तुलना में गिरावट आई है।
- भारत के समग्र प्रदर्शन में यह गिरावट मुख्य रूप से आठ राज्यों- बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और झारखंड के कारण है, जिनके स्कोर में SDG 13 के तहत दो वर्षों से गिरावट देखी जा रही है।

- प्रगति:
  - इनमें से लगभग 10 लक्ष्यों में प्रगति वर्ष 2021 के समान है।
    - इनमें भुखमरी समाप्त करना- SDG 2, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना- SDG-3 और शुद्ध जल एवं स्वच्छता- SDG 6 शामिल हैं।

सिफारिशें:

- नई साझेदारी और नवाचारों को बढ़ावा:
  - वैज्ञानिक सहयोग और डेटा सहित कोविड-19 महामारी के दौरान उभरी नई साझेदारी और नवाचारों को एसडीजी का समर्थन करने के लिये बढ़ाया जाना चाहिये।
- विज्ञान और तकनीकी नवाचार:
  - विज्ञान, तकनीकी नवाचार और डेटा सिस्टम संकट के समय समाधानों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं तथा वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिये निर्णायक योगदान कर सकते हैं।
  - ये सांख्यिकीय क्षमताओं, अनुसंधान एवं विकास और शिक्षा व कौशल में दीर्घकालिक निवेश पर बल देते हैं।
- निवेश में वृद्धि:
  - SDG लक्ष्य हासिल करना मूल रूप से भौतिक बुनियादी ढाँचे (नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित) और मानव पूंजी (स्वास्थ्य, शिक्षा सहित) में निवेश हेतु एक एजेंडा है।
    - अब भी दुनिया के सबसे गरीब आधी जनसंख्या के पास स्वीकार्य शर्तों पर पूंजी तक बाज़ार पहुँच नहीं है।
    - गरीब और कमज़ोर देशों को इन संकटों के कारण बहुत नुकसान हुआ है।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG):

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिये इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था।
- 17 SGDs एकीकृत हैं- इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी और इनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर/वहनीय विकास होगा।
- यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है। SDGs को गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिये बनाया गया है।

क्षेत्रीय परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृहमंत्री ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों की निगरानी तथा निराकरण के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यान्वयन।
- गहरे समुद्रों में समुद्री मछुआरों की पहचान का सत्यापन।
- गहरे समुद्रों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के लिये तटीय राज्यों द्वारा स्थानीय आपातकालीन योजना का विकास और सार्वजनिक खरीद में वरीयता के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करना।
- सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा परिवहन और पश्चिमी राज्यों एवं उद्योगों से संबंधित विभिन्न मुद्दे।

क्षेत्रीय परिषद

- परिचय:
  - क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं।
  - ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किये गए हैं।
  - इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
  - इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जिनमें शामिल हैं:
    - देश का प्राकृतिक विभाजन,

- नदी प्रणाली और संचार के साधन,
- साँस्कृतिक व भाषायी संबंध
- आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता।

- उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर-पूर्वी परिषद बनाई गई थी।
  - इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
  - ये सलाहकार निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर-राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिशें करते हैं।

- संरचना:
  - उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।
  - मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
  - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
  - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है।
  - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं।
- संगठनात्मक ढाँचा
  - अध्यक्ष: केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होता है।
  - उपाध्यक्ष– प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - सदस्य: मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य।
  - सलाहकार: प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिये योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा नामित एक, मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी/ विकास आयुक्त होते हैं।
- उद्देश्य:
  - राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना।
  - तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।
  - केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिये सक्षम बनाना।
  - विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिये राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।
- परिषदों के कार्य:
  - आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला;
  - सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला;
  - राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला।

वृक्ष-प्रत्यारोपण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India- CAG) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), महाराष्ट्र द्वारा प्रतिरोपित पौधों में से केवल 54% ही जीवित बचे हैं।

- लेखापरीक्षा से पता चला कि मुंबई में प्रतिरोपित पौधों में से जीवित पौधों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत (80%) से काफी कम था।

प्रमुख बिंदु

वृक्ष प्रत्यारोपण के बारे में:

- प्रत्यारोपण या रीप्लांटिंग (Replanting) एक कृषि क्षेत्र या बगीचे में पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
- वृक्ष प्रत्यारोपण के माध्यम से पौधों को लंबे समय तक बढ़ने हेतु मौसम के अनुकूल ढालना है।
  - पौधों की खेती पहले घर के अंदर की जा सकती है और मौसम अनुकूल होने पर उन्हें बाहर स्थांतरित कर दिया जाता है।
- ट्री स्पेड मशीन (Tree Spade Machine) एक विशेष प्रकार की मशीन है जो बड़े पौधों के प्रत्यारोपण को यंत्रीकृत करती है।
  - बड़े वृक्षों की रूट बॉल को खोदने, लपेटने या बॉक्सिंग कर उन्हें ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता हो सकती है।

- अक्तूबर 2020 में दिल्ली सरकार ने शहर में विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंज़ूरी दी।
  - इस नीति के तहत संबंधित एजेंसियों को परियोजनाओं से प्रभावित 80% पेड़ों को एक नए स्थान पर ट्रांसप्लांट करने के लिये कहा गया है।
  - इस नीति के तहत 10 पौधे लगाए जाने के साथ-साथ जड़ से खोदकर निकाले गए पेड़ को काटने के बजाय किसी अन्य स्थान पर वैज्ञानिक रूप से प्रत्यारोपित किया जाना है।

वृक्ष प्रत्यारोपण के लाभ:

- युवा पौधों को परिपक्व होने तक बीमारियों और कीटों से बचाने के लिये यह एक अच्छी विधि है।
- इस विधि से पौधे की सीधी रोपाई करके बीजों के अंकुरण की समस्या से बचा जा सकता है।
- यह अपेक्षाकृत सुविधाजनक लेकिन कम किफायती तकनीक है।
  - खरीदे गए पौधे को तुरंत ज़मीन में या कंटेनर में उगाने के लिये लगाने से हमारे बागवानी कार्यों का एक बोझिल चरण समाप्त हो जाता है।.
- कई पार्कों और झीलों के किनारों को परिपक्व पेड़ों को प्रत्यारोपित करके तुरंत हरियालीयुक्त किया जा सकता है।
  - पौधों की तुलना में परिपक्व पेड़ बहुत अधिक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- विकास परियोजनाओं के कारण पुराने पेड़ों का प्रत्यारोपण उन्हें बचाने में मदद कर सकता है।

वृक्ष प्रत्यारोपण से जुड़ी चिंताएँ:

- CAG ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिरोपित वृक्षों के कम जीवित रहने की दर के बारे में कुछ चिंताओं का उल्लेख किया है।
  - प्रत्यारोपित वृक्षों के मामले में उचित सुरक्षा और रखरखाव की कमी देखी जाती है।
  - वृक्ष प्रतिरोपण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये उचित अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
  - BMC,s द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा किये गए वृक्षारोपण की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।
  - CAG के अनुसार, प्रतिरोपण में उपयोग की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है।
- एक और समस्या यह है कि सभी प्रकार के वृक्षों का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। पीपल, गूलर, सेमल एवं शीशम प्रत्यारोपण के प्रति सहनशील हैं, जबकि ढाक, पलाश, अर्जुन, शहतूत तथा झिलमिल जैसे वृक्ष नहीं
  - मूसला जड़ प्रणाली वाले किसी भी वृक्ष को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है और बिना क्षति के इसे अलग करना संभव नहीं है।
- मृदा का प्रकार भी प्रत्यारोपण से पहले एक महत्त्वपूर्ण कारक है। दिल्ली रिज पर उगने वाला पेड़ यमुना बाढ़ के मैदान में मृदा के लिये अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र अलग है।

आगे की राह

- पेड़ों के प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिये संबंधित प्राधिकारी द्वारा उचित दंड प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिये।
  - BMC द्वारा अनुचित वृक्षारोपण करने वाले ठेकेदारों पर 5.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
- नागरिक प्राधिकरण को उचित वृक्ष प्रत्यारोपण के लिये एजेंसियों को अनुभवी बागवानों को नियुक्त करने का आदेश देना चाहिये।
- पेड़ों के अस्तित्व में सुधार हेतु बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिये तकनीकी नवाचार प्राथमिक चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021

चर्चा में क्यों ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 (National e-Governance Service Delivery Assessment- NeSDA 2021) का दूसरा संस्करण जारी किया है।

- जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, जिसने इसे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम बनाया है, यह दो राजधानी शहरों- जम्मू और श्रीनगर के बीच वार्षिक दरबार संचालन के दौरान फाइलों की आवाजाही पर खर्च किया गया था।

NeSDA 2021:

- परिचय:
  - डिजिटल सरकार को उत्कृष्ट बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) पहल शुरू की गई है।
  - UNDESA ई-गवर्नमेंट सर्वे (UN ई-गवर्नमेंट सर्वे 2020, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ष 2001 से) के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (Online Service Index- OSI) के आधार पर अगस्त 2018 में NeSDA की शुरुआत की गई थी।

- यह NeSDA का दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था।

- NeSDA फ्रेमवर्क:
  - इस फ्रेमवर्क में छह क्षेत्रों को शामिल किया गया है अर्थात् वित्त, श्रम और रोज़गार, शिक्षा, स्थानीय सरकार तथा उपयोगिताएँ, समाज कल्याण (कृषि एवं स्वास्थ्य सहित) व पर्यावरण (अग्नि सहित) क्षेत्र।
    - फ्रेमवर्क इन छह क्षेत्रों में G2B (गवर्नमेंट टू बिज़नेस) और G2C (गवर्नमेंट टू सिटिज़न) प्रावधानों के तहत सेवाओं को कवर करता है।
  - NeSDA 2021 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अतिरिक्त 6 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर 4 सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
  - NeSDA फ्रेमवर्क ने मुख्य रूप से सभी सेवा पोर्टलों (राज्य / केंद्रशासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टल) का 7 प्रमुख मापदंडों पर मूल्यांकन किया। NeSDA 2021 में अतिरिक्त 6 मापदंडों को शामिल करने के लिये फ्रेमवर्क को विस्तृत किया गया है।
    - मूल्यांकन किये गए पोर्टलों को दो श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया गया था।
    - राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल, संबंधित सरकार का नामित पोर्टल जो सूचना और सेवा लिंक के लिये सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करता है, पहली श्रेणी है।
    - दूसरी श्रेणी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल शामिल हैं जो सेवाओं के डिजिटल वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।

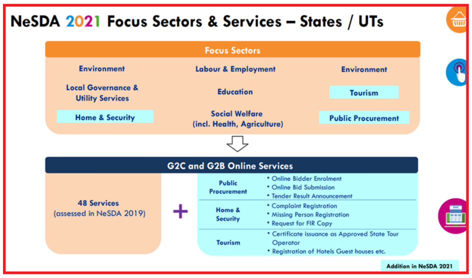

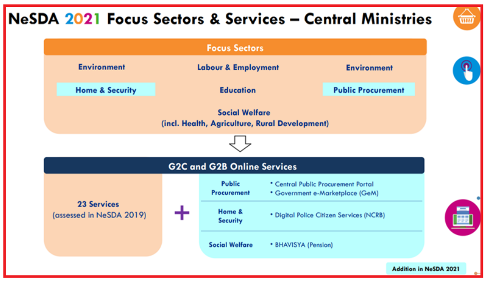

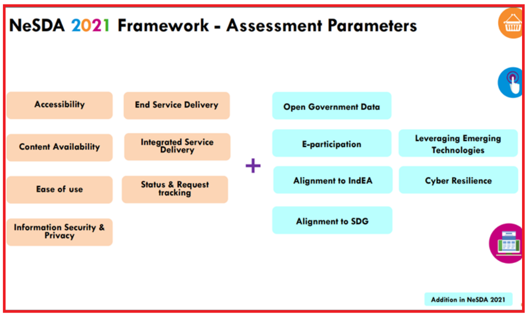

- NeSDA 2021 का आकलन:
  - केंद्रीय मंत्रालय के 6 पोर्टल के स्कोर में सुधार हुआ है, जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 28 पोर्टल में एवं राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सेवा के 22 पोर्टल के स्कोर में सुधार हुआ है।
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल की श्रेणी में समूह A राज्यों में केरल शीर्ष पर, जबकि क्रमशः तमिलनाडु और पंजाब ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है।
  - समूह B राज्यों में ओडिशा शीर्ष पर है एवं उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में क्रमशः नगालैंड, मेघालय और असम शीर्ष पर हैं।
  - केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर शीर्ष पर है, उसके बाद क्रमशः अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़ का स्थान आता है।

- जम्मू और कश्मीर दरबार संचालन:
  - 30 जून, 2021 को जम्मू और कश्मीर में दरबार संचालन के रूप में जानी जाने वाली 149 वर्ष पुरानी परंपरा का अंत हो गया। दरबार मूव एक द्विवार्षिक अभ्यास था जिसमें सरकार श्रीनगर और जम्मू की दो राजधानियों में से प्रत्येक में छह-छह महीने तक काम करती हैं।
  - राजधानियों को बदलने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने की थी।
  - दरबार संचालन की समाप्ति के कारण हुई शासन सुविधा क्षतिपूर्ति को पूरा करने हेतु जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की सरकार तथा भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर दोनों के लिये ई-गवर्नेंस और अलग सचिवालय पर ध्यान केंद्रित किया।

जल जीवन मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

जल जीवन मिशन:

- परिचय:
  - वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
  - जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
  - यह मिशन 'जल शक्ति मंत्रालय' के अंतर्गत आता है।
- उद्देश्य:
  - यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
  - यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
- विशेषताएँ:
  - जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।
  - वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  - यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- कार्यान्वयन:
  - जल समितियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैं।
    - इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम-से-कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आँगनवाड़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
    - समितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्ययोजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- फंडिंग पैटर्न:
  - केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 है जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के मामलों में शत प्रतिशत योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है।

JJM की प्रगति :

- JJM डैशबोर्ड के अनुसार, 10 जून, 2022 तक देश भर में लगभग 9.65 करोड़ घरों (50.38%) के पास नल के पानी के कनेक्शन हैं।
- राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना और हरियाणा ने राज्य के सभी परिवारों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है।
- पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव जैसे केंद्रशासित प्रदेशों ने भी 100% घरों को नल के जल के कनेक्शन प्रदान किये हैं।
- 90% से अधिक कार्यात्मक घरेलू शौचालय कवरेज (FHTC) वाले राज्य हैं- पंजाब (99.72%), गुजरात (95.91%), हिमाचल प्रदेश (93.05%) और बिहार (92.74%)।
- सबसे कम FHTC वाले राज्य हैं- राजस्थान (24.87%), छत्तीसगढ़ (23.10%), झारखंड (20.57%) और उत्तर प्रदेश (13.86%)।

जल जीवन मिशन (शहरी)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों

में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।

- यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है जिसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य:
  - नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - जल निकायों का पुनरुत्थान।
  - चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना।

अग्निपथ योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिये अग्निपथ योजना का अनावरण किया है।

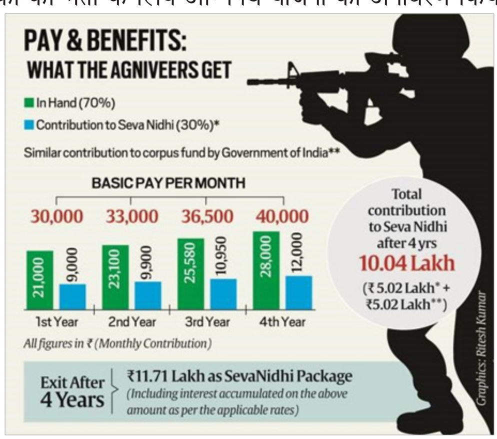

अग्निपथ योजना:

- परिचय:
  - यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।
  - इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।
  - नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।
  - हालाँकि चार साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
- पात्रता मापदंड:
  - यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिये है (जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं)।
    - कमीशन अधिकारी सेना के उच्चतम रैंक के अधिकारी हैं।
    - कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किये जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है।
  - 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के लिये पात्र होंगे।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 'जोश' और 'जज्बे' के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है।
  - इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है।
  - इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6-7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।
- अग्निवीरों को लाभ:
  - सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा।
  - उन्हें चार साल के लिये 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा।
  - मृत्यु के मामले में भुगतान न किये गए कार्यकाल के लिये वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी।
  - सरकार चार साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स (Bridge Courses) प्रदान किये जाएँगे।

संबंधित चिंताएँ:

- दूसरी नौकरी ढूँढना मुश्किल:
  - 'अग्निपथ' योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती चार साल के अल्पकालिक अनुबंध पर कि जाएगी। अनुबंध पूरा होने के बाद उनमें से 25% के अलावा बाकी को सैन्य सेवा से मुक्त करना होगा।
  - चार साल के सेवा काल का मतलब होगा कि उसके बाद अन्य नौकरियाँ उनकी पहुँच से बाहर होंगी और चार साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुन: सेवा के लिये पात्र नहीं होंगे।

- कोई पेंशन लाभ नहीं:
  - अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किये गए जवानों को उनके चार साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
  - हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा, अत: ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिये अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना ज़रूरी होगा।
- प्रशिक्षण अप्रयुक्त रहना:
  - सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी।
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें लेकिन ये पुरुष और महिलाएँ चार साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य कि स्थिति पैदा कर सकता है।

देश के लिये ऐसे कदम का महत्त्व:

- भविष्य के लिये तैयार सैनिक:
  - यह "भविष्य के लिये तैयार" सैनिकों का निर्माण करेगा।
- रोज़गार के अधिक अवसर:
  - इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और चार साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार मिलेगा।
- उच्च कुशल कार्यबल:
  - इससे अर्थव्यवस्था के लिये एक उच्च-कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी जो उत्पादकता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि में सहायक होगा।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

गोवा का स्थापना दिवस

गोवा के स्थापना दिवस (30 मई) पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी।

प्रमुख बिंदु:

गोवा की भौगोलिक अवस्थिति:

- गोवा, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर कोंकण के रूप में जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है।

राजधानी:

- पणजी।

आधिकारिक भाषा: इसकी अधिकारिक भाषा कोंकणी है जो आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है।

सीमाएँ:

- यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट का निर्माण करता है।

इतिहास:

- भारत ने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र को वापस लौटाने का अनुरोध किया परंतु पुर्तगालियों ने ऐसा करने से मना कर दिया।
- राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायु सेना और थल सेना द्वारा गोवा में 'ऑपरेशन विजय' चलाकर 19 दिसंबर,1961 को इसे पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया।
    - प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
    - उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय (वर्ष 1498 में) और इस भूमि को छोड़ने वाले अंतिम (वर्ष 1961) थे।
- 30 मई, 1987 में इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन एवं दीव को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- गोवा का उच्चतम बिंदु सोंसोगोर (Sonsogor) है।
- गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है, राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, रखोल, गलगिबाग, कुम्बरजुआ नहर, तलपोना और साल आदि शामिल हैं।
- गोवा का अधिकांश मृदा आवरण लेटराइट से निर्मित है।

वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान:

- डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य
- महादेई वन्यजीव अभयारण्य
- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य
- कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य
- भगवान महावीर अभयारण्य
- मोलेम नेशनल पार्क

विश्व दुग्ध दिवस

प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
    - विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा एक वैश्विक आहार के रूप में दूध के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये स्थापित किया गया।
    - इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है।

- थीम:
  - इस वर्ष की थीम जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन पर डेयरी क्षेत्र के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिये पहले से चलाए जा रहे कार्यौक्रमों को बढ़ावा देना है।
  - इस मंच का उपयोग करते हुए डेयरी नेट ज़ीरो के प्रति संदेश और कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
- विशेषताएँ:
  - विश्व दुग्ध दिवस डेयरी क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान के निम्नलिखित विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित है :
    - अच्छा भोजन, स्वास्थ्य और पोषण।
    - किसानों की अपने समुदायों, ज़मीनों और अपने पशुधन पर निर्भरता।
    - डेयरी क्षेत्र में स्थिरता।
    - डेयरी क्षेत्र कैसे आर्थिक विकास और आजीविका में योगदान करता है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र:

- भारत 22% वैश्विक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का नंबर आता है।
- देश में दूध उत्पादन लगभग 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2014 में 146.31 मिलियन टन था।
  - शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: यह मिशन गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये शुरू किया गया है।
- गोपाल रत्न पुरस्कार 2021: गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध क्षेत्र में काम करने वाले सभी किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जाता है।
- राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ किसानों के दरवाज़े पर मुफ्त दी जाती हैं।
- ई-गोपाला एप: ई-गोपाला एप (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन) के रूप में किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिये एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और सूचना पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) अर्थात् राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और दूध व दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिये अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 से देश भर में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)" शुरू किया गया है।
- डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF) योजना: DIDF योजना 2017 में दूध प्रसंस्करण और शीतलन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिये शुरू की गई थी, जिसमें मूल्यवर्द्धन भी शामिल है।
- "डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करना" (SDCऔर FPO):
  - पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपनी योजना SDC और FPO के तहत एक घटक के रूप में एक नया घटक "डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज छूट सहायता" पेश किया है।
  - पशुपालन और डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसानों को कार्यशील पूंजी व्यय के लिये रियायती ब्याज़ दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

भारत में चीता पुनर्वास

भारत जल्द ही मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के कुनो पालपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को जंगल में छोड़ेगा।

- यह चीतों के अंतर-महाद्वीपीय पुनर्वास की भारत की महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगा।
- देश का अंतिम चित्तीदार चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने कुछ साल पहले एक चीता पुनर्वास परियोजना तैयार की थी।

चीतों से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों को पाँच मिलियन से अधिक वर्ष पूर्व मियोसीन युग में खोजा जा सकता है।
  - चीता दुनिया का सबसे तेज़, भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।

- अफ्रीकी चीता:
  - वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस।
  - विशेषताएँ: इनकी त्वचा थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है जो एशियाई चीतों से मोटी होती है।
    - एशियाई प्रजाति की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे और रेखाएँ पाई जाती हैं।

  - वितरण: पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हज़ारों की संख्या में पाए जाते हैं।
  - संरक्षण स्थिति:
    - IUCN रेड लिस्ट: 'सुभेद्य' (Vulnerable)
    - CITES: सूची का परिशिष्ट-I
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: परिशिष्ट-2.
- एशियाई चीता:
  - वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस।
  - विशेषताएँ: यह अफ्रीकी चीता की तुलना में छोटा होता है।
    - शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन,आमतौर पर इनकी आँखें लाल होती हैं और येप्राय: बिल्ली के समान दिखते हैं।.

  - वितरण: ये केवल ईरान में पाए जाते हैं और वहाँ भी इनकी संख्या 100 से कम बची है।
  - संरक्षण:
    - IUCN रेड लिस्ट: 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered)
    - CITES: परिशिष्ट-I
    - WPA: अनुसूची-2

खतरे :

- मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास की क्षति और शिकार की अनुपलब्धता एवं अवैध तस्करी।
- वनों की कटाई और कृषि के चलते वन भूमि एवं चीता आवासों में कमी आई है।
- जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव जनसंख्या ने इन समस्याओं को और जटिल बना दिया है।

भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास:

- भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सात साल पहले चीता संरक्षण के लिये 260 करोड़ रुपए की लागत से पुन: पुनर्वास परियोजना तैयार की थी।
- यह विश्व की पहली अंतर-महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना हो सकती है।
- पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में 'भारत में चीते की पुन: वापसी हेतु कार्ययोजना' जारी की थी।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने अगले 5 वर्षों के भीतर नामीबिया से 50 अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया है।

कुनो नेशनल पार्क की मुख्य विशेषताएँ:

- मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान सभी वन्यजीव प्रेमियों के लिये सबसे अनूठे स्थलों में से एक है।
- इसमें चितल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा और मवेशियों की स्वस्थ आबादी पाई जाती है।
- इस वर्ष की शुरुआत में एक बाघ को वापस रणथंभौर में भेज दिये जाने के बाद वर्तमान में इस उद्यान में बड़े मांसाहारी जानवर केवल तेंदुआ और धारीदार लकड़बग्घा ही हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

- 2022 के लिये थीम: लोग, शांति, प्रगति: साझेदारी की शक्ति।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना:

- परिचय:
  - इसका आरंभ 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले ही मिशन, 1948 में हुए अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान युद्धविराम का पालन करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करती है।
  - इसमें दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) तथा महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की श्रृंखला को संबोधित करने के लिये नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है।

- संरचना:
  - संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों (प्राय: ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये हल्के नीले बेरेट या हेलमेट पहनते) में सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और नागरिक कर्मियों को शामिल किया जा सकता है।
  - सदस्य राज्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर शांति सेना का योगदान दिया जाता है।
  - शांति अभियानों के नागरिक कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती और तैनात किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और भारत:
  - भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य-योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। नवंबर 2021 तक भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO) में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य (1,888) और पाँचवाँ सबसे बड़ा (139) पुलिस योगदान देने वाला देश है।
  - वर्ष 1948 से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से 49 में 200,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है।
  - भारत में महिलाओं को यूएन शांति मिशन में भेजने की लंबी परंपरा रही है।
  - वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
  - शांति अभियानों के हिस्से के रूप में कई देशों में अपनी उपस्थिति के बावजूद भारत ने श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुख्यालय वाले एक समान मिशन पर नियमित रूप से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है।
    - भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) की स्थापना जनवरी 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिये की गई थी।
    - भारत ने दोहराया है कि जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने और नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना के बाद मिशन ने "अपनी प्रासंगिकता खो दी है"।

कोर सेक्टर आउटपुट

भारत के आठ कोर उद्योग ने मार्च 2022 में 4.9% की तुलना में अप्रैल में 8.4% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की है।

- आठ कोर उद्योग में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
- आठ कोर उद्योग अपने भारांक के घटते क्रम में हैं: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

आठ कोर उद्योग सूचकांक:

- परिचय:
  - आठ कोर उद्योग सूचकांक (ICI) उत्पादन मात्रा सूचकांक को संदर्भित करता है
  - यह चयनित आठ कोर उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
  - आठ कोर उद्योगों का वर्तमान भारांक (अप्रैल 2021) नीचे दिया गया है:
    - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (28.04%), बिजली (19.85%), स्टील (17.92%), कोयला उत्पादन (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस उत्पादन (6.88%), सीमेंट उत्पादन (5.37%), उर्वरक उत्पादन (2.63%)।
  - ICI को आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है।
- महत्त्व:
  - ICI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ द्वारा आईआईपी जारी करने से पहले 'कोर' प्रकृति के उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन पर अग्रिम संकेत प्रदान करता है।
  - आठ प्रमुख उद्योगों से सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

- 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है।
- इसका संकलन तथा प्रकाशन मासिक आधार पर 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय', 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' द्वारा किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है जिनमें शामिल है:
  - व्यापक क्षेत्र (Broad sectors)- खनन, विनिर्माण और विद्युत।
  - उपयोग आधारित क्षेत्र (Use-based Sectors)- मूलभूत वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- IIP के आकलन के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का महत्त्व:

- इसका उपयोग नीति-निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP, त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की गणना के लिये अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

तेलंगाना का स्थापना दिवस

तेलंगाना के राज्यपाल ने तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर राज्य के लोगों को बधाई दी।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग को अलग कर 29वाँ राज्य तेलंगाना बनाया गया।
  - आंध्र राज्य अधिनियम (1953) ने मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर भारत के पहले भाषाई राज्य का गठन किया, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है।
  - राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956), के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर एक विस्तृत आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया।
  - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (2014) ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया, (अर्थात् आंध्र प्रदेश (शेष) और तेलंगाना)।
- राजधानी:
  - हैदराबाद
- सीमाएँ:
  - तेलंगाना उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व दिशाओं में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है।
- तेलंगाना के चार प्रतीक:
  - राज्य पक्षी - पालपिट्टा (भारतीय रोलर या ब्लू जे)।
  - राज्य पशु - जिंका (हिरण)।
  - राजकीय वृक्ष - जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरिया)।
  - राज्य पुष्प - तांगेडु (टान्नर कैसिया)।
- लोकप्रिय त्यौहार:
  - उगादि, श्रीराम नवमी, बोनालु, विनायक चतुर्थी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति, होली, महाशिवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों को धूमधाम, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है।
  - दशहरा 'पेडा पांडुगा' के साथ मुख्य त्योहार है।
- वैश्विक मान्यता:
  - मुलुगु जिले में रामप्पा मंदिर काकतीयों की विशिष्ट शैली प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की नींव "सैंडबॉक्स तकनीक" है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
  - निर्मल ज़िले में गोदावरी नदी और कामारेड्डी ज़िले में पेड्डा चेरुवु नदी के पार सदरमट एनीकट विरासत सिंचाई संरचनाओं के ICID रजिस्टर में शामिल हैं।
- राष्ट्रीय उद्यान:
  - कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान
  - महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान
  - मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान
- वन्य जीवन अभयारण्य:
  - किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य
  - एतुर्नगरम वन्यजीव अभयारण्य
  - कवाल टाइगर रिज़र्व
  - लांजा मदुगु शिवराम वन्यजीव अभयारण्य
  - मंज़ीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य
  - नागार्जुन सागर-श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य
  - पाखल वन्यजीव अभयारण्य
  - पोचारम वन्यजीव अभयारण्य
  - प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य
- जल विवाद:
  - कृष्णा नदी विवाद
- अन्य संबंधित पहल:
  - तेलंगाना ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा तैयार किये गए ड्रोन-आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, i-ड्रोन के उपयोग को दूरस्थ क्षेत्रों में टीके पहुँचाने के लिये मंज़ूरी दी है।

पेंटेड लेपर्ड गेको

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने लेपर्ड गेको की एक नई रंगीन प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम यूबलफेरिस पिक्टस है, जिसे पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जाना जाता है, इससे पहले इसे एक पूर्व ज्ञात प्रजाति से संबंधित माना जाता था।

शोध के निष्कर्ष:

- यह नई प्रजाति ई हार्डविकी को छोड़कर यूबलफेरिस प्रजाति के सभी सदस्यों से अलग है।
  - यूबलफेरिस पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी एशिया के मूल स्थलीय गेको की एक प्रजाति है।
- नई प्रजाति शुष्क सदाबहार वनों में रहती है जो झाड़ीदार घास के मैदानों में पाई जाती हैं। यह पूर्णतया रात्रिचर है जिनकी गतिविधियाँ जंगलों में शाम के बाद बढ़ जाती हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने शुरूआत में इसकी पहचान पूर्वी भारत के लेपर्ड गेको (यूबलफेरिस हार्डविकी) के रूप में की थी। यह नई प्रजाति आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में पाई जाती है।
  - ब्राह्मणी नदी भौगोलिक रूप से दोनो प्रजातियों को अलग करती है।
- गेको जीनस यूबलफेरिस की अब 7 प्रजातियाँ मौजूद हैं।
- IUCN (प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ) संरक्षण प्राथमिकता मानदंड के आधार पर, शोधकर्ताओं ने इसे नियर थ्रेटड (NT) के रूप में सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया।
- इस क्षेत्र में अधिक शोध जैव विविधता के उचित संरक्षण को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। पूर्वी घाटों का गंभीर रूप से सर्वेक्षण किया गया है, साथ ही समर्पित प्रयासों से इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

गेको (Geckos):

- गेको, जीवों की सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इन रंगीन छिपकलियों ने वर्षावनों से लेकर रेगिस्तानों तथा ठंडे पहाड़ी ढलानों तक के आवासों के लिये स्वयं को अनुकूलित किया है।
- गेको की अधिकाँश प्रजातियाँ रात्रिचर होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सक्रिय होती हैं, लेकिन दिन के दौरान सक्रिय रहने वाली गेको प्रजातियाँ कीटों, फलों और फूलों के पराग पर निर्भर होती हैं।
- गेको को प्रजातियों को छह श्रेणियों के तहत विभाजित किया गया है:
  - कारफोडैक्टिलिडे (Carphodactylidae)
  - डिप्लोडैक्टाइलिडे (Diplodactylidae)
  - यूबलफेरिडे (Eublepharidae)
  - गेकोनिडे (Gekkonidae)
  - फाइलोडैक्टाइलिडे (Phyllodactylidae)
  - स्फेरोडैक्टिलिडे (Sphaerodactylidae)

भारत में गेको की अन्य प्रजातियाँ:

- इंडियन गोल्डन गेको (श्रेणी- Gekkonidae) भारत (तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश) के लिये स्थानिक है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern-LC)
- गेकोनिडे श्रेणी की टोके गेको (Tokay Gecko) भारत-मलय क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern-LC)

ऑपरेशन महिला सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 7000 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो अनधिकृत तरीके से महिलाओं के लिये आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे।

- इस दौरान RPF ने ऑपरेशन आहट (AAHT) के तहत लड़कियों/महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया।

ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में

- परिचय:
  - महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 3 से 31 मई, 2022 तक अखिल भारतीय अभियान "ऑपरेशन महिला सुरक्षा" आयोजित किया गया था।
- इस तरह के अन्य अभियान:
  - ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय पहल "मेरी सहेली" भी आयोजित किया जा रहा है।
    - भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये "मेरी सहेली" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक की पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है

रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

- RPF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। जो भारतीय रेल, रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- RPF की उत्पत्ति वर्ष 1882 में हुई जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे।
- वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को एक वैधानिक बल के रूप में मान्यता दी गई, जिसे बाद में वर्ष 1985 में भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया।
- RPF नियम 1959 में बनाए गए थे और RPF विनियम 1966 में प्रकाशित हुए थे। उसी वर्ष रेलवे संपत्ति (गैर-कानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 को लागू करके रेलवे संपत्ति मामले में शामिल अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की कुछ सीमित शक्तियाँ इस बल को प्रदान की गईं।
- आरंभ में, RPF को मुख्य रूप से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई लेकिन जहाँ एक ओर प्रभावी और अनुशासित बल के रख-रखाव के लिये RPF अधिनियम के प्रावधानों को अभावग्रस्त पाया गया, वहीं RPF नियम और विनियम भी न्यायिक रूप से अनुचित पाए गए।
    - तद्नुसार, संघ के सशस्त्र बल के रूप में इस बल के गठन और रख-रखाव हेतु आरपीएफ अधिनियम, 1957 को वर्ष 1985 में संसद द्वारा संशोधित किया गया था।

भारत का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप

हाल ही में उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज (ARIES), नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर ने अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप (ILMT) की स्थापना की है।

आईएलएमटी की मुख्य विशेषताएँ:

- यह खगोल विज्ञान के लिये अधिकृत होने वाला विश्व का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप (LMT) बन गया है और विश्व में कहीं भी परिचालन में आने वाला अपनी तरह का पहला है।
- हिमालय में 2,450 मीटर की ऊँचाई से ILMT का उपयोग करके क्षुद्रग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा।
- पहले निर्मित टेलीस्कोप या तो उपग्रहों को ट्रैक करते थे या सैन्य उद्देश्यों के लिये तैनात किये जाते थे।
- ILMT देवस्थल में बनने वाली तीसरी दूरबीन सुविधा होगी।
    - देवस्थल खगोलीय अवलोकन प्राप्त करने के लिये विश्व के मूल स्थलों में से एक है।
    - देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) और देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DFOT) देवस्थल में अन्य दो टेलीस्कोप सुविधाएँ हैं।
- अक्तूबर 2022 में ILMT का पूर्ण पैमाने पर वैज्ञानिक संचालन शुरू किया जाएगा।
- यह भारत के सबसे बड़े संचालित देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) के साथ काम करेगा।
- ILMT के विकास में शामिल देश भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज़्बेकिस्तान हैं।

LMT की पारंपरिक टेलीस्कोप से भिन्नता:

- LMT एक स्थिर दूरबीन है, जबकि एक पारंपरिक दूरबीन आकाश में 'इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट' की दिशा में कार्य करती है।
- एक LMT सितारों, आकाशगंगाओं, सुपरनोवा विस्फोटों, क्षुद्रग्रहों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष मलबे जैसे सभी संभावित खगोलीय पिंडों का सर्वेक्षण करेगा। हालाँकि एक पारंपरिक दूरबीन एक निश्चित समय में आकाश के केवल एक अंश को ही दिखा पाती है।
- LMT में एक परावर्तक तरल के साथ दर्पण शामिल होते हैं (ILMT में पारा परावर्तक तरल के रूप में होता है)। दूसरी ओर एक पारंपरिक दूरबीन अत्यधिक पॉलिश वाले काँच के दर्पणों का उपयोग करती है।
- ILMT सभी रातों में आकाश की छवियों को प्राप्त करेगी, जबकि पारंपरिक दूरबीनें केवल निश्चित घंटों में ही आकाश में विशिष्ट वस्तुओं का प्राप्त करती है।

ILMT का महत्त्व:

- बड़ी मात्रा में डेटा (10-15 GB/रात) उत्पन्न होगा। यह वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे नवीनतम कम्प्यूटेशनल टूल्स को डेटा की स्क्रीनिंग, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिये तैनात किया जाएगा।
- इन-हाउस DOT पर लगे स्पेक्ट्रोग्राफ, नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके आगे केंद्रित अनुसंधान करने के लिये चयनित डेटा को आधार डेटा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

प्लैटिगोम्फस बेनरिटेरम

हाल ही में असम में खोजी गई ड्रैगनफ्लाई 'प्लैटिगोम्फस बेनरिटेरम' की एक नई प्रजाति का नाम पूर्वोत्तर में दो महिलाओं द्वारा किये गए अग्रणी कार्यों के लिये उनके नाम पर रखा गया है।

- इसका नाम नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क (NEN) की संस्थापक सदस्य मोनिशा बहल और ग्रीन हब की संस्थापक रीता बनर्जी के नाम पर रखा गया है।

मुख्य बिंदु :

- यह प्रजाति, जो एक एकल नर है, जून 2020 में असम में ब्रह्मपुत्र के तट के पास दो शोधकर्त्ताओं द्वारा खोजी गई थी।
- खोजा गया नर अपने चमकदार पंखों और पेट के आधार पर अलग (नया) प्रजाति का प्रतीत होता है।
- इसकी नीली आँखें हैं और गहरे भूरे रंग का चेहरा किनारों पर बालों से ढका हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र के तट से लगभग 5-6 मीटर की दूरी पर एक बड़े पेड़ पर आराम करते हुए पाया गया था।
- इसका निवास स्थान नदी तट के किनारे है जहाँ घास, विरल पेड़, धान के खेत और दलदली भूमि का प्रभुत्व है, साथ ही कुछ वन पैच और वृक्षारोपण वाले क्षेत्र में भी है।
- ड्रैगनफ्लाईज़ और डेम्फ्लाईज़ कीड़ों के क्रम ओडोनाटा से संबंधित हैं।
  - ऑर्डर ओडोनाटा ("दाँतेदार") में कुछ सबसे प्राचीन और सुंदर कीड़े शामिल हैं जो कभी पृथ्वी पर पाए जाते थे, साथ ही कुछ सबसे बड़े उड़ने वाले अकशेरूकीय भी शामिल हैं।
  - ओडोनाटा में तीन समूह होते हैं: अनिसोप्टेरा (जिसमें ड्रैगनफ्लाई शामिल हैं), ज़ीगोप्टेरा (जिसमें डेम्फ्लाईज़ शामिल हैं) और एनिसोज़ीगोप्टेरा (केवल दो जीवित प्रजातियों द्वारा दर्शाया गया एक अवशेष समूह)।

ड्रैगनफ्लाई:

- परिचय:
  - यह एक हवाई शिकारी कीट है जो दुनिया भर में मीठे पानी वाले क्षेत्रों के पास सबसे अधिक पाया जाता है।
  - इनके खास रंग इन्हें खूबसूरत बनाते हैं। जो उन्हें पारिस्थितिकी और कला दोनों के लिये कीटों के व्यवहार पर शोध हेतु महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
- प्राकृतिक वास:
  - ड्रैगनफ्लाई की अधिकांश प्रजातियाँ उष्णकटिबंध में और विशेष रूप से वर्षावनों में रहती हैं।
- महत्त्व:
  - ड्रैगनफ्लाईज़ क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण जैव-संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। वे मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं जो मलेरिया तथा डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों के वाहक हैं।
- खतरे:
  - उनके आवास का तेज़ी से विनाश उनके अस्तित्व के लिये एक सीधा खतरा बन गया है जिससे उनका संरक्षण ज़रूरी हो गया है।

अभ्यास 'पूर्व सम्प्रीति-X'

भारत-बांग्लादेश के बीच 05 जून से 16 जून, 2022 तक बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'पूर्व सम्प्रीति-X' (EX SAMPRITI-X) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - अभ्यास सम्प्रीति दोनों देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन एवं सहयोग को मज़बूती प्रदान करने तथा इसे और अधिक व्यापक बनाने पर केंद्रित है।
- उद्देश्य:
  - दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन को मज़बूत करना और एक-दूसरे के सामरिक अभ्यास एवं परिचालन तकनीकों को समझना।
- भारत का प्रतिनिधित्व:
  - इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है।
- महत्त्व:
  - संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएँ संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अंतर्गत आतंकवाद, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Force) के कई परिदृश्यों में अपनी विशेषज्ञता को साझा करेंगी।

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल प्रतिभागी एक-दूसरे की संगठनात्मक संरचना और सामरिक अभ्यास से परिचित हो सकेंगे।

अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास	
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
एकुवेरिन	मालदीव
हैंड-इन-हैंड	चीन
कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमेडिक एलीफैंट	मंगोलिया
मैत्री	थाईलैंड
वज्र प्रहार	अमेरिका
युद्ध अभ्यास	अमेरिका
शक्ति	फ्राँस
धर्म गार्जियन	जापान
सूर्य किरण	नेपाल
सिम्बेक्स (SIMBEX)	सिंगापुर
लामितिये	सेशेल्स

वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइट 2022

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जहाँ भारत ने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संपर्क के दौरान अपने दूरसंचार कौशल का प्रदर्शन किया।

- यह भागीदारी भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2023-2026 के लिये पुनर्निर्वाचन के साथ संपन्न हुई। भारत 1869 से आईटीयू का सदस्य रहा है तथा संघ के कार्यों और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।
- यह भागीदारी भारत के ITU परिषद में पुनर्निर्वाचन के साथ हुई।

वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS):

- इंफॉर्मेशन सोसाइटी मंच वर्ष 2022 पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 'आईसीटी फॉर डेवलपमेंट' दुनिया के समुदाय की सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह मंच WSIS के कार्यान्वयन पर नेटवर्क बनाने, सीखने और बहु-हितधारक चर्चाओं तथा परामर्श में भाग लेने के लिये संरचित अवसर प्रदान करता है।
- इस मंच का एजेंडा और कार्यक्रम मुक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बनाया जाएगा।
- इसके अलावा 2022 WSIS फोरम संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से WSIS एक्शन लाइन की उपलब्धियों की निगरानी करने और 2005 से WSIS एक्शन लाइन्स के कार्यान्वयन की जानकारी तथा विश्लेषण प्रदान करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।

अभिभाषण की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत ने निम्न गतिशीलता और विशाल आच्छादन मानक विकसित किया है, जिसे पहले 5Gi कहा जाता था, यह एक नए तरंग का उपयोग करके 5G टावरों को ग्रामीण और दूरदराज़ के व्यापक क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम बनाता है।
  - ये मानक पहले 5G मानकों में से थे, जिन्हें ITU द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण 3GPP (तीसरी पीढ़ी की भागीदारी परियोजना) रिलीज़ 17 मानकों का भी हिस्सा बन गए हैं। ये समान भौगोलिक विस्तार वाले देशों के लिये अत्यधिक सहायक होंगे।
- छह सौ से अधिक गाँवों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा रहा है, जिनमें से लगभग 175,000 पहले से ही जुड़े हुए हैं।
- 4जी कनेक्टिविटी से छूटे गाँवों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के ज़रिये कवर किया जा रहा है।
- भारत उन प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है जो विकास में तेज़ी ला सकती हैं और इस अंतर को पाट सकती हैं, जैसे- ई बैंड वायरलेस कैरियर्स, LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) और MEO (मिडिल अर्थ ऑर्बिट) सैटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग करना।
- भारत ने LEO या MEO कनेक्टिविटी के लिये पहला सेवा लाइसेंस जारी किया है और उम्मीद है कि दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
- 5जी टेस्ट बेड, स्वदेशी 4जी तथा 5जी स्टैक विकसित करना, भारतीय 5जी मानकों का विकास तथा 6जी इनोवेशन फोरम की स्थापना लागत को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से 5जी प्रसार को सुविधाजनक बनाने व विशिष्ट विक्रेताओं पर निर्भरता को खत्म करने की पहल है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF):

- USOF यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में लोगों के लिये आर्थिक रूप से उपयुक्त कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण आईसीटी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच हो।

- वर्तमान में इस पर 5% की दर से चार्ज किया जाता है, जबकि टीएसपी इसे घटाकर 3% करने की मांग कर रहे हैं।
- इसे वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत बनाया गया था।
- यह एक गैर-व्यपगत निधि है, अर्थात् लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च नहीं की गई राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिये व्यय की जाती है।
- इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

एक्स खान क्वेस्ट 2022

16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास "एक्स खान क्वेस्ट 2022" मंगोलिया में शुरू हुआ है।

- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है।
- नोमेडिक एलिफेंट अन्य सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है।

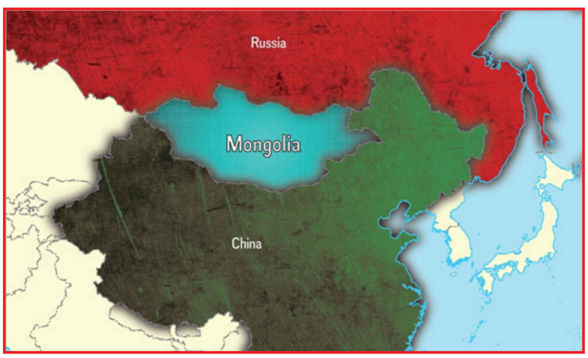

एक्स खान क्वेस्ट:

- खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभियान है।
  - इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बलों के पाँच हिल्स पर्वतीय प्रशिक्षण क्षेत्र में एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान (PKO) मिशन फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है।
- इस अभ्यास को शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार, सैन्य संबंधों को मज़बूत करने और सभी प्रतिभागियों की संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत PKO दक्षताओं को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - वर्ष 2008 का सिद्धांत इसकी पुन: पुष्टि करता है और एक समकालीन समझ प्रदान करता है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के तीन बुनियादी शांति सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, अर्थात्: आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर सहमति, निष्पक्षता और बल का उपयोग न करना।
- यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों के सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में भी सक्षम होगा और इसमें क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल होंगे।
- सैन्य अभ्यास भारतीय सेना तथा प्रतिभागी देशों, विशेष रूप से मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भी वृद्धि होगी।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 में भारत 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर है।

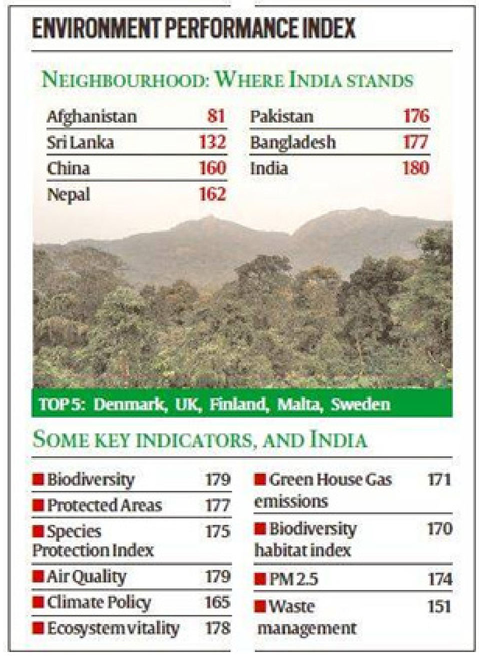

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक:

- परिचय:
  - पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है।
  - पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में 'येल सेंटर फॉर एन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी' और 'कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क' के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था।
- ढाँचा:
  - वर्ष 2022 का EPI 40 प्रदर्शन संकेतकों को 11 निर्गम श्रेणियों में बाँटा गया है।
  - इसके प्रकाशन की श्रेणियों के वितरण में 3 नीतिगत उद्देश्यों के अंतर्गत एकत्रित किया गया है:
    - पर्यावरण स्वास्थ्य

- पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति
- जलवायु परिवर्तन

- ये संकेतक राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुमान प्रदान करते हैं कि कितने अभिन्न देश पर्यावरण नीति लक्ष्य स्थापित कर रहे हैं।
- EPI टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0-100 (सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ) के पैमाने पर करते हैं।

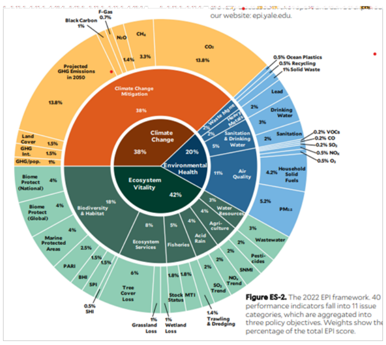

प्रमुख निष्कर्ष:

- वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जो स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और संवहनीय कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों में उल्लेखनीय नेतृत्व के साथ-साथ उन सभी मुद्दों पर मज़बूत प्रदर्शन को दर्शाती है जिन्हें EPI द्वारा ट्रैक किया जाता है।
- यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, दोनों ने हाल के वर्षों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये उच्च स्कोर अर्जित किया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक पश्चिम में 22 समृद्ध/संपन्न लोकतंत्रों में 20वें और समग्र रूप से 43वें स्थान पर है।
- 18.9 के स्कोर के साथ भारत की 180वीं रैंकिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्याँमार के बाद आती है।
  - EPI के अनुसार, भारत ने विधि के शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी प्रभावशीलता के मानक पर भी कम स्कोर किया है।
  - EPI-2020 में भारत 27.6 के स्कोर के साथ 168वें स्थान पर था।
- EPI-2020 में, डेनमार्क को पहले पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता का स्थान दिया गया है।
- EPI का महत्व:
  - EPI निर्णय लेने वालों को शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन के चालकों को पहचानने में सक्षम बनाता है
  - EPI डेटा का विश्लेषण दर्शाता है कि किसी देश की स्थिरता को बढ़ाने के लिये वित्तीय संसाधन, सुशासन, मानव विकास और नियामक गुणवत्ता मायने रखती है।
  - इन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए EPI पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और न्यायसंगत भविष्य के समर्थन में सतत् विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।

राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 (NASP 2022) लॉन्च की है।

- यह नीति निर्माताओं, एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और बड़े पैमाने पर जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई है तथा बुनियादी ढाँचे, उपकरण, प्रशिक्षकों एवं सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

NASP 2022:

- परिचय:
  - NASP 2022 भारत में एक सुरक्षित, किफायती, सुलभ, आनंददायक और टिकाऊ वायु खेल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की दृष्टि रखती है।
- उद्देश्य:
  - देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - वायु खेल के बुनियादी ढाँचे, उपकरण, संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अच्छी प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाना ।
  - एक सरल, हितधारक-अनुकूल और प्रभावी शासन संरचना विकसित करना।
  - वैश्विक वायु खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को बढ़ानाा।
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में वायु खेल उपकरणों के डिज़ाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देना।
- शासी निकाय: भारत में वायु खेलों के लिये चार स्तरीय शासन संरचना होगी, अर्थात्:
  - एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ASFI) सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में।
  - व्यक्तिगत वायु खेलों के लिये राष्ट्रीय संघ या उपयुक्त के रूप में वायु खेलों का एक संघ।
  - क्षेत्रीय (जैसे पश्चिम / दक्षिण / उत्तर-पूर्व आदि) या राष्ट्रीय वायु खेल संघों की राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर की इकाइयाँ।
  - ज़िला स्तरीय वायु खेल संघ, जैसा उपयुक्त हो।

- शामिल खेल:
  - एयरोबेटिक्स, एयरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेट, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग तथा पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग एवं पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग (स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग और विंग सूट आदि सहित), पैराग्लाइडिंग व पैरा मोटरिंग (पावर्ड पैराशूट ट्राइक आदि सहित), पावर्ड एयरक्राफ्ट (अल्ट्रा लाइट, माइक्रो लाइट तथा लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट आदि सहित), रोटरक्राफ्ट (ऑटोगाइरो सहित)।
- महत्त्व:
  - भारत में वायु खेलों की दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल होने की क्षमता है। इसका बड़ा कारण भौगोलिक विस्तार, विविध स्थलाकृति और उचित मौसम की स्थिति है।
    - इसकी एक बड़ी आबादी है, जिसमें खासकर युवा हैं। इसमें साहसिक खेलों और विमानन के लिये एक बढ़ती हुई संस्कृति है।
  - हवाई खेल गतिविधियों से प्रत्यक्ष राजस्व के अलावा विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन, बुनियादी ढाँचे और स्थानीय रोज़गार के विकास के मामले में कई गुना अधिक लाभ हैं।
  - देश भर में हवाई खेल हब बनाने से दुनिया भर से एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स और पर्यटक भी आएंगे।

खेल विकास हेतु सरकार की पहल:

- खेलो इंडिया योजना
- राष्ट्रीय खेल विकास निधि
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (NSTC) योजना
- भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना (STC)
- विशेष क्षेत्र खेल (SAG) योजना
- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स

आगे की राह

- 35 वर्ष से कम आयु के भारतीय युवाओं की ऊर्जा का लाभ उठाने की आवश्यकता है, जो भारत की जनसंख्या का 70% हैं एवं यूरोप की कुल जनसंख्या और संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से तीन गुना अधिक हैं।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक: FSSAI

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक:

- परिचय:
  - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2018-19 से देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्द्धी सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी।
  - खाद्य सुरक्षा के पाँच महत्त्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) द्वारा यह सूचकांक विकसित किया गया है।
    - मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढाँचा और निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
  - सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु ढाँचा प्रदान करता है।
  - वर्ष 2018-19 के लिये पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून, 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था।
- महत्त्व:
  - सूचकांक हमारे नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

राज्यों का प्रदर्शन:

- संपूर्ण:
  - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
- छोटे राज्यों में:
  - गोवा पहले स्थान पर रहा उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा।
- केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य:
  - जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

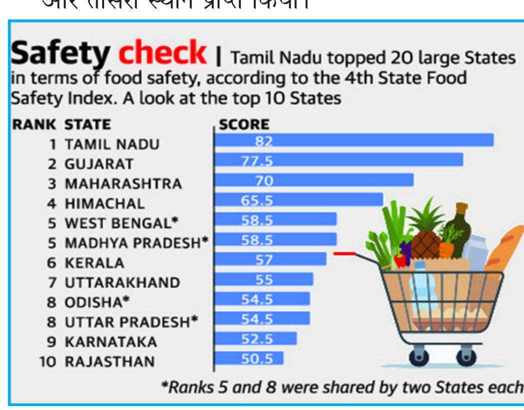

खाद्य सुरक्षा दिवस:

- परिचय:
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त रूप से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को सदस्य देशों तथा अन्य प्रासंगिक संगठनों के सहयोग से मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।
    - यह पहली बार वर्ष 2019 में अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा "खाद्य सुरक्षा के भविष्य" के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूती प्रदान करने के लिये मनाया गया था।
    - विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 2022 की थीम 'सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य' है।
- इस अवसर पर शुरू की गई अन्य पहलें:
    - FSSAI द्वारा शुरू की गई विभिन्न नवीन पहलों में ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स और अनुदान - चरण II, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज- चरण III, स्कूल स्तर की प्रतियोगिता और आयुर्वेद आहार का लोगो शामिल है।
        - इस लोगो में आयुर्वेद आहार और पाँच पत्ते हैं, जो प्रकृति के पाँच तत्त्वों के प्रतीक हैं, यह खाद्य उत्पादों के लिये एक विशिष्ट पहचान तथा उनकी पहचान को आसान बनाने में सहायक होगा।
    - खाद्य जनित रोग प्रकोप जाँच और सूक्ष्मजैविक प्रक्रिया नियंत्रण, मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के नमूने तथा परीक्षण पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ जारी किया गया है।

चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र

हाल ही में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने नासा और 'चंद्र ग्रह संस्थान' के साथ साझेदारी में चंद्रमा का एक नया व्यापक मानचित्र जारी किया है, जिसे 'चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र' (Unified Geologic Map of the Moon) कहा जाता है।

- नया नक्शा चंद्रमा को 1:50,00,000 पैमाने के आकार में दर्शाता है और दावा किया जाता है कि यह शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों, छात्रों तथा आम जनता के काम आएगा।
- यह मानचित्र छह अपोलो-युग क्षेत्रीय मानचित्रों से एकत्रित जानकारी की सहायता से बनाया गया है।
    - इसमें हाल ही में चंद्रमा पर किये गए उपग्रह मिशनों के डेटा का भी उपयोग किया गया है।

महत्त्व:

- भविष्य के मानव मिशन के लिये ब्लूप्रिंट:
    - यह नया मानचित्र "भविष्य के मानव मिशनों के लिये चंद्रमा की सतह के भूविज्ञान के निश्चित ब्लूप्रिंट" के रूप में कार्य करेगा।
- चंद्रमा की सतह को समझने में मदद:
    - इससे चंद्रमा की सतह को समझने में मदद मिलेगी।
    - मानचित्र शोधकर्त्ताओं को चंद्रमा की सतह पर स्थित संरचनाओं के पीछे के इतिहास को जानने में भी मदद करेगा।
        - इससे पहले अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ान भरने वाले एक अंतरिक्षयान के बचे हुए टुकड़े ने (चांग'ई 5-टी 1- चीन का एक चंद्र मिशन) कथित तौर पर चंद्रमा की सतह से टकराकर एक नए क्रेटर का निर्माण किया, जो लगभग 65 फीट चौड़ा लूनर क्रेटर हो सकता है।

चंद्रमा:

- परिचय:
    - चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का पाँचवाँ सबसे बड़ा चंद्रमा है।
    - चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह की गति को स्थिर करने और हमारी जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है।
    - चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 240,000 मील है।
    - चंद्रमा का एक बहुत ही विरल वातावरण है जिसे 'एक्सोस्फीयर' कहा जाता है।
- चंद्रमा की अवस्थाएँ:
    - चंद्रमा चार मुख्य चरणों को प्रदर्शित करता है: अमावस्या, प्रथम चतुर्थांश, पूर्णिमा और अंतिम चतुर्थांश
        - अमावस्या: यह चरण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, इस प्रकार चंद्रमा का छाया वाला भाग पृथ्वी की ओर होता है।
        - पूर्णिमा: यह चरण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है और इस प्रकार चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है।
        - पहली और अंतिम तिमाही: इस चरण में आधा चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से देखे जाने पर सूर्य के संबंध में एक समकोण पर होता है। पृथ्वी, जैसा कि चंद्रमा से देखा गया है, विपरीत क्रम में समान चरणों को दिखाता है, उदाहरण के लिये अमावस्या पर पूरी पृथ्वी पर अंधकार होता है ।
- संबंधित मिशन:
    - चंद्रयान-3 मिशन (भारत)
    - आर्टेमिस -1 चंद्रमा मिशन (संयुक्त राज्य अमेरिका)

एजियन सागर

हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को एजियन सागर में द्वीपों से अपनी सेना हटाने की चेतावनी दी है।

विवाद का कारण:

- तुर्की का पक्ष:
    - तुर्की का कहना है कि ग्रीस, एजियन द्वीपों पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध की संधियों का उल्लंघन कर रहा है।
        - तुर्की ने तर्क दिया कि द्वीपों पर किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि न करने की शर्त पर इसे ग्रीस को सौंपा गया था।
- ग्रीस का पक्ष :
    - ग्रीस का कहना है कि तुर्की ने जान-बूझकर संधियों की गलत व्याख्या की है और उसका यह भी कहना है कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के बाद खुद का बचाव करने के लिये उसके पास कानूनी आधार हैं, जिसमें ग्रीस द्वारा अपने जलीय क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने पर लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की धमकी भी शामिल है।
    - ग्रीस और तुर्की के बीच वर्तमान मतभेद उनके स्थल सीमा को लेकर नहीं बल्कि समुद्री क्षेत्र विस्तार को लेकर है।
        - वर्तमान में दोनों देशों के पास एजियन सागर में छह समुद्री मील (11 किमी.) तक प्रादेशिक जल अधिकार है।
        - समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) जो कि वर्ष 1982 में संपन्न हुआ, द्वारा 158 देशों ने इसकी पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक देश 12 मील (लगभग 20 किमी.) तक समुद्री जल अधिकार का दावा कर सकता है।
- संबंधित संधि:
    - ग्रीस ने वर्ष 1912-13 के बाल्कन युद्धों में ओटोमन साम्राज्य से लिम्नोस, समोथ्रेस, लेसवोस, समोस, चियोस और इकारिया के द्वीपों को छीन लिया था।
        - वर्ष 1923 की लॉज़ेन की संधि में इसे आधिकारिक तौर पर इन क्षेत्रों के लिये संप्रभु माना गया था।
    - वर्ष1914 में लंदन में की गई एक अन्य संधि के तहत ग्रीक को द्वीपों पर नियंत्रण को उनके विसैन्यीकरण की शर्त पर सौंपा गया था।
        - तुर्की के अनुसार, लॉज़ेनि की संधि वर्ष 1914 की संधि का संदर्भ देती है, इसका तात्पर्य उसी शर्त से है।
    - ग्रीस उस व्याख्या को खारिज करता है।

एजियन सागर की मुख्य विशेषताएँ:

- एजियन सागर भूमध्य सागर का एक भाग है, जो पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप और पूर्व में एशिया माइनर के बीच स्थित है।
- एजियन डार्डनेल्स, मार्मारा सागर और बोस्पोरस के जलडमरूमध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि क्रेते द्वीप दक्षिण की सीमा को निर्धारित करता है।

सिरुमलाई पहाड़ियों में जैवविविधता पार्क: तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार डिंडीगुल ज़िले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैवविविधता पार्क विकसित कर रही है।

- इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सतत् प्रबंधन के लिये जागरूकता पैदा करना है।

मुख्य बिंदु :

- यह पार्क एक प्रकृति संरक्षक है जो क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को आश्रय देता है तथा इसका शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य है, साथ ही यह पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है।
- यहाँ पर विभिन्न जैवविविधता घटक जैसे- स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर आदि पाए जाते हैं।
- पार्क के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे लगाए गए हैं तथा आवश्यक सिंचाई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- तितलियों और मेज़बान पौधों को आकर्षित करने के लिये परागण पौधों के संयोजन की भी योजना बनाई गई है।

जैवविविधता पार्क:

- परिचय:
  - जैवविविधता पार्क जंगल का एक अनूठा परिदृश्य है जहाँ एक क्षेत्र में जैविक समुदायों के रूप में देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के पारिस्थितिकी को पुन: संयोजित किया जाता है।
  - पार्क का अंतर्निहित सिद्धांत देशी वनस्पतियों और जीवों जो कि क्षेत्र की विशेषताएँ हैं, के साथ आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को पुन: सृजित करना है।
- उद्देश्य:
  - जैवविविधता और इसके महत्त्व के बारे में वन हितधारकों, जनता और छात्र समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना।
  - पौधों की विविधता का सृजन करना जो मानव अस्तित्व के लिये संकटापन्न, संकटग्रस्त होने के साथ-साथ अत्यधिक मूल्यवान हैं।
  - दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों सहित महत्त्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के साथ एक जीन बैंक का निर्माण करना।
  - ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को कम करने के लिये स्वदेशी प्रजातियों के साथ भावी पीढ़ियों के लिये कार्बन सिंक बनाना।
  - प्राकृतिक संसाधनों और इसके प्रबंधन के प्रति संरक्षण और अभिमूल्यन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसर पैदा करना, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय जो अनादि काल से वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा रहे हैं।

सिरुमलाई हिल रेंज से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - सिरुमलाई हिल्स तमिलनाडु के डिंडीगुल ज़िले में 60,000 एकड़ में फैला हुआ है।
  - इन्हें पूर्वी घाटों का प्रेरक माना जाता है। ये डिंडीगुल शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 400 से 1,650 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।
  - पहाड़ियाँ कई दुर्लभ और स्थानिक पौधों के भंडार के रूप में कार्य करती हैं।
- वनस्पति:
  - निचली पहाड़ी शृंखला में अत्यधिक अशांत झाड़ीदार वन हैं, जबकि मध्य पहाड़ी शृंखला के प्रमुख भाग पर उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन हैं।
  - ऊँचाई पर अर्द्ध-सदाबहार वन स्थित हैं। वुडलैंड सवाना ऊँचाई पर ढलानों के साथ पाए जाते हैं।
- जंतु जगत:
  - इस क्षेत्र में गौर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, माउस डियर, बार्किंग डियर, सियार, सुस्त भालू, जंगली सूअर, भारतीय पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और सरीसृप व एविफौना की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023

हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग:

- क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) महत्त्वाकांक्षी पेशेवरों के लिये एक प्रमुख वैश्विक कॅरियर और शैक्षिक नेटवर्क है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाना है।
- क्यूएस, संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिये तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करके उन्हें सफलतापूर्वक लागू करता है।
- 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वैश्विक समग्र और विषय रैंकिंग शामिल है।
- मूल्यांकन के लिये छह मापदंड और उनका भारांश:
- अकादमिक प्रतिष्ठा (40%)
- नियोक्ता प्रतिष्ठा (10%)
- संकाय/छात्र अनुपात (20%)
- उत्कृष्टता प्रति संकाय (20%)
- अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात (5%)
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात (5%)

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक रैंकिंग:
  - शीर्ष रैंक:
    - अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी है।

- दूसरा स्थान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को मिला, इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है।

INDIA'S BEST

Top Indian institutes in QS World University Rankings 2023

2023	Institute	2022
155	IISc Bangalore	186
172	IIT Bombay	177
174	IIT Delhi	185
250	IIT Madras	255
264	IIT Kanpur	277
270	IIT Kharagpur	280
369	IIT Roorkee	400
384	IIT Guwahati	395

Source: QS (https://www.TopUniversities.com/)

- भारतीय संस्थान:
  - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) को सर्वोच्च स्थान दिया गया, इसके बाद क्रमश: IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1,000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है।
    - IISc बंगलूरू दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है, जिसने इस मीट्रिक के लिये 100/100 स्कोर प्राप्त किया है।
    - इसके अलावा IISc बंगलूरू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप-200 में सबसे तेज़ी से बढ़ता दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है।
  - कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा संस्थानों (जिनमें से 41 ने रैंकिंग में जगह बनाई) ने कई प्रमुख मानकों में खराब प्रदर्शन किया है।
    - उदाहरण के लिये 41 में से 30 विश्वविद्यालयों को केवल चार रिकॉर्डिंग सुधारों के साथ संकाय छात्र अनुपात (FSR) संकेतक में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
  - रिपोर्ट से पता चलता है कि शीर्ष 500 श्रेणी में भारत की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि दुनिया भर के अन्य IIT की तरह ही भारत के IIT संचालित हैं।
    - IISc के अलावा आठ IIT (दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इंदौर) को विश्व स्तर पर शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है।
    - इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना की शुरुआत के बाद से किसी भी अन्य भारतीय विश्वविद्यालय, सार्वजनिक या निजी को विश्व स्तर पर शीर्ष 500 श्रेणी में जगह नहीं मिली है।

संबंधित भारतीय पहल:

- 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस' योजना:
  - सरकार ने 20 संस्थानों (10 सार्वजानिक क्षेत्र से और 10 निजी क्षेत्र से) की स्थापना या उन्नयन के लिये नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसे विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों यानी 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:
  - इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
- अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (IMPRINT):
  - यह एक नई शिक्षा नीति विकसित करने और ऐसी प्रमुख इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिये अनुसंधान हेतु एक रोडमैप विकसित करने की अपनी तरह की पहली पहल है, जिन्हें भारत के लिये समावेशी विकास व आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।
- उच्चतर आविष्कार योजना
  - इस योजना को ऐसे उच्चतर नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से शुरू किया गया था, जो प्रत्यक्ष तौर पर उद्योग की आवश्यकताओं को प्रभावित करता हो और इस प्रकार भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में सुधार करता हो।

नन्ही परी कार्यक्रम

हाल ही में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली ज़िला प्रशासन द्वारा 'नन्ही परी' (Nanhi Pari) कार्यक्रम शुरू किया गया।

कार्यक्रम के बारे में:

- परिचय:
  - 'नन्ही परी' कार्यक्रम माता-पिता को दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने की एक योजना है।
- उद्देश्य:
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य माँ और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है।

- इसके अन्य उद्देश्यों में बालिकाओं और माताओं के लिये सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के लिये अस्पताल में ही पंजीकरण करवाना भी शामिल है।
    - इनमें से अधिकांश योजनाओं का मूल उद्देश्य बालिकाओं के जीवन की रक्षा करना और उनके लिये एक सुरक्षित वातावरण तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।
- योजनाएँ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें और बालिकाओं के हितों की रक्षा करें यह सुनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना भी है।

- महत्त्व:
    - यह सभी बच्चों और माताओं के लिये योजनाओं की प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाता है।
    - इससे माता-पिता को आवश्यक योजनाओं का लाभ उठाने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा।

संस्थागत प्रसव:

- इसका अर्थ है प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्यकर्मियों की समग्र देख-रेख में एक चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देना।
- यह स्थिति को संभालने एवं माँ और बच्चे के जीवन को बचाने के लिये सुविधाओं की उपलब्धता का भी प्रतीक है।

अन्य संबंधित पहलें:

- जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)
- लक्ष्य (प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल)
- पोषण अभियान

रामसे हंट सिंड्रोम'

हाल ही में पॉप सिंगर जस्टिन बीबर 'रामसे हंट सिंड्रोम' से प्रभावित हो गए हैं।

रामसे हंट सिंड्रोम:

- परिचय:
    - रामसे हंट सिंड्रोम, जिसे 'हरपीज ज़ोस्टर ओटिकस' के नाम से भी जाना जाता है, चेहरे की तंत्रिका के 'जीनिकुलेट गैंग्लियन' (7वीं कपाल तंत्रिका) पर एक वायरस का संक्रमण है, ये तब होता है जब संक्रमण चेहरे की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है।
    - इससे नसों में सूजन हो जाती है, तो वे कार्य करने की क्षमता खो देती हैं, जिससे अस्थायी रूप से चेहरे पर पक्षाघात हो जाता है।
        - शरीर में 12 कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। 'रामसे हंट सिंड्रोम' एक वायरल संक्रमण है जो चेहरे की गतिविधियों में शामिल 7वीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है।
    - हर 1,00,000 लोगों में से केवल पाँच से 10 लोग ही हर साल 'रामसे हंट सिंड्रोम' से ही प्रभावित होते हैं, जिससे यह एक अत्यंत दुर्लभ विकार बन जाता है।
- कारण:
    - रामसे हंट सिंड्रोम वैरीसेला ज़ोस्टर वायरस (Varicella Zoster Virus) के पुनर्सक्रियन (Reactivation) होने के कारण होता है जो पहले रोगी में चिकनपॉक्स (Chickenpox) और दाद (Shingles) का कारण बना है।
    - यह वायरस हर्पीसवायरस समूह से संबंधित है जो शरीर में एक गुप्त या अप्रत्यक्ष संक्रमण (Latent Infection) के रूप में पाया जा सकता है।
    - वैरीसेला ज़ोस्टर वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) के कमज़ोर होने के कारण पुन: सक्रिय हो सकता है।
    - हालाँकि यह एक संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन उन लोगों में यह चिकनपॉक्स का कारण हो सकता है जिन्हें इस बीमारी का टीका नहीं लगाया गया है।
- लक्षण:
    - यह रोग लाल रंग के पैच के रूप में शुरू होता है जो लगातार पैच के दानों में सूजन का कारण बन है। कभी-कभी दाने प्रभावित तंत्रिका के साथ ईयरड्रम, ईयर कैनाल, ईयर लोब, जीभ और मुँह तक को प्रभावित कर सकते हैं।
- उपचार:
    - आमतौर पर इस स्थिति का इलाज करने हेतु एंटीवायरल थेरेपी (Antiviral Therapies) और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स (एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग) का उपयोग किया जाता है।

मक्का के फोर्टिफिकेशन की माया तकनीक

हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार माया सभ्यता के लोगों ने मक्का को 'निक्सटामलाइज़ेशन' (Nixtamalisation) नामक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फोर्टीफाइड किया और मेसो अमेरिका (Mesoamerica) में युकटान प्रायद्वीप के चूना पत्थर की चट्टानों के अंदर खोदे गए गड्ढों में इनडोर शौचालय भी निर्मित किये।

माया सभ्यता:

- परिचय:
  - माया मेक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग हैं जो मेक्सिको में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टबैस्को, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज़, अल सल्वाडोर और होंडुरास के निवासी हैं।
  - माया सभ्यता की उत्पत्ति युकटान प्रायद्वीप में हुई थी। इसे अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिये जाना जाता है।
  - माया सभ्यता का उदय लगभग 250 ई० में हुआ और पुरातत्त्वविद इसे माया संस्कृति के क्लासिक पीरियड के रूप में बताते हैं जो लगभग 900 ई० तक चला। अपनी चरम स्थिति में माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी लगभग 5,000 से 50,000 के बीच थी।
  - लेकिन फिर अचानक 800 से 950 ई० के बीच कई दक्षिणी शहरों को छोड़ दिया गया। इस अवधि को क्लासिक माया सभ्यताओं का पतन कहा जाता है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भ्रमित करती है।
- विशेष लक्षण:
  - 1500 ईसा पूर्व माया सभ्यता का विकास गाँवों में हुआ तथा मकई (मक्का), सेम (Beans), स्क्वैश (Squash) की खेती के माध्यम से कृषि विकसित हुई। यहाँ 600 ई० तक कसावा (Sweet Manioc) भी उगाया जाता था।
  - उन्होंने समारोह केंद्रों का निर्माण शुरू किया और तकरीबन 200 ई० तक ये मंदिरों, पिरामिडों, महलों, कोर्ट एवं प्लाज़ा वाले शहरों के रूप में विकसित हो गए थे।
  - प्राचीन माया सभ्यता के लोगों ने भारी मात्रा में निर्माण हेतु पत्थर (प्राय: चूना पत्थर) का उत्खनन किया, जिसे उन्होंने 'चर्ट' (Chert) जैसे कठोर पत्थरों का उपयोग करके काटा। वे मुख्य रूप से स्लेश-एंड-बर्न कृषि अथवा झूम कृषि में संलग्न थे, लेकिन उन्होंने सिंचाई और पर्वतीय कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने चित्रलिपि लेखन एवं अत्यधिक परिष्कृत कैलेंडर तथा खगोलीय प्रणालियों की एक प्रणाली भी विकसित की।
  - माया सभ्यता के लोगों ने जंगली अंजीर के पेड़ों की भीतरी छाल से कागज़ बनाया और इस कागज़ से बनी किताबों पर अपनी चित्रलिपि लिखी। इन पुस्तकों को 'कोडेक्स' कहा जाता है।
  - माया सभ्यता के लोगों ने मूर्तिकला एवं नक्काशी की एक विस्तृत और सुंदर परंपरा भी विकसित की।
  - प्रारंभिक माया सभ्यता के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत वास्तुकला कार्य और पत्थर के शिलालेख व नक्काशीदार कार्य हैं।

माया द्वारा उपयोग की जाने वाली निक्सटामलाइज़ेशन तकनीक:

- निक्सटामलाइज़ेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मेसोअमेरिका के प्राचीन लोग जैसे- माया, ये लोग मक्का को एक क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते थे और इसे अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और गैर विषैला बनाते थे। निक्सटामल नहुआट्ल शब्द नेक्स्टमल्ली से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'निक्सटामलाइज़्ड मक्के आटा'।
- मक्का अमेरिका की प्राथमिक फसल है जिसकी इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों से खेती की जाती रही है। मक्का, बीन्स और स्क्वैश को 'थ्री सिस्टर्स' कहा जाता है, जो पूर्व-कोलंबिया, उत्तर और मेसोअमेरिका में आहार का प्रमुख साधन है।
- शोधकर्त्ताओं ने विश्लेषण किया कि अमेरिका में मक्का के प्रसार का प्रमुख कारण निक्सटामलाइज़ेशन था।
- यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मक्के में अमीनो एसिड, कैल्शियम और विटामिन B2 बना रहे, जिसका उपयोग मानव द्वारा किया जा सकता है। यह मक्के में मौजूद कुछ मायकोटॉक्सिन (कुछ कवकों द्वारा निर्मित और भोजन में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ) को भी समाप्त करता है।
- इस उपचार के बिना, मक्का पर निर्भर आबादी में पेलाग्रा (विटामिन B2 की कमी से), कैल्शियम की कमी और मायकोटॉक्सिन विषाक्तता का खतरा बढ़ गया था।
- निजयोते (Nejayote) जो कि निक्सटामलाइज़ेशन प्रक्रिया का अपशिष्ट जल होता है, जिसका उपयोग सौच-जल के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग गंध को नियंत्रित करने और कीट तथा सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने के लिये भी किया जाता था जैसा कि वर्तमान में भी किया जाता है।

विनियमन समीक्षा प्राधिकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA) ने उन 714 नियामक निर्देशों को वापस लेने की सिफारिश की है जो या तो अप्रचलित या अप्रासंगिक हो गए हैं।

- यह विभिन्न मुद्दों पर RRA 2.0 की सिफारिशों का हिस्सा है, जैसे कि-
  - अनुपालन में आसानी
  - नियामक बोझ में कमी
  - रिपोर्टिंग तंत्र का युक्तिकरण
  - निर्देश और संचार को सुव्यवस्थित करना

RRA 2.0 की सिफारशें:

- प्रपत्र-आधारित रिटर्न को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और 65 नियामक रिटर्न की पहचान की गई है जिन्हें या तो बंद कर दिया जाना चाहिये या अन्य रिटर्न के साथ विलय कर दिया जाना चाहिये या ऑनलाइन रिटर्न में परिवर्तित किया जाना चाहिये।
- हाल के परिपत्रों के साथ संरेखण हेतु वर्जित-समय और पुराने नियमों की समीक्षा तथा निरसन को लिया जा सकता है तथा इस अभ्यास को इस तरह से संस्थागत किया जा सकता है कि केवल वर्तमान एवं अद्यतन निर्देश सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकें।
- RRA द्वारा तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार नियामक या पर्यवेक्षी रिटर्न की आवधिक समीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है।
- नियामक, पर्यवेक्षी और सांविधिक विवरणियों से संबंधित सभी जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक ही स्रोत पर समेकित करने हेतु RBI की वेबसाइट पर एक अलग 'नियामक रिपोर्टिंग' पेज हो।

विनियम समीक्षा प्राधिकरण:

- पृष्ठभूमि:
  - RBI ने 1 अप्रैल, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिये पहला RRA स्थापित किया था।
  - यह जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करेगा।
- RRA 2.O:
  - RRA 2.0 विनियमों के तहत संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करते हुए नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। RRA 2.0 प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करके इसे प्राप्त करेगा।
  - RBI ने विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने और नियामक निर्देशों को कारगर बनाने के लिये वर्ष 2021 में RRA 2.0 की स्थापना की थी।
- RRA 2.0 की संदर्भ शर्तें:
  - यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को कम करके और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसके अलावा यह विनियमित संस्थाओं से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करेगा।
  - RRA रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करेगा; यदि आवश्यक हो तो अप्रचलित निर्देशों को रद्द करेगा।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/अनुदेशों के प्रसार की प्रक्रिया में अपेक्षित परिवर्तनों की जाँच करना और उन पर सुझाव देना।
  - प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये सभी विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ आंतरिक एवं बाह्य रूप से संलग्न होना।

38वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट

38वीं भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त (IND-INDO CORPAT) का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - दोनों नौसेनाएँ वर्ष 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के साथ गश्त का संचालन कर रही हैं।
  - यह दो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को प्रदर्शित करता है।
  - भारत और इंडोनेशिया के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक दृष्टिकोण शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों में और मज़बूत हुए हैं।

- उद्देश्य:
  - इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिये सुरक्षित करना है।
    - सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) के भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना समन्वित गश्त के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
    - विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी, मार्ग अभ्यास और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभ्यासों में सहयोग।
  - CORPATs नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर-संचालनीयता के निर्माण में मदद करते हैं तथा अवैध और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती एवं पायरेसी को रोकने के लिये संस्थागत उपायों की सुविधा प्रदान करते हैं।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास:
  - समुद्र शक्ति: एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
  - गरुड़ शक्ति: एक संयुक्त सैन्य अभ्यास।

गाँठदार त्वचा रोग

हाल ही में गुजरात राज्य के पाँच ज़िलों में लगभग 1,229 मवेशी 'गाँठदार त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease- LSD) से संक्रमित हुए हैं।

'गाँठदार त्वचा रोग के बारे में:

- 'गाँठदार त्वचा रोग का कारण:
  - LSD मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिज़ीज़ वायरस (LSDV) के संक्रमण के कारण होता है।
  - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार, LSD की मृत्यु दर 10% से कम है।
  - 'गाँठदार त्वचा रोग' को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। प्रारंभ में यह या तो ज़हर या कीड़े के काटने का अतिसंवेदनशील परिणाम माना जाता था।
- संक्रमण:
  - गाँठदार त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने, कीड़ों (वैक्टर) के काटने से जानवरों में फैलता है।
- लक्षण:
  - इसमें मुख्य रूप से बुखार, आँखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुँह से लार का टपकना शरीर पर छाले होते हैं।
  - इस रोग से पीड़ित पशु खाना बंद कर देता है और चबाने या खाने के दौरान समस्याओं का सामना करता है, जिसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन कम हो जाता है।
- रोकथाम और उपचार:
  - इन बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण भारत के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है।
  - 'गाँठदार त्वचाा रोग के उपचार के लिये कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध एकमात्र उपचार मवेशियों की सहायक देखभाल है। इसमें घाव देखभाल, स्प्रे का उपयोग करके त्वचा के घावों का उपचार और द्वितीयक त्वचा संक्रमण तथा निमोनिया को रोकने के लिये एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग शामिल हो सकता है।
  - प्रभावित जानवरों की भूख को बनाए रखने के लिये एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatories) दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

संत तुकाराम

हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुणे ज़िले के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया।

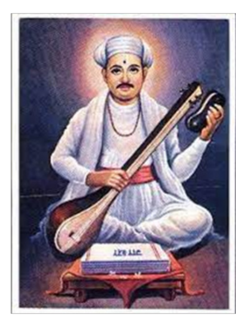

- शिला मंदिर एक पत्थर के स्लैब (शिला) को समर्पित मंदिर है जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिनों तक ध्यान किया।
  - शिला एक चट्टान को संदर्भित करती है जो वर्तमान में देहु संस्थान मंदिर परिसर में स्थित है और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा वारी का प्रारंभिक बिंदु रही है।
- जिस चट्टान पर उन्होंने 13 दिनों तक बैठकर ध्यान किया, वह पवित्र और वरकरी संप्रदाय के लिये तीर्थस्थल माना जाता है।

संत तुकाराम:

- परिचय:
  - संत तुकाराम एक वरकरी संत और कवि थे।

   - यह संप्रदाय पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है और इसके केंद्र में संत तुकाराम एवं उनके कार्य हैं।
- वह अभ्यंग भक्ति कविता और कीर्तन के नाम से उल्लेखनीय आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय-उन्मुख पूजा के लिये प्रसिद्ध थे।
- इसके अलावा उन्होंने अभंग कविता नामक साहित्य की एक मराठी शैली की रचना की, जिसमें आध्यात्मिक विषयों के साथ-साथ लोक कहानियों को सम्मिलित किया गया है।

- उनका दर्शन:
  - तुकाराम ने अपने 'अभ्यंग' साहित्य में चार और लोगों का उल्लेख किया है, जिनका उनके आध्यात्मिक विकास पर बड़ा प्रभाव था- भक्ति संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर एवं एकनाथ।
  - तुकाराम की शिक्षाओं को वेदांत आधारित माना जाता था।
- सामाजिक सुधार:
  - जातिविहीन समाज के बारे में उनके संदेश के परिणामस्वरूप और अनुष्ठानों के इनकार ने सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया था।
  - उनके अभ्यंग, समाज के ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ मज़बूत हथियार बन गए।

रैपिड फायर

जैव विविधता नीति

भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम- NTPC लिमिटेड' ने जैवविविधता के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने हेतु नवीनीकृत जैवविविधता नीति-2022 जारी की है। यह जैवविविधता नीति, NTPC की पर्यावरण नीति का अभिन्न अंग है एवं पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप है। इसके अलावा इस नीति को NTPC समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने के लिये भी तैयार किया गया है। NTPC वर्ष 2018 में जैवविविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम था। उसी वर्ष NTPC, भारत व्यापार और जैवविविधता पहल (IBBI) का सदस्य बन गया था। NTPC जैवविविधता के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, संगठनों, नियामक एजेंसियों और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के साथ भी सहयोग कर रहा है। NTPC द्वारा की गई एक बड़ी पहल में कंपनी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिये आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पाँच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। 4.6 करोड़ रुपए के वित्तीय योगदान और समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ NTPC के हस्तक्षेप के बाद से समुद्र के जल में हैचिंग की संख्या में लगभग 2.25 गुना वृद्धि हुई है।

उपराष्ट्रपति का सेनेगल दौरा

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू तीन देशों (गैबॉन, सेनेगल और कतर) के दौरे के दूसरे चरण में 1 जून, 2022 को अफ्रीकी देश सेनेगल पहुँचे। वह सेनेगल के राष्ट्रपति मेकी सॉल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति की यह यात्रा भारत-सेनेगल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा अफ्रीका के साथ निकटता से जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सेनेगल आधिकारिक तौर पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जिसकी राज़धानी डकार है। रणनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से अफ्रीका हमारे लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। पिछले 3-4 दशकों से भारत ने इस महाद्वीप के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है। हालाँकि पिछले दशक से इसमें और तेज़ी आई है एवं साथ ही कुछ वर्षों में इस संबंध में कई गुना वृद्धि देखी गई है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी हमेशा द्विपक्षीय रही है। उदाहरण के तौर पर भारत-दक्षिण अफ्रीका के मध्य द्विपक्षीय संबंध को देखा जा सकता है। साथ ही जिन विभिन्न व्यापारिक गुटों के साथ साझेदारी के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है उनमें COMESA, ECOWAS, ECCAS, अफ्रीका के प्रमुख मुक्त व्यापार क्षेत्र शामिल हैं।

'डेक्कन क्वीन'

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे (Pune) से जोड़ने वाली प्रीमियम ट्रेन (Premium Train) डेक्कन क्वीन (Deccan Queen) ने 1 जून, 2022 को अपने संचालन के 92 वर्ष पूरे कर लिये हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन 'डेक्कन क्वीन' का परिचालन 1 जून, 1930 को शुरू किया गया था, इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत 'ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे' (Great Indian Peninsula Railway- GIPR) द्वारा शुरू किया गया था। इस ट्रेन के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जिनमें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ढुलाई ट्रेन, 'पहली महिला-स्पेशल ट्रेन' और 'डाइनिंग की सुविधा प्रदान करने वाली पहली ट्रेन' शामिल है। इसका नाम (डेक्कन क्वीन-Deccan Queen) पुणे के नाम पर रखा गया है जिसे 'क्वीन ऑफ डेक्कन' के रूप में भी जाना जाता है।

फूलों की घाटी

हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है। इस संबंध में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। घाटी के प्रवेश द्वार घांघरिया में भी गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। समुद्र सतह से 3962 मीटर की ऊँचाई पर स्थित फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च-तुगंता वाले पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। 6 नवंबर, 1982 को यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फूलों की घाटी में पाँच सौ से अधिक रंग-बिरंगे फूलों की प्रजातियाँ पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अल्पाइन फूलों तथा सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों एवं जीवों की उच्च विविधता और घनत्व पाया जाता है, जिनमें हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी मृग तथा पौधों की विभिन्न प्रजातियों सहित अनेक संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। घाटी को हिंदू पौराणिक कथाओं में `नंदन कानन` अर्थात् "इंद्र का स्वर्ग" के रूप में वर्णित किया गया है।

भारतीय व्यापार पोर्टल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने 27 मई, 2022 को नई दिल्ली में 'भारतीय व्यापार पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल व्यापार से व्यापार (B-2-B) मॉडल का डिजिटल व्यापार स्थल है जो लघु, मध्यम निर्यात उद्यमियों, दस्तकारों और किसानों को अपने उत्पादों के लिये नए बाज़ार का पता लगाने और वैश्विक स्तर पर बिक्री बढ़ाने में मददगार होगा। भारत ने अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति ने हमेशा वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। तद्नुसार, भारत सरकार ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर शेष विश्व के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है, जो दुनिया के अन्य देशों के साथ निर्यात व आयात बढ़ाने और इसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार के विस्तार के लिये यह वेब पोर्टल विकसित किया है।

विश्व साइकिल दिवस

हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष 3 जून को 'विश्व साइकिल दिवस' मनाया जाता है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस साइकिल रैली को आयोजित किया है। फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिये साइकिल के उपयोग पर बल दिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियाँ आयोजित की हैं। इसमें 75 प्रतिभागी साढ़े सात किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा सर्वप्रथम 3 जून, 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। यह दिवस सतत् विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मज़बूत करने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग पर ज़ोर देने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मज़बूत करने तथा समाज में साइकिल के उपयोग की संस्कृति को विकसित करने के लिये अनेक प्रकार के आयोजन किये जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून, 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन बच्चों को तोहफे दिये जाते हैं तथा उनके लिये विशेष समारोहों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में करीब 43 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल मज़दूरी करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार विश्व के कुल बाल मज़दूरों में 12 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। भारत में कानून के अनुसार, बाल श्रम कराने पर छह माह से दो साल तक कारावास की सज़ा हो सकती है।

अफगानिस्तान में मानवीय सहायता

अफगानिस्तान में मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख के लिये एक भारतीय दल 2 जून से काबुल के दौरे पर हैं। इसके सदस्य मानवीय सहायता वितरण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। यह दल उन स्थानों का भी दौरा करेगा, जहाँ भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएँ लागू की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय ज़रूरतों को देखते हुए सहायता भेजने का फैसला किया था। भारत ने वहाँ खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और कोविडरोधी टीकों सहित राहत सामग्री की कई खेप भेजी हैं। भारतीय सहायता का अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिये मानवीय सहायता के बारे में बातचीत करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा कब्ज़ा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 1990 के दशक में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, जो वर्ष 1950 की मैत्री संधि (Treaty of Friendship) से आगे बढ़े थे। भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश और वित्तीय प्रतिबद्धताओं (3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) की पूर्ति की है और अफगान सरकार के साथ मज़बूत आर्थिक और रक्षा संबंध विकसित किये हैं। लेकिन अब एक बार फिर वह अनिश्चितता की स्थिति से गुज़र रहा है क्योंकि अमेरिकी सैन्य बल की वापसी ने अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को प्रभावी रूप से बदल दिया है और तालिबान ने अब यहाँ तेज़ी से अपनी क्षेत्रीय पकड़ मज़बूत कर ली है।

सत्येंद्रनाथ बोस

गूगल ने 4 जून, 2022 को प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस को भौतिकी और गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिये विशेष डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी।सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी, 1894 को हुआ था, बोसॉन एक उप-परमाण्विक कण (Subatomic Particles) है जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा था। वे भारतीय मैथेमैटिशियन और ओरिटिकल फिजिक्स में वैज्ञानिक थे। बोस की भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,

खनिज विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रुचि थी। उन्हें 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उनके द्वारा दिये गए योगदान के लिये भी याद किया जाता है।उन्होंने बोस स्टैटिस्टिक्स और बोस कंडेंसेट की स्थापना की थी। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। 1924 में बोस ने शास्त्रीय भौतिकी के संदर्भ के बिना प्लैंक के क्वांटम विकिरण नियम पर एक पेपर लिखा। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

पुनीत सागर अभियान

एनसीसी (National Cadet Core) ने 30 मई, 2022 को अपने देशव्यापी प्रमुख अभियान 'पुनीत सागर अभियान' के नवीनतम चरण की शुरुआत की, यह अभियान 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस तक जारी रहेगा। इस अभियान के नवीनतम चरण में 10 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेट भाग लेंगे। इन एनसीसी कैडेटों के साथ देश भर में कई स्थानों पर एनसीसी के पूर्व छात्र, स्थानीय लोग और पर्यटक भी इस अभियान से जुड़ेंगे। इस अभियान के दौरान एकत्र किये गए कचरे को सरकार/निजी एजेंसियों के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाया जाएगा। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत एनसीसी द्वारा नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने, समुद्र तटों व नदी के किनारों को साफ रखने के महत्त्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों को 'स्वच्छ भारत' के बारे में अवगत कराना और उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाना है। एनसीसी का गठन वर्ष 1948 (एच.एन. कुंजरु समिति-1946 की सिफारिश पर) में किया गया था। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है और इसका नेतृत्त्व थ्री स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ 2 जून, 2022 को ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिये एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की। इस एकीकृत लैंडस्कैप प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 मार्च, 2021 को इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने इसके कार्यान्वयन की मंज़ूरी दी थी। इस योजना में बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी प्रमुख प्रजातियों के बेहतर आवास संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये प्रावधान हैं। इससे जैवविविधता संरक्षण तथा मानव कल्याण, विशेष रूप से वन आश्रित समुदायों के लिये परिदृश्य को समग्र रूप से समेकित करने में मदद मिलेगी। इससे मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ संपर्क को मज़बूत करके इस परिदृश्य में बाघों को रखने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

हॉकी 5-एस चैंपियनशिप

भारत ने पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) हॉकी 5-एस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। स्विट्ज़रलैंड के लुसान में 05 जून, 2022 को फाइनल में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। पाँच टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत लीग मुकाबलों के बाद 10 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा। हॉकी 5-एस बहुत तेज़ी और उच्च कौशल के साथ खेला जाने वाला हॉकी का नया एवं छोटा प्रारूप है। कुल 20 मिनट के इस मैच में दोनों टीम्स में पाँच-पाँच खिलाड़ी होते हैं। वर्ष 2014 में चीन के नानजिंग युवा ओलिंपिक खेलों में पहली बार हॉकी 5-एस मुकाबला का आयोजन किया गया था। हॉकी को छोटे फॉर्मेट के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) की मुहिम का हिस्सा है। इस छोटे प्रारूप हेतु खेल का मैदान नियमित मैदान के आकार का आधा होता है। हालाँकि यह प्रतियोगिता पर भी निर्भर करता है। FIH के नियम के अनुसार, हॉकी 5-एस के टर्फ के लिये अधिकतम आकार 55 X 42 मीटर होगा, जबकि न्यूनतम आकार 40 X 28 मीटर होगा।

भारतीय लिपस्टिक पौधा

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के शोधकर्त्ताओं ने एक सदी से भी अधिक समय बाद अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ ज़िले (Anjou District) में एक दुर्लभ पौधे की खोज की है. इसे 'भारतीय लिपस्टिक पौधे' के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की खोज सबसे पहले वर्ष 1912 में ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री स्टीफन ट्रॉयट डन ने की थी। यह खोज एक अन्य अंग्रेज़ वनस्पतिशास्त्री इसहाक हेनरी बर्किल द्वारा अरुणाचल प्रदेश से एकत्र किये गए पौधों के नमूनों पर आधारित थी. इसे वनस्पति विज्ञान में 'एस्किनैन्थस मोनेटेरिया डन' (Eschinanthus Monetaria Dun) के नाम से जाना जाता है. BSI के वैज्ञानिकों ने बताया कि ट्यूबलर रेड कोरोला (Tubular Red Corolla) की उपस्थिति के कारण जीनस एस्किनैन्थस (Genus Eschinanthus) के तहत कुछ प्रजातियों को लिपस्टिक प्लांट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में फूलों के अध्ययन के दौरान दिसंबर 2021 में अंजॉ ज़िले के ह्युलियांग और चिपरू से 'एस्किनैन्थस' के कुछ नमूने एकत्र किये थे। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा और ताज़ा नमूनों के अध्ययन से पुष्टि हुई कि नमूने एस्किनैन्थस मोनेटेरिया के हैं, जो वर्ष 1912 के बाद से भारत में नहीं पाए गए। प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) ने इन प्रजातियों को 'लुप्तप्राय' श्रेणी में रखा है। एस्किनैन्थस शब्द ग्रीक भाषा के ऐशाइन या ऐशिन से लिया गया है,

जिसका अर्थ है शर्म या शर्मिंदगी महसूस करना, जबकि एंथोस का अर्थ फूल होता है। वनस्पतिशास्त्रियों के अनुसार, यह पौधा नम और सदाबहार वनों में 543 से 1134 मीटर की ऊँचाई पर उगता है तथा इस पौधे में फूल आने और फलने का समय अक्तूबर से जनवरी के बीच है।

तुर्किये

संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को अब तुर्किये (Turkiye) के नाम से जाना जाएगा। देश का नाम बदलने के लिये राजधानी तुर्की की ओर से भेजे गए अधिकारिक अनुरोध को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने मंज़ूरी दे दी है। तुर्की की रीब्रांडिंग करने के लिये पिछले साल राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) की ओर से एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से सरकारी दस्तावेज़ों और तुर्की के लोगों की ओर से तुर्किये शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तुर्किये के रूप में इस नाम को वर्ष 2021 में चुना गया था जो तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है तथा व्यक्त करता है। स्थानीय लोग भी अपने देश को तुर्किये के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेज़ी संस्करण "टर्की" को अपनाया गया था। तुर्की सरकार ने फिर से ब्रांडिंग अभियान शुरू कर दिया है जिसके अंतर्गत निर्यात किये गए सभी उत्पादों पर "मेड इन तुर्किये" प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार द्वारा टैग लाइन के रूप में "हैलो तुर्किये" के साथ एक पर्यटन अभियान भी शुरू किया गया है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021

केंद्रीय गृह मंत्री ने 4 जून, 2022 को हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ किया। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी ज़मीनी स्तर की खेल प्रतियोगिता- खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली बार पाँच पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, इन खेलों में गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखंभ और योग शामिल हैं। इनमें गतका, कलारीपयट्टू और थांग-ता पारंपरिक मार्शल आर्ट हैं। कुल मिलाकर 2,262 लड़कियों सहित 4,700 एथलीट 25 खेलों में 269 स्वर्ण, 269 रजत और 358 कांस्य पदकों के लिये प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा लेंगे, जो 4 जून से 13 जून तक चलेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 के चौथे संस्करण में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित कर बच्चों और युवाओं के समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन-शैली, राष्ट्रीय गौरव एवं खेलों के विकास से जुड़े आर्थिक अवसरों के माध्यम से खेल के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेलों में पहचान बनाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक के लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान

गृह मंत्री अमित शाह 7 जून, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (NTRI) का उद्घाटन करेंगे। NTRI राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों एवं मामलों का मुख्य केंद्र बनेगा। यह प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग एवं नेटवर्क स्थापित करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI), उत्कृष्टता केंद्रों (COE), NFS की शोध परियोजनाओं की निगरानी करेगा तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिये मानदंड स्थापित करेगा। इसकी अन्य गतिविधियों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ राज्य कल्याण विभागों को नीतिगत सहयोग प्रदान करना, जनजातीय जीवन-शैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार या मदद हेतु अध्ययन और कार्यक्रमों को तैयार करना, PMAAGY के डेटाबेस का निर्माण व रख-रखाव, जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना तथा संचालन और भारत की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें देश भर के 100 से अधिक आदिवासी कारीगर अपने उत्पादों और नृत्य कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे।

विज़िटर्स कॉन्फ्रेंस, 2022

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 7 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विज़िटर्स कॉन्फ्रेंस, 2022 की मेज़बानी करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की विभिन्न श्रेणियों में विज़िटर अवार्ड, 2020 प्रदान करेंगे। दो दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होगा और प्रस्तुतियाँ दी जायेंगी। विचार-विमर्श में उच्च शिक्षण संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, शिक्षा-उद्योग और नीति निर्माताओं तथा शिक्षा एवं अनुसंधान के बीच समन्वय जैसे विषय शामिल होंगे। राष्ट्रपति 161 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विज़िटर हैं। इन संस्थानों के प्रमुखों के अलावा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। 8 जून, 2022 को सम्मेलन में अकादमिक-उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग; एकीकृत स्कूल, उच्च व व्यावसायिक शिक्षा; उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे विषय प्रमुख रूप से चर्चा के केंद्र बिंदु होंगे।

मणिपुर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम

ई-कॉमर्स अमेज़न और मणिपुर सरकार ने 6 जून, 2022 को राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रदर्शन और बिक्री के लिये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंथोइबी एम्पोरियम का उद्घाटन किया, साथ ही इस ऑनलाइन स्टोर के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए। इस पहल से राज्य के लगभग 300,000 कारीगरों, बुनकरों और

आदिवासी समुदायों के सदस्यों को लाभ होगा। हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय के संरक्षण में संचालित, पंथोइबी एम्पोरियम मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (MHHDCL) का एक हिस्सा है, जो स्थानीय कारीगरों के विकास के लिये एक सरकारी उद्यम है। मणिपुर के अद्वितीय और दस्तकारी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला अब देश भर के ग्राहकों के लिये उपलब्ध है। Amazon.in पर पंथोइबी एम्पोरियम में हाथ से बुने कपड़े, दस्तकारी टोपी और बैग, टेराकोटा उत्पाद एवं साथ ही कौना शिल्प शामिल हैं- मणिपुर की एक अद्वितीय हस्तकला जिसमें टोकरी, पर्स, बैग आदि बनाने के लिये कौना लकड़ी का उपयोग किया जाता है। मणिपुरी रानी फी, रेशम से बनी हाथ से बुनी हुई शॉल भी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मणिपुर के विशिष्ट खाद्य पदार्थ, जिनमें काले चावल, चाय, जीआई टैग वाली मिर्च, नींबू और संतरे शामिल हैं, भी बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे।

बॉयोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी-2022

प्रधानमंत्री 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बॉयोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी-2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद कर रहे हैं। परिषद के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है- 'बॉयोटेक स्टार्टअप नवाचार: आत्मनिर्भर भारत के लिये'। यह प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, बॉयोइन्क्यूबेटर, विनिर्माताओं, नियामकों और सरकारी कर्मियों को एक मंच पर लाएगी। इस प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, जेनोमिक्स, जैव-फार्मा, कृषि, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी, कचरे से संपदा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिये जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग करती है। जैव प्रौद्योगिकी के तहत बायोफार्मास्यूटिकल्स का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित रोगाणुओं, कवक, पौधों और जानवरों का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में रोग की चिकित्सा, निदान, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, प्रसंस्कृत खाद्य, बायोरेमेडिएशन, अपशिष्ट उपचार और ऊर्जा उत्पादन आदि शामिल हैं।

बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता

कज़ाखस्तान में बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत 12 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। इसमें कुल छह स्वर्ण, एक रजत और पाँच कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के छह स्वर्ण पदकों में से पाँच पदक महिला प्रतिभागियों ने अपने नाम किये। 14 पदकों के साथ ईरान पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनीषा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में सीनियर्स में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। मानसी अहलावत ने 57 और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किये। दिव्या काकरान ने भी 68 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने, 125 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित ग्रेवाल ने और 63 किलोग्राम भार वर्ग में नीरज ने कांस्य पदक अपने नाम किये। बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कज़ाखस्तान के अलमाटी में 2 से 5 जून तक किया गया।

रोड कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट (लगभग 5 दिन) में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 03 जून, 2022 से शुरू हुए इस कार्य के संपन्न होने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण, इंजीनियरों, ठेकेदारों और मज़दूरों के दल को बधाई दी। महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH-53 सेक्शन पर सिंगल लेन की यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरी की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आरंभ वर्ष 1958 में हुआ था. यह विश्व रिकॉर्ड वर्ष 1998 तक 'द गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड' के नाम से जाना जाता था और इसके बाद इसका नाम 'द गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' हो गया। यह एक तरह की रिकॉर्ड बुक है, जिसे प्रतिवर्ष पुन: संपादित किया जाता है और नए-नए वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें शामिल किये जाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड और विभिन्न प्राकृतिक रिकॉर्ड को शामिल किया जाता है। यह बुक ख़ुद भी एक विश्व रिकॉर्ड बन चुकी है।

मिताली राज

भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वालीं मिताली राज ने 8 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 26 जून, 1999 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली मिताली ने अपने 23 साल के कॅरियर में कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाल चुकी मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन हैं। वह रिकॉर्ड छह विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। मिताली 200 एक-दिवसीय मैच खेलने वाली भी इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं तथा उन्होंने अपने कॅरियर में 12 टेस्ट मैच, 232 एक-दिवसीय मैच और 89 टी-20 में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एक-दिवसीय क्रिकेट में 7 शतक और 64 अर्द्धशतकों के साथ 7805 रन, जबकि टेस्ट मैचों में 1 शतक एवं 4

अर्द्धशतकों के साथ 699 रन तथा टी-20 क्रिकेट मैच में 17 अर्द्धशतकों के साथ 2364 रन बनाए। हालाँकि महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर कही जाने वाली मिताली राज का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा ही रह गया।

विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस

ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिये प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन टयूमर के बारे में जागरूक बनाना और उन्हें इस संबंध में शिक्षित करना है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के लिये वर्ष 2022 की थीम है- 'टुगेदर वी आर स्ट्राँगर' (Together We Are Stronger)। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में लीपज़िग (जर्मनी) स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन 'जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन' द्वारा किया गया था। इस दिवस को दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर के रोगियों और उनके प्रियजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। ब्रेन ट्यूमर का आशय मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि से है। ब्रेन ट्यूमर के मुख्यत: दो प्रकार होते हैं- कैंसरयुक्त ट्यूमर और गैर-कैंसरयुक्त ट्यूमर। इसमें कैंसरयुक्त ट्यूमर अधिक घातक होता है। ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन यह पूरी तरह से इलाज योग्य है। ब्रेन ट्यूमर के कुछ सामान्य उपचारों में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंटी-सीज़र दवा, स्टेरॉयड उपचार आदि शामिल हैं।

फ्रेंच ओपन टेनिस 2022

फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कास्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर टूर्नामेंट का 14वाँ एकल खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ 36 वर्षीय नडाल, रोलैंड गैरस में खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनका 22वाँ ग्रैंड स्लैम खिताब है। उधर पेरिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वेतिक ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। 21 वर्ष की इगा स्वेतिक ने गॉफ को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। गॉफ ने क्ले कोर्ट में अपना पहला फाइनल खेला।

फ्रेंच ओपन 2022 के विजेताओं की सूची :

टाइटल	विजेता	उप विजेता
पुरुष एकल	राफेल नडाल (स्पेन)	कास्पर रूड (नार्वेजियन)
महिला एकल	इगा स्वेतिक (पोलैंड)	कोको गॉफ (अमेरिका)
पुरुष युगल	मार्सैलो अरवलो (अल सल्वाडोर), जीन-जूलियन रोजर (नीदरलैंड)	इवान डोडिग (क्रोएशियाई), ऑस्टिन क्रेजिसेक (अमेरिका)
महिला युगल	कैरोलीन गार्सिया (फ्रेंच), क्रिस्टीना मलादेनोविक (फ्राँस)	जेसिका पेगुला (अमेरिका), कोको गॉफ (अमेरिका)
मिश्रित युगल	एना शिबहारा (जापान), वेस्ले कूलहोफ (नीदरलैंड)	जोरन व्लिगेन (बेल्जियम), उलरिकके ईकेरि (नॉर्वे)

राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

केंद्र सरकार ने 9 जून, 2022 को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। इसे सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक साथ लाने के लिये विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिये व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि पद्म पुरस्कारों के नामांकन और संस्तुति के लिये पोर्टल इस वर्ष 15 सितंबर तक खुला रहेगा। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारों के लिये अगले महीने की 31 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है। भारत सरकार ने देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने तथा मज़बूत एवं अखंड भारत के मूल्यों को स्थापित करने के संबंध में प्रदान किया जाता है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के लिये 16 जून तक नामांकन किया जा सकता है।

बिरसा मुंडा

बिरसा मुंडा के निर्वाण दिवस (9 जून, 2022) पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने उलीहातू (उनकी जन्मभूमि) में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने बिरसा मुंडा की कर्मभूमि डोम्बारी बुरु में भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की । यह स्थल बिरसा मुंडा के बलिदान की कर्मभूमि है । डोम्बारी बुरु यानी डोम्बारी पहाड़ पर ही उन्होंने अपनी सेना एकत्र की और अपने विशिष्ट युद्ध कौशल से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का आगाज़ किया । बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दु:ख दूर करने के लिये भेजा है, इसलिये

वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर 'धरती आबा' (Dharti Abba) या 'जगत पिता' के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे 'मुंडा उलगुलान' (विद्रोह) भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। उन्होंने जनता को जागृत किया और ज़मींदारों एवं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया।

सूफी उत्सव

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 9 जून, 2022 को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य कश्मीर घाटी के सूफी-संत और ऋषियों के संदेशों का प्रचार-प्रसार करना है। संस्कृति विभाग, वक्फ बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, संग्रहालय एवं अभिलेखागार तथा उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल के सलाहकार आर.आर. भटनागर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूफीवाद अपने अंतरात्मा को जानने-समझने का एक माध्यम है। धार्मिक उदारता के संदर्भ में सूफी आंदोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे शासक वर्ग के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। सूफी आंदोलन ने भक्ति आंदोलन की तरह मुस्लिम समाज में सुधार का कार्य किया तथा नैतिक आचरण पर बल दिया और अपने समाज में व्याप्त मद्यपान, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। भारत में प्रमुख सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो आदि रहे हैं।

गौरव अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून, 2022 को गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3,050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमिपूजन किया। इनमें 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 12 परियोजनाओं की आधारशिला और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी ज़िलों के लोगों का जीवन सुगम बनेगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा। जनजातीय समुदायों के बच्चों को हरसंभव अवसर प्राप्त होगा, साथ ही मातृभाषा में शिक्षा, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये भी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जनजातीय विद्यार्थियों के लिये अवसर खुलेंगे। पहली बार गुजरात के इस जनजातीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाएँ एक साथ शुरू की जा रही हैं।

संपदा सृजन

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग- दीपम ने देश के 75 शहरों में विशेष कार्यक्रम संपदा सृजन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू में इस सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान सभी शहर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। वित्त मंत्री के अनुसार, 1994 के बाद नीतिगत निवेश की योजना शुरू की गई और अब ये कंपनियाँ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं तथा FPO के साथ समान प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं। भारत में नीतिगत विनिवेश के माध्यम से निवेश के लिये अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दीपम से प्रधानमंत्री की परिकल्पना साकार हो रही है और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद मिल रही है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)

प्रधानमंत्री ने 10 जून को अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसे जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी प्राप्त हुई थी। IN-SPACe एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देगी। इस निकाय के गठन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपनी आवश्यक गतिविधियों जैसे- अनुसंधान एवं विकास, ग्रहों के अन्वेषण और अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सके तथा अन्य सहायक कार्यों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह निकाय छात्रों और शोधकर्त्ताओं आदि को भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों तक अधिक पहुँच प्रदान करेगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष संसाधनों एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। ये सुधार ISRO को अनुसंधान व विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने में सक्षम बनाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 13 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ऐल्बिनिज़्म अथवा रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर, 2014 को ऐल्बिनिज़्म से पीड़ित लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस के रूप मे मनाने की घोषणा की थी।

ऐल्बिनिज़्म जन्म के समय से ही मौजूद एक दुर्लभ और आनुवंशिक रूप से विकसित रोग होता है। यह एक प्रकार का गैर-संक्रामक रोग भी है। यह मानव शरीर में मेलेनिन (Melanin) के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिह्नित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। ऐल्बिनिज़्म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का अधिक खतरा होता है। भारत में वर्तमान में ऐल्बिनिज़्म से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 1,00,000 है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन-2021 रिपोर्ट

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन-2021 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएँ देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिये सुझाव भी दिये गए हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन-2021 में सात क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं। इनमें वित्त, श्रम और रोज़गार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएँ, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं। ई-गवर्नेंस को सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सरकारी सेवाओं, सूचनाओ का आदान-प्रदान और विभिन्न स्टैंडअलोन सिस्टम तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

रूस दिवस

वर्ष 1991 में 12 जून को ही रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिन को रूस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 12 जून, 1990 को सोवियत संघ के नेताओं ने रूस संघ की संप्रभुता की घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। 12 जून के इस अवकाश को अधिक देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को बढ़ावा देने के लिये, रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने वर्ष 1997 में इसका नाम बदलकर रूस दिवस करने का सुझाव दिया (अवकाश का मूल नाम राज्य संप्रभुता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने का दिन था)। यह नामकरण वर्ष 2002 में हुआ जब रूसी संसद ने रूस के श्रम संहिता के एक नए संस्करण को अपनाया, यह रूस में लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत का प्रतीक तथा सोवियत संघ के आधिकारिक विघटन की दिशा में पहला कदम था। इस दिन रूसी लोग देश भर के कई शहरों में होने वाले संगीत समारोहों और आतिशबाजी में शामिल होते हैं। प्रमुख रूसी लेखकों, वैज्ञानिकों और मानवीय कार्यकर्त्ताओं को इस दिन रूस के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। 12 जून को अधिकांश सार्वजनिक कार्यालय और स्कूल बंद रहते हैं।

सुरक्षा-मित्र परियोजना

हाल ही में केरल राज्य में सुरक्षा-मित्र परियोजना शुरू की गई है। सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के मामले में खतरे का संदेश भेजती है। इस परियोजना की शुरुआत मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत की गई है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक खतरे का संदेश भेजेगी। वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया जाएगा। यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है, तो मालिकों को VLTD से अलर्ट SMS प्राप्त होगा। डिवाइस की स्थापना करने के समय मालिकों द्वारा प्रदान किये गए प्रासंगिक नंबर और ईमेल आईडी पर SMS एवं ई-मेल के माध्यम से अलर्ट तुरंत भेजे जाएंगे। इस प्रकार मालिक संदेश की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए वाहन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।

विश्व रक्तदाता दिवस

प्रत्येक वर्ष 14 जून को संपूर्ण दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के लिये रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए अन्य लोगों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की थीम ''Donating Blood Is An Act Of Solidarity. Join the effort and save lives'' रखी गई है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह दिवस महान जीवविज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर (Karl Landsteiner) की याद में प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून, 1868 को हुआ था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्ल्युटिनिन (Agglutinin) की मौजूदगी के आधार पर रक्तकणों का A, B और O समूह में वर्गीकरण किया था। जटिल चिकित्सा और सर्जरी की स्थिति में रोगी का जीवन बचाने के लिये रक्त की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और सैन्य संघर्ष जैसी आपात स्थितियों में घायलों के इलाज में भी रक्त की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। जीवन रक्षक के रूप में यह बहुत ही अनिवार्य है। इतना महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद सुरक्षित रक्त प्राप्त करना आज भी काफी चुनौतीपूर्ण है। परिणामस्वरूप अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों को बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे विभिन्न कारणों के चलते अपने नागरिकों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

38वीं भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त

अंडमान एवं निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वीं भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त (इंडो-इंडोनेशिया कॉर्पेट) आज से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन 24 जून, 2022 तक किया जाएगा। इस अभ्यास में दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे। यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करती है। समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएँ वर्ष 2002 से वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 'कॉर्पेट' अभ्यास का संचालन कर रही हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिये सुरक्षित करना है। 'कॉर्पेट' अभ्यास नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं अंत:क्रियाशीलता के निर्माण में मदद करता है और मछली पकड़ने की अवैध व अनियंत्रित गतिविधियों की रोकथाम तथा दमन, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती की रोकथाम हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध प्रवासन व समुद्र में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु महत्त्वपूर्ण है।

स्ट्रॉबेरीमून

स्पष्ट आसमान के कारण ब्रिटेन के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देने वाले 'स्ट्राबेरी मून' की आश्चर्यजनक छवियाँ प्राप्त हुई हैं। स्ट्रॉबेरी मून का नाम इस विशेष पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा के लाल, गुलाबी रंग से आया है, यह घटना जून में देखी जाती है। इसे एक विशेष अमेरिकी समय से संबंध के कारण भी इस तरह का नाम दिया गया है, जहाँ साल का यह समय आमतौर पर स्ट्रॉबेरी चुनने के मौसम की शुरुआत का का होता है। यह स्ट्रॉबेरी मून सामान्य से बड़ा और चमकीला है क्योंकि यह वर्ष का पहला सुपरमून भी है। वर्ष के दौरान हर 30 दिनों में पूर्णिमा होती है और इसलिये स्ट्रॉबेरी मून कभी भी उसी दिन नहीं दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में प्राचीन जनजातियों ने चंद्रमा को एक कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि इसके बदलते चरणों का पालन करना आसान था। उन्होंने प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक पूर्णिमा को मौसम और सभी अपेक्षित प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करने के लिये विभिन्न नाम दिये।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस (World Elder Abuse Awareness Day) मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार (मौखिक, शारीरिक या भावनात्मक) के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। 15 जून को बुजुर्गों के लिये एक विशेष दिन के रूप में घोषित करने के अनुरोध के बाद से जून 2006 में इस दिन को मनाया जाने लगा। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में इस दिन को मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र यह दिन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। महामारी वृद्ध लोगों के लिये भय और पीड़ा का कारण बन रही है। उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अलावा महामारी वृद्ध लोगों को गरीबी, भेदभाव एवं अलगाव के प्रति संवेदनशील बना रही है जो उन्हें कोविड-19 प्रेरित जटिलताओं के बढ़ते जोखिम में डाल रही है। वृद्ध व्यक्तियों को भी चिकित्सा देखभाल तथा जीवन रक्षक उपचारों के संबंध में उम्र संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

कबीर जयंती

14 जून को देश भर में कबीर जयंती मनाई गई। इस दिन महान संत कबीरदास का जन्म हुआ हुआ था। कबीर दास जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। वह 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। कबीर की विरासत अभी भी 'कबीर का पंथ' (एक धार्मिक समुदाय जो उन्हें संस्थापक मानता है) नामक पंथ के माध्यम से चल रही है। उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। उनके प्रमुख कार्यों का संकलन पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने दो-पंक्ति के दोहों के लिये सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है। कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिये वह अपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे।